खण्ड-438, अंक-4
शुक्रवार, 21 वैशाख, शक संवत् 1923
(11 मई, 2001 ई0)

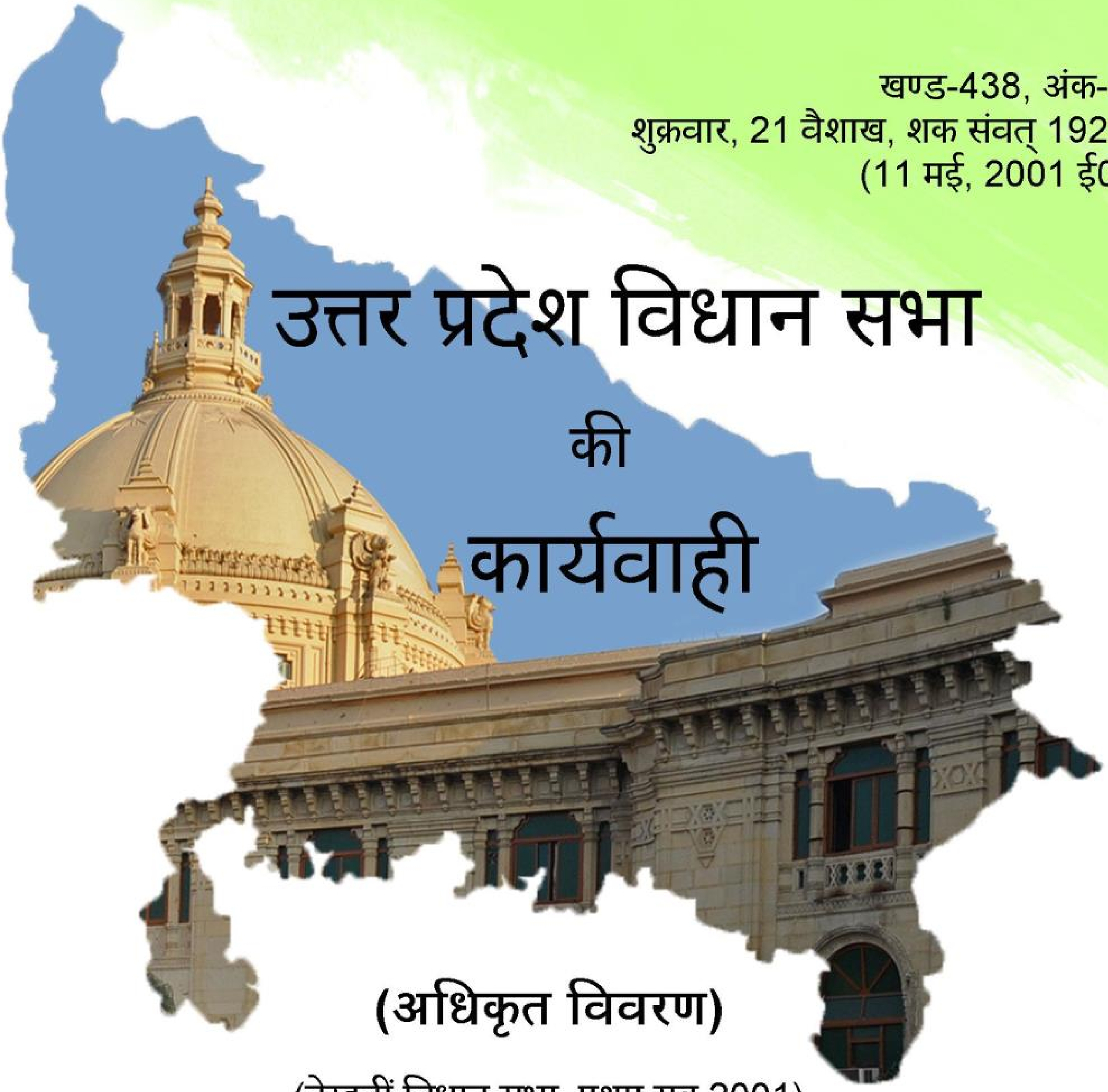

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 438 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
प्रश्नोत्तर	1–87
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	88
राज्य सम्पत्ति विभाग की लखनऊ स्थित लालबाग काम्पलेक्स आफिसर्स कालोनी में लगी चारों लिफ्टों का नई लिफ्टों से प्रतिस्थापन कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
भूमि संरक्षण इकाई रामगंगा कमाण्ड जालौन उरई के अधिकारियों द्वारा पुराने कार्य को नया कार्य दिखाकर फर्जी मापन एवं भुगतान की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88-89
जनपद फैजाबाद के उद्यान विभाग कम्पनीबाग/शहीद उद्यान के प्रभारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराने एवं निदेशक, उद्यान उ०प्र० के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	89
व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	89
मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा चुनाव की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	90-91
जनपद महाराजगंज तथा गोरखपुर में गतवर्ष के बाढ़-पीड़ित परिवारों को संसदीय कार्य मंत्री की घोषणा के अनुरूप धनराशि प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	91-92
व्यवधान के कारण सदन में शासन का पक्ष न आ पाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	92-93
दिनांक 13 मई, 2000 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अब तक कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	93-94
पंचायत भवन तथा आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता का प्राविधान न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	94-95
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 (पुरःस्थापित) ...	95
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	96-109
उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2001 का स्थगन	109
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सचिवालय कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तों का) विधेयक, 2000 का स्थगन	109
"इस सदन का निश्चित मत है कि सिर पर मैला ढोना दण्डनीय अपराध घोषित किया जाय" विषयक संकल्प (संकल्प वापस)	109-114
"इस सदन का निश्चित मत है कि ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व की मथुरा नगरी को तीर्थ नगरी घोषित किया जाय" विषयक संकल्प (संकल्प वापस) ...	114-121

विषय	पृष्ठ-संख्या
"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए वर्षा के जल को व्यर्थ होने से बचाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाय" विषयक संकल्प (अस्वीकृत)	121-129
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	129-130
प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के जनपदों में लाखों की संख्या में अवैध रूप से आकर बस रहे बंगलादेशी नागरिकों को चिन्हित कर वापस भेजे जाने विषयक श्री रूप चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	131-132
प्रदेश में लेवी चावल की खरीद पर हो रही धपलेबाजी तथा अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री तेजभान सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य	132-133
प्रदेश में लेवी चावल की खरीद पर हो रही धपलेबाजी तथा अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य विधान सभा श्री तेजभान सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य ...	133-134
प्रदेश में साइबर कैफों में अश्लील वेबसाइटों के प्रदर्शन से बढ़ रही अनैतिकता पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	134
जनपद मथुरा की भुतिल की निरंकुशता तथा पंजीकृत अभियोगों में प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	135-136
जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत आसेवित विकास खण्ड मिल्कीपुर में स्वीकृत कन्या इण्टर कालेज (मधुराज उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, अंजरौली) के निर्माण की द्वितीय किश्त तथा हाईस्कूल की मान्यता प्रदान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	137
सहारनपुर मण्डल में टाडा, गैंगस्टर एवं बाल न्यायालयों की स्थापना न होने तथा एन० एस० ए० कोर्ट देहरादून, के उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित हो जाने से वादकारियों एवं प्रशासन को हो रही असुविधाओं के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	138
जनपद आजमगढ़ के जिला अस्पताल के जर्जर भवन से दुर्घटना विषयक श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	139
जनपद मुरादाबाद के कुन्दरकी क्षेत्र में गांगन नदी में औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषित जलोत्सारण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अकबर हुसैन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	139-141

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराये जाने विषयक श्री राम अचल राजभर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	141-142
जनपद अम्बेदकर नगर के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत आलापुर अन्नापुर, रामनगर में प्रस्तावित तहसील भवन का निर्माण शीघ्र कराये जाने विषयक श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	143
जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत एक हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने विषयक श्री रामजग द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन ...	144
नत्थियां	145-155

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 11-05-2001

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
2–अजय राय, श्री — वाराणसी
3–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
4–अनिल कुमार, श्री — बलिया
5–अनीस खां, श्री — पीलीभीत
6–अब्दुल कलाम, श्री — बस्ती
7–अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
8–अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
9–अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
10–अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
11–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
12–ओइमवेश स्वामी, श्री — बिजनौर
13–ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
14–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
15–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
16–काशी नाथ, श्री — सुल्तानपुर
17–कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
18–गणेश राजभर, श्री — गाजीपुर
19–गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
20–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री — झांसी
21–छोटे लाल राजभर, श्री — बलिया
22–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
23–जयपाल सिंह, श्री — मेरठ
24–जय प्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
25–जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
26–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइय्या, श्री — गोरखपुर
27–ज्ञानवती सिंह, डा० — अलीगढ़
28–दयाशंकर, श्री — जालौन
29–दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
30–दिलीप कुमार, श्री — बहराइच
31–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
32–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री — कानपुर देहात
33–धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
34–धर्मज्ञ मिश्र, डा० — हरदोई
35–धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
36–नन्दराम, श्री — बरेली
37–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
38–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
39–प्रदीप कुमार, श्री — सहारनपुर
40–प्रदीप कुमार यादव, श्री — इटावा
41–प्रेम प्रकाश सिंह, श्री — देवरिया
42–प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
43–प्रेम स्वरूप पाठक, श्री — बदायूं
44–फतेह बहादुर सिंह, श्री — महराजगंज
45–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
46–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
47–बाबूराम, श्री — जालौन
48–बिजेन्द्र आर्य, श्री — मुजफ्फरनगर
49–बी० के० गुप्ता, श्री — पीलीभीत
50–भरत सिंह, श्री — बलिया
51–मंजू, श्रीमती — बलिया
52–मंडलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
53–महेन्द्र कुमार, श्री — बुलन्दशहर
54–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० — वाराणसी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

55–महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
56–मुराद लारी, श्री — देवरिया
57–मुहर सिंह अम्बाडी, श्री — इटावा
58–रंगनाथ मिश्र, श्री — भदोही
59–रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया", कुंवर — प्रतापगढ़
60–रज्जन पाल सिंह, श्री — एटा
61–रणधीर सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
62–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
63–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
64–रवीन्द्र शुक्ला, श्री — झांसी
65–राघव, श्री — सहारनपुर
66–राजनाथ सिंह, श्री — बाराबंकी
67–राजपाल सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
68–राजा गजनफर अली खां, श्री — बिजनौर
69–राजा राम पाण्डेय, श्री — प्रतापगढ़
70–राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
71–राधेश्याम, श्री — कानपुर देहात
72–राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
73–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० — कानपुर नगर
74–राम औतार शाक्य, श्री — मैनपुरी
75–राम खिलाड़ी, श्री — बदायूं
76–राम नरेश रावत, श्री — गाजियाबाद
77–राम नाथ, श्री — प्रतापगढ़
78–राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
79–रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
80–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
81–लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
82–बहोरन लाल मौर्य, श्री — बरेली
83–विक्रमाजीत मौर्य, श्री — इलाहाबाद
84–विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
85–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
86–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
87–विरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
88–विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
89–वेद प्रकाश, श्री — बस्ती
90–शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
91–शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
92–शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
93–शिव पूजन राम, श्री — वाराणसी
94–शिव प्रताप शुक्ल, श्री — गोरखपुर
95–शिवाकान्त, श्री — प्रतापगढ़
96–शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
97–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
98–सन्तराम सिंह, श्री — जालौन
99–सरजीत सिंह डंग, डा० — मिर्जापुर
100–सरस्वती प्रताप सिंह, श्री — खीरी
101–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर — मुरादाबाद
102–सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
103–सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
104–सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री — देवरिया
105–सुमनलता सिंह, श्रीमती — बरेली
106–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
107–सुशीला अग्रवाल, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
108–हरिनारायण, श्री — बलिया
109–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
110–हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
111–हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री — वाराणसी

दिनांक 11 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अधिष्ठाता डा० अम्मार रिजवी के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सस्ता न्याय प्रदान करने हेतु न्यायालयों के गठन का प्रस्ताव

**1–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि लम्बित मुकदमों के निस्तारण तथा वादकारियों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्रदान करने हेतु क्या सरकार अतिरिक्त सत्र न्यायालयों के गठन एवं पदों के सृजन करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्ता)–

(क) जी हां ।

(ख) अतिरिक्त जिला जज व सत्र न्यायाधीश स्तर के 18 न्यायालय एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के मामलों के विचारण हेतु 20 न्यायालय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु तथा पांच नियमित न्यायालयों एवं उससे सम्बन्धित पदों के सृजन की व्यवस्था की जा रही है । उक्त के अतिरिक्त 11वें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कुल 206 न्यायालयों के सृजन का प्रस्ताव है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, क्या माननीय उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया, मैं सदन में उपस्थित नहीं था । अगर हो गया है तो मेरी बधाई ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, प्रदेश के प्रायः सभी जिलों में वादों की एक लम्बी श्रृंखला है, जिनके निस्तारण और निवारण हेतु आवश्यक न्यायालयों के न होने से वादकारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस परिस्थिति को देखते हुए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है । माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो न्यायालयों के गठन की बात है, इसके पूर्व जो लम्बित वाद हैं, उनके विषय में क्या सरकार के पास कोई आंकड़े हैं और यदि हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इन अदालतों की संख्या का निर्धारण किया गया है ? यदि हां, तो अदालतों में लम्बित वादों का निस्तारण कितने समय में कर दिया जायेगा ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

मान्यवर, 182 न्यायालयों की त्वरित स्थापना हेतु कार्यवाही हो चुकी है और 24 न्यायालयों को खोलने के बारे में प्रस्ताव सन्दर्भित किया गया है । इस तरह से 204 न्यायालय प्रदेश में खोले जा रहे हैं ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी जो उत्तर दे रहे हैं वह मेरे प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री का पूरा उत्तर तो आने दीजिये उसके बाद पूछ लीजियेगा ।

श्री राधेश्याम गुप्ता–

मान्यवर, माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि वादों का निस्तारण त्वरित गति से हो । इस सम्बन्ध में सरकार पूरी तरह से चिन्ता कर रही है और सरकार संवेदनशील है । न्यायालयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं कर रहा हूं बल्कि पहले प्रश्न की पुनरावृत्ति कर रहा हूं, शायद माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न को समझ नहीं पाये हैं । मैंने प्रश्न किया था जो न्यायालयों के गठन का निर्णय सरकार ने लिया है क्या उसके पूर्व विभिन्न जिलों में जो लम्बित वाद हैं उनकी कोई समेकित संख्या की जानकारी सरकार ने की है और क्या उनके आंकड़े सरकार के पास हैं । क्या इसको मद्देनजर रखते हुए इन अदालतों की संख्या का निर्धारण किया गया है । यदि हां तो इन अदालतों के गठन के बाद जो लम्बित वाद हैं उनका निस्तारण कितने समय में किया जायगा ? यह मैंने जानकारी चाही है ।

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, 5 वर्ष के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट्स खोले गये हैं । 5 वर्षों में जो लम्बित वाद हैं उनका निस्तारण किया जायगा ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

श्री अधिष्ठाता–

पूरे प्रदेश में मुकदमों की संख्या की आपने जानकारी चाही है, वह सम्भव नहीं है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, लम्बित वादों की संख्या सरकार के पास है । मैंने जानना चाहा है कि इन अदालतों के गठन के पश्चात् जो लम्बित वाद हैं उनका निस्तारण कितने समय में हो जाने की सम्भावना है ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अधिष्ठाता–

आपके मूल प्रश्न में संख्या का उल्लेख नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं उत्तर दे दूं ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

जब मंत्री जी बैठे हैं तो उनको उत्तर देना चाहिए ।

श्री हुकुम सिंह–

यह तो सामूहिक उत्तरदायित्व है ।

श्री राधेश्याम गुप्त–

मैं उत्तर दे रहा हूं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

यह कोई बरात नहीं है पहले हुकुम सिंह खड़े हुए बाद में मंत्री जी ने कागज ले लिया। इसमें कोई उत्तर देने को तैयार नहीं है इसलिए इसको प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सौंप दिया जाए व इसे स्थगित कर दें।

श्री राधेश्याम गुप्त–

इस समय दीवानी के मामले 10,45,237 लम्बित हैं। सेशन कोर्ट में 29,40,060 मामले लम्बित हैं व मजिस्ट्रेटिएल कोर्ट में 20,81,785 मामले लम्बित हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

जब मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 10,45,237 सिविल कोर्ट, 29,40,060 सेशन कोर्ट व 20,81,785 मजिस्ट्रेटिएल कोर्ट में मामले लम्बित हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जस्टिस डिलेट इज जस्टिस डिनाई। इतनी बड़ी संख्या हैं जो लम्बित बाद हैं। आप सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं मात्र 206 न्यायालयों को स्थगित करने की बात कर रहे हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग का मंत्री जी ने जिक्र किया तो ग्यारहवें वित्त आयोग से न्यायालय स्थापित करने के लिए कितनी धनराशि उन्होंने मांगी है तथा उससे कितने न्यायालयों का गठन होगा ? 206 न्यायालयों के गठन की बात उन्होंने कही है पैसा कितने न्यायालयों के गठन के लिए मिला है। यह पूरे सदन की चिन्ता है 60 लाख के करीब मुकदमें लम्बित हैं। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए 206 की संख्या कम है उस सम्बन्ध में क्या उपाय करेंगे ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

ग्यारहवें वित्त आयोग ने सत्र न्यायालयों के शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हेतु कुल 5 वर्षों में 78.24 करोड़ रुपये दिये जाने का आश्वासन दिया है। इस धनराशि में से 28.24 करोड़ चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त होनी थी परन्तु 7.6 करोड़ ही प्राप्त हुए चालू वित्तीय वर्ष में।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने जो सवाल किया है उसका उत्तर नहीं आया है मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा है कि इनकी जो 206 न्यायालय खोलने की परिकल्पना है उसमें कितनी धनराशि मिली है और कितनी व्यय होगी ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

78.24 करोड़ रुपये पांच वर्ष के लिए है जिसमें न्यायालयों के पद सृजित हुए हैं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मंत्री जी ने अपने उत्तर के ख में कहा है कि 18 न्यायालय एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के मामलों के विचारण के लिए और 20 न्यायालय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों के निस्तारण के लिए खोले जायेंगे तो मान्यवर, इनकी स्थापना का मानक और आधार क्या है और उनको किन-किन जनपदों में स्थापित किया जायगा। ग्यारहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से जो न्यायालय खोलने का प्रस्ताव है तो जनपदों का निर्णय हो गया होगा ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो चैम्बर में आ जाइयेगा हम आपको पूरी सूचना दे देंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

मान्यवर, यह कोई परम्परा तो नहीं रही है । केवल इतना बता दें कि आधार और मानक क्या हैं ? सूची आप बाद में दे दें ।

श्री राधेश्याम गुप्ता–

माननीय उच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर स्थापना और जनपद तय हुए हैं । मैं पूरी सूची आपको दे दूंगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

मान्यवर, उच्च न्यायालय का भी तो कोई मानक और आधार होगा जिसके आधार पर उसने यह निर्णय दिया और इसकी सरकार को पूरी जानकारी होगी । प्रस्ताव आया होगा । तो जो एनडीपीएस के 18 और अनुसूचित जाति के लिए 20 न्यायालय का प्रस्ताव है उसके आधार और मानक को बता दें ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

मैंने बताया कि उच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर स्थापना और जनपद तय किये गये हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

इस पर चर्चा स्वीकार की जाय या इसको स्थगित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी तो प्रश्न चल रहा है । चर्चा की बात कैसे हो सकती है ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जब व्यक्ति को प्रशासनिक स्तर पर न्याय नहीं मिलता है तो वह अपनी व्यथा को न्यायालय के द्वारा हल कराना चाहता है कि उसको न्याय मिले । अभी आपने बताया कि वादों की संख्या इतनी है । आपने जो टाइम बताया कि इतने समय में न्यायालय खुल जायेंगे तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक न्यायालय खुलेंगे वादों की इन संख्या में और भी वाद नये जुड़ जायेंगे । सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिये हैं उसकी समय सीमा 5 साल से घटाकर 2 साल करके इन वादों का निस्तारण करेंगे ताकि लोगों को न्याय मिल सके ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

मान्यवर, वर्मा जी सम्मानित बड़े भाई हैं, इन्हें अनुभव होना चाहिए कि 5 साल के लिये जो न्यायालय बनाये जा रहे हैं तो 5 साल में वादों का निस्तारण त्वरित गति से कैसे होगा ? 1 माह में 14 वादों का निस्तारण एक अदालत से होगा तो दो साल में कैसे इतने वादों का निस्तारण हो सकता है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य का कहना है कि यह जो वादों की संख्या है अभी इसमें पांच सालों में और भी कई वाद जुड़ जायेंगे तो आपने जितने न्यायालय खोलने की बात कही है उनसे इन वादों का निस्तारण ही सम्भव नहीं है तो जो और बढ़ जायेंगे वे कैसे निस्तारित हो सकते हैं ? इनका कहना है कि क्या मुकदमों की संख्या को देखते हुए इन न्यायालयों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है । जनता को त्वरित न्याय मिल सके इसका पूरा-पूरा प्रयास किया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

संवेदनशील का मतलब है विचार कर रही है ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी सरकार ने यह खुद स्वीकार किया है कि 60 लाख मुकदमें प्रदेश में विचाराधीन हैं और इसके लिये 206 न्यायालयों का निर्माण करने जा रहे हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश में जजों और मजिस्ट्रेटों की भी कमी है, अगर कमी है तो कितने जज और मजिस्ट्रेट की जगह खाली हैं ? इन खाली जगहों को सरकार कब तक पूरा कर देगी ताकि इन 60 लाख मुकदमों का निस्तारण हो सके ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

हमने तो पद सृजित किया है और यह माननीय उच्च न्यायालय का काम है जजों की नियुक्ति करना । यह शासन स्तर का काम नहीं है ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, कितने जजों और मजिस्ट्रेटों की प्रदेश में कमी है । मेरी जानकारी है कि जजों और मजिस्ट्रेटों की कमी होने की वजह से प्रदेश में न्याय नहीं मिल पा रहा है । क्या सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिये केन्द्र से या सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है ?

श्री अधिष्ठाता–

इस संख्या को जानने के लिये आपको अलग से प्रश्न करना चाहिए ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, अतिरिक्त सत्र न्यायालयों को खोलने की बात हो रही है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय कितने अतिरिक्त सत्र न्यायालय काम कर रहे हैं ? उसमें कितनी जगह खाली हैं ? पूरे प्रदेश में कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । इसके लिये अलग से प्रश्न कर लें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

कितने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश काम कर रहे हैं यह पूछा गया है ?

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी आपके पास कोई सूचना है जो रामतेज जी ने पूछा है ।

श्री राधेश्याम गुप्ता–

नहीं है ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

कितने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हैं इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप मंत्री जी से कहें यह अगले दिन तैयार होकर आयें फिर बतायें ?

(व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

इसमें आप चर्चा स्वीकार कर दीजिए ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना निरर्थक लग रहा है । प्रश्न कुछ है और उत्तर कुछ है । इसको आप प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द कर दें । 25 मिनट हो गए हैं मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं । इसलिए इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दें ।

(व्यवधान)

श्री उदयराज यादव–

इसमें चर्चा करा दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 49 में लिखकर दे दीजिए ।

श्री रामनरेश यादव–

जब माननीय सदस्यों का सही ढंग से उत्तर नहीं आ पा रहा है तो इसमें चर्चा होना जरूरी है । 25 मिनट हो गये इसमें आप नियम 49 में चर्चा करा दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने निवेदन किया नियम-49 में लिखकर दे दें ।

प्रदेश में बड़ी नहरों को जोड़कर वाटरग्रिड बनाने की योजना

**2–श्री संजय गर्ग तथा श्री विजय पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश की सभी बड़ी नहरों को आपस में जोड़कर वाटरग्रिड बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उक्त के लिये धन आवंटित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण, उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी नहीं । बड़ी नहरों को जोड़ने की कोई परियोजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नही उठता ।

श्री विजय पाल सिह–

किसानों को विगत कई वर्षों से नहरों से पानी नहीं मिल रहा है नहरों की टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है इसमें कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, मंत्री जी क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसानों को रेगुलर पानी मिल सके ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्न परियोजना से संबंधित था । किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके इसके लिए सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं ! पानी की उपलब्धता के आधार पर पानी टेल तक पहुंचाना सम्भव हो पाता है ।

जब पानी की कमी रहती है तो पानी कम पहुंचता है । नदियों में पानी पर्याप्त है तो पानी पर्याप्त पहुंचता है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितनी संख्या में बड़ी नहरें हैं कितनी नहरें बड़ी-बड़ी नदियों से निकलकर सिंचन का काम कर रही हैं और कितने क्षेत्रफल का सिंचन कर रही हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्न जो पूछा गया है यह इससे भिन्न है । बात सिंचाई पर आ गयी है । जितनी प्रमुख नहरें हैं वह नदियों से निकली है एक रामगंगा बैराज से निकली है । जितनी बड़ी नहरें हैं वह बड़ी नदियों से ही निकली हैं नहरों को जोड़ने की बात पूछी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, अब तक यह पूछा जाता था क्या नदियों को जोड़ने का है ? लेकिन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने पहले से व्यवस्था कर रखी है कि जब किसी नदी में पानी कम होता है तो कुछ व्यवस्था ऐसी की गयी है कि दूसरी नदियों से पानी छोड़ा जाय । जैसे गंगा से यमुना में पानी छोड़ा जाता है जब पानी कम होता है । इस बार छोड़ा गया इस बार आगरे में नहर को पानी दिया गया । घाघरा नदी का पानी शारदा और सरयू में इन्टरबेसिन पर दिया जाता है । यह उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग जो सबसे पुराना देश का विभाग है । इस प्रदेश का सिंचाई इन्टर बेसिन का काम, पहले ही कहा कि इसका उदाहरण है घाघरा नदी का पानी शारदा और सरयू नदी में छोड़ा जाता है । यही दो व्यवस्था है जहां एक नदी का पानी दूसरी नदी में डालकर नहरों को पानी दिया जाता है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को मैं बधाई देना चाहता हूं । मैं उनसे यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि 11 के बाद 12 न करियेगा । 11 पर ही रोक दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

आप उनके हिम्मत की दाद दें और खुद भी इसका अनुसरण करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह मैंने आपके लिए छोड़ रखा है ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि हम नहरों के टेल तक पानी दे रहे हैं । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में तमाम सोइल कन्जरवेशन स्कीम के अन्तर्गत जो उबड़-खाबड़ भूमि थी, खेती योग्य हो गयी तो क्या उस जमीन में नहरों का पानी उपलब्ध कराने के लिए नहरों और माइनर की दूरी बढ़ाने की योजना है ?

श्री अधिष्ठाता–

इसका इस प्रश्न से संबंध नहीं है ।

श्री श्रीराम पाल–

उन्होंने कहा था कि नहरों के टेल के क्षेत्र तक पानी दे रहे हैं । जो भूमि, भूमि संरक्षण विभाग द्वारा समतल कर दी गयी है क्या उस क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए नहरों और माइनरों की कुछ दूरी बढ़ाने की कार्य योजना है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, नहरों में जहां पानी की उपलब्धता के आधार पर क्षमता है उसके अनुसार मुख्य नहर से छोटी नहरें निकाली जा चुकी हैं, उनका क्षेत्रफल निश्चित किया जा चुका है। इसलिए और अधिक नहर तभी निकाली जाती है जब पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। माननीय सदस्य ने जिस ओर ध्यान दिलाया है कि आगे की योजनाओं में जो असिंचित हैं या जो नयी जमीन खेती के योग्य बनायी जा रही हैं उसमें नयी योजनाओं के बारे में विचार किया जा रहा है। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से बरसात के जल को एकत्रित करके विभिन्न तरीके से अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर आश्रित होगी और नौवीं पंचवर्षीय योजना के खत्म होने से पहले उसका पूरा ड्राफ्ट बना दिया जायेगा। उस योजना को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जा रहा है और जिन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच रहा है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन क्षेत्रों में सिंचाई कैसे उपलब्ध करायी जाये इसका अध्ययन हो रहा है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, नहरों में पानी की उपलब्धता की कमी के कारण जो इनकी निर्धारित क्षमता है वह पूरी नहीं हो पा रही है। जो पुराना कैनाल सिस्टम है लखनऊ ब्रांच, शारदा नहर और दूसरी नहर यह पुरानी नहर हैं और कच्ची होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी हैं तो इनको पक्का कराये जाने की व्यवस्था करेंगे ताकि जो पानी की उपलब्धता है उसमें सिंचन क्षमता को पूरा किया जा सके ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, पक्का करना एक मात्र उपाय नहीं है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं बहुत पुराने होने के कारण और ऊपर के क्षेत्रों में फसलचक्र में परिवर्तन होने के कारण किसान जो पहले कम पानी लेता था, अब अधिक पानी लेने लगा है इसलिए कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी होने लगी है। इन क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया गया है। लखनऊ भी उसमें है। जितना नहरों में पानी आता है, क्षमता की वृद्धि पुनर-संरचना, सुधार आदि व्यवस्था रखी गयी है उसमें राजकीय सहायता भी आयेगी और जो नाबार्ड से पैसा लेने की बात है। मान्यवर, इसमें पूरे प्रदेश के सिस्टम की रिमान्डलिंग करने की योजना विश्वबैंक के सहयोग से 15 हजार करोड़ रुपये की बनायी है। एक-दो महीने में, अन्तिम स्टेज में है, धन मिल जायेगा। अतः जीर्ण-शीर्ण नहरों की क्षमता वृद्धि, आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और नये क्षेत्रों में जल पहुंचाने की योजना विचाराधीन है उस पर शीघ्र ही कार्य शुरू कराया जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मंत्री जी ने इन्टरबेसिन की बात कही गंगा से यमुना का पानी जोड़ रहे हैं, घाघरा से सरयू की बात कही है तो घाघरा से शारदा या सरयू में कितनी क्यूसेक पानी छोड़ा है जो सरयू परियोजना बन रही है विगत वर्षों में थोड़ा पैसा दिया जा रहा है तो यह परियोजना कब तक पूरा करने का लक्ष्य है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, सरयू परियोजना सही अर्थों में बहुत दिनों से चल रही है। लेकिन माननीय सदस्य को हम यह अवगत कराना चाहेंगे कि जितनी परियोजनाएं चल रही हैं वह पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थीं और यही सरकार है जो उनमें से जो 29 परियोजनायें पंचवर्षीय योजनाओं की चल रही थीं, इन 4 साल में। 13वां पूरा किया है 5 और पूरा करेंगे 18 का लक्ष्य था और 18 को पहली बार लक्ष्य के अनुसार पूरा करना है। वह छठी पंचवर्षीय परियोजना तक पूरी हो जानी चाहिए थी अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जहां तक सरयू परियोजना की बात है 200 करोड़ रुपये की बनी थी और 1991 में 299 करोड़ रुपये की लागत की बात थी उस समय 10 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई नहीं होती थी। 1991 में

पहली बार उन पर काम शुरू किया गया और फिर 4 साल से लक्ष्य के अनुसार प्रगति हुई है और जो उस क्षेत्र के लोग हैं मिलकर कहते हैं कि पहली बार काम इतनी तेजी से हुआ है । मान्यवर, 10वीं पंचवर्षीय परियोजना में वह योजना पूरी हो जायेगी । 9वीं में सही अर्थ में काम करना शुरू हुआ है । जितनी आवश्यकता वहां पड़ रही है इंजीनियर्स द्वारा जो मांग है, उतना धन उपलब्ध कराया जा रहा है इसलिए 10वीं पंचवर्षीय परियोजना में इसे पूरा करने का लक्ष्य है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगरा टर्मिनल जो यमुना के किनारे है इसमें हरियाना की वजह से सब पानी नहीं मिल पाता है तो क्या माननीय मंत्री जी चम्बल डाक परियोजना से उसमें पानी की व्यवस्था करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, अभी चम्बल डाक से जितना पानी उपलब्ध होना है, हम नदियों से उतना ही पानी ले सकते हैं जितना उत्तर प्रदेश का हिस्सा है तो उसके अनुसार ही चम्बल से पानी ले रहे हैं और उसमें निर्माण के समय ही उस पानी का उपयोग कहां-कहां कितना होगा वह नहरें बन चुकी हैं इसलिए जो नई नहर की बात कर रहे हैं, जोड़ना सम्भव नहीं है क्योंकि उसमें अतिरिक्त पानी नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में विद्युत लाइन हानियों के लिए जिम्मेदारी तय करने सम्बन्धी प्रकरण

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत के उपयोग में होने वाली लाइन की हानि का कोई मानक निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार इससे अधिक लाइन लास के लिये संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर उनसे वसूली करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री सतीश शर्मा)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में विद्युत लाइन हानियों के सर्वमान्य मानक निर्धारित न होने के कारण संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करना सम्भव नहीं है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से लाइन लास के सम्बन्ध में और विद्युत के उपयोग में होने वाली लाइन की हानि के मानक के निर्धारण के सम्बन्ध में मैंने जानकारी चाही थी, जैसा आप जानते हैं कि आज पूरे प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण समस्या बिजली की है । इससे पहले भी माननीय मंत्री जी ने इस सदन में स्वीकार किया है कि लाइनलास हो रहा है और उसका कारण है विद्युत सप्लाई में, तो मैंने इसमें जानना चाहा था कि इसमें कोई मानक निर्धारित किया गया है तो उत्तर आया है ''जी नहीं'' । मान्यवर, जब तक इसमें कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जायेगी और उस पर कोई अंकुश नहीं होगा तब तक इस

तरह की समस्या पूरे प्रदेश में बनी रहेगी और हाहाकार किसान, मजदूर, विद्यार्थियों से लेकर उद्योगपतियों तक मचा रहेगा । सारी अर्थव्यवस्था इस अव्यवस्था से चरमरा गई है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में जो लाइनलास हो रहा है उसके लिए कोई मानक तय करने पर विचार कर रहे हैं, विद्युत लाइन हानियों का मानक निर्धारण करने पर कोई नीति बना रहे हैं यदि हां, तो कब तक ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, सेन्ट्रल इलेक्ट्रिक एथारिटी है यह कार्य उसका है कि वह मानक का निर्धारण करे । 1999 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि तकनीकी कारणों से हम कोई लाइनलास का मानक नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं । इसके कारण हिन्दुस्तान में हर राज्य का लाइन लास अलग-अलग हो रहा है । हमारे यहां कितना मिला, कितनी आपूर्ति करी कितनी वसूली करी इन तीनों के आधार पर अपना मानक निर्धारित करते हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने 1999 का उल्लेख किया जो रिपोर्ट आई है केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की लेकिन सभी राज्य सरकारों को चिन्ता है लाइनलास की, आपको भी चिन्ता है । आपने जितना विद्युत उत्पादन किया, वितरण किया और जितना डिफरेंसेस आया उसको लाइन लास की संज्ञा देते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में लाइन लास कितने प्रतिशत है और इसको कम करने के लिए हमने कौन से उपाय किये हैं, क्या कार्यवाई की है और आसपास के पड़ोसी राज्यों की तुलना में यहां की लाइन लास क्या है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इस समय मैंने नियामक आयोग को 42 प्रतिशत लाइन लास दिया है, जबकि 92-93 में 24 प्रतिशत और इसके बाद 40 प्रतिशत के लगभग लाइन लास था । अलग-अलग राज्यों में यह अलग-अलग है जैसे पंजाब में किसानों को फ्री बिजली दी गयी है, दिल्ली में कहीं-कहीं 60 प्रतिशत लाइन लास का आंकलन किया गया है । तो यह अन्तर भौगोलिक स्थिति के अनुसार है । हमारे यहां 42 प्रतिशत है । डिस्ट्रीब्यूशन में लास मुख्य कारण है । हम इसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं, हम मीटरिंग कर रहे हैं, एम० ओ० यू० इंजीनियर्स से हमने साइन किया है, कटिया हटाओ अभियान चला रहे हैं और हम 30 तारीख से विद्युत चोरी के अभियान में निकल रहे हैं इससे विद्युत चोरी रुकेगी । हम माननीय सदस्यों से भी चाहते हैं कि वह भी हमें सहयोग दें । हम स्वयं जा रहे हैं, हमारे मंत्री भी निकल रहे हैं । इन सब प्रयासों से लाइन लास कम होगा ।

श्री केशो मेहरा–

अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लाइन लास का अर्थ क्या है ? हम वह विद्युत इकाइयां जो किसी भी तापीय अथवा जलीय व्यवस्था के माध्यम से उत्पादन करती है उसके बाद वह हाई वोल्टेज लाइन से सब स्टेशन तक पहुंचती है । उत्पादन से लेकर सब स्टेशन तक जो बिजली का लास होता है, तकनीकी रूप से वह लाइन लास है, जो बिजली चोरी होती है, जो सब-स्टेशन से घरों तक पहुंचने में लास होता है वह लाइन लास की संज्ञा में नहीं होता है । मंत्री जी जो 42 प्रतिशत लाइन लास कह रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि जब हम किसी भी उत्पादन इकाई से अथवा कहीं से आयात कर रहे हैं वहां से सब-स्टेशन तक पहुंचने में बिजली का लास कितना है और उसके बाद जब बिजली सब-स्टेशन से घरों और अन्य उपभोक्ताओं तक जाती है, वहां कितना लास है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय मेहरा जी ने हमें ज्ञान तो दिया । श्रीमन्, मैंने बताया कि जो लास है वह जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में है, जनरेशन लास बहुत कम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लास ही अधिक है, क्योंकि सिस्टम बहुत पुराना है, इसके लिए बहुत पैसा लगेगा । श्रीमन्, हम लास को निकालें तो ट्रांसमिशन में हमारा लास 5 प्रतिशत है, जो हमने निकाला है और जनरेशन में लास 1–2 प्रतिशत है । इसके बाद जो लास है वह डिस्ट्रीब्यूशन पर है ।

प्रदेश में सिर पर मैला ढोने की व्यवस्था समाप्त करने पर विचार

*2–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में सिर पर मैला ढोने की व्यवस्था समाप्त हो गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कानून बनाकर इसको समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

जी नहीं ।

जी हां ।

भारत सरकार के "दि इम्पलायमेंट आफ मैनुअल स्केवेन्जर्स एण्ड कस्ट्रक्शन आफ डाई लैट्रिन्स (प्राहिविशन) ऐक्ट–1993" को अंगीकार कर प्रदेश में लागू करने की कार्यवाही की जा रही है । वर्तमान में सिर पर मैला ढोने की व्यवस्था को समाप्त करने हेतु निम्न योजनायें चलाई जा रही है :–

1–समाज कल्याण विभाग द्वारा :–

(क) स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना (बैकेबुल योजना)

(ख) सेनेटरी मार्ट योजना

2–नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा–स्वच्छकार विमुक्ति योजना ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर के पहले भाग में स्वीकार किया है कि प्रदेश में सिर पर मैला ढोने की व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है । दूसरे भाग में मैंने पूंछा था कि यदि नहीं, तो क्या सरकार कानून बनाकर इसको समाप्त करने पर विचार कर रही है ? इसका उत्तर दिया गया है कि जी हां । उसका प्रारूप क्या है, इसके उत्तर में सरकार ने कहा है कि भारत सरकार के "दि इम्पलायमेन्ट आफ मैनुअल स्केवेन्जर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन आफ ड्राई लैट्रिन्स (प्राहिविशन) ऐक्ट–1993 को अंगीकार कर प्रदेश में लागू करने की कार्यवाही की जा रही है । मान्यवर, इतनी बड़ी मानवीय समस्या और दलित वर्ग से जुड़ी हुई समस्या है । भारत सरकार ने इस पर 1993 में कानून बना दिया और सिर पर मैला ढोने के संबंध मे इस सदन की बार-बार चिन्ता होने के बावजूद 1993 से 2001 आ गया । अभी सरकार की तरफ से यह उत्तर आ रहा है कि उस ऐक्ट को अंगीकार करने पर विचार किया जा रहा है । इतने महत्वपूर्ण समस्या पर अभी सरकार अंगीकार करने की कार्यवाही कर रही है । मान्यवर, यह सरकार को कब मिला, क्या सरकार स्टेट का कोई कानून बनाने का विचार कर रही है और यदि कानून बनाने का विचार कर रही है तो क्या उसका प्रारूप बन

गया और उसका विधिक परीक्षण हो गया ? मेरे जानने का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार के इस 1993 के ऐक्ट को सरकार इस प्रदेश में किस रूप में और कब तक लागू करेगी ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्वान सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जिस ऐक्ट का उल्लेख मैंने अपने लिखित उत्तर में किया है उसे भारत सरकार ने 1993 में स्वीकार कर लागू किया तथा जो स्टेट्स हैं उनमें अलग-अलग लागू करने की बात कही थी । कुछ स्टेट्स ने उसे एडाप्ट कर लिया है । हम भी उसको एडाप्ट करने पर विचार कर रहे हैं । इसका अनुमोदन प्रमुख सचिव विधायी एवं विधि परामर्शो से करा लिया गया है । इसका कैबिनेट नोट तैयार कर रहे हैं और इसे कैबिनेट के सामने प्रस्तुत कर सदन से पास करवाने का प्रयास करेंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि विधिक परीक्षण हो गया है और उसे कैबिनेट में ले जाने के लिए कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है । क्या कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त करके इसी सत्र में इस विधेयक को लाकर इस कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास करेंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यह मामला अभी विचाराधीन है, हम इसे कैबिनेट में ले जायेंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार स्वयं इसकी महत्ता को स्वीकार कर रही है । भारत सरकार ने 1993 में ही ऐक्ट बनाकर सभी राज्य सरकारों से कहा कि इसे अंगीकार कर लिया जाये । 1993 से 2001 आ गया । आज सरकार यह बात कह रही है कि प्रमुख सचिव न्याय और विधायी से ड्राफ्ट एप्रूव हो गया है और कैबिनेट के समक्ष जाना है । इतने महत्वपूर्ण मसले पर, दलित वर्ग से जुड़े हुये मसले पर सरकार को यह कहने में क्या दिक्कत है कि अगले कैबिनेट की बैठक में इस मामले को ले जाकर, इसी सत्र में, इस सम्मानित सदन में पास करा लेंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यह विचाराधीन है । इस पर विचार होने के बाद इसमें शीघ्रता करायेंगे ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, स्वच्छकार मुक्ति और पुनर्वासन योजना चल रही है । मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कितने लोगों को चिन्हित किया गया है और उसमें से कितने लोगों ने इस काम को बंद कर दिया है और कितने लोग अभी भी सर पर मैला ढोने का काम कर रहे हैं ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, वर्ष 1992 में 1,77,346 स्वच्छकारों को चिन्हित किया गया था जिनमें से इन लोगों की दशा को सुधारने के लिए 17,680 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है और 4391 लाख रुपया मार्जिन मनी के रूप में दिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत 1,29,920 व्यक्तियों का वित्त पोषण कर दिया गया है । 1996-97 में भारत सरकार द्वारा 46588 व्यक्ति चिन्हित किये गये थे । वर्ष 1999 में 41484 लोगों को स्वरोजगार हेतु सहायता दी गई । यह एक कान्टीनिवस प्रासेस है जिसके अन्तर्गत इनको पुनर्वासित किया जा रहा है । मान्यवर, फरवरी, मार्च, 2000 1 लाख 49 हजार व्यक्ति जो मैला ढो रहे हैं इनको स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत लाभ देकर स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जा रहा है और इसी तरह ड्राई लैट्रिन के स्थान पर जल प्रवाहित लैट्रिन बनाने की योजना चल रही है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सर पर मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन तभी हो सकता है जब इन बस्तियों को चिन्हित किया जाय जहां ऐसे शौचालय हैं । मान्यवर, क्या ऐसी बस्तियों में स्वच्छ शौचालय बनाने की योजना सरकार ने तैयार की है । यदि हां, तो कितने ऐसे शौचालयों को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कब तक यह योजना पूर्ण हो जायेगी ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, 19,94,500 शौचालय चिन्हित किये गये हैं जो ड्राई लैट्रिन थे । मान्यवर, इनको पानी वाले शौचालयों में बदलने का काम इन नगरों में तेजी से चल रहा है । पिछले वर्ष 94 हजार ड्राई लैट्रिन को वाटर लैट्रिन में कनवर्ट किया गया इसके अलावा 11 नये नगरों को चिन्हित करके काम प्रारम्भ करने की योजना है । इसके लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकार करती है एवं भारत सरकार अनुदान देती है । हम प्राथमिकता के आधार पर 100 नगरों को और लेंगे और यथाशीघ्र इस काम को तेजी से करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने कई अनुपूरक प्रश्न कर लिये हैं । आपका संकल्प भी है, यह सदन का निश्चित मत है, जब वह आयेगा तब आप बोल लीजियेगा ।

विद्युत बोर्ड में अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्य कुशलता के प्रति जवाबदेह बनाने की कार्यवाही की जानकारी

*3–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजली बोर्ड के विघटन के बाद बिजली अभियन्ताओं और कर्मचारियों को अपनी कार्य कुशलता के प्रति जागरूक और जवाबदेही बनाने हेतु सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश शर्मा–

जी हां ।

विवरण संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 145 पर ।)

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो बिजली की स्थिति है, उत्पादन कम है, और जो लाइन लासेज की बात आपने बताई है उस कमी को पूरा करने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए । लेकिन यह जो प्रश्न था उसमें एक प्रश्न यह भी निहित था कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी है, जिनमें जे०ई० और एस०डी०ओ० होते हैं इनकी जनता के प्रति सीधे जवाबदेही नहीं होती है तो इस संबंध में सरकार क्या कर रही है, अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि लाइन लासेज 42 प्रतिशत है, सबसे ज्यादा लास डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, जनरेशन प्वाइन्ट से डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइन्ट तक पहुंचाने में मात्र 5-6 प्रतिशत का ही लास होता है । इस प्रकार निश्चित रूप से इसकी जवाबदेही ए०ई०, जे०ई० और एक्शियन की होती है, इसके जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों पर होती है तो इसकी जवाबदेही के प्रकरण के बारे में सरकार कौन सी कार्यवाही कर रही है, मेरे इस प्रश्न का उत्तर अभी तक मुझे स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं हो सका है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है मुख्य अभियन्ताओं, प्रबन्धकों तथा महा प्रबन्धकों

को सहायक अभियन्ताओं तथा अवर अभियन्ताओं को स्थानान्तरित करने का पूर्ण अधिकार दिया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इन जे०ई०ज० तथा ए०ई०ज० का काकस का बना है और यह लोग तमाम गड़बड़ियां करते हैं जिन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि आपने जो बताया कि 0.5 प्रतिशत ट्रांसफारमर की क्षति में कमी करने के निर्देश दिये गये हैं। तो इसका आशय क्या है ? तीसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि राजस्व वसूली के लिये आप क्या प्रयास कर रहे हैं। मैं यह भी जानता हूं कि सारे जिलों में टी० आई० खोलकर बड़े पैमाने पर पैसे का अपव्यय किया जाता है और सारे जिलों में लाखों रुपये फर्जी तरीके से टी० आई० खोलकर अपव्यय किया जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिये मंत्री जी क्या प्रयास कर रहे हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, 30 जून के पहले बोर्ड द्वारा ट्रांसफर किये जायेंगे और 30 जून के बाद ट्रांसफर के संबंध में चीफ इंजीनियर्स को अपने विवेक से इस संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार दिया है। अभी ट्रांसफर लासेज का प्रतिशत 19 है। हमने निश्चय किया है कि 5 प्रतिशत प्रतिमाह लास को काम करें। ट्रांसफारमर, कटिया लगाने से, ओवरलोडिंग से, उनमें तेल न होने से खराब होते हैं जिसकी वजह से लाइन लासेज होते हैं। माननीय सदस्य ने जो टी० आई० की बात कही है उनसे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। इसमें बहुत घोटाला हुआ है जिसकी जांच करा रहे हैं। टी०आई० पर रोक लगा दी है इस प्रतिबंध के साथ कि जब तक एकाउंट सेक्शन पास नहीं करेगा तब तक टी०आई० से पैसा ड्रा नहीं कर सकते हैं। इसी संबंध में कुछ समय पूर्व गोरखपुर में 2 इंजीनियर्स को निलम्बित किया गया है। शासन इस संबंध में चिंतित है, लाइन लासेज को कम करने के लिये कड़े कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, पहले विद्युत बोर्ड था अब उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन है। उसमें जो कर्मचारी हैं उनकी जो कार्यप्रणाली है, उनमें कार्य संस्कृति का अभाव है। यह जो तमाम ए०ई०, जे०ई० आदि हैं इन लोगों के खिलाफ तमाम घोटालों के संबंध में अभियोग हैं और उनकी जांच भी हो गयी है। तो इन मामलों पर त्वरित निर्णय लेकर इनको दंडित करने के संबंध में व्यवस्था की जायगी और इनको कब तक दंडित कर दिया जायगा ताकि इससे एक मैसेज जाय कि अगर काम करेंगे तो दंड मिलेगा ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह कानूनी प्रक्रिया है। इस संबंध में हम शीघ्र प्रयास करेंगे।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में अवर अभियन्ताओं एवं लाइन मैनों की कमी है। 3 लाइन मैन की जगह पर एक लाइन मैन है और एक जे० ई० तीन-तीन जे० ई० के क्षेत्रों को देख रहा है जिससे भी लाइन लास बढ़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनकी कमी को पूरा करने के लिये क्या कोई कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, पिछले वर्ष 475 जे०ई० की भर्ती की है जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है और इनकी पोस्टिंग की जायगी। हम द्वितीय चरण में भी भर्ती कर रहे हैं। लेकिन केवल उन्हीं लोगों की भर्ती की जायगी जो टेक्निकल हैं और श्रेणियों की भर्ती नहीं की जायगी।

श्री केशो मेहरा–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सब स्टेशन से जहां इलेक्ट्रानिक मीटर हैं 440 वोल्ट या 220 वोल्ट पर बिजली आई तथा वहां से कितनी बिजली वास्तविक रूप से उपभोक्ताओं तक गई इस सम्बन्ध में कोई जवाबदेही बनाने की मंत्री जी ने कोई योजना की है। अथवा कर रहे हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

इनर्जी आडिटिंग में हर फीडर में एक मीटर लगा देते हैं उस फीडर पर कितनी बिजली जा रही है तथा वहां से कितने धन की वसूली हो रही है इसका इनर्जी आडिटिंग कर लिया । इस सम्बन्ध में एक कानून बनाया गया है जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास अन्तिम निर्णय के लिए रुका हुआ है । इसमें विद्युत चोरी में जो अधिकारी लिप्त हैं उनके खिलाफ भी एफ० आई० आर० दर्ज करने और उनको जेल में बन्द करने की व्यवस्था की गयी है । इससे जवाबदेही की व्यवस्था हो सकेगी और उस पर कार्यवाही हो सकेगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी ने स्वयं चिन्ता व्यक्त की है उन्होंने कहा कि हमारा कानून लम्बित है राष्ट्रपति महोदय के पास । जिसमें बिजली चोरी के लिए जो अभियन्ता दोषी पाए जायेंगे उनको जेल भेजा जायेगा । विद्युत बोर्ड के विघटन के बाद अभियन्ताओं की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, जवाबदेही निर्धारित करने के लिए कौन से उपाय किये गये हैं ? मंत्री जी ने जो विवरण संलग्न किया है 25-5-2000 को महाप्रबन्धकों ने जो हस्ताक्षर किये हैं इसमें विवरण के आधार पर क्या कोई समीक्षा के लिए समिति बनायी गयी है तथा समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गयी है, तथा उसके आधार पर अभी तक क्या कुछ लोगों को दोषी पाया है चाहे अधिशासी अभियन्ता हों, चाहे सहायक अभियन्ता हों, चाहे अवर अभियन्ता हों । अभी तक कार्यकुशलता व क्षमता नहीं बढ़ पा रही है । आपने कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विवरण तो सदन में दे दिया लेकिन इसके बावजूद कार्य इसके विपरीत हो रहा है । सिद्धार्थनगर में विगत दिनों एक अधिशासी अभियन्ता थे उनके खिलाफ तीन सेंशर इंट्री थी लेकिन उनको महाराजगंज वितरण खण्ड में पोस्ट कर दिया इससे आपकी व्यवस्था कारगर नहीं हो सकती ?

श्री नरेश अग्रवाल–

पाल साहब ने जो कहा है उसको दिखवा लेंगे । जितने अभियन्ताओं के खिलाफ तीन सेंशर इंट्री हैं उनको सेंसटिव जगह पर पोस्ट नहीं करेंगे । अगर कोई पोस्ट हो गया है तो उस पर कार्यवाही करेंगे । हमने सी०डी०डी० के साथ एम० ओ० यू० किया है हमने उनसे कहा है कि जितनी बिजली जहां जा रही है उसका उतना रिटर्न होना चाहिए । एस० ई० एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, ए० ई० हर स्तर पर हम एम० ओ० यू० पर हस्ताक्षर करायेंगे । एक पद डायरेक्टर कामर्शियल का सृजन किया गया है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है जिसमें दो चीफ इंजीनियर रखे गये हैं वह देखें कि हर एम० ओ० यू० पर कितना लाइन लास हो रहा है । उस आधार पर हम कार्यवाही कर रहे हैं । 23 से 30 के बीच हम खुद भी चेक करने जा रहे हैं आप अखबारों के माध्यम से पढ़ेंगे कि क्या-क्या कार्यवाही हुई ।

श्री अधिष्ठाता–

30 तारीख बता दें ।

श्री राम तेज यादव ''एडवोकेट''–

ऊर्जा मंत्री जी ने 23 से लेकर 30 तारीख तक अभियान चलाकर पकड़ने की बात की है । यह किसान मजदूर छात्र व्यापारी पर डंडा चलायेंगे ? इस समय सत्र चल रहा है इस समय हम देखें कि आपने कितने डंडे किस पर चलाए । राष्ट्रपति दस्तखत कर देंगे उसके बाद अन्य लोगों पर डंडे चलायेंगे क्योंकि 23 से 30 तक के कार्यक्रम को आप आगे बढ़ायेंगे उस समय तक लम्बित रखेंगे जब तक राष्ट्रपति के आदेश न आ जायं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, चोरी के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम डिले करते चले जायं । हां हम रामतेज जी को उनके क्षेत्र में उनको साथ ले लेंगे ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

एक ओर आप बड़े लोगों पर कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति से पत्र लिखकर जानकारी चाहते हैं दूसरी ओर आप छोटे लोगों पर अपना डंडा कसते चले जा रहे हैं कमजोर पिछड़ों पर शिकंजा कसेंगे । मैं चाहता हूं पहले उनको गिरफ्तार किया जाय जो बड़े हैं जिनके यहां से ज्यादा पैसा मिल सकता हो ।

श्री नरेश अग्रवाल–

चोरी करने वाले छोटे या बड़े छोड़े नहीं जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विद्युत की मांग व उत्पादन में सन्तुलन कायम रखने हेतु कार्य योजना

*1–श्री राम औतार शाक्य–(अनुपस्थित)

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत बोर्ड के स्थान पर विद्युत नियामक आयोग के गठन के बाद से विद्युत उत्पादन घट रहा है ? क्या यह सच है कि प्रदेश मे विद्युत मांग के अनुसार विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो मांग व उत्पादन में सन्तुलन कायम करने के लिये सरकार कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं, विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के बाद तापीय विद्युत उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है ।

जी हां, यह सच है ।

जी हां ।

(1) प्रदेश में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रदेश की तापीय परियोजनाओं के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण हेतु केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय एवं प्रदेश सरकार के मध्य दिनांक 25-02-2000 को एक एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित किया गया है । इस एम०ओ० यू० के अन्तर्गत पी० एफ० सी० के माध्यम से प्राप्त होने वाली रु० 2000 करोड़ की ऋण सहायता से प्रदेश के ता०वि० गृहों का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण प्रस्तावित है । इस हेतु ओवरा, अनपरा, पनकी, हरदुआगंज तथा पारीक्षा ताप विद्युत गृहों की आर० एण्ड एम०/रिफर्बिशमेंट योजनायें बनाकर पी०एफ०सी० को प्रेषित कर दी गयी है । इनमें से रु० 153.71 करोड़ की लागत की आर० एण्ड एम० योजनाओं के विरुद्ध पी० एफ० सी० द्वारा ऋण स्वीकृत किया जा चुका है तथा रु० 1763.42 करोड़ की योजनायें ऋण स्वीकृति हेतु पी०एफ०सी० में लम्बित है । यह योजनायें नवीं पंचवर्षीय योजना एवं 10वीं पंचवर्षीय योजना में धन की उपलब्धता के अनुसार कार्यान्वित की जायेंगी कि ताप विद्युत गृहों के उत्पादन में वृद्धि हो सके । अनपरा "अ" एवं अनपारा "ब" के विस्तार के क्रम में अनपरा "स" परियोजना प्रस्तावित है । इस परियोजना के निर्माण हेतु लगभग रु० 3.350 करोड़ की आवश्यकता होगी तथा यह परियोजना निर्माण कार्य आरम्भ होने के बाद से लगभग 40 माह में बनकर पूरी हो जायेगी । पावर फाइनेन्स कारपोरेशन एवं जे०वी०आई०सी० जापान आदि से वित्त प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत गृहों एवं जल विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण की योजना

*2–कुं० रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवीं पंचवर्षीय योजना में तापीय एवं जल विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष्य इस समय कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है ? विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कौन-कौन उपाय करने जा रही है ?

श्री सतीश शर्मा–

नवीं पंचवर्षीय योजना में तापीय विद्युत उत्पादन एवं जल विद्युत उत्पादन का प्रतिवर्ष औसत लक्ष्य क्रमशः 21,106 मिलियन यूनिट एवं 5,220 मिलियन यूनिट रखा गया था ।

निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2000-2001 में तापीय विद्युत उत्पादन एवं जल विद्युत उत्पादन क्रमशः 19,584 मिलियन यूनिट एवं 5,279 मिलियन यूनिट हुआ है ।

विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने ताप विद्युत गृहों एवं जल विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण/जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण की योजना बनाई है । वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पावर फाइनेन्स कारपोरेशन नई दिल्ली को आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण/रिफर्बिशमेंट योजनाएं प्रेषित की गई हैं जिनके द्वारा ओबरा, पनकी, गंज, अनपरा तथा पारीछा ताप विद्युत गृहों के अतिरिक्त जल विद्युत की रिहन्द, छिबरों, खोदरी, ला, माताटीला, ओबरा, तिलोथ, खटीमा, ढकरानी, ढालीपुर एवं पथरी का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण किया जाएगा । इस कार्य के पूर्ण होने पर प्रदेश में विद्युत उत्पादन में सुधार होने की सम्भावना है ।

कुं० रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि नवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी कमी ऊर्जा की प्रदेश को है और जो पुराने तापीय गृहों के नवीनीकरण का काम यह सरकार करने जा रही है जैसे ओबरा पनकी आदि इसके लिए पावर कार्पोरेशन से कितना धन उपलब्ध हुआ है इसको प्रारम्भ कब तक किया जायगा और कब तक इसे पूरा कर लिया जायगा । इस सबके बाद भी फिर कितनी कमी ऊर्जा की प्रदेश में रह जायगी ?

श्री सतीश शर्मा–

मान्यवर, हमने निर्धारित लक्ष्य का 85 प्रतिशत एचीव किया है इस वर्ष में बढ़ोत्तरी भी की है । हमारी जो मांग है वह उपलब्धता से कम है इसको हम स्वीकार करते हैं । जहां तक ओबरा की बात है सात तारीख को रिफ्रेशमेंट की बैठक में कुछ बिन्दुओं पर उनसे आख्यायें मांगी गई हैं उम्मीद है इस महीने के अन्त तक ओबरा के नवीनीकरण पर निर्णय ले लिया जायगा । ओ०एन०एम० के काम में गारन्टी दे दी है ।

इस समय 12 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था और उनके जवाब में भी है ओबरा में 200 मेगावाट का नवीनीकरण किया जायगा पनकी, आनपारा आदि जो अन्य है उनके नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है तो उनके लिए धन कहां से प्राप्त होगा और नवीनीकरण के बाद फिर विद्युत की उपलब्धता मांग के हिसाब से कितनी कम रह जायगी या कितनी पूरी हो जायगी ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नवीनीकरण के बाद हमको लगता है कि हमारा प्लान्ट लोड फैक्टर 85 प्रतिशत तक पहुंच जायेगा । ऐवरेज अभी इसका 57 प्रतिशत आया है । 400–500 मेगावाट उपलब्धता बढ़ जायेगी । मांग तो बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई मांग के अनुसार सरकार तेजी से काम कर रही है । आनपारा, पनकी आदि जगहों पर नई यूनिट लगाने की बात कर रहे हैं । विष्णु प्रयाग, श्रीनगर रोजा आदि के बारे में भी केन्द्रीय मंत्रियों के साथ विचार किया है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

नोट :–नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या–2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का निजीकरण करने संबंधी कार्यवाही

*3–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का निजीकरण करने पर सरकार विचार रह रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? निजीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

उ० प्र० सरकार की ऊर्जा नीति (जनवरी, 1999) में घोषित के अनुसार उत्पादन एवं वितरण का निजीकरण करने का प्राविधान है ।

वर्तमान में निजीकरण की स्थिति निम्नवत् है :–

केस्को के निजीकरण की संबंधी कार्यवाही प्रारम्भ ।

वितरण क्षेत्र के निजीकरण हेतु सलाहकार के चयन की कार्यवाही प्रगति पर ।

निजीकरण हेतु उपयुक्त रणनीति एवं संरचना पर कार्य प्रगति पर है ।

यथाशीघ्र निजीकरण कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

अप्रयोज्य ।

प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के वितरण की जानकारी

*4–श्री राम ललित चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगी कि शहरी इलाकों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति कितने घन्टे की जा रही है ? क्या सरकार कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के घन्टों में कुछ वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कितने घन्टों की वृद्धि करेगी ?

श्री नरेश अग्रवाल–

वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों तथा विभिन्न स्तर के नगरों में प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नवत् है :–

ग्रामीण क्षेत्र	8-9 घंटे
तहसील स्तर नगर	10-11 घंटे
जनपद स्तर नगर	13-14 घंटे
मंडल स्तर नगर	18-19 घंटे
महानगर	20-21 घंटे

उपरोक्त आंकड़ों में स्थानीय दोषों से हो रहे व्यवधान सम्मिलित नहीं है ।

जी हां ।

वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 10 घंटे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है । ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 10 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के यथासंभव प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रदेश में निजी नलकूपों के निःशुल्क ऊर्जीकरण का प्रयास

*5–श्री श्रीराम पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसानों द्वारा सरकारी अनुदान से लगवाये जा रहे निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण की विद्युत विभाग द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क सुविधा समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या पर्याप्त सिचन सुविधा से वंचित बुन्देलखण्ड के जनपदों के किसानों के हित में

निजी सिंचाई नलकूपों के निःशुल्क ऊर्जीकरण को पुनः प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निजी नलकूपों का नियमानुसार निःशुल्क ऊर्जीकरण किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*6–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद आगरा में निरन्तर विद्युत आपूर्ति के निर्देश

*7–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि आगरा स्थित ताजमहल को प्रदूषण से मुक्त बनाये रखने हेतु मा० सर्वोच्च न्यायालय ने आगरा और फिरोजाबाद के उद्योग नगरों को निर्वाध गति से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति जारी रखने के आदेश सरकार को निर्गत किये हैं ? यदि हां, तो ताज ट्रेपोजियम जोन के इन नगरों में विद्युत आपूर्ति में कटौती किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त उद्योगों को 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

ताज ट्रेपोजियम क्षेत्र कटौती मुक्त है मात्र कभी-कभी विद्युत लाइनों/ट्रांसफार्मरों आदि में स्थानीय दोष आ जाने के कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा आ जाती है जिसे तुरन्त जोड़ कर विद्युत आपूर्ति को सामान्य बनाने के सभी संभव प्रयास किये जाते हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता के अनुसार विद्युत आपूर्ति की मांग

*8–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे बिजली दी जा रही है, यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके निराकरण के लिये जनपद/ब्लाक स्तर पर संबंधित अधिकारियों की समिति गठित कर 12 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं । वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 9-10 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 12 घंटे विद्युत आपूर्ति करा पाना संभव नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण संभव नहीं है ।

प्रदेश में पंजाब व हरियाणा की तरह विद्युत आपूर्ति की योजना

*9–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में किसानों को कृषि कार्य हेतु पंजाब व हरियाणा सरकारों की भांति कम दर पर विद्युत आपूर्ति की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश में पूर्व से ही निजी नलकूपों एवं पम्प सेटों को अत्यन्त कम दरों पर विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है । विषम वित्तीय परिस्थितियों के कारण इन दरों में और अधिक कमी संभव नहीं है । अग्रेतर विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं की दरें वर्तमान में उ० प्र० नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है ।

जनपद मुरादाबाद की बुद्ध बिहार कालोनी को विकसित करने संबंधी जानकारी

*10–मेजर जगत पाल सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा विकसित की गयी बुद्ध बिहार कालोनी को विकसित करते समय उच्चतम बाढ़ स्तर व जल निकासी का ध्यान रखा गया है ? यदि हां, तो कालोनी में हर वर्ष बरसात में जल भराव हो जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार जल भराव की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

जी हां । उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा मुरादाबाद में संचालित बुद्ध विहार नामक आवासीय योजना को विकसित करते समय उच्चतम बाढ़ व जल स्तर का ध्यान रखा गया ।

न्यायालय में विवाद के कारण पेरीफरल सड़क न बन पाने के कारण कालोनी में अत्यधिक वर्षा की स्थिति में जल भराव की स्थिति पैदा होती है ।

आवास एवं विकास परिषद् द्वारा तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से जीव्य (वायबिल) समाधान का प्रयास किया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश में विद्युत बिल के बकाये से संबंधित आई० ए० एस० की सूची व वसूली की मांग

*11–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में ऐसे कौन-कौन आई० ए० एस० अधिकारी हैं जिन पर लेसा के विद्युत बिल बकाया है ? आपरेशन उजाला अभियान में क्या इन आई० ए० एस० अधिकारियों से बकाये बिजली बिल की वसूली की गयी ? यदि हां, तो कितनी और किन-किन से की गई है ? क्या सरकार जिन आई० ए० एस० अधिकारियों द्वारा बिजली का बिल नहीं अदा किया गया है उसकी उनके वेतन से कटौती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

राजस्व खाते में उपभोक्ताओं के नाम के साथ सामान्यतः पदनाम/सेवा संवर्ग का उल्लेख नहीं होता है । अतएव विद्युत विभाग के बिल एवं अन्य संबंधित अभिलेखों के आधार पर चिन्हांकन कठिन है तथापि राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनी में भौतिक सत्यापन के पश्चात् रह रहे आई० ए० एस० अधिकारियों के विरुद्ध उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अप्रैल, 2001 तक बकाये की जो स्थिति संज्ञान में

आयी है, वह मा० सदस्यगण के अवलोकनार्थ मेरे कार्यालय कक्ष में रक्षित है । आपरेशन उजाला सामित/अल्पावधि के लिये चलाया गया था जिसके अन्तर्गत समयाभाव के कारण राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनियों में कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

जी नहीं ।

सरकारी सेवकों के वेतन से विद्युत बकायों की वसूली की नियमान्तर्गत कोई व्यवस्था नहीं है ।

प्रदेश में शासनादेश के अनुसार समस्त भवनों का निर्माण राजकीय निर्माण निगम व लोक निर्माण विभाग से कराने के आदेश

*12–श्री उदय राज–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या ई–8-215/10-1998-648/1994 दि० 9 मार्च, 1998 के अनुसार सरकार के समस्त विभागों को रु० 125 लाख से अधिक लागत के समस्त भवनों का निर्माण उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम या लोक निर्माण विभाग उ० प्र० द्वारा कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि आई० टी० आई० भवन गोदला मऊ सीतापुर चन्दन चौकी, लखीमपुर खीरी, अतरौली, हरदोई, लालगंज आजमगढ़ तथा पचपेड़वा बलरामपुर के आई० टी० आई० भवनों के निर्माण हेतु मूल्यांकन राजकीय निर्माण निगम के स्थान पर जल निगम के पक्ष में दिनांक 10-06-99 को कराकर उन्हें निर्माण कार्य सौंपा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? शासनादेश के विपरीत कार्य कराये जाने के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)–

शासनादेश संख्या–ई–8-215/10-1998-648/1994 दिनांक 9 मार्च, 1998 में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है :–

(क) रु० 125.00 लाख लागत तक के सभी भवन निर्माण कार्य (मानकीकृत भवन तथा गैर मानकीकृत भवन) किसी निर्माण एजेन्सी से विभागों द्वारा निक्षेप कार्य के रूप में कराये जा सकेंगे ।

(ख) रु० 125.00 लाख से अधिक एवं रु० 500.00 लाख लागत तक के मानकीकृत भवन निर्माण कार्य किसी निर्माण एजेन्सी से निक्षेप कार्य के रूप में कराये जा सकेंगे ।

(ग) रु० 125.00 लाख से अधिक लागत के गैर मानकीकृत भवन निर्माण कार्य एवं रु० 500.00 लाख से अधिक लागत के समस्त भवन निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा ही निक्षेप कार्य के रूप में सम्पादित कराये जायेंगे ।

जी हां, प्रश्नगत आई० टी० आई० भवन गोदलामऊ (सीतापुर), चन्दन चौकी (लखीमपुरखीरी) अतरौली (हरदोई), लालगंज (आजमगढ़) तथा पचपेड़वा (बलरामपुर) की लागत मूल्य रु० 125.00 लाख से कम अर्थात् रु० 105.42 लाख होने के कारण निर्माण कार्य जल निगम को सौंपा गया है ।

शासनादेश के विपरीत कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

*13–श्री राम विशुन आजाद–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा गत वर्ष खरीदे गये मीटर व उसके मूल्यों के विवरण की जानकारी

*14–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा वर्ष 1999-2000 में दो किलोवाट से अधिक तथा 10 किलोवाट तक कितने करोड़ रुपये के मीटर किस कम्पनी से खरीदे गये हैं

तथा उनका प्रति मीटर मूल्य कितना है ? क्या उक्त क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी गयी थी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

वर्ष 1999-2000 में दो किलोवाट से अधिक तथा 10 किलोवाट तक विद्युत भार हेतु मीटरों के क्रय के लिये विभिन्न फर्मों को रु० 9.38 करोड़ मूल्य के क्रयादेश निर्गत किये गये जिनका विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	फर्म का नाम (मेसर्स)	मीटर का प्रकार तथा क्षमता	मात्रा (नग)	प्रति नग मीटर का संगणित मूल्य अपरिवर्तनीय (रु०)	कुल मूल्य (रु० लाख में)
1	2	3	4	5	6
(अ) इलेक्ट्रोमेकेनिकल मीटर्स					
1	एक्यूरेट मीटर्स लि०, नोएडा	एक फेज, दो तार (5-20) एम०पी० इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर	11,000	355.38	39.092 लाख
2	मार्डन इंस्ट्रूमेन्ट्स (प्रा०) लि०, गाजियाबाद	–तदैव–	9,000	–तदैव–	31.984 लाख
3	एलीमर इलेक्ट्रिक, दिल्ली	–तदैव–	2,000	–तदैव–	07.108 लाख
4	इ०सी०इ० इण्डस्ट्रीज लि० [illegible]	–तदैव–	2,000	–तदैव–	07.108 लाख
5	एक्यूरेट मीटर्स लि० नोएडा	तीन फेज, चार तार (10-20) एम०पी० इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर	3,000	840.24	25.207 लाख
6	–तदैव–	तीन फेज, चार तार (10-60) एम०पी० इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर	3,000	840.24	25.207 लाख
				कुल	135.706 लाख
(ब) इलेक्ट्रानिक मीटर					
1	एक्यूरेट मीटर्स लि० नोएडा	एक फेज, दो तार (5-20) एम०पी० इलेक्ट्रानिक मीटर	3,000	899.95	26.998 लाख
2	मेसर्स कण्डक्टर कामपनेक्स लि० पंजाब	–तदैव–	4,000	899.95	35.998 लाख
3	ई० सी० ई० इण्डस्ट्रीज [illegible]	–तदैव–	3,000	899.95	26.998 लाख

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
4	इलेक्ट्रान इनर्जी इक्यूपमेन्ट प्रा० लि०, नोएडा	एक फेज, दो तार, (5-20) एम्पी० इलेक्ट्रानिक मीटर	9,000	899.95	80,995 लाख
5	जीनस ओवरसीज इलेक्ट्रानिक्स लि० जयपुर	–तदैव–	4,000	899.95	35,998 लाख
6	बी० एच० ई० एल०, लखनऊ	–तदैव–	4,000	899.95	35,998 लाख
7	एमको लि०, थाणे	–तदैव–	4,000	899.95	35,998 लाख
8	सिक्योर मीटर्स लि०, उदयपुर	तीन फेज, चार तार, (10-20) एम्पी० तथा (30-60) एम्पी० इलेक्ट्रानिक मीटर	8,400	6654.00	558.936 लाख
				योग	837.919
				महायोग	937.625 लाख

मीटरों का प्रति नग मूल्य तालिका के कालम 5 पर उल्लिखित है ।

उपरोक्त सभी मीटरों का क्रय कारपोरेशन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया गया है । महाप्रबन्धक एवं भण्डार नियंत्रक द्वारा सूचित की गई मीटरों की मांग के अनुरूप अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से प्रशासनिक अनुमोदनोपरान्त प्राप्त कर खुली निविदाओं का आमंत्रण दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवा कर किया गया । निविदादाताओं को निविदाओं को निर्धारित तिथियों पर सार्वजनिक रूप से खोला गया एवं उनकी निविदाओं को गुण-दोष के आधार पर मूल्यांकित किया गया तथा अनुशंसायें क्रय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की गई । क्रय समिति के निर्णय के अनुरूप विभिन्न फर्मों को क्रयादेश निर्गत किये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरी देने की योजना

*15–श्री राम जग–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में शिक्षित एवं अशिक्षित पंजीकृत बेरोजगारों को नौकरी देने की सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

श्रम विभाग द्वारा बेरोजगारों को नौकरी देने की कोई योजना नहीं चलायी जाती है अपितु प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा प्रदेश में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विभिन्न तकनीकी व्यवसायों में रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से पिछड़ी जाति/जनजाति एवं विकलांगों को रोजगारपरक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के साथ-साथ पंजीकृत अभ्यर्थियों को नियोजकों से प्राप्त रिक्तियों के विरुद्ध सम्प्रेषण किया जाता है ।

प्रदेश में नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही

*16–श्री राम स्वरूप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगर पंचायतों में तदर्थ रूप में नियुक्त अधिशासी अधिकारियों को नियमित किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

उ० प्र० पालिका (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली, 1966 के नियम–21–क में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत नगर पंचायतों में तदर्थ रूप से नियुक्त अधिशासी अधिकारियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विकास प्राधिकरण में विधायकों को पदेन सदस्य नामित करने की मांग

*17–श्री संजय गर्ग–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को संबंधित विकास प्राधिकरण का पदेन सदस्य नामित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । चूंकि विकास प्राधिकरणों के सदस्यों का नामांकन उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत किया जाता है, जिसमें प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को पदेन सदस्य नामित करने का प्राविधान नहीं है और न ही कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है ।

जनपद आगरा व फिरोजाबाद में अवैध पशुवध को प्रतिबन्धित करने की मांग

*18–श्री विजय पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा तथा फिरोजाबाद में पशुबध शाला के कितने लाइसेंस जनवरी, 1999 से दिसम्बर, 2000 तक प्रदान किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त दोनों जनपदों में अवैध तरीके से किये जा रहे पशुवध पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण योजना

*19–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण चौबीस घंटा करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण संभव नहीं है ।

लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर लगने वाले साप्ताहिक बाजारों को बन्द करने संबंधी प्रकरण

*20–श्री समर पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में विभिन्न स्थानों पर लगने वाले साप्ताहिक बाजारों को बन्द करने का क्या कोई प्रस्ताव नगर निगम लखनऊ के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वालों को उक्त बाजारों से क्रय व विक्रय में लाभ होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बाजारों को पूर्व की भांति चलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के पूर्व अध्यक्ष आदि द्वारा करोड़ों के घोटाले की जांच सतर्कता अधिष्ठान के सुपुर्द

1–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के पूर्व अध्यक्ष एवं अन्यों द्वारा 5000 करोड़ के घोटाले की मय साक्ष्यों की सूची श्री राम दौर सिंह, संगठन मंत्री द्वारा दि० 12-6-99 को सौंपी गयी थी जिस पर राज्य सतर्कता जांच के आदेश किये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

प्रश्न में इंगित पत्र दि० 12-6-99 श्री रामदौर, संगठन मंत्री के माध्यम से दिनांक 12-1-2000 को प्राप्त हुआ ।

उक्त पत्र में अंकित कथित करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच पूर्व में ही राज्य सतर्कता अधिष्ठान को सौंपी जा चुकी है । जहां तक श्री नन्द लाल जायसवाल कनिष्ठ पाण्डुलिपिक के दि० 1-3-99 से 23-6-99 तक के वेतन भुगतान का संबंध है, पूर्ववर्ती परिषदादेशानुसार काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम प्रति पारित होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के गोमती नगर आवासीय योजना में अधिगृहीत भूमि के भू-स्वामियों को भूखण्ड/भवन बरीयता पर देने का प्राविधान

2–श्री वीरेन्द्र सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नगर आवासीय योजना में अधिगृहीत की गयी भूमि के स्वामियों को अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार/दूकान/भूखण्ड देने का प्राविधान किया गया था ? यदि हां, तो क्या अधिगृहीत की गयी भूमि का आवासीय योजना के क्रम में भाग–1 वर्ष 1984 में रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा श्री राम दुलारे ग्राम–ग्वारी विशाल खण्ड–5 गोमती नगर लखनऊ की अधिगृहीत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनको मकान/दुकान/भूखण्ड/रोजगार दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां । गोमती नगर आवासीय योजना में ऐसे लोगों को भवन/भूखण्ड वरीयता पर देने का प्राविधान था ।

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री राम दुलारे द्वारा विशाल खण्ड स्थित भूखण्ड संख्या–4/21 पर कब्जा करके उक्त भूखण्ड को अपने नाम विनियमित करने हेतु निरन्तर अनुरोध किया जा रहा था । यह भूखण्ड वर्ष 1986 में श्री आलोक करुणाकर के पक्ष में आवंटित कर दिनांक 19-4-94 को निबन्धन कर दिया गया था । अतः यह भूखण्ड श्री राम दुलारे के पक्ष में विनियमित/समायोजित किया जाना सम्भव नहीं था । स्व० श्री राम दुलारे के पुत्र श्री राम किशोर यादव ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-4-2000 एवं 5-2-2001 के माध्यम से यह अनुरोध किया है कि उन्हें वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित कर दिया जाय जिस पर विचार किया जा रहा है ।

जनपद बाराबंकी के कस्बा हैदरगढ़ में जल भराव एवं जीर्ण-शीर्ण सड़क का निर्माण संबंधी शिकायती-पत्र

3–श्री सरवर अली खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बाबू खां सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 26-12-2000 जिलाधिकारी बाराबंकी को प्राप्त हुआ है जो मोहल्ला ब्रह्मनान कस्बा हैदरगढ़ जिला बाराबंकी जल भराव एवं जीर्ण-शीर्ण सड़क के निर्माण के संबंध में था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के क्षेत्र मनकापुर में गांवों के विद्युतीकरण की मांग

4–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1999-2000 की जिला योजना के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर क्या उन गांवों का विद्युतकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण न करने वाले अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गांवों का विद्युतीकरण कब तक करवा दिया जायेगा ?

श्री नरेश अग्रवाल–

वर्ष 1999-2000 को जिला योजना में विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु माननीय विधायक द्वारा संस्तुत 5 ग्रामों में से एक गांव बुकनापुर का विद्युतीकरण दिनांक 25-11-2000 को कर दिया गया है । शेष 4 गांवों का विद्युतीकरण प्रगति पर है ।

तदैव ।

संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण विद्युतीकरण की प्रगति धीमी है । इसमें कोई अभियन्ता दोषी नहीं है ।

प्रस्तावित ग्रामों का इस वित्तीय वर्ष में विद्युतीकरण पूर्ण होने की संभावना है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

वांछित सामग्री प्राप्त होते ही विद्युतीकरण की कार्यवाही पूर्ण करा दी जायेगी जिसके इस वित्तीय वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन शक्ति भवन लखनऊ के स्थानान्तरित अधिशासी अभियन्ताओं को कार्यमुक्त किये जाने की जानकारी

5–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन–14 अशोक मार्ग लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या–67/अ० प्र०(2ब)पाकालि/2000 दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 द्वारा 12 अधिशासी अभियन्ताओं के स्थानान्तरण कार्यहित में किये गये थे ? यदि हां,तो क्या यह सही है कि एक माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक स्थानान्तरित किये गये अधिशासी अभियन्ताओं को कार्यमुक्त नहीं किया गया है ? क्या स्थानान्तरित किये गये अधिशासी अभियन्ताओं को तत्काल कार्यमुक्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

12 स्थानान्तरित अधिशासी अभियन्ताओं में से 03 को कार्य मुक्त कर दिया गया है तथा उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है । शेष की स्थिति निम्नवत् है :–

07 अधिशासी अभियन्ताओं के स्थानान्तरण आदेश विचारोपरान्त निरस्त कर दिये गये हैं ।

01 अधिशासी अभियन्ता स्थानान्तरण आदेश बाद में संशोधित हो गया है । 01 अधि० अभियन्ता जो सम्प्रति उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० में तैनात है, को अभी कार्य मुक्त करने में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० जल निगम लि० ने असमर्थता व्यक्त की है ।

एक मात्र अधिशासी अभियन्ता जो सम्प्रति उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० में तैनात है विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम 2000 के प्राविधान के अन्तर्गत दिनांक 31-3-2002 तक वहां प्रतिनियुक्ति पर रह सकते हैं और तदुपरान्त उन्हें उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० जहां के लिए उनको आमेलन हुआ है, में कार्य भार ग्रहण करने हेतु अवमुक्त किया जाना आवश्यक होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

6–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना)–

[4थे मंगलवार में अता० प्र० संख्या 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० अनपरा उन्नाव ट्रान्समीशन लाइन के वेल फाउन्डेशन के निर्माण के बिल भुगतान की जानकारी

7–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत 800 के० वी० अनपरा उन्नाव ट्रांसमीशन लाइन के रीवर क्रासिंग में वेल फाउन्डेशन के निर्माण के प्रथम रनिंग बिल का भुगतान मार्च, 1998 में कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या शेष नवम्बर, 1998 तक के रनिंग बिल के भुगतान को रोक दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां । शेष नवम्बर, 1998 के रनिंग बिल का भुगतान ओ०ई०सी०एफ० द्वारा अनुबन्ध के संशोधन की स्वीकृति के उपरान्त दिसम्बर, 1998 में कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों का विनियमितीकरण

8–श्री राम औतार शाक्य–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 2000 में लखनऊ विकास प्राधिकरण के तृतीय श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी लिपिक वर्ग के कर्मियों का विनियमितीकरण किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त प्रक्रिया में ज्येष्ठता सूची को नजरंदाज किया गया है और वर्क चार्ज कर्मियों को भी अनियमित रूप से विनियमित किया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

विवरण संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 146-147 पर ।)

लखनऊ आवास विकास परिषद् द्वारा मा० उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार महानगर नार्थ सहकारी आवास समिति को आवंटित भूमि

9–श्री अफजाल अहमद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आवास विकास परिषद् निर्माण खण्ड–13 विकास नगर जनपद लखनऊ के प्लाट सं०–9/304 के बगल की भूमि जो विकास परिषद् की है, को भूमि अर्जन से मुक्त कराकर स्थानीय अभियन्ताओं द्वारा प्रापर्टी डीलरों के माध्यम से बेच कर आवास विकास परिषद् को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अभियन्ताओं को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त भूमि हेतु महानगर नार्थ सहकारी आवास समिति द्वारा मा० उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में रिट याचिका संख्या–4523/81 महानगर नार्थ सहकारी आवास समिति लि० बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश आदि दायर की थी जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24-2-95 में समिति द्वारा आवास विकास परिषद् में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र पर वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने हेतु उचित कार्यवाही के आदेश दिये गये थे, जिस पर आवास विकास परिषद् द्वारा विज्ञप्तिपरान्त दिनांक 23-9-98 को समिति से असुधार शुल्क लेकर 6480 वर्गमीटर अविकसित भूमि समिति को पक्ष में क्षमायोजित/आवंटित की गयी है ।

10–श्री हरदेव सिंह–

[दिनांक 4-5-2001 को अता० प्र० सं०–13 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को स्वैच्छिक भार योजना के विवरण की जानकारी

11–डा० धर्मेन्द्र मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक भार योजना शुरु करने की योजना बनाई गयी है जिसके अन्तर्गत निर्धारित क्षमता से अधिक बिजली इस्तेमाल कर रहे उपभोक्ताओं को बिना किसी पेनाल्टी के उसी क्षमता का कनेक्शन मिल सके ? यदि हां, तो सरकार उक्त योजना का क्रियान्वयन कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ! दिनांक 15-9-2000 से घरेलू, वाणिज्यिक, लघु एवं मध्यम श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को स्वैच्छिक भार बढ़ाने की सुविधा प्रदान की गयी थी ।

उक्त योजना दिनांक 15-9-2000 से 30-11-2000 तक एवं 1-1-2001 से 31-1-2001 तक लागू रही ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी ब्लाक सुल्तानपुर के ग्राम जगतपुर में विद्युत पोल में विद्युत प्रवाह का प्रकरण

12–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम जगतपुर ब्लाक सुल्तानपुर जनपद मैनपुरी में बिजली का एक ऐसा पोल है जिसमें विद्युत प्रवाहित होने के कारण अभी तक 6 भैंसे व 2 बैल मर चुके हैं ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार उक्त पोल को बदलवाने अथवा उसको ठीक करवाने की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

1–ग्राम जगतापुर, ब्लाक–सुल्तानपुर, जनपद–मैनपुरी में बिजली पोल में विद्युत प्रवाहित होने के कारण 6 भैंसो व 2 बैलों के मरने की कोई सूचना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां !

पोल को दिनांक 15-3-2001 में बदल दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

13–श्री राम औतार शाक्य–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ, सीतापुर रोड के तपस्वीनगर आदि में पेयजल समस्या हेतु पाइप लाइन बिछाने की मांग

14–श्री रामऔतार शाक्य–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि तपस्वीनगर अहिबरनपुर, सीतापुर रोड लखनऊ में पेयजल हेतु समान पाइप लाइन न बिछाये जाने के कारण आधे मुहल्ले में पेयजल समस्या बनी हुई है और वहां के निवासियों को पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या को दूर करने हेतु समान पाइप लाइन बिछाकर वहां के निवासियों को समुचित पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

तपस्वीनगर मोहल्ले में प्रस्तावित वितरण प्रणाली बिछायी जा चुकी है जिसके माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। त्रिवेणीनगर क्षेत्र में वितरण प्रणाली पुनर्गठन योजना स्वीकृत है। अंहिबरनपुर, सीतापुर रोड क्षेत्र इसी योजना के अन्तर्गत आते हैं। उक्त क्षेत्रों में कुछ दूरी तक वितरण प्रणाली बिछायी जा चुकी है तथा कुछ वितरण प्रणाली बिछायी जानी शेष है। जहां पर वितरण प्रणाली बिछायी जा चुकी है वहां पेयजलापूर्ति चालू है तथा जहां पर वितरण प्रणाली बिछायी जानी शेष है वहां पर पुरानी पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति की जा रही है।

उपरोक्तानुसार व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के शुक्लागंज में 33 के०वी०ए० के नये विद्युत उपकेन्द्र निर्माण की मांग

15–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के शुक्लागंज में 33 के० वी० ए० के नये विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण वित्तीय वर्ष 2000-2001 में स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या उप केन्द्र का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां।

जी नहीं।

संसाधनों की कमी के कारण सन्दर्भगत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है।

लखनऊ के सीतापुर रोड योजना सेक्टर ए की सड़कों के डामरीकरण की मांग

16–श्री ओम प्रकाश–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–ए में मकान नं० ई० एस० आई०–100 से लेकर 136 तक डामर रोड एवं पक्की नाली बनवाने हेतु मा[illegible] मंत्री, नगर विकास का पत्र सं० 5176 दिनांक 12-12-2000 उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प[illegible] को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–ए में मकान नम्बर–ई०एस०आई०बी०–100 [illegible] 6 तक डामर की सड़क बनाये जाने का प्राविधान नहीं है, क्योंकि इस पाकेट में आर्थिक दृष्टि से [illegible] र्ग के लिए कम लागत के भवनों का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया गया है जिसमें खड़ण्जा व नाली [illegible] ही प्राविधान है, तदनुसार खड़ण्जा व नाली का सुधार कार्य करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में विगत वर्षों में घोषित अम्बेडकर ग्रामों में विद्युतीकरण की जानकारी

17–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000 में घोषित सभी अम्बेडकर ग्रामों में विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अवशेष समस्त अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

धनराशि उपलब्ध न होने के कारण ।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार माननीय विधायकों द्वारा उनके कोटे में चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाता है ।

अतः समय सीमा निश्चित करना सम्भव नहीं है ।

18–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

[न्यायालय के विचाराधीन होने कारण निरस्त]

जनपद अलीगढ़ के क्षेत्र खैर में गांवों के विद्युतीकरण कार्य की जानकारी

19–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में शासन की नीति के अनुसार 5 ग्रामों में विद्युतीकरण की स्वीकृति माह जुलाई 1998 से दिसम्बर, 2000 तक प्रदान की जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? क्या उक्त कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

कुछ ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य 1998 में शुरू किया गया कुछ का 1999 व 2000 में कुछ का 2001 में शुरू किया गया ।

वर्ष 2000-2001 हेतु चयनित ग्रामों के विद्युतीकरण के प्राक्कलन आदि का कार्य प्रगति पर है । आवश्यक धनराशि एवं वांछित सामग्री प्राप्त होने के पश्चात् विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बरेली के अधिशासी अभियन्ता को बिना कनेक्शन बिजली बिल भेजने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की मांग

20–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण विद्युतीकरण, बरेली को विद्युत कनेक्शन दिये बिना बिजली का बिल भेजने से संबंधित प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 23-12-2000 का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

उपभोक्ता श्री अब्दुल कदीर, ग्राम–हरदुआ किफायत उल्ला, नवाबगंज द्वारा कटिया कनेक्शन योजना के अन्तर्गत स्थायी कनेक्शन हेतु शपथ-पत्र के साथ इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके कनेक्शन स्थल से विद्युत लाइन 40 मीटर की परिधि में है जिससे विद्युत उपयोग कर रहे हैं । स्थायी कनेक्शन हेतु सीधे धनराशि भी जमा कर दी । उपभोक्ता के परिसर का स्थानीय निरीक्षण करने पर पाया गया कि कनेक्शन स्थल से 200 मीटर की परिधि में भी विद्युत लाइन नहीं है, जिसके कारण उपभोक्ता के प्रार्थना-पत्र के साथ ही त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल भी निरस्त कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[illegible] के अधिशासी अभियन्ता [illegible] के कटिया कनेक्शन नियमित करने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

21-श्री छोटे लाल मौर्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण विद्युतीकरण, बरेली को प्रश्नकर्ता का ग्राम बिजौरिया तहसील नवाबगंज के 19 उपभोक्ताओं के कटिया कनेक्शन को नियमित करने विषयक पत्र दिनांक 23-12-2000 का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल-

प्रश्नकर्ता का शिकायत-पत्र सं० 331982 दिनांक 23-12-2000 प्राप्त हुआ एवं स्थिति निम्न प्रकार है :-

• ग्राम बिजौरिया के 19 उपभोक्ताओं ने प्रार्थना-पत्र एवं शपथ-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके परिसर से विद्युत लाइन 40 मीटर की परिधि में है एवं वह विद्युत उपयोग कर रहे हैं उन्हें विद्युत कनेक्शन दिया जाय एवं वांछित धनराशि उनके द्वारा सीधे जमा कर दी गयी है ।

इन 19 (उपभोक्ताओं) आवेदकों के कनेक्शन स्थल की स्थानीय जांच करने पर पाया गया उनके गांव में विद्युत लाइन नहीं है इस प्रकार उन आवेदकों के प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिये गये हैं ।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अधिकारियों के देयकों को रोकने संबंधी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

22-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत अधिकारियों के देयकों एवं पेन्शन आदि रोकने संबंधी माननीय हरदेव सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 23-12-2000 जो कि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ० प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल-

जी हां ।

किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध मात्र सतर्कता जांच प्रचलित रहने की अवस्था में उसके देयकों को रोकने का नियमानुसार कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् व जल विद्युत निगम लि० द्वारा आशुलिपिकों के वेतनमान हेतु गठित समिति की संस्तुतियों को लागू करने की मांग

23-श्री जय प्रकाश-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् (वर्तमान में उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०) के अन्तर्गत परिषद् कार्यालय ज्ञाप सं०-1444-काविनी/राविप-29/98-4(31)पी/86 दिनांक 27 अगस्त, 1998 द्वारा आशुलिपिकों के वेतनमान के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त में की गई संस्तुतियों को लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल-

जी हां ।

जी नहीं।

क्योंकि समिति के गहन परीक्षण से आशुलिपिक सम्वर्ग के वेतनमान आदि में कोई विसंगति नहीं पाई गई।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अवर वर्ग सहायकों के अनन्तिम वरिष्ठता के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

24–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत श्री महेश चन्द सकलानी, अनुसचिव (स०प्र०) का पत्र संख्या 1586-स०अ०/पा०क०लि० 11/2000 दिनांक 8-8-2000 जो कि अवर वर्ग सहायकों के अनन्तिम वरिष्ठता के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां।

यथासन्दर्भित पत्र पर।

कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी क्योंकि उक्त पत्र द्वारा श्री तुलसी राम, प्रवर वर्ग सहायक के पूर्व प्रत्यावेदन को अस्वीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

25–श्री राम अचल राजभर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊर्जा विभाग में 10 से 15 वर्ष तक एक ही स्थान पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को उनके अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का कोई निर्णय विगत वर्ष लिया गया है ? यदि हां, तो क्या जनपद हरदोई के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में 10-15 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को जनपद से बाहर स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां।

कारपोरेशन की आवश्यकतानुसार कार्यहित में स्थानान्तरण की नीति के अनुसार जनपद के बाहर समग्रता में विचार करने के उपरान्त स्थानान्तरित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा उपभोक्ताओं से लिये जा रहे विद्युत मूल्य की जानकारी

26–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं से किस दर से विद्युत मूल्य लिया जा रहा है तथा फिक्सड चार्ज क्या है ? घरेलू उपभोक्ताओं से मीटर के खपत के अनुसार विद्युत मूल्य न लेने के क्या कारण हैं ? सरचार्ज कैसे निर्धारित किया जा रहा है ? क्या उपभोक्ताओं का उत्पीड़न मनमानी सरचार्ज लगाकर किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

दिनांक 9-8-2000 से लागू विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये विद्युत दरें संलग्नक "क" पर दी गई हैं। इसी संलग्नक में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये अनुमन्य फिक्सड चार्ज भी उल्लिखित है।

घरेलू उपभोक्ताओं से विद्युत मूल्य मीटर की खपत के अनुसार लिया जा रहा है। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जिस गांव की आबादी 10000 से कम है तथा भार 2 कि०वा० से कम है वहां फ्लैट रेट से विद्युत मूल्य लिया जा रहा है।

उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग के आदेश के अनुसार सरचार्ज का निर्धारण बकाया राशि पर 2% प्रतिमाह के अनुसार लिया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 148-153 पर)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत 800/400 के०वी० सब स्टेशन एवं पारेषण लाइन निर्माण में घोटाले संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

27–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत श्री हरदेव सिंह, एम० एल० ए० का पत्र दिनांक 2-1-2001 जो 800/400 के० वी० सब स्टेशन एवं पारेषण लाइन निर्माण में 700 करोड़ रुपये घोटाले से संबंधित था माननीय मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ० प्र० को सम्बोधित है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां।

पत्र में इंगित पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पत्र दिनांक 30-11-99 पर विचारोपरान्त उच्च स्तरीय आदेशों के अन्तर्गत कतिपय आरोप बिन्दुओं (आरोप बिन्दु 1, 2. 3. एवं 8) के संबंध में राज्य सतर्कता अधिष्ठान एवं कतिपय बिन्दुओं (आरोप बिन्दु 4, 5, 7) पर विभागीय जांच संस्थित की गई, जिसके अन्तर्गत आरोप बिन्दु 4 एवं 7 की जांच पूर्ण हो गई है। शेष बिन्दुओं पर जांच प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० का नोएडा पावर कम्पनी पर बकाया धनराशि का मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

28–श्री नवाब सिंह नागर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के अन्तर्गत नोएडा पावर कम्पनी पर उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्/ उ० प्र० पावर कारपोरेशन की 31 जुलाई, 2000 तक कुल कितनी धनराशि बकाया है ? सरकार इस बकाया धनराशि को कब तक वसूल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अभिलेखों के अनुसार मै० नोयडा पावर कम्पनी लिमिटेड पर विभिन्न मदों पर कुल बकाया दिनांक 31-7-2000 तक रु० 169.47 करोड़ है। मै० नोएडा पावर कम्पनी

तथा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के बीच विद्युत दरों के संबंध में एक विवाद माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्ड पीठ में लम्बित हैं।

माननीय उच्च न्यायालय ने उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग को पावर कारपोरेशन द्वारा मै० नोयडा पावर कम्पनी को दी जाने वाली विद्युत की दरें के निर्धारण हेतु संदर्भित किया था। उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग की इस संबंध में रिपोर्ट दिनांक 5-2-2001 को माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित कर दी गई है।

मेसर्स नोयडा पावर कम्पनी को दी गई विद्युत की दरों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश के पश्चात् वास्तविक बकाये की गणना की आयेगी एवं तदोपरान्त वसूली की कार्यवाही की जायेगी। अतः कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन एवं जल विद्युत निगम लि० के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध परिवादों की सतर्कता इकाई को आदेशित जांच

29–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् (यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० एवं उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०) के अन्तर्गत परिषदीय कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त परिवादों की जांच हेतु सचिव (ऊर्जा) का पत्र संख्या 362/सअ/99 दिनांक 19-2-99 जो कि तत्कालीन अध्यक्ष उ० प्र० रा० वि०प० को सम्बोधित था जिस पर उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० का प्रस्ताव दिनांक 14-3-2000 पर शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पत्र संख्या 755/वि०स०/संसदीय/6सं/99 दिनांक 9-3-99 अध्यक्ष/सचिव, पूर्ववर्ती उ० प्र० रा० वि०प० को किस दिनांक को प्राप्त हुआ ? तथा सी० बी० सी० आई० डी० जांच न कराने का क्या आधार था ?

श्री नरेश अग्रवाल–

शासन स्तर पर लिये गये निर्णयोपरान्त प्रकरण जांच हेतु भ्रष्टाचार निवारण संगठन को संदर्भित किया गया है।

दिनांक 28-4-99 को पत्र-प्राप्त हुआ।

चूंकि सचिव विधान सभा के पत्र दि० 9-3-99 के साथ संलग्न श्री नंद लाल जायसवाल के शिकायती-पत्र दिनांक 27-2-99 में अन्तर्निहित बिन्दुओं पर प्रथमतः कारपोरेशन की सतर्कता इकाई, जो एक सक्षम एजेन्सी है, से जांच आदेशित है, अतः इस स्तर पर सी० बी० सी० आई० डी० से जांच का औचित्य नहीं समझा गया।

प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं पर विद्युत विभाग की गलत नीतियों एवं अधिकारियों की लापरवाही के कारण बकाया धनराशि के कारण

30–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी तथा श्री रमेश राही–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत उपभोक्ताओं पर प्रदेश स्तर पर भारी धनराशि के बकाये का कारण ऊर्जा विभाग की गलत नीतियों एवं अधिकारियों की लापरवाही/शिथिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उजाला आपरेशन के अन्तर्गत प्रस्तावित दण्ड प्रक्रिया को मध्यम वर्ग तथा किसानों पर लागू न करने हेतु संशोधित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के स्वरूप रानी चिकित्सालय के बर्निंग वार्ड के फुटपाथ पर गन्दगी की सफाई करने की मांग

31–श्री शिव सिंह चक–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि स्वरूप रानी चिकित्सालय, इलाहाबाद में बर्निंग वार्ड व जनरल वार्ड की तरफ से अस्पताल में जाने हेतु फुटपाथ पर दोनों ओर बहुत अधिक गन्दगी है ? क्या यह सही है कि इस तरफ से अस्पताल में आते समय रोड अत्यन्त खराब है एवं वहां लगे इण्डिया मार्का–2 पर दुकानदारों द्वारा गन्दगी फैलायी जा रही है ? क्या [illegible] वहां पर सफाई व्यवस्था व दुकानों को सुनियोजित ढंग से संचालित करने की स्थायी व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

यह स्थल स्वरूप रानी चिकित्सालय परिसर के अन्दर स्थित है, जहां सम्पूर्ण व्यवस्था चिकित्सालय के नियन्त्रणाधीन है, आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ० प्र० शासन को पत्र प्रेषित कर दिया गया है । वहां किसी व्यवस्था का दायित्व नगर निगम का नहीं है ।

जनपद एटा के बिलरामनगर पंचायत में 33 के०वी० ए० उपकेन्द्र के निर्माण पर व्यय विवरण की जानकारी

32–श्री नेत राम सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड कासगंज एटा के बिलराम नगर पंचायत में 133 के० वी० के सब स्टेशन के निर्माण पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है और उसको पूरा करने में अभी तक कितने धन की और आवश्यकता है ? इस सब स्टेशन को कब तक चालू करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जनपद एटा के बिलराम नगर पंचायत में 33 के० वी० उपकेन्द्र पर फरवरी, 2001 तक कुल रुपये 20.23 लाख का व्यय निम्नानुसार किया गया है :–

क्र०सं०	विवरण	अनुमानित व्यय (लाख रुपये में)
1	2	3
1	33 के० वी० उपकेन्द्र के जनपदीय कार्य पर ।	4.14
2	33 के० वी० उपकेन्द्र के इलेक्ट्रिकल्स तथा मैकेनिकल कार्य पर ।	–
3	33 के० वी० लाइन पर ।	16.09
	योग–	20.23

प्रश्नगत उपकेन्द्र के निर्माण के लिए रुपये 56.49 लाख की निम्नानुसार आवश्यकता है :–

क्र०सं०	विवरण	आवश्यक धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1	33 के० वी० उपकेन्द्र के जनपदीय कार्य के लिये ।	1.90
2	33 के० वी० उपकेन्द्र के इलेक्ट्रिकल्स तथा मैकेनिकल कार्य के लिये ।	51.74
3	33 के० वी० लाइन के लिये ।	2.85
	योग–	56.49

धनाभाव के कारण प्रश्नगत उपकेन्द्र के चालू कराये जाने के लिये समय सीमा सम्प्रति निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

जनपद हरदोई ब्लाक बावन के ग्राम चितराई में विद्युतीकरण

33–श्री अब्दुल कलाम–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ब्लाक–बावन, जनपद हरदोई के ग्राम चितराई की शत-प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की होने के बावजूद भी अभी तक उक्त ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

ग्राम चितराई का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत ग्राम मा० क्षेत्रीय विधायक द्वारा संस्तुत गांवों की सूची में नहीं है ।

जनपद सन्त कबीर नगर, तहसील खलीलाबाद के ग्राम मंगेरा में विद्युतीकरण की मांग

34–श्री अब्दुल कलाम–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक–सेमरियावां, तहसील–खलीलाबाद, जनपद–सन्त कबीर नगर के ग्राम–मंगेरा जो गांधी ग्राम भी घोषित है, का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त ग्राम के अधूरे हुए विद्युतीकरण कार्य को कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

ब्लाक सेमरियावां, तहसील–खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर का ग्राम चंगेरा-मंगेरा गांधी ग्राम घोषित है । चंगेरा का विद्युतीकरण दिनांक 5-9-96 को किया जा चुका है । परन्तु मंगेरा का विद्युतीकरण नहीं हो सका है ।

वांछित सामग्री की अनुपलब्धता के कारण विद्युतीकरण का कार्य लम्बित है ।

कार्य शीघ्र पूरा कराने के लिए प्रयासरत है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के अध्यक्ष नगरपालिका परिषद् दादरी द्वारा पद का दुरुपयोग करने विषयक पत्र पर वसूली हेतु निर्णय

35–श्री प्रताप सिंह नागर–

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि श्री खलील रहमान अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद् दादरी–गौतमबुद्ध नगर द्वारा नगर पालिका को क्षति पहुंचाने तथा पद का दुरुपयोग करने के संबंध में नगर विकास अनुभाग–9 के पत्र सं०–4205/9-99-18(2), लखनऊ दिनांक 30 अक्टूबर, 1999 के द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

अन्तर्गत भुगतान कराने

सेवायोजकों द्वारा उनके पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है

निदेशवाद दायर कर दिया गया है

जो हो । सम्बन्धित प्रकरण में जांचोपरान्त गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती

प्रश्नगत प्रकरण में जांचोपरान्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

38–श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सन्त कबीर नगर के नगर पंचायत हरिहरपुर को नियमित विद्युत सप्लाई की मांग

39–श्री अब्दुल कलाम–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत हरिहरपुर, जनपद–सन्त कबीर नगर में सप्ताह में केवल 3-4 दिन ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां तो क्या ? क्या यह सही है कि जिस दिन विद्युत आपूर्ति की जाती है उस दिन बिजली 2-3 घण्टे तक ही दी जाती है ? क्या सरकार उक्त नगर पंचायत की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

ग्राम–पंचायत–हरिहरपुर, जनपद–संतकबीर नगर में निर्धारित शिड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त नगर पंचायत को निर्धारित शिड्यूल के अनुसार प्रतिदिन औसत विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

प्रदेश में मस्जिदों में तैनात पेश इमामों को वेतन दिये जाने सम्बन्धी कथित प्रकरण

40–श्री सजंय गर्ग–

क्या अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मस्जिदों में तैनात पेश इमामों को विभाग द्वारा वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना ? और इन इमामों पर प्रतिमाह वेतन के रूप में कितनी धनराशि व्यय की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजा गजनफर अली खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्प्रति प्रदेश में ऐसी कोई नीति निर्धारित नहीं है ।

लखनऊ में कड़ाके की ठण्ड से बचाव हेतु अलाव जलाने सम्बन्धी जानकारी

41–श्री संजय गर्ग तथा डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखनऊ में चयनित स्थानों पर नगर निगम द्वारा दिसम्बर, 2000 से जनवरी, 2001 तक कड़ाके की ठण्ड से बचाव हेतु अलाव जलाये गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? क्या सही है कि फर्जी रूप से स्थानों पर अलाव दर्शाकर अलाव की लकड़ी को बेचकर वित्तीय अनियमिततायें की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रमुख चौराहों, अस्पताल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एवं विभिन्न जन सामान्य के एकत्र होने वाले स्थानों पर दिनांक 01-01-2001 से 17-01-2001 तक अलाव जलाये गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित मदरसों के शिक्षकों को समय से वेतन भुगतान की जानकारी

42–श्री संजय गर्ग–

क्या अल्प संख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित मदरसों में शिक्षकों को समय से वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जनपद मेरठ के मशबिया मदरसा स्टेशन रोड पर स्थित प्रधानाचार्य/शिक्षकों को विगत कई माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त का वेतन कब तक भुगतान करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा गजनफर अली खां–

अनुदानित मदरसों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन मद में स्वीकृत बजट निदेशालय द्वारा जनपदों को तत्परता से आवंटित कर दिया जाता है और उनसे समय से वेतन भुगतान किये जाने की अपेक्षा की जाती है । जनपद मेरठ के मशबिया मदरसा स्टेशन रोड को बजट के अभाव में दिसम्बर एवं जनवरी का वेतन भुगतान नहीं हो पाया था जो अब कर दिया गया ।

43–श्री हरदेव सिंह–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के इलाहाबाद एवं वाराणसी खण्ड में निविदाओं में गड़बड़ी की जांच

44–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जनपद मण्डल (वितरण) वाराणसी के पत्र संख्या 1279–वि०ज०म० (वि०) वा/टी–1 दिनांक 19-5-98 द्वारा इलाहाबाद एवं वाराणसी खण्ड में निविदाओं में की गयी गड़बड़ी की सतर्कता जांच की संस्तुति हेतु सचिव, उ० प्र० रा० वि० प० को पत्र लिखा है तथा उसकी प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता (जनपद) वितरण को भी दी गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता (जनपद) वितरण लखनऊ द्वारा गठित एक समिति से मामले की जांच कराई गई है । जांच में कारपोरेशन के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

45–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद मऊ में पुराना स्टीम पावर हाउस बन्द होने से उसके तारों की विद्युत सप्लाई को बन्द करने संबंधी जानकारी

46–श्री समरपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ का पावर हाउस बन्द होने के बाद जो खम्भों और तार अनेक दिशाओं में पड़े होने के कारण मऊ की बढ़ती हुई आबादी के लिए एक गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है ? क्या सरकार निष्प्रयोज्य पावर हाउस के खम्भों एवं तारों को हटवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जनपद मऊ में स्थित पुराना स्टीम पावर हाउस बन्द हो चुका है परन्तु इस पावर हाउस से जुडा 132 के०वी० उपकेन्द्र तथा इस उपकेन्द्र से निकलने वाले सभी 33 के०वी० एवं 11 के०वी० फीडर पूरी तरह कार्यरत हैं एवं इन्ही पोषकों से मऊ नगर एवं पास के ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि सभी 33 के०वी० तथा 11 के०वी० फीडर कार्यरत हैं और प्रयोग में हैं अतः खम्भों एवं तारों को हटाना संभव नहीं है ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के ग्राम मतेधू के विद्युतीकरण की जानकारी

47–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सन्त रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र भदोही अन्तर्गत 5 ग्रामों के विद्युतीकरण के क्रम में वर्ष 1998-99 में क्या ग्राम मतेधू का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जनपद रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र भदोही के अन्तर्गत 5 ग्रामों के विद्युतीकरण के क्रम में वर्ष 1998–99 में ग्राम मतेधू का विद्युतीकरण दिसम्बर, 2000 में पूर्ण कर दिया गया है । विद्युत आपूर्ति चालू है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के ग्राम कोइर के विद्युतीकरण की जानकारी

48–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त रविदासनगर भदोही में विधायकों के प्रस्ताव पर 5 ग्रामों के विद्युतीकरण के क्रम में 1998-99 में क्या ग्राम सभा कोइर का विद्युतीकरण पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? उक्त ग्राम का विद्युतीकरण पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां । जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में विधायक के प्रस्ताव पर 5 ग्रामों के विद्युतीकरण के क्रम में 5 ग्रामों के विद्युतीकरण के क्रम में ग्रामसभा कोइर का अधिकांश विद्युतीकरण 31-8-1999 को

किया जा चुका है एवं विद्युत आपूर्ति भी की जा रही है । केवल दो खम्भे की एल०टी० लाइन विवादित होने के कारण नहीं बन सकी थी जिसे प्रयास कर मार्च, 2001 में पूरा कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ के सब स्टेशन अहिबरनपुर में विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त फार्मों को निश्चित समय में निस्तारित करने की जानकारी

49–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त फार्मों को सब स्टेशन पर प्राप्त तिथिवार कोई सूची तैयार की जाती है? यदि हां, तो क्या सब स्टेशन, अहिबरनपुर, सीतापुर रोड, लखनऊ में माह जून, 2000 से दिसम्बर, 2000 तक प्राप्त फार्मों की कोई सूची बनायी गयी है तथा उसमें से किन-किन फार्मों का निस्तारण किस-किस तिथि को किस अवर अभियन्ता द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अवर अभियन्ताओ द्वारा फार्मों की संस्तुति में की जा रही अनियमितता को रोकने के लिए उपभोक्ता को सब स्टेशन पर फार्म प्राप्ति रसीद देने तथा उस पर अवर अभियन्ता द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की एक निश्चित अवधि तय करने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

नये विद्युत संयोजन हेतु जो फार्म प्राप्त होते हैं उन्हें पी–1 रजिस्टर पर तिथिवार दर्ज किया जाता है ।

अहिबरनपुर सब-स्टेशन सीतापुर रोड, लखनऊ पर नियुक्त अवर अभियन्ता श्री डी०के० सोनकर द्वारा माह जून, 2000 से दिसम्बर 2000 तक 291 फार्म प्राप्त किये गये जिन्हें पी–1 रजिस्टर पर दर्ज किया गया । जिसमें से 265 कनेक्शन कारपोरेशन के नियमानुसार निर्गत किये गये और उन्हें पी–2 रजिस्टर पर अंकित किया गया । 26 आवेदन तकनीकी रूप से सम्भाव्य न होने अथवा अन्य कारणों से निरस्त किये गये ।

इसी उपकेन्द्र पर नियुक्त दूसरे अवर अभियन्ता श्री एस०एस० सिंह जो जून, 2000 एवं जुलाई, 2000 में ही अहिबरनपुर उपकेन्द्र पर तैनात थे उन्हें 153 फार्म प्राप्त हुये जिनकी तिथिवार सूची उन्होंने बनाई तथा उनमें से 147 कनेक्शन दिये गये जो पी–2 रजिस्टर में दर्ज हैं । 6 आवेदन-पत्र विभिन्न कारणों से निरस्त किये गये ।

नये घरेलू संयोजन हेतु फार्म प्राप्त होने के पश्चात् तुरन्त सर्वे करके आवेदन-पत्रों पर साधारणतयः एक सप्ताह में कार्यवाही कर दी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजनान्तर्गत सीवर लाइन, नाली निर्माण व सफाई विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

50–श्री राम शंकर पाल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर -बी स्थित व्यावसायिक केन्द्र में नाली निर्माण एवं सीवर चालू किए जाने विषयक श्री दीप लाल भारती, सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 25-8-2000 जो मा० राज्य मंत्री

आवास के पत्रांक 85-एम/रा०म०आ०/2000 दिनांक 28-8-2000 के साथ उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ को दिनांक 01-9-2000 को भेजा गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

सीवर लाइन चालू करा दी गई है एवं नाली की सफाई भी करा दी गई । नाली की टूट-फूट की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर नगर पालिका तिलहर से सेवानिवृत्त श्री राम स्वरूप गुप्ता के समस्त देयों के भुगतान की जानकारी

51–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना)–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 8-2-99 जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है जो श्री राम स्वरूप गुप्ता सेवानिवृत्त कर्मचारी नगर पालिका परिषद् तिलहर को सेवानिवृत्त के उपरान्त देय धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में था ? क्या उक्त पत्र पर जिलाधिकारी ने अपने पत्र संख्या-65 दि० 9-2-99 द्वारा अधिशासी अभियन्ता नगर पालिका परिषद् तिलहर शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही के लिए आदेशित किया है ? यदि हां, तो अधिशासी अभियन्ता द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में कृत कार्यवाही से अधिशासी अभियन्ता नगर पालिका परिषद् तिलहर, शाहजहांपुर के कार्यालय पत्रांक–463 दिनांक 4-3--99 द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया तथा पत्र की प्रतिलिपि माननीय विधायक जी को भी सूचनार्थ भेजी गई । श्री रामस्वरूप गुप्ता को उनके अन्य सभी देयों के भुगतान के साथ-साथ स्वीकृत उपदान राशि अंकिन 12,619/– का कुल भुगतान एवं अगस्त, 87 से मई, 90 तक के देय पेंशन एरियर अंकन 10,133.70 का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में मोहन गोल्ड वाटर बेवरीज लि० अलीगंज के ग्राम कैकी थाना बन्थरा स्थित फार्म हाउस से निकाले गये कर्मचारियों को निर्धारित मजदूरी से कम भुगतान करने के संबंध में

52–श्री उदय राज–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि मोहन गोल्ड वाटर बेवरीज लि० अलीगंज लखनऊ के ग्राम कैकी थाना बन्थरा स्थित फार्म हाउस में कार्यरत कर्मचारियों को लकड़ी चोरी के आरोप में वर्ष 1999 में निकाल दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उनको निकालने से पूर्व वेतन का भुगतान कर दिया गया था ? यदि हां, तो किस दर से कितने रुपये का भुगतान किया गया ? क्या निर्धारित मजदूरी से कम भुगतान करने के [illegible] में श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं [illegible]

श्री धर्मपा[illegible]

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं

श्री सालिग राम को रु० 600/–तथा श्री शिवदीन को रु० 500 मासिक वेतन का भुगतान किया गया शासन द्वारा निर्धारित वेंतन से कम भुगतान करने पर संबंधित श्रमिकों को वाद प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 19-7-2000 तथा 24-4-2001 को परामर्श दिया गया । श्रमिकों द्वारा वाद दायर नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर नगर के विकास खण्ड घाटमपुर के ग्राम धरछुवा व मऊ नखत में विद्युतीकरण कराने की मांग

53–श्री अकबर हुसैन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के विकास खण्ड घाटमपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम धरछुआ व ग्राम मऊ नखत का विद्युतीकरण अपने कोटे से कराये जाने हेतु श्री जगेन्द्र स्वरूप, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 22 अगस्त, 2000 अधिशासी अभियन्ता विद्युत कानपुर नगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त गांवों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त गांवों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

धनराशि उपलब्धता न हो सकने के कारण अभी तक विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है । मा० विधायक द्वारा विधायक निधि से धन उपलब्ध करा देने पर विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की रायबरेली रोड के शारदा नगर व रजनन खण्ड में सीवर व्यवस्था विषयक शिकायती-पत्र

54–श्री अकबर हुसैन–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित रायबरेली रोड, लखनऊ स्थित शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रजनन खण्ड में सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में वहां के निवासीगण सर्वश्री अतुल सक्सेना व एस० एल० मौर्य एवं अन्य का प्रार्थना-पत्र कार्यकारी सभापति, आवास सम्बन्धी संयुक्त समिति के पत्र संख्या 117/स०आ०स०स०/2000, दिनांक 21 सितम्बर, 2000 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर बिन्दुवार अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जल संस्थान डिवीजन झांसी के सहायक अभियन्ता की नियुक्ति के विनियमितीकरण की जानकारी

55–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि झांसी जल संस्थान डिवीजन झांसी के महाप्रबन्धक के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3643/ का०/179, दिनांक 7-6-77 द्वारा डी० के० शर्मा की नियुक्ति सहायक अभियन्ता पद पर तदर्थ रूप से 6 माह के लिए उरई में की गयी थी ? क्या यह सही है कि यह नियुक्ति 6 माह बाद भी बिना अनुमोदन लिए लगातार चल रही है और प्रमोशन आदि का लाभ उक्त अभियन्ता को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि यह नियुक्ति गलत तरीके से की गयी थी और इससे विभाग को वर्षवार लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है ? क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

कार्यालय आदेश संख्या–1932/का०ज्ञा०/173, दिनांक 26-5-1978 द्वारा उक्त नियुक्ति विनियमित की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के जिला पंचायत अधिकारी को अम्बेडकर ग्रामों के विकास कार्य हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

56–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में वर्ष 1997-98 में जिला पंचायत राज अधिकारी को अम्बेडकर ग्रामों में नाली खड़न्जा निर्माण हेतु 10 लाख रु० का धन अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो उक्त धन का उपयोग किन-किन ग्रामों में किया गया है तथा कितना-कितना धन खर्च किया गया है ? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम–

जी हां ।

सूची निम्नवत् है :–

क्र० सं०	ग्राम पंचायत का नाम	अम्बेडकर ग्राम का नाम	दी गई/व्यय की गयी धनराशि
1	2	3	4
1	जखांव	जखांव	90,000.00
2	शेरपुर गोपलहा	शेरपुर गोवलहा	90,000.00
3	लालीपुर	बहरिया	90,000.00
4	भानुपुर	मुड़फोरा	90,000.00
5	हरदुआ	हरदुआ	90,000.00

1	2	3	4
6	बरमोहनी	बरमोहनी	10,000.00
7	बैराखास	बैराखास	90,000.00
8	भैसहदा	पूरेनोहरी	90,000.00
9	भैसहटा	पूरेरिसाल	90,000.00
10	भगवानपुर	भगवानपुर	90,000.00
11	बदरी	जगदीशपुर	90,000.00
12	बारीगाव	चकजोधी	90,000.00
			योग–10,00,000.00

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर, भदोही के अम्बेडकर ग्राम सनकड़ी में एल०टी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण

57–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त रविदास नगर विकास खण्ड भदोही में अम्बेडकर ग्राम सनकड़ी का क्या वर्ष 1997-98 में विद्युतीकरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि विद्युतीकरण के लिए लाया गया ट्रान्सफार्मर आज भी पूर्व ग्राम प्रधान के दरवाजे पर रखा हुआ है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद सन्त रविदास नगर के विकास खण्ड भदोही में अम्बेडकर ग्राम सनकड़ी का विद्युतीकरण 10-2-2001 को कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां । विद्युतीकरण के लिए लाया गया ट्रांसफार्मर पूर्व ग्राम प्रधान के दरवाजे पर रखा हुआ था, क्योंकि एल०टी० उपकेन्द्र का निर्माण विवादित स्थल होने के कारण रुका हुआ था, परन्तु अब यह कार्य 10-2-2001 को पूर्ण कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां कस्तूरीपुर के मार्ग के निर्माण में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

58–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या नियोजन मंत्री को जानकारी है कि जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां में कस्तूरीपुर से सुरियावां मार्ग 5.00 कि०मी० लेपन स्तर तक निर्मित करने हेतु वर्ष 1998-99 में पूर्वांचल विकास निधि द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को 23.40 लाख धन अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी

जांच कराकर दोषी को दण्डित करते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां ।

जी नहीं ।

तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा श्री राधेश्याम पाण्डेय द्वारा राजकीय धन का दुरुपयोग/गबन के कारण कार्य बाधित रहा ।

प्रश्नगत प्रकरण में उक्त दोषी अधिकारी को सेवा से पदच्युत कर दिया गया है । अवशेष कार्य को दिनांक 31-12-2001 तक पूर्ण कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर निगम कानपुर के राजस्व निरीक्षकों/मोहर्रिरों के स्थानान्तरण के आदेश

59–डा० वकार अहमद शाह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर निगम कानपुर के विभिन्न जोनों में कार्यरत राजस्व निरीक्षकों/मोहर्रिरों को दिनांक 8-8-2000 को स्थानान्तरित किया गया था ? क्या यह सही है कि इन स्थानान्तरित राजस्व निरीक्षकों/मोहर्रिरों को कुछ दिन बाद ही पुनः उन्हीं जोनों व स्थानों पर तैनात करने के आदेश दिये गये, जिन पर वह 5 वर्ष या इससे अधिक समय से कार्यरत थे ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां । राजस्व वसूली प्रभावित होने के कारण स्थानान्तरण निरस्त किये गये थे किन्तु स्थानान्तरण आदेश दिनांक 8-8-2000 का अनुपालन कराये जाने हेतु मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, कानपुर द्वारा आदेश निर्गत कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के समस्त देयों के भुगतान की मांग

60–डा० वकार अहमद शाह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री सादिक अली सिद्दीकी, अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ जो दिनांक 30-6-90 को सेवानिवृत्त हुए थे, की मृत्यु दिनांक 30-7-96 को हो गयी है ? यदि हां, तो श्री सिद्दीकी की मृत्यु के पूर्व उनके किन-किन देयों का भुगतान कर दिया गया था और किन-किन देयों का भुगतान शेष था ? क्या यह सही है कि श्री सिद्दीकी की वारिस उनकी पत्नी श्रीमती सईदुन्निसा को उनके वर्ष 1979 से 1990 तक के बकाया वेतन 1-7-90 से 30-7-96 तक के पूर्ण पेंशन एवं 1-8-96 से फेमिली पेंशन, ग्रेच्युटी, जी०पी०एफ० आदि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार उक्त देयों का भुगतान कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

श्री सिद्दीकी की मृत्यु के पूर्व उनके किसी सेवानैवृत्तिक देयों का भुगतान नहीं हुआ था ।

कानपुर नगर निगम द्वारा भुगतान किये जाने वाले समस्त सेवानैवृत्तिक देयों (उपादन ब्याज सहित, सेवानिवृत्त पेंशन व पारिवारिक पेंशन, उपादान एवं पंचम वेतन आयोग का देय पुनरीक्षित उपादान) का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ के गोमती नगर के विराम खण्ड–5 के कतिपय भवन संख्या के आवंटियों के विवरण की जानकारी

61–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमतीनगर के विराम खण्ड–5 के भवन संख्या–5/560, 5/562, 5/591, 5/717, 5/719, 5/734, 5/755, 5/756, 5/769, 5/801, 5/908, 5/909, 5/947, 5/958, 5/961, 5/975, 5/981, 5/1013, 5/1024, 5/1059, 5/1061, व 5/1064 आवंटित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो आवंटियों का पूरा विवरण क्या है ?यदि नहीं, तो कौन कौन मकान आवंटन हेतु शेष हैं और उनका निर्धारित मूल्य क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

भवनों के आवंटियों की सूची संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 154-155 पर ।)

लखनऊ विकास प्राधिकरण अलीगंज सेक्टर एच की भूमि पर बने अवैध निर्माण खाली कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

62–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, आवास के अ०शा० पत्र सं० 439/ पी०एम०एच०एस०/99, दिनांक 30-11-99 के साथ श्री जे०एन० सक्सेना का प्रार्थना पत्र जो भवन सं०-111/93, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ की भूमि पर बने अवैध निर्माण को खाली कराये जाने के सम्बन्ध में था, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है ?यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 के अन्तर्गत धारा–27(1) की कार्यवाही की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में ही कार्यवाही की जा चुकी है ।

जनपद सहारनपुर, नगरपालिका परिषद् में विगत वर्ष भवनों के कर निर्धारण में अनियमितता के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

63–श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका परिषद् सहारनपुर में वित्तीय वर्ष 1996-97 में शहर में स्थिति विभिन्न कालोनियों के भवनों के कर निर्धारण में अनियमितताएं पायी गयी हैं ? यदि हां, तो इसके लिए दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रकरण में अंतर्ग्रस्त पाये गये नगर पालिका परिषद्, सहारनपुर के अधिशासी अधिकारीगण सर्वश्री आर०डी० गुप्ता तथा ईश शक्ति कुमार सिंह एवं कर अधीक्षक श्री अरूण कुमार अग्रवाल को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही आदेशित की गयी तथा सदस्यगण नगर पालिका परिषद् सर्वश्री बहार अहमद, देवेन्द्र कुमार मलिक, रमेश छाबड़ा व श्रीमती नीलम धवन को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली, नगरपालिका परिषद् बहेड़ी में विगत वर्षों में ठेका तहबाजारी प्रकरण की जांच में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

64–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका परिषद् बहेड़ी जनपद बरेली में वर्ष 1995-96 की अपेक्षा वर्ष 1996-97 में ठेका तहबाजारी में 215 हजार रुपये की क्षति हुई है जिसकी शिकायत पर शासन ने उक्त मामले की जांच अपने पत्र सं० 4434/9 दिनांक 11-7-96 आयुक्त बरेली मण्डल को भेजकर कराई थी और आयुक्त मण्डल बरेली ने अपनी जांच में तहबाजारी ठेका में वर्ष 1996-97 में हुई क्षति के लिए तत्कालीन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् बहेड़ी को अपने पत्र सं० 266/23/196 दिनांक 28-10-97 के द्वारा पूर्णतया उत्तरदायी ठहराया था ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

बहेड़ी पालिका विकास मंच बहेड़ी की ओर से अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, बहेड़ी के विरुद्ध प्रस्तुत शिकायती-पत्र में उल्लिखित अनियमितताओं की जांच आख्या शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 11-7-96 द्वारा आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली से मांगी गयी थी । आयुक्त बरेली मण्डल, बरेली के संदर्भित पत्र दिनांक 28-10-97 द्वारा प्राप्त जांच आख्या में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बहेड़ी को उत्तरदायी ठहराया गया था ।

आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली के संदर्भित पत्र दिनांक 28-10-97 के परीक्षणोपरान्त प्रकरण में दोषी पाये गये तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बहेड़ी बरेली के विरुद्ध सुसंगत साक्ष्यों सहित आरोप-पत्र मांगा गया है । आरोप पत्र प्राप्त होते ही अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

जनपद मथुरा के श्री जग्गो गूजर की कृषि भूमि को मुक्त कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

65–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जग्गो गूजर पुत्र इन्दर गूजर, निवासी मथुरा के कृषि भूमि को मुक्त कराने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०वि०को०/एम/ 40539/ मथुरा/2000, दिनांक 20-12-2000 सचिव, उत्तर प्रदेश शासन आवास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

ग्राम–आजमपुर, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण की यह योजना राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे स्थित है जिसका कब्जा दिनांक 11-2-2000 को प्राप्त हो चुका है एवं अमल दरामद भी प्राधिकरण के नाम अंकित हो चुका है । अतः खसरा नं०–164 को अर्जन से मुक्त किया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य मंत्री सचिवालय कार्यालय से गायब पत्रों की सी०बी०आई० जांच कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

66–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, एम०एल०सी० का पत्र दिनांक 14-3-2000 जो कि उन्हें एवं मुख्य सचिव को सम्बोधित है और जिसमें मुख्य मंत्री सचिवालय कार्यालय से गायब पत्रों की सी०बी०आई० जांच कराने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कर्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले से संबंधित पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता), उ० प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा जांचोपरान्त शासन को प्रेषित संस्तुति पर कार्यवाही के बिन्दु मुख्य रूप से उक्त पत्र में उठाए गये हैं । इसके अतिरिक्त श्री नन्द लाल जायसवाल के देहरादून से लखनऊ स्थानान्तरण का बिन्दु भी उठाया गया है । जहां तक कथित घोटाले की जांच का संबंध है, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) के पत्र, दि० 30-11-99 में संस्तुत सी०बी०आई० जांच के स्थान पर शासन स्तर पर लिये गये निर्णयोपरान्त पुलिस महानिरीक्षक के पत्र में अन्तर्निहित आरोप बिन्दु 1, 2, 3 एवं 8 के संबंध में उ० प्र० राज्य सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच चल रही है तथा आरोप बिन्दु 4, 5, व 7 के संबंध में विभागीय जांच संस्थित है । विभागीय जांच से संबंधित आरोप बिन्दु 4 एवं 7 के संबंध में जांच आख्या प्राप्त हो गयी है । शेष बिन्दुओं के संबंध में जांच गतिमान है ।

जहां तक श्री नन्द लाल जायसवाल के देहरादून से लखनऊ स्थानान्तरित करने का प्रश्न है इस संबंध में अवगत कराना है कि पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारियों का अन्तिम रूप से आमेलन किये जाने के फलस्वरूप श्री जायसवाल का आमेलन यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० में नहीं हुआ है अतएव उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० का कर्मचारी होने के कारण श्री जायसवाल को देहरादून से लखनऊ स्थानान्तरित किया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कतिपय अधिशासी अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच संबंधी [illegible]

67–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के [illegible] श्री उमेश चन्द्र जैन, अधिशासी अभियन्ता (सिविल पारेषण), इलाहाबाद एवं श्री राधेश्याम [illegible] अधिशासी अभियन्ता (सिविल वितरण), वाराणसी के विरुद्ध तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1279वि०ज०म० (वि०)वा०/टी–1, दिनांक 19-5-98 जो कि सचिव, राज्य विद्युत परिषद को सम्बोधित था, में इनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुए वर्तमान स्थान से स्थानान्तरित एवं इनके विरुद्ध सतर्कता जांच की संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां।

उक्त प्रकरण में जांच समिति से जांच कराने पर किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां में मार्ग निर्माण के संबंध में जानकारी

68–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के वि०खं० सुरियावां में बहुताक, डाही से पुल तक के मार्ग लेपन स्तर तक निर्माण करने हेतु वर्ष 1995-96 में सासंद निधि से सी० एण्ड डी०एस० को 1.00 लाख रुपया अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

सुरियावां विकास खण्ड में बड़ा तालाब से बहुता चकडाही 500 मीटर लम्बाई तक प्राक्कलित धनराशि रु० 1.20 लाख के सापेक्ष रु० 1.00 लाख की धनराशि से मिट्टी से डब्लू०बी०एम० स्तर तक मार्ग निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। लेपन का कार्य शेष है।

प्राक्कलित धनराशि के अनुरूप पूर्ण धनराशि अवमुक्त न होने के कारण।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के देयों के भुगतान की जानकारी

69–डा० वकार अहमद शाह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के दिनांक 30-6-90 को सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, श्री सादिक अली सिद्दीकी के देयों का भुगतान श्री सिद्दीकी की पत्नी सईदुन्निसा को ब्याज सहित करने के सम्बन्ध में यू०पी० सर्विस ट्रिब्यूनल ने अपने निर्णय संख्या–319/98, दिनांक 29-1-1998 द्वारा आदेशित किया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उनके देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर के नगर पंचायत खड्डा के अध्यक्ष के अवैधानिक भत्ते की वसूली की कार्यवाही

70–श्री बादशाह सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1994 से नगर पंचायत/नगर पालिकाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई यात्रा भत्ता नहीं लिया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) से वर्ष 1995 में निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता अवैधानिक व नियम विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या अवैधानिक तरीके से लिया गया यात्रा भत्ता का धन वापस कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें दोषी को कब तक दण्ड दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । अनुमन्य नहीं है ।

जी हां ।

जमा कराने हेतु संबंधित को पत्र निर्गत किया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

दोषी अधिशासी अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देकर दण्डित कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर के नगर पंचायत खड्डा की बैठक में सांसदों/विधायकों को बुलाने संबंधी पत्र की जानकारी

71–श्री दीपलाल भारती–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत खड्डा की बैठकों में सांसद/विधायक के बुलाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-12-2000 जिलाधिकारी, कुशीनगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

पदेन सदस्यों को बैठक में बुलाने के लिये आवश्यक निर्देश जिलाधिकारी, कुशीनगर के स्तर से दि० 5-3-2001 को जारी कर दिये गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर के मुख्य विकास अधिकारी एवं आयुक्त गोरखपुर मण्डल के पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव में कमियों की जानकारी

72–श्री दीपलाल भारती–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर का पत्रांक–644/पू०वि०नि०/राज्यांश/97-98, दिनांक 18 अक्टूबर, 2000 सचिव, नियोजन–5, उ० प्र० शासन लखनऊ व आयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को प्राप्त हुआ है जो जिलौनी पनियाला मार्ग के

3 कि०मी० को पिच करने हेतु धन की व्यवस्था कराने के सम्बन्धों में था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य हेतु धन की व्यवस्था करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश खन्ना–

जी हां ।

जी नहीं ।

मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर के प्रश्नगत पत्र के अनुक्रम में आयुक्त, गोरखपुर मण्डल के पत्र संख्या–138/पू०वि०नि०–राज्यांश/2000-01 दिनांक 3-2-2001 के माध्यम से शासन को प्राप्त प्रस्ताव में कतिपय कमियां पायी गयी हैं ।

जनपद आगरा के अधिशासी अभियन्ता नगरपालिका की मृत्योपरान्त उनके समस्त देयों के भुगतान की मांग

73–श्री शिव सिंह चक–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री विश्व नाम कपूर (अधिशासी अभियन्ता) नगरपालिका आगरा की मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 8-1-85 को हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनके बीमा, ग्रेच्युटी फण्ड आदि समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं,तो वर्ष 1985 से 2001 तक भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार विलम्ब हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए यथाशीघ्र उपरोक्त समस्त देयों का भु·तान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

श्री विश्वनाथ कपूर (न कि श्री विश्व नाम कपूर) की मृत्यु दिनांक 8-1-1985 को हुई थी ।

बीमा का दावा प्राप्त नहीं हुआ है । दावे की मांग विकास प्राधिकरण, आगरा से की गयी है । ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि आदि का भुगतान किया जा चुका है ।

निदेशालय के आदेश दिनांक 22-3-2001 द्वारा श्रीमती कपूर को पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है । सचिव, विकास प्राधिकरण, आगरा के पत्र दिनांक 10-4-2001 द्वारा उन्हें भविष्य निधि आदि का भी भुगतान किया जा चुका है ।

पेंशन प्रपत्रों को विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना ।

उपर्युक्तानुसार विलम्ब के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है । निदेशक, स्थानीय निकाय, उ० प्र० लखनऊ को शीघ्र भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

उपर्युक्तानुसार ।

लखनऊ क्षेत्र सरोजनी नगर के खरिका वार्ड में लगे इण्डिया मार्का II हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की मांग

74–श्री शिव सिंह चक–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर जनपद लखनऊ के खरिका वार्ड में लगे इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों में से अधिकांश खराब हो गये हैं ? क्या सरकार उक्त वार्ड के कुम्हार मण्डी तेलीबाग नेपालगंज आदि में लगे खराब हैण्ड पम्पों को पुनः चालू कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री [illegible]

[illegible] संस्थान द्वारा संचालित 59 हैण्डपम्प हैं जिनमें से 90 प्रतिशत हैण्डपम्प [illegible] 6, तथा 10 प्रतिशत हैण्डपम्प खराब हैं।

[illegible] हैण्डपम्प चालू हैं। तेलीबाग में लगे हैण्डपम्प के बोर की कार्यवाही [illegible] है। [illegible] के खराब हैण्डपम्प की मरम्मत कराकर यथाशीघ्र चालू करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[illegible] के गांव लल्ला खेड़ा में विद्युत पहुंचाने हेतु स्वीकृत पैकेज

[illegible]

क्या कृपा मंत्री [illegible] बतायेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग–1 के आदेश संख्या-[illegible]/सी०1/95 दिनांक 14-12-95 तथा आदेश संख्या -ए/805/सी० एम०/1/96 दिनांक [illegible] बाबू बैजनाथ कुरील की स्मृति में उनके पैत्रिक गांव लल्ला खेड़ा पोस्ट अतरहर जिला रायबरेली [illegible] में विद्युत पहुंचाने सम्बन्धी आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री [illegible]

जी नहीं।

[illegible] पोस्ट अतरहर जिला रायबरेली में बिजली पहुंचाने हेतु स्टीमेट एवं पैकेज [illegible] किया जा चुका है जिस पर लगभग रु० 1.57 लाख व्यय होने के अनुमान है। धन की [illegible] एवं कार्यों की पारस्परिक अनिवार्यता के अनुसार यह कार्य मास जून, 2001 तक किया जाना प्रस्तावित है।

[illegible] के [illegible] टूण्डला के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति सुधारने हेतु कार्यवाही

[illegible]–श्री शिव सिंह [illegible]

क्या कृपा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में टूण्डला ब्लाक के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था को सुधारने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उपरोक्त समस्या का समाधान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री [illegible]–

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद में टूण्डला ब्लाक के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने हेतु टूण्डला ब्लाक के तीन विद्युत उपकेन्द्रों क्रमशः मोहम्मदाबाद, हजरतपुर एवं लाइन वार की क्षमता वृद्धि 2 एमवीए से बढ़ा कर 5 एमवीए कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त एक नये 33/11 केवी, 5 एमवीए उपकेन्द्र लालव का निर्माण कर ऊर्जीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार वर्तमान 3 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि एवं 1 नये विद्युत उपकेन्द्र के बन जाने से विद्युत आपूर्ति में वांछित सुधार हुआ है।

जनपद संत रविदास नगर भदोही के बदोही फीडर मार्ग पर खड़न्जा निर्माण की मांग

77–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में वर्ष 1995-96 में सांसद विकास निधि द्वारा बदोही रेलवे फीडर मार्ग पर दोनों तरफ 1.5 किमी० ईट का खड़ंजा लगाने हेतु लोक निर्माण विभाग को 5.00 लाख रुपया अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त खड़ंजे का निर्माण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश खन्ना–

जी नहीं, वर्ष 98-99 में रु० 5.00 लाख अवमुक्त हुआ था ।

जी नहीं ।

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में मार्ग का चौड़ीकरण, बी०एम०, एस०डी०सी० का कार्य एवं नाली का कार्य स्वीकृत है, जिसके पूर्ण होने पर खड़न्जा का कार्य किया जाना संभव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा क्षेत्र मनकापुर के बगदर फीडर के तारों को सीमेन्ट खम्भे से लगाने संबंधी प्रकरण

78–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में 33/11 के०वी० मसकनवा विद्युत उपकेन्द्र से निकलने वाली वगदर फीडर पर पूर्ववत् लगे टूटे एवं सड़े लकड़ी के पोल की जगह पर कितने सीमेंट के खम्भे भेजे गये हैं ? क्या वे पोल स्वीकृति फीडर के पोलों के अनुसार लगाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मौके का भौतिक सत्यापन करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

अभी कोई नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

वांछित सामग्री उपलब्ध न होने के कारण प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद गोण्डा, मनकापुर के ग्राम वासुदेवपुर के अम्बेडकर ग्रामों में विद्युतीकरण

79–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के ग्राम वासुदेवपुर ग्रन्ट (मसकनवा), ककरघटा जो विद्युतीकरण हेतु स्वीकृति किये जा चुके हैं का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिए दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

ग्राम ककरघटा का विद्युतीकरण 7/79 में कर दिया गया । ग्राम वासुदेवपुर ग्रन्ट का विद्युतीकरण वर्ष 2000-2001 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु धन न मिलने के कारण संभव नहीं है ।

कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के नगरपालिका परिषद् दादरी के अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गयी अनियमितता की जांच पर कार्यवाही की जानकारी

80–श्री रिफाकत हुसैन–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद् दादरी, जनपद गौतमबुद्ध नगर को रु० 11,09,494.24 के अनियमित भुगतान के कारण दिनांक 6 फरवरी 1999 को उन्हें निलम्बित किया गया तथा जांच हेतु अपर आयुक्त (प) मेरठ मण्डल मेरठ को नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

जांच आख्या से संबंधित संगत अभिलेख जांच अधिकारी से प्राप्त किये जा रहे हैं । अभिलेख प्राप्त हो जाने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर, विकास खण्ड गैडास बुजुर्ग में ग्राम चपरहिया तक लेपन स्तर तक मार्ग निर्माण की जानकारी

81–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड गैडास बुजुर्ग में कार्यदायी संस्था कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज जल निगम गोण्डा यूनिट द्वारा वर्ष 1997-98 में आसाम रोड से ग्राम चपरहिया तक सोलिंग स्तर से लेपन स्तर तक 1 किमी० मार्ग निर्माण तथा आसाम रोड से ग्राम महुवा इस्लामी मदरसे तक सोलिंग से लेकर लेपन स्तर तक मार्गों का निर्माण कराया गया है ? क्या उक्त निर्माण कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या मानक के अनुसार निर्माण कार्य न कराये जाने की स्थलीय जांच टी०ए०सी० द्वारा करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर, विकास खण्ड गैडास बुजुर्ग के ग्राम पिरैला में मिट्टी पुलिया स्तर से पत्थर स्तर तक के निर्माण की जानकारी

82–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड गैडास बुजुर्ग में कांसट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज जल निगम गोण्डा यूनिट द्वारा वर्ष 1996-97 में पिरैला ग्राम से नदौरी ग्राम तक 4 कि०मी० मिट्टी स्तर से पत्थर सोलिंग स्तर तक व ग्राम नारायणपुर

उत्तरी से ग्राम सूबन जोत तक 2 किमी० मिट्टी पुलिया स्तर से पत्थर स्तर तक का निर्माण कराया गया हैं ? क्या उक्त निर्माण कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या मानक के अनुरूप कार्य न कराये जाने की जांच टी०ए०सी० द्वारा करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर, विकास खण्ड उतरौला के ग्राम घुसवा ऐलरा मार्ग के निर्माण की जानकारी

83–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड उतरौला में कार्यदायी संस्था कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज जल निगम गोण्डा यूनिट द्वारा वर्ष 1997-98 में ग्राम घुसवा ऐलरा मार्ग पर 1 कि०मी० मिट्टी कार्य से पत्थर सोलिंग तक व उतरौला मनकापुर मार्ग से चांद औलिया तक 0.350 कि०मी० मिट्टी कार्य से पत्थर सोलिंग तक व उतरौला गोण्डा मुख्य मार्ग से गुमड़ी मलंग बाबा के मजार तक 0.800 कि०मी० मिट्टी कार्य से पत्थर सोलिंग तक मार्गों का निर्माण कराया गया है ? क्या उपरोक्त निर्माण कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुसार निर्माण कार्य न कराये जाने की स्थलीय जांच टी०ए०सी० से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं । कार्य मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप कराये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर, थाना रेहरा के ग्राम गजपुर ग्रंट में मदरसा दारुलउलूम भवन के जर्जर भवन के निर्माण सम्बन्धी शिकायती-पत्र

84–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत ग्राम गजपुर ग्रंट थाना रेहरा में मदरसा दारुलउलूम हियातुल वलूम के जर्जर भवन व ईदगाह के निर्माण में जिला अधिकारी बलरामपुर द्वारा निर्माण कार्य को रुकवाने के सम्बन्ध मे प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क–1–नं०–187690 दिनांक 6-1-2001 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा गजनफर अली खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी नगरपालिका परिषद् को विगत वर्षों में प्राप्त धनराशि का विवरण

85–श्री राम औतार शाक्य–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद् मैनपुरी में विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में अगस्त 2000 तक कितना धन शासन द्वारा प्रदान किया गया और वह किस-किस मद में खर्च किया गया ? क्या किसी निष्पक्ष एजेन्सी द्वारा उक्त परिषद् द्वारा कराये गये विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पालिका परिषद् मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में अगस्त, 2000 तक निम्नवत् धनराशि उपलब्ध करायी गयी :–

वित्तीय वर्ष	राज्य वित्त आयोग	दशम् वित्त आयोग (धनराशि रुपये में)
1999-2000	1,66,14,460	9,68,930
2000-2001	1,50,74,070	—

राज्य वित्त आयोग में प्राप्त राशि से व्यय

वर्ष	वेतन मद में	विकास मद में
1999-2000	1,33,81,302	22,50,675
2000-2001	1,24,77,144	33,30,857

दशम् वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से व्यय

वर्ष	विकास/निर्माण मद में
1999-2000	5,03,616
2000-2001	14,74,242

जी हां ।

विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी से कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चाय बगानों के कर्मियों को न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि की जानकारी

86–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में चाय बगानों में कर्मियों की न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में यह चाय बागान किन-किन ज़िलों में हैं ? सरकार की इस वेतन वृद्धि से चाय बागानों के कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे ?

श्री धर्मपाल सिंह–

श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या–3496/36-3-2000–4 (एम०डब्लू०)/85 दिनांक 20-12-2000 द्वारा उ० प्र० चाय बागानों (जिसमें उत्तरांचल राज्य की सीमा में अवस्थित चाय बागान आवर्त हैं) में कार्यरत श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि की गयी है।

उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं अपितु नवसृजित उत्तरांचल राज्य के जनपद देहरादून में चाय बागान हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विस्थापित दुकानदारों को दुकानों का आवंटन

87–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित जवाहर लाल नेहरू व्यवसायिक केन्द्र में स्व० संजय गांधी मार्केट के विस्थापित दुकानदारों को सस्ती एवं आसान किस्तों पर ब्याज मुक्त दुकानों को आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो किस तल पर तथा कितने दुकानदारों को ? क्या यह सही है कि आवंटित दुकानदारों में कुछ ऐसे दुकानदार हैं जिनको अभी तक दुकानों का कब्जा नहीं मिला है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक कब्जा दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विस्थापित दुकानदारों को सस्ती एवं आसान किश्तों पर दुकानों का आवंटन किया गया था।

जवाहर लाल नेहरू व्यवसायिक केन्द्र के तृतीय तल पर 40 दुकानदारों को प्राधिकरण द्वारा दुकानें आवंटित की गई थीं।

कुल 40 दुकानदारों द्वारा रु० 500.00 एवं रु० 1000.00 जमा कराते हुए दुकान आवंटन हेतु पंजीकरण कराया गया था। इनमें से 14 आवंटियों को कब्जा भी दिया गया था। प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर मांग-पत्र/नोटिसें निर्गत कर बकाया धनराशि जमा कराने की मांग आवंटियों से की गई किन्तु किसी भी दुकानदार द्वारा धनराशि जमा न करने पर मार्च, 1993 में एक अन्तिम नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजने के बावजूद धनराशि जमा न करने के कारण जुलाई, 1998 में सभी आवंटियों का आवंटन प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया। उपरोक्त वर्णित स्थिति के कारण आवंटियों को अब कब्जा दिया जाना संभव नहीं है।

जनपद आगरा फिरोजाबाद व इलाहाबाद में दैनिक समाचार-पत्रों के ब्यूरो कार्यालय व उनके कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित वेतन भुगतान की आवश्यकता

88–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा फिरोजाबाद तथा इलाहाबाद में कुल कितने दैनिक समाचार पत्रों के ब्यूरो कार्यालय स्थापित है और प्रत्येक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है ? क्या उन्हें शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद आगरा में दैनिक समाचार-पत्रों के 3 ब्यूरो कार्यालय एवं जनपद इलाहाबाद में दैनिक समाचार-पत्रों के 8 ब्यूरो कार्यालय स्थापित हैं। जनपद फिरोजाबाद में दैनिक समाचार-पत्र ब्यूरो कार्यालय

स्थापित नहीं है । इस प्रकार उक्त जनपदों में दैनिक समाचार-पत्रों के कुल 11 ब्यूरो कार्यालय स्थापित हैं ।

जनपद आगरा में दैनिक समाचार-पत्रों के ब्यूरो कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्नवत् है :–

1–अमर उजाला–94

2–दैनिक जागरण–43

3–आज–17

जनपद इलाहाबाद में दैनिक समाचार-पत्रों के ब्यूरो कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या :–

1–प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया–05

2–यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया–07

3–पायनियर–05

4–हिन्दुस्तान टाइम्स–08

5–टाइम्स आफ इण्डिया–09

6–स्वतंत्र भारत–05

7–राष्ट्रीय सहारा–15

8–स्वतंत्र चेतना–05

शासन द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बी०एड० प्रशिक्षित बेरोजगार/रोजगार की व्यवस्था की जानकारी

89–श्री राम औतार शाक्य–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में इस समय बी०एड० प्रशिक्षण पास कितने शिक्षित बेरोजगार हैं ? क्या सरकार उनको रोजगार दिलवाने की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राधेश्याम)–

31 दिसम्बर, 2000 को प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों की सक्रिय पंजिका पर कुल 58,942 बी०एड० प्रशिक्षण पास अभ्यर्थी पंजीकृत थे ।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा नियोजकों से प्राप्त रिक्तियों में सम्प्रेक्षण कर सवेतन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के जिला नगरीय विकास प्राधिकरण (डूडा) से विकास कार्यों हेतु मांगे गये प्रस्ताव की जानकारी

90–श्री राम औतार शाक्य–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता को उनके द्वारा भेजे गये पत्रांक सं० 707/83-बजट/एम/एम०ए०सी०/97-98 दिनांक 06 जून 2000 के क्रम में क्या जिला नगरीय विकास अभिकरण मैनपुरी (डूडा) द्वारा विकास कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए विधायकगणों से कोई प्रस्ताव मांगे गये ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं, किन्तु मंत्री, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के पत्र सं०–707/83–बजट–एम/एस–एबी/97-98, दिनांक 06 जून, 2000 के माध्यम से ही प्रस्ताव मांगे गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि मा० मंत्री जी द्वारा प्रस्ताव मांगे गये थे । अतः अलग से प्रस्ताव मांगने की आवश्यकता नहीं पाई गई ।

जनपद मैनपुरी, ब्लाक बेवर के ग्राम अमहरा में क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनें चालू कराने की मांग

91–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम अमहरा ब्लाक बेवर जनपद मैनपुरी में तीन माह से बिजली के तार टूटे पड़े हैं और विद्युत आपूर्ति बन्द है ? यदि हां, तो इस विलम्ब के लिए दोषी कौन है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

विद्युत वितरण खण्ड मैनपुरी के अन्तर्गत ग्राम अमहरा, ब्लाक बेवर, जनपद मैनपुरी की विद्युत लाइन के तार एवं खम्भे दि० 29-7-2000 को किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गये थे । जिसे ठीक कर विद्युत आपूर्ति को चालू कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के गंगा आश्रम मेंहदीघाट का विद्युतीकरण

92–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के गंगा आश्रम, मेंहदीघाट पर विद्युतीकरण किये जाने हेतु उसका आगणन अधीक्षण अभियन्ता हरदोई के कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्युतीकरण का कार्य करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विद्युतीकरण कब तक करा लिया जायेगा ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगणन प्राप्त न होने के कारण ।

आगणन प्राप्त होने एवं उसके अनुरूप उपभोक्ता द्वारा धनराशि जमा करने पर ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के छिबरामऊ ग्राम में विद्युतीकरण संबंधी प्रकरण

93–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के छिबरामऊ विद्युतीकृत ग्राम के छूटे मोहल्लों के विद्युतीकरण हेतु आगणन अधीक्षण अभियन्ता हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम छिबरामऊ के छूटे मोहल्लों का विद्युतीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री [illegible]–

[illegible]

[illegible]

[illegible] के कारण।

[illegible] ग्राम [illegible] में विद्युतीकरण [illegible]

94–डा० [illegible]–

[illegible] करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम [illegible] का विद्युतीकरण स्वीकृत होकर उसका स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम [illegible] का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री [illegible]–

[illegible]

प्रश्न नहीं उठता।

विधायक द्वारा वर्ष 2000-2001 की संस्तुति 5 ग्रामों की सूची में उक्त ग्राम सम्मिलित नहीं है। अतः विद्युतीकरण कराना संभव नहीं।

[illegible], केवल [illegible] के ग्राम [illegible] में विद्युतीकरण

95–डा० [illegible]–

क्या [illegible] करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के [illegible] ग्राम [illegible] की [illegible] ग्राम है के शेष मुहल्लों के विद्युतीकरण हेतु स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता, हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उनका विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री [illegible]–

[illegible]

प्रश्न नहीं उठता।

[illegible] में सम्मिलित न होने के कारण।

[illegible] भदोही के [illegible] समुग्रह चौहान बस्ती से नदी तक [illegible] विभागीय जांच [illegible] के विरुद्ध कार्यवाही

96–डा० [illegible]–

क्या [illegible] करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के वि० खं० सुरियावां में वर्ष 1998-99 में पूर्वांचल विकास निधि द्वारा शेरपुर समुग्रह चौहान बस्ती से नदी तक [illegible] निर्माण हेतु आर०ई०एस० को 1.69 लाख रुपया अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण मानक के अनुरूप पूर्ण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश खन्ना–

जी हां।

जी नहीं।

उक्त की जांच करायी गयी है तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त रविदासनगर भदोही से सेन्ट मेरी स्कूल नई बाजार में विद्युत आपूर्ति कर लाइन चालू करने की जानकारी

97–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में वर्ष 1998-99 में पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) द्वारा सेंट मेरी स्कूल रोड नई बाजार में नया विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु अधि० अभियन्ता विद्युत भदोही को 2.24 लाख रुपया अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त उपकेन्द्र का निर्माण करा दिया गया हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां।

प्रश्नगत उपकेन्द्र एवं संबंधित लाईन का निर्माण माह अक्टूबर, 2000 में पूर्ण कर विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के कतिपय गांवों में विद्युतीकरण

98–डा० धर्मेश मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव, के पत्रांक 1062/66-97-52/95 दिनांक 16 मई, 1997 के निर्देशानुसार अम्बेडकर ग्रामों की चयन सूची के अनुसार 91–मल्लावां क्षेत्र के कुरसठ बुजुर्ग जो पिर्जागंज, परौली, दिवियापुर, टेडुईपुरवा, रुद्रपुरवा, तकिया, भभूती, देबिनपुरवा इत्यादि ग्रामों को मिलाकर बना है, का विद्युतीकरण किया जाना था ? यदि हां, तो क्या उक्त गांव का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां।

ग्राम कुरसठ बुजुर्ग वर्ष 1997-98 में अम्बेडकर ग्राम घोषित है जिसका विद्युतीकरण 1973 में हो चुका है। रेस्पो के आदेश सं०–6019–रेस्पो–ग्रा०वि०/पी दि० 17-6-97 के अनुसार चयनित ग्रामों के समस्त मजरों का विद्युतीकरण किया जाना था।

वर्ष 1997-98 के चयनित अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु 3 करोड़ 15 लाख रुपया की कार्य योजना बनाकर भेजी गयी थी जिसके सापेक्ष मात्र 2 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था, जिससे मुख्य ग्रामों का ही विद्युतीकरण हो पाया है। सम्प्रति कोई धन अवशेष न होने के कारण विद्युतीकरण करना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम भिठाई का विद्युतीकरण संबंधी प्रकरण

99–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम भिठाई का विद्युतीकरण स्वीकृत होकर उसका स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता, हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ग्राम भिठाई का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय विधायक जी द्वारा वर्ष 2000-2001 के संस्तुत 5 ग्रामों की सूची में उक्त ग्राम सम्मिलित नहीं है । अतः विद्युतीकरण कराना संभव नहीं ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के कुतुबापुर विद्युतीकृत ग्राम के छूटे हुए मोहल्लों का विद्युतीकरण

100–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत कुतुबापुर विद्युतीकृत ग्राम के छूटे हुये मोहल्लो के विद्युतीकरण हेतु आगणन अधीक्षण अभियन्ता, हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम कुतुबापुर के छूटे मोहल्लों का विद्युतीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसी योजना में सम्मिलित न होने के कारण ।

जनपद शाहजहांपुर की मदनापुर छेदापट्टी लाइन पर विद्युत लाइन पुनः चालू कराने की मांग

101–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-9-99 जो जनपद शाहजहांपुर की मदनापुर छेदापट्टी लाइन पर विद्युत लाइन पुनः चालू करने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

जनपद शाहजहांपुर की मदनापुर छेदापट्टी लाइन पर विद्युत आपूर्ति न होने के संबंध में सूचना जिला विकास अधिकारी शाहजहांपुर के माध्यम से प्राप्त हुई थी ।

उपरोक्त लाइन को तार लगाकर चालू कर दिया गया था जिसे पुनः चोरों द्वारा काट लिया गया । घटना की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है एवं लाइन में तार लगाने की कार्यवाही माह मई, 2001 तक पूरी किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के सौन्दर्यीकरण योजना अन्तर्गत राजाजीपुरम् की आवास विकास कालोनी में मरकरी लाइट लगवाने की मांग

102–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ के सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु मुख्य मार्गों पर मरकरी लाइट लगायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या राजाजीपुरम्–लखनऊ आवास विकास कालोनी में मुख्य मार्ग जो कि डन्लप रोड है और सेक्टर–10 व 13 के बीच से निकलते हुए टैम्पो स्टैण्ड की तरफ जाकर मोहान रोड में मिलती है, पर अभी तक मरकरी लाइट नहीं लगवायी गयी है ? यदि हां, तो कब तक उक्त रोड पर मरकरी लाइट लगवा दी जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

क्योंकि संदर्भित क्षेत्र सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया गया था ।

धन की उपलब्धता के आधार पर ।

जनपद सीतापुर विकास खण्ड महौली के ग्राम रोहिला में बिजली तार टूटने से मृतक को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

103–श्री रमेश राही–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महौली के अन्तर्गत ग्राम रोहिला में दिनांक 10-1-2001 को 11 हजार के० वी० बिजली के तार टूटने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार पीड़ित परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता दिये जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

तीनों मृतकों के आश्रित को रुपये 20,000 (बीस हजार) की दर से नियमानुसार अनुग्रह धनराशि का भुगतान दिनांक 19-4-2001 को किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

104–श्री उबैदुर्रहमान–

[3रे बुधवार में अ० तां० प्र० सं०–31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बागपत के ग्रामीण अंचलों में जले ट्रांसफार्मर को बदलवाने की मांग

105–डा० ज्ञानवती सिंह तथा श्री विजय पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 2000 से 1 जनवरी, 2001 के मध्य जनपद बागपत में ग्रामीण अंचलों के कितने ट्रान्सफार्मर जले हैं तथा उन जले ट्रान्सफार्मरों के स्थान पर कहां-कहां नये ट्रान्सफार्मर लगाये गये हैं ? कितने ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के लिये अभी बाकी हैं ? उन्हें कब तक लगवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जनपद बागपत के ग्रामीण अंचलों में 1 जनवरी, 2000 से 1 जनवरी, 2001 के मध्य 911 ट्रांसफार्मर जले हैं तथा उन जले ट्रांसफार्मर के स्थान पर सभी स्थानों पर ट्रांसफार्मर बदल दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ, नई बस्ती पुराना बर्फ खाना में किरायेदार द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटवाने की मांग

106–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के श्री पंचम लाल पुत्र स्व० श्री घसीटे एवं चन्द्र भान उर्फ बच्चा, प्रहलाद उर्फ जग्गू, राजेश उर्फ पंडित पुत्र श्री पंचम लाल मकान नं०–14/225 नई बस्ती पुराना बर्फ खाना, लखनऊ के किरायेदारों द्वारा उक्त मकान के सामने गली में अवैध कब्जा करके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है तथा कब्जा करके अवैध रुप से निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अवैध कब्जों को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम बरगवा में विद्युतीकरण

107–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बरगवा का विद्युतीकरण स्वीकृत होकर उसका स्टीमेट अधीक्षण अभियंता, हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त ग्राम बरगवा का विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय विधायक द्वारा वर्ष 2000-2001 के संस्तुतित 5 ग्रामों की सूची में उक्त ग्राम सम्मिलित नहीं है। अतः विद्युतीकरण कराना संभव नहीं।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के पूरनमऊ ग्राम के छूटे मोहल्ले का विद्युतीकरण

108–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पूरनमऊ विद्युतीकृत ग्राम के छूटे मोहल्लों के विद्युतीकरण हेतु स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता, हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त मोहल्लों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसी योजना में सम्मिलित न होने के कारण ।

जनपद सन्त रविदासनगर के नई बाजार से राईपुर घाट तक मार्ग निर्माण की जांच में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

109–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर के नगर पंचायत नई बाजार में माता मैया मंदिर नई बाजार से राईपुर घाट 500 मी० लेपन हेतु पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) द्वारा वर्ष 99-2000 में 3.35 लाख रुपया आर० ई० एस० को अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण मानक के अनुरुप करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश खन्ना–

जी हां ।

जी नहीं ।

जांच में दोषी पाये गये अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है ।

लखनऊ शिवानी बिहार में मार्ग प्रकाश व्यवस्था की मांग

110–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शिवानी बिहार, लखनऊ में नगर निगम द्वारा विगत दो वर्ष पूर्व मार्ग प्रकाश की व्यवस्था हेतु ट्यूब लाइटें लगवायी गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में विद्युत के सभी पोलों पर ट्यूब लाइट नहीं लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार कालोनी के सी० और डी० ब्लाक में विद्युत पोलों पर ट्यूब लाइट लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

नगर निगम स्तर पर धन की उपलब्धता के आधार पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर नगरपालिका परिषद् तिलहर के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

111–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या नगर विकास मंत्री कृपा बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-2-99 जिलाधिकारी शाहजहांपुर को नगर पालिका परिषद् तिलहर में कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

मा० विधायक जी के पत्र दिनांक 8-2-99 की प्रति प्राप्त होने पर मा० विधायक जी को अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, तिलहर, शाहजहांपुर के पत्रांक–457, दि० 26-2-99 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा, फिरोजाबाद व मथुरा में बेरोजगारों की संख्या व उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की जानकारी

112–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा फिरोजाबाद, मथुरा में कितने बेरोजगारों द्वारा रोजगार कार्यालय में रोजगार हेतु अपने पंजीकरण वर्ष 1997 से वर्ष 2000 के मध्य कराये गये हैं ? उनमें से कितने बेरोजगारों को अब तक रोजगार दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम–

वर्ष 1997 से वर्ष 2000 के मध्य जनपद आगरा में 71,409 फिरोजाबाद में 29,946 तथा मथुरा में 34,811 बेरोजगारों द्वारा रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया गया।

प्रश्नगत अवधि में जनपद आगरा में 718, फिरोजाबाद में 152 तथा मथुरा में 398 बेरोजगारों को सवेतन रोजगार दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर विकास खण्ड जलालाबाद के ग्राम मझौला में चोरी हुए विद्युत तार को पुनः लगवाने की मांग

113–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-4-2000 को या इसके आस-पास ग्राम मझौला विकास खण्ड जलालाबाद में विद्युत तार चोरी के बाद पुनः विद्युत लाईन चालू करने के विषय में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां।

विद्युत लाइन के चोरी गये तारों को पुनः लगने संबंधी कार्य स्थानीय कृषकों के विरोध के कारण (लाइन खिंचने से फसल को होने वाली क्षति) स्थगित कर दिया गया है। फसल कट जाने के बाद उपरोक्त कार्य का किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संत रविदास नगर भदोही में गुआली से फत्तूपुर के मार्ग निर्माण की जानकारी

114–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में गुआली से फत्तूपुर का अवशेष मार्ग एक कि० मी० लेपन हेतु वर्ष 1997–98 में दिनांक 12-3-97 को 6 लाख रुपया सी० एण्ड डी० एस० को अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण अभी

तक पूर्ण न करने का क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त मार्ग पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

डब्लू०वी० एम० स्तर तक कार्य पूर्ण हो गया है । अवशेष कार्य स्थानीय विवाद के कारण स्थगित है ।

जी हां ।

स्थानीय विवाद समाप्त होने पर शेष कार्य पूर्ण कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के विश्वकर्मा मंदिर पिपरिस मार्ग के निर्माण की जांच में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही

115–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में विश्वकर्मा मंदिर पिपरिस मार्ग 4 कि०मी० लेपन हेतु सी० एण्ड डी० एस० को 12-3-97 को 13.50 लाख एवं दिनांक 19-9-96 को 11.00 लाख रुपया जे० आर० वाई में अवमुक्त किया गया ? यदि हां, तो क्या मानक के अनुरुप उक्त मार्ग का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि मात्र 2 कि० मी० अधूरा मार्ग मानक के विपरीत बनाकर छोड़ दिया गया है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । कुल लम्बाई 3.50 कि०मी० हेतु मिट्टी के कार्य एवं लेपन कार्य के लिए रु० 5.25 लाख वर्ष 96-97 में तथा रु० 6.75 लाख वर्ष 97-98 में अवमुक्त किया गया ।

अवमुक्त धनराशि से कुल लम्बाई 2.00 कि०मी० में मिट्टी से लेपन स्तर तक एवं अवशेष लम्बाई 1.50 कि०मी० में मिट्टी से डब्लू० बी० एम० स्तर तक कार्य पूर्ण किया गया । अवशेष कार्य पूर्ण धनराशि मिलने पर पूर्ण किया जायेगा । मानक के अनुरूप कार्य की गुणवत्ता देखने हेतु जांच के आदेश दिये जा चुके हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में गंगापुर से पिपरिस मार्ग को पूर्ण कराने की मांग

116–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में गंगापुर से पिपरिस मार्ग निर्माण हेतु सी० एण्ड डी० एस० को 1.5 कि०मी० लेपन हेतु दि० 12-3-97 को 7.10 लाख एवं 1999-2000 में 2.605 कि०मी० लेपन हेतु 15.15 लाख एस०आर० वाई में अवमुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग निर्मित करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद संत रविदास नगर भदोही में गंगापुर से पिपरिस मार्ग निर्माण कुल लम्बाई 3.985 कि०मी० हेतु वर्ष 1997-98 एवं 98-99 में अलग-अलग कार्यक्रमों में कुल रु० 22.25 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी ।

कुल लम्बाई 3.985 कि० मी० में मिट्टी से डब्लू० बी० एम० स्तर तक एवं 1.67 कि०मी० में लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण हो गया है। लेपन का शेष कार्य स्थानीय विवाद के कारण स्थगित था, जिसका अब समाधान कर लिया गया है। तत्क्रम में शेष कार्य पूर्ण किये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलरामपुर क्षे० उतरौला के उप विद्युत केन्द्र के स्व० श्री बालकराम की विधवा पत्नी को मुआवजा दिये जाने की मांग

117–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर के अन्तर्गत क्षेत्र उतरौला के उप विद्युत केन्द्र पर कार्यरत स्व० श्री बालकराम की विधवा पत्नी को मुआवजा देने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक प्रकोष्ठ के पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम/31550 गोण्डा, दिनांक 22-2-2000 द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां।

मृतक आश्रित को रुपये 20,000/- की अनुग्रह राशि स्वीकृत कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम डकौती का विद्युतीकरण कराने की मांग

118–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम डकौती का विद्युतीकरण स्वीकृत होकर उसका स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम डकौती का विद्युतीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

विद्युतीकरण स्वीकृत है।

जी हां।

शीघ्र ही विद्युतीकरण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम भीखापुरवा के मोहल्लों में विद्युतीकरण करने की मांग

119–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम भीखापुरवा के छूटे मोहल्लों के विद्युतीकरण हेतु स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता, हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

किसी योजना में सम्मिलित न होने के कारण ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम सैखवापुर के विद्युतीकरण का स्वीकृत प्राक्कलन

120–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम सैखवापुर (पूर्वी) का विद्युतीकरण स्वीकृत है ? क्या उसका स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो जनहित में उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय श्री जय प्रकाश सांसद जी द्वारा अपनी सांसद निधि से ग्राम सैखवापुर (पूर्वी) के विद्युतीकरण हेतु धन उपलब्ध कराया गया है ।

ग्राम सैखवापुर (पूर्वी) का प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका है ।

उक्त ग्राम का विद्युतीकरण माह मार्च 2001 से कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम इकसई का विद्युतीकरण

121–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है जनपद हरादोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम इकसई हेतु स्वीकृत विद्युतीकरण का स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता, हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम इकसई का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय विधायक डा० धर्मज्ञ मिश्र जी द्वारा वर्ष 2000-2001 के संस्तुतित 5 ग्रामों की सूची में उक्त ग्राम सम्मिलित नहीं है । अतः विद्युतीकरण कराना सम्भव नहीं ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम जफरपुर तिगावां के विद्युतीकरण की मांग

122–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम जफरपुर तिगावां विद्युतीकरण ग्राम के छूटे मोहल्लों के विद्युतीकरण हेतु स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता, हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या जफरपुर तिगावां के छूटे मोहल्लों का विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसी योजना में सम्मिलित न होने के कारण ।

कानपुर रोड योजना, बिजनौर मार्ग को रेलनगर से जोड़ते हुए पूरा करने की मांग

123–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कानपुर रोड योजना अन्तर्गत सेक्टर "जे" रेलनगर/केन्द्र नगर में भवन सं०–बी–65 से पश्चिम दिशा में 90 मी० चौड़ी रोड जो भवन सं० ए–33 के सामने से होती हुई मुख्य बिजनौर मार्ग को रेलनगर से जोड़ती है, निर्माणाधीन है ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क हेतु प्राधिकरण द्वारा नाली निर्माण सड़क के किनारे किनारे स्ट्रीट लाइट संबंधी व अन्य

कार्य काफी समय पूर्व ही पूर्ण कराये जा चुके हैं ? यदि हां, तो अवशेष लगभग 60(साठ) मीटर सड़क को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जेल विभाग से विवाद होने के कारण ही कार्य नहीं कराया जा सका है । विवाद का समाधान विभाग के नियंत्रण में न होने के कारण कोई समयावधि निर्धारित करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० 800 के०वी० अनपरा उन्नाव ट्रान्समीशन लाइन के निर्माण से करोड़ों के फर्जी भुगतान की जांच

124–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपरा उन्नाव ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में रुपये 1.61 करोड़ का फर्जी भुगतान की सी०बी०आई० जांच कराये जाने विषयक श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व सांसद का पत्र दिनांक 11-12-99 जो कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

पत्र में इंगित पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि० के पत्र दि० 30-11-99 पर विचारोपरान्त उच्च स्तरीय आदेशों के अन्तर्गत कतिपय आरोप बिन्दुओं के सम्बन्ध में राज्य सतर्कता अधिष्ठान एवं कतिपय बिन्दुओं पर विभागीय जांच चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

125–श्री रमेश राही–

[दिनांक 1-5-2001 को अता० प्र० सं०–178 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ विकास प्राधिकरण के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने सम्बन्धी प्रकरण

126–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ में कतिपय वरिष्ठ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को छोड़कर कनिष्ठ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के पत्र संख्या 1763/उ०ल०वि०प्रा०/2000, दिनांक 22-11-2000 द्वारा दैनिक वेतन भोगी लिपिक श्री हरिश्चन्द्र शुक्ल की नियमित नियुक्ति किये जाने हेतु आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद अम्बेडकर नगर की परियोजनाओं में स्वीकृत धनराशि की जानकारी

127–श्री लालजी वर्मा–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि जिला अंश के अन्तर्गत जनपद अम्बेडकर नगर में विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति आयुक्त, फैजाबाद द्वारा वर्ष 2000–2001 में की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्वीकृत परियोजनाओं से सम्बन्धित धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को दी गयी ? यदि हां, तो किस दिनांक को ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या बिलम्ब के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश खन्ना–

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 11-1-01 को रु० 70.00 लाख

दिनांक 23-2-01 को रु० 19.95 लाख

दिनांक 28-2-01 को रु० 96.977 लाख

योग–	186.927 लाख

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नई बस्ती के मकान के कर निर्धारण व स्वामित्व का प्रकरण

128–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नई बस्ती ऊर्फ खाना लखनऊ के मकान नं०–14/225 में रहने वाले [illegible] ने उपरोक्त मकान के 1/2 हिस्से का फर्जी रूप से अभिलेख वर्ष 1985 में अपने पक्ष में करा लिया है ? यदि हां, तो फर्जी रूप से उपरोक्त मकान का अभिलेख दर्ज करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

भवन संख्या–14/225 वर्ष 1986 में श्री हीरालाल के नाम अभिलेखों में अंकित है । वर्ष 1986 में हुए पंचवर्षीय कर निर्धारण ने उपरोक्त भवन के 1/2 हिस्से को भवन संख्या–14/225ए देते हुए श्री चन्द्रमोहन का नाम अंकित है । कर निर्धारण के सर्वेक्षण के समय भवन स्वामी एवं अध्यासी के नाम करारोपण के लिए दर्ज किया जाता है । कर निर्धारण के आधार पर किसी भवन का स्वामित्व निर्धारण नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद कुशीनगर, नगर पंचायत खड्डा के नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

129–श्री जय प्रकाश–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) में आरक्षित अध्यक्ष पद पिछड़ी जाति के लिए था ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1995 के निर्वाचन के समय अध्यक्ष पद हेतु श्री अरविन्द सिंह पुत्र श्री कपिलदेव सिंह व श्री बाला प्रसाद पुत्र देवी प्रसाद जायसवाल व श्री राजकुमार डालमियॉ पुत्र श्री नथमल डालमियॉ गैर पिछड़ी जाति होते हुए पिछड़ी जाति के आरक्षित अध्यक्ष पर चुनाव लड़ा है ? क्या उन लोगों का चुनाव लड़ना अवैधानिक है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जाति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिये गये हैं तथा दोषी के खिलाफ कार्यवाही के लिये उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु उपजिलाधिकारी, पडरौना को निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

130–डा० पूर्णमासी पंकज–

[4थे मंगलवार में अता० प्र० सं०–183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

131–डा० पूर्णमासी पंकज–

[दिनांक 1-5-2001 को अता० प्र० सं०–179 द्वारा उत्तरित]

जनपद गाजियाबाद, नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन दिये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

132–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम गाजियाबाद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन दिये जाने विषयक विधायक प्रकोष्ठ के पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम/–2/37041/मथुरा/22-2-2000, दिनांक 3-9-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण में कोई कारगर निर्णय शीघ्र लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश अकेन्द्रीयत सेवा पेंशन नियमावली 1984 में संशोधन की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नये ट्यूबवेलों के निर्माण की जानकारी

133–मेजर जगतपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र में जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कितने ट्यूबवेल हैं ? उनमें से कितने ट्यूबवेल इस समय खराब चल रहे हैं ? क्या मुरादाबाद शहर में बढ़ती आबादी के अनुपात में ट्यूबवेल की संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार नये ट्यूबवेल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र में जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 23 ट्यूबवेल हैं ।

2 ट्यूबवेल खराब है ।

जी नहीं ।

जी हां । दो नये ट्यूबवेल निर्माणाधीन हैं ।

एक नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा विद्युत संयोजन कराकर संचालित किया जायेगा । दूसरे नलकूप का कार्य रुका हुआ है । स्थल विवाद का प्रकरण मा० न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम बलेन्दा के मोहल्लों में विद्युतीकरण की मांग

134–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बलेन्दा के शेष मोहल्लों के विद्युतीकरण हेतु स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता, हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसी योजना में सम्मिलित न होने के कारण ।

लखनऊ के राम भरोसे मैकूलाल इण्टर कालेज तेलीबाग के गेट पर विद्युत तार की ऊंचाई बढ़ाने व तारों को बदलने की मांग

135–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि राम भरोसे मैकू लाल इन्टर कालेज, तेलीबाग, लखनऊ के गेट पर स्थित ट्रान्सफार्मर से मुहल्ला–अम्बेडकरपुरम् को जाने वाली विद्युत लाईन के तार काफी कम ऊंचाई पर एवं काफी पुराने हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत लाइन के तारों को बदलवाते हुये उनको ऊंचा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

पूर्व में अम्बेडकरपुरम एक ग्रामीण क्षेत्र था तथा लाइनें मकान बनने से पूर्व बनी थी जोकि ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार तत्कालीन सेस द्वारा बनाई गई थीं अब यह क्षेत्र पावर कारपोरेशन के अधीन है ।

उक्त विद्युत की लाइनों के पुराने तारों को बदलने एवं कम ऊंचाई वाले तारों को ऊंचा करने की कार्यवाही शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के राम भरोसे मैकूलाल इण्टर कालेज तेलीबाग के प्रांगण स्थित तालाब में नालियों के पानी की निकासी की व्यवस्था की मांग

136–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सरोजनी नगर के शारदा नगर वार्ड में स्थित मुहल्ला–अम्बेडकरमुरम्/तेलीबाग, लखनऊ की नालियों के पानी को राम भरोसे मैकू लाल इन्टर कालेज के प्रागंण में स्थित तालाब में गिराया जाता है ? क्या यह सही है कि उक्त तालाब बरसात में भर जाने के कारण मुहल्ले में भयंकर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु पानी के निकासी हेतु कोई स्थायी व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

पानी की निकासी हेतु स्थायी व्यवस्था के लिये वर्तमान में वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम परसोला के मोहल्लों के विद्युतीकरण की मांग

137–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91– मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम परसोला के छूटे मोहल्लों के विद्युतीकरण हेतु स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता, हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम परसोला के छूटे मोहल्लों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम परसोला में छूटे मोहल्लों के विद्युतीकरण हेतु सम्बन्धित टाउन एरिया/ग्राम सभा द्वारा धन प्राप्त होने पर अथवा समुचित मात्रा में विद्युत संयोजन हेतु मांग आने पर ही विद्युतीकरण किया जाना संभव होगा ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम दौलतधारपुर के मोहल्लों में विद्युतीकरण की मांग

138–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम दौलतधारपुर के छूटे मोहल्लों के विद्युतीकरण हेतु स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता, हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम दौलतधारपुर के छूटे मोहल्लों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा. ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम दौलतधारपुर के छूटे मोहल्लों के विद्युतीकरण हेतु सम्बन्धित टाउन एरिया/ग्राम सभा द्वारा धन प्राप्त होने पर अथवा समुचित मात्रा में विद्युत संयोजन हेतु मांग आने पर ही विद्युतीकरण किया जाना सम्भव होगा ।

जनपद मथुरा नई बस्ती गोवर्धन की जर्जर विद्युत लाइन को ठीक कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

139–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कसाईपाड़ा अनुसूचित जाति नई बस्ती कस्बा गोबर्धन, जनपद मथुरा की जर्जर विद्युत लाइन को ठीक कराने विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/36735 मथुरा/2000, दिनांक 25-8-2000 अध्यक्ष, पावर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

कस्बा गोबर्धन जनपद–मथुरा के कसाईपाड़ा हरिजन गली के तार माह फरवरी, 2001 में बदल दिये गये हैं ।

जनपद शाहजहांपुर के मुहल्ला बैदुल्लागंज नगर पालिका परिषद् में हैण्ड पम्प लगाने सम्बन्धी प्रकरण

140–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना)–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 8-2-99 जो मुहल्ला बैदुल्लागंज नगर पालिका परिषद् शाहजहांपुर में दो इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगवाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम गौरा के मोहल्लों में विद्युतीकरण की मांग

141–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम गौरा के छूटे मोहल्लों के विद्युतीकरण हेतु स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता, हरदोई के यहां विचाराधीन

है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम गौरा के छूटे मोहल्लों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसी योजना में सम्मिलित न होने के कारण ।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् में अरबों के घोटाले की जांच

142–श्री हरदेव सिंह तथा श्री जय प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 3.5 अरब के घोटाले सम्बन्धी माननीय राज्य मंत्री (ऊर्जा) उ०प्र० सरकार का पत्र दिनांक 3-1-2001 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

उक्त पत्र में इंगित कुल आठ बिन्दुओं में से चार बिन्दुओं पर राज्य सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच, तीन बिन्दुओं पर विभागीय कार्यवाही पहले से ही प्रचलित थी एवं शेष एक आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया । उक्त स्थिति से मा० राज्य मंत्री जी को अवगत करा दिया गया है ।

लखनऊ, राजेन्द्र नगर पी०डब्लू०डी० कालोनी में पानी की आपूर्ति व जलकर की वसूली की जानकारी

143–श्री विश्वनाथ–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि पी०डब्लू०डी० कालोनी, राजेन्द्र नगर, लखनऊ के ऊपरी मंजिल के आवासों में जल संस्थान द्वारा की जाने वाली पानी की आपूर्ति लगभग 15 वर्षों से ठप है परन्तु जल संस्थान द्वारा भूमि तल के आवासों, जहां पानी निर्धारित समय पर आता है, के समान ही जल कर वसूल किये जाने का नोटिस दिया जा रहा है ? यदि हां, तो पानी की आपूर्ति न किये जाने पर भी जलकर वसूल किए जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर जलकर माफ किये जाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

पी०डब्लू०डी० कालोनी राजेन्द्र नगर में पानी की सुविधा 15 वर्षों से पूर्व से उपलब्ध है ।

ऊपरी मंजिल के आवासों में जल संयोजन है, पेयजल का उपयोग अध्यासियों द्वारा किया जा रहा है ।

अतः उन आवासों की बिलिंग भूमितल आवासों के समान की जा रही है ।

जलकर वसूली नियमानुसार की जाती है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड पवई के ग्राम खण्डोरा में विद्युतीकरण की जानकारी

144–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम–खण्डौरा, विकास खण्ड पवई, जनपद आजमगढ़ का वर्ष 1999 में विद्युतीकरण कराया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है और गांव में खम्भे गाड़ दिये गये हैं परन्तु तार नहीं लगाये गये हैं ? क्या सरकार उक्त गांव का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

ग्राम खण्डौरा विकास खण्ड पवई, जनपद आजमगढ़ के विद्युतीकरण का कार्य दिनांक 31-3-1998 में करा दिया गया था । उपरोक्त ग्राम के निवासियों द्वारा आपसी विवाद के कारण कुछ खम्भों का तार उतार लिया गया था जिसे पुनः आम सहमति बनाकर लगवा दिया गया है ।

जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा श्री नजमुल हसन जैदी की सचिव हुसैनाबाद एण्ड एलाईड ट्रस्ट्स की नियुक्त विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

145–श्री राम औतार शाक्य–

क्या अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायक प्रकोष्ठ का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/ एम2/36318 मैनपुरी/2000, सचिव, अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्राप्त हुआ है जो श्री नजमुल हसन जैदी की सचिव, हुसैनाबाद एण्ड एलाईड ट्रस्ट्स के पद पर जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा की गयी अवैध नियुक्ति से सम्बन्धित है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा गज़नफर अली खां–

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद एटा, मस्जिद व मदरसा सराय कासगंज की भूमि की पैमाइश करने सम्बन्धी प्रकरण

146–श्री राम औतार शाक्य–

क्या अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायक प्रकोष्ठ के पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/ एम–2/37022/मैनपुरी/2000, दिनांक 3-9-2000 जो वक्फ नम्बर 144 मस्जिद व मदरसा सराय, कासगंज, जिला एटा की भूमि की पैमाइश करके उक्त सम्पत्ति को वक्फ इन्तिजामिया कमेटी को सुपुर्द किये जाने के संबंध में है, सचिव, अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा गज़नफर अली खां–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित रिट याचिका सं०–317/92 तथा अवमानना याचिका सं०–2789/1996 मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी क्षेत्र भोगांव के पांच गांवों का विद्युतीकरण करने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

147–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पांच ग्रामों को विद्युतीकरण कराने हेतु मुख्य मंत्री को दिया गया प्रश्नकर्ता का पत्र उनके कार्यालय के पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–2/39758/ मैनपुरी/2000, दिनांक 30-11-2000 साथ प्रमुख सचिव ऊर्जा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां,

मा० विधायक द्वारा संस्तुत पांच गांवों के विद्युतीकरण हेतु अधिशासी अभियन्ता एवं उप महाप्रबन्धक को निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ अलीगंज विस्तार योजना में लगे हैण्डपम्पों की रिबोरिंग

148–श्री अजय कुमार पोद्दार–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2000 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सन्दर्भ मे क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत हैण्डपम्प की रिबोरिंग की कार्यवाही पूर्ण कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो रिबोरिंग की कार्यवाही सुनिश्चित न करने के लिए दोषी जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

दिनांक 02-03-2001 को ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत उत्पादन निगम के अनपरा बी तापीय परियोजना में तदर्थ रूप में रखे गये कर्मचारियों का प्रकरण

149–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में उत्पादन निगम के अन्तर्गत अनपरा "ब" तापीय परियोजना 2×500 मेगावाट में अप्रैल, 1990 में तदर्थ रूप से कुल कितने कर्मचारी रखे गये ? क्या अप्रैल 90 में तदर्थ रूप से रखे गये सम्पूर्ण कर्मचारियों का विनियमितीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन कर्मचारियों का कब तक विनियमितीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश अग्रवाल–

माह अप्रैल, 1990 में 2×500 मेगावाट अनपरा "ब" तापीय परियोजना निर्माण इकाई में कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्री सुरेश चन्द्र दीक्षित को आवंटित भूखण्ड मौके पर उपलब्ध न होने की जांच

150–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा भूखण्ड संख्या एम 2/114/ सेक्टर आई, जानकीपुरम् योजना में श्री सुरेश चन्द्र दीक्षित पुत्र श्री सीताराम दीक्षित निवासी अल्लीपुर (जन्दिया) पो०–सआदतनगर, जनपद सीतापुर के नाम दिनांक 21-8-97 को

रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा की गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त भूखण्ड मौके पर उपलब्ध न होने के कारण आवंटी को कब्जा नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त आवंटी श्री सुरेश चन्द्र दीक्षित को दूसरा भूखण्ड उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रकरण में जांच आदेशित कर दी गयी है ।

श्री सुरेश चन्द्र दीक्षित को दूसरा भूखण्ड संख्या–एम–2/115/आई सेक्टर "आई" दिया जा चुका है, जो कार्नर का है । जिसमें 59.60 वर्ग मीटर भूमि अतिरिक्त है । उक्त अतिरिक्त भूमि का मूल्य आवंटी द्वारा जमा नहीं किया गया है । मूल्य जमा करने के उपरान्त ही निबन्धन की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा सम्पादित की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद आजमगढ़, ब्लाक मेंहनगर के ग्राम फिनिहनी तक सड़क निर्माण का कार्य

151–श्री राम जग–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत मेंहनगर ब्लाक में पूर्वांचल विकास निधि के राज्याश से 1997-98 तथा 1998-99 में खरिहानी-चिरैयाकोट मार्ग से ग्राम–फिनिहनी तक सड़क के निर्माण हेतु कुल कितना धन स्वीकृत किया गया है ? क्या उक्त स्वीकृत सड़क का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कार्य अभी तक पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

श्री सुरेश खन्ना–

प्रश्नगत योजना हेतु वर्ष 1997-98 में नहीं अपितु 1998-99 में रु० 18.00 लाख स्वीकृत किया गया है ।

जी हां ।

सड़क का निर्माण कार्य अप्रैल, 2001 में पूर्ण कराया जा चुका है ।

जनपद मेरठ के आई० टी० आई० के प्रधानाचार्य द्वारा वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में निलम्बन की मांग

152–श्री समर पाल सिंह–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि श्री विपिन कुमार प्रधानाचार्य आई०टी०आई० बच्चा पार्क मेरठ को वित्तीय अनियमितताओं के गम्भीर आरोपों के सम्बन्ध में दिनांक 8-4-1993 को आडिट कराने पर उन्हें दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो क्या दोषी प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर निलम्बन की कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्म पाल सिंह–

जी हां ।

गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी गयी परन्तु शासन के आदेश संख्या 1962/36-5-[illegible]2(16)/92, दिनांक 26 जुलाई, 1995 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

153–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

उ० प्र० पावर कारपोरेशन सिंगरा वाराणसी के अवर अभियन्ता श्री हरिसहाय लाल के सेवा निवृत्ति के पश्चात पेंशन के भुगतान की मांग

154–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री हरिसहाय लाल पुत्र श्री हंस कुमार लाल अवर अभियन्ता विद्युत कार्यशाला, खण्ड उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन सिंगरा, वाराणसी, दिनांक 31-1-97 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उन्हें पेंशन सम्बन्धी सभी लाभों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं, अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने एवं पेंशन प्रपत्र में विद्यमान त्रुटियों/कमियों के निराकरण में विलम्ब होने के कारण पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सका है ।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डासा के ग्राम घोड़वल में विद्युत उपकेन्द्र निर्माण की मांग

155–श्री अमित अग्रवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डासा के अन्तर्गत ग्राम घोड़वल में विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के ब्लाक खण्डासा के अमानीगंज में नये 33 के० वी० उपकेन्द्र का निर्माण वर्ष 2000-2001 के कार्यक्रम से सम्मिलित है. । यह प्रस्तावित उपकेन्द्र ग्राम घोड़वल से 4 या 5 कि०मी० दूर स्थित है ।

अतः तकनीकी दृष्टि से ग्राम घोड़वल में नये 33 के० वी० उपकेन्द्र के निर्माण की अभी आवश्यकता नहीं है ।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ मुख्यालय के प्रशासन अनुभाग में अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

156–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ के मुख्यालय स्थित प्रशासन अनुभाग में 07 वर्ष से अधिक समय से कितने अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं ? क्या इन्हें अन्यत्र स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ के मुख्यालय स्थित प्रशासन अनुभाग में 07 वर्षों से अधिक समय से कोई अधिकारी एवं लिपिकीय कर्मचारी तैनात नहीं हैं, केवल चतुर्थ श्रेणी के 05 कर्मचारी 07 वर्षों से अधिक अवधि से यहां तैनात हैं।

चतुर्थ श्रेणी के उपरोक्त 05 कार्मिकों को उनकी सेवाओं और कार्यों की प्रकृति को देखते हुए उनका स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं पाया गया।

157–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[दिनांक 2-5-2001को अता० प्र० सं०–176 के द्वारा उत्तरित।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण कानपुर रोड योजना में रैम्प एवं चबूतरे तुड़वा कर सड़क निर्माण की जानकारी

158–श्री राम ललित चौधरी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत सड़क के दोनों तरफ बनाये गये रैम्प एवं चबूतरे तुड़वा कर अभी तक सड़क पक्की न कराने के लिए कौन-कौन लोग दोषी है एवं उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? सरकार उक्त सड़क को कब तक लेपन स्तर तक निर्माण करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रश्नगत सड़क के दोनों तरफ आवंटियों द्वारा रैम्प व चबूतरे बना लिये गये थे, जिनको आवंटियों द्वारा तोड़ने के कारण सड़क का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। रैम्प तोड़कर क्षतिग्रस्त सड़क का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

चूंकि रैम्प एवं चबूतरे तुड़वाकर क्षतिग्रस्त सड़क का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है इसलिये किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

क्षतिग्रस्त सड़क के लेपन का कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

जनपद गाजियाबाद की नोएडा पावर कम्पनी लि० पर इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी की जांच का प्रकरण

159–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक गाजियाबाद द्वारा वर्ष 1992 से 1997 के मध्य नोएडा पावर कम्पनी लि०, पर इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी का लाखों रुपया बकाया होने पर भी इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी की जांच रिपोर्टस में उन्हें उक्त कम्पनी पर बकाया राजस्व शून्य दर्शाया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी सहायक निदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

नोएडा पावर कम्पनी लि० को लाइसेंस उ० प्र० शासन की अधिसूचना संख्या–5480 पी-3/93-23-86 पी/92, दिनांक 30-8-1993 द्वारा दिया गया है और उक्त कम्पनी ने दिनांक 15-12-1993 से कार्य आरम्भ किया। 01-01-94 से 31-5-98 की अवधि में देय इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का भुगतान कम्पनी द्वारा किया जा चुका है तथा विलम्ब से जमा की गयी धनराशि पर देय ब्याज का भुगतान भी किया जा चुका है।

03 जनवरी, 1997 से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की संशोधित दर प्रभावी हुई । नोयडा पावर कम्पनी लि० द्वारा माह जनवरी, 97 से मार्च, 97 की अवधि में विद्युत कर का भुगतान पुरानी दर पर किया गया तथा अप्रैल, 97 से जून, 97 की अवधि में अनमीटर्ड सप्लाई पर विद्युत कर का भुगतान पुरानी दर से किया गया । कम्पनी द्वारा जनवरी, 97 स जून, 97 की अवधि से संबंधित विद्युत कर की कम जमा की गई धनराशि तथा उस पर देय ब्याज की धनराशि का भुगतान ट्रेजरी चालान संख्या–5, दिनांक 22-9-2000 द्वारा किया गया । इस तरह नोयडा पावर कम्पनी लि० पर उक्त अवधि से संबंधित विद्युत कर की कोई धनराशि बकाया नहीं है ।

चूंकि विद्युत कर की समस्त बकाया धनराशि जमा हो गई है अतः अब इस मामले में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

160–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[दिनांक 4-5-2001 को अता० प्र० सं०–48 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद मिर्जापुर, ब्लाक लालगंज के पतुलकी सम्पर्क मार्ग का निर्माण

161–डा० धर्मज्ञ मिश्र

क्या नियोजन मंत्री बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के लालगंज ब्लाक में शिवमूर्ति नगर बस स्टेशन से पतुलकी सम्पर्क मार्ग को पिच रोड बनाये जाने विषयक उ०प्र० जर्नलिस्ट्स एसोसियेशन के जिला अध्यक्ष श्री शशि भूषण दूबे का प्रत्यावेदन मूल रूप में विधायक श्री अखिलेश सिंह की अनुशंसा सहित दिनांक 3-10-1998 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश खन्ना–

जी हां ।

उक्त परियोजना का प्रस्ताव राज्यांश से वित्त पोषित योग्य न होने के कारण इसे जिलांश से वित्त पोषण किये जाने के लिये विचार किये जाने हेतु आयुक्त, विन्ध्यांचल मण्डल को निर्देशित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कन्नौज, मुख्य नगर अधिकारी द्वारा विकास कार्य की धनराशि हड़पने संबंधी प्रकरण

162–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कन्नौज के मुख्य विकास अधिकारी को सी० एण्ड डी० एस० विभाग (कार्यदायी) से 83 लाख रुपये विकास कार्य हेतु वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 भेजे गये थे ? यदि [illegible] सही है कि मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज द्वारा विकास कार्य न [illegible] धनराशि हड़प कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त की जांच कराया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद जौनपुर में गोमती नदी पर घाट के निर्माण की मांग

163–श्री बांके लाल सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई के आर्थिक सहयोग से मोहल्ला–जोगियापुर, सिटी बोर्ड जौनपुर में गोमती नदी पर घाट का निर्माण कार्य प्रस्तावित है ? यदि हां, तो प्रश्नगत घाट का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ, ब्लाक सरो०नीनगर के ग्राम मखदूमपुर कैकी के श्री सालिगराम पुत्र शिवणक की विद्युत से हुई मृत्यु की एफ०आई० आर० लिखने संबंधी प्रकरण

164–श्री उदयराज–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–क–1 म०/187455, दिनांक 18-9-2000 जो सालिकराम पुत्र श्री शिवणक ग्राम–मखदूमपुर कैकी ब्लाक सरोजनीनगर लखनऊ के पुत्र की विद्युत से हुई मृत्यु की एफ०आई०आर० लिखने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही बाईपास के कंसरायपुर तक मार्ग निर्माण की मांग

165–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के वि०खं० भदोही में भदोही बाई पास से कंसरायपुर तक लेपन कार्य हेतु 1.61 लाख धन दि० 31-3-96 को निर्माण एवं परिरोधायें (सी०एन०डी०एस०) को अनुमुक्त की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के कतिपय इण्टर कालेज व राधा स्वामी धाम के वाचनालय के निर्माण की जानकारी

166–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद संत रविदास नगर भदोही में सी० एण्ड डी० एस० कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य कर रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त विभाग द्वारा उक्त संस्था को ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के इण्टर कालेज रोही, इण्टर कालेज बैरी बीसा, इण्टर कालेज राधा स्वामी धाम तथा गोपीगंज नगर में बारात भवन एवं करवधिया में वाचनालय निर्माण हेतु धन अवमुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या वह कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरे कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या इनकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

राधास्वामी धाम में वाचनालय का कार्य पूर्ण हो गया है । अन्य स्थान पर कार्य प्रगति पर है । कार्य मानक के अनुरूप है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मथुरा, नगर पंचायत गोकुल के अध्यक्ष द्वारा की गयी अवैधानिक नियुक्ति की जांच

167–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत गोकुल जनपद मथुरा की अध्यक्ष द्वारा कतिपय कर्मचारियों को अवैधानिक ढंग से पृथक किये कर्मचारियों को सेवा में लिये जाने एवं दोषी को दण्ड दिये जाने विषयक विधायक प्रकोष्ठ के पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम/ 42567/ मथुरा/2001,दिनांक 13-2-2001, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, पंचायती राज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लाल जी टण्डन–

विधायक कोष्ठक का पत्रांक संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम/ 42567/मथुरा/2001, दिनांक 13-2-2001 प्राप्त न होकर उसके स्थान पर पत्रांक संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम/42567/ मथुरा/2001,दिनांक 13-2-2001 शासन में प्राप्त हुआ है । प्रकरण की जांच जिलाधिकारी मथुरा से करायी गयी । नगर पंचायत गोकुल में अवैध रूप से नियुक्त किये गये दस कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है ।

पृथक किये गये कर्मचारियों को सेवा में न लेने के लिये कोई दोषी नहीं है ।

जनपद मथुरा, राधा कुण्ड में "अष्ट सखी कुण्ड" की भूमि पर अवैध कब्जे के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी

168–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जनपद के राधाकुन्ड में "अष्ट सखी कुन्ड" का कुल क्षेत्र फल कितना है ? क्या "अष्ट सखी कुन्ड" के क्षेत्रफल में कतिपय भूमि माफियाओं द्वारा

बैनामा करके रजिस्ट्री की जा रही हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा भूमि माफियाओं एवं तहसील कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

ग्राम राधा कुण्ड तहसील व जिला मथुरा में स्थित "अष्ट सखी कुण्ड" का कुल क्षेत्रफल 9-81 एकड़ है ।

अष्ट सखी कुण्ड की भूमि गाटा संख्या 20/0.72, 30/8.69 व 41/00.40 कुल तीन किता रकबा 9.81 एकड़ है । बृजलाल आदि द्वारा श्रीपति तथा नन्ददास शिष्य सखी चरनदास प्रवीन कुमार वोहरा पुत्र चिरंजी लाल बोहरा निवासी दिल्ली, विजय कुमार शाह आदि, तुलानन्द पुत्र स्व० गोकुल सिंह आदि, चुन्नू वेदियां पुत्र प्रेमदास, कान्तादास शिष्य भगवान दास, नित्यानन्द दास शिष्य जीवगोस्वामी गौशाला, अर्जुनदास शिष्य अनन्तदास के पक्ष में विक्रय किया जाना बताया गया है, किन्तु क्रेतागण द्वारा तहसील में दाखिल खारिज हेतु विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

लेखपाल राधाकुण्ड द्वारा दिनांक 29-8-2000 को थाना गोवर्धन पर मु० अ० सं० 162/2000 धारा 406/467/468 भा० दं० वि० हुतेन्द्र सिंह पुत्र शेरसिंह निवासी वरई शाहपुर तहसील सिकन्दराराऊ, जिला हाथरस, हरीशंकर व बृजलाल पुत्रगण भगवत प्रसाद निवासी राधाकुण्ड थाना गोवर्धन जनपद मथुरा के विरुद्ध दर्ज कराया गया है । दूसरा मुकदमा लेखपाल राधाकुण्ड द्वारा दिनांक 19-12-2000 को थाना गोवर्धन पर मु० अ० सं०–262/2000 लगायत 267/2000 धारा 147/149/427/441/447/153ए/353/504 भा० दं० वि० व 7 क्रिमनल ला एमेन्डमेन्ट बृजलाल व हरीशंकर पुत्रगण भगवत प्रसाद, नन्नू पुत्र श्यामलाल, हीरा पुत्र अंगद, लालचन्द्र पुत्र बाबी, देवी पुत्र छीतरमल, नन्दराम पुत्र श्यामलाल, खोखा पुत्र तारा प्रसाद, राम प्रसाद पुत्र रमन, ऋषिगोपाल पुत्र हजारी लाल, छज्जन पुत्र चरन सिंह, राम किशन पुत्र होलू, हबीब खां पुत्र बाबू खां, नेमी पुत्र छीतरमल निवासीगण राधाकुण्ड थाना गोवर्धन जिला मथुरा के विरुद्ध दर्ज कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

169–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

लखनऊ के ग्राम बराबन कला में पेयजल आपूर्ति हेतु ट्यूबवेल लगाने का प्रस्ताव

170–श्री शिव सिंह चक–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जनपद के ग्राम बराबन कलां में पेयजल की आपूर्ति हेतु ट्यूबवेल लगाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त पर कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 4 सूचनाएं स्वीकार की गयीं । पहली सूचना श्री राम कुमार एडवोकेट की है (माननीय सदस्य उपस्थित थे सूचना पढ़ी हुई मान ली गई) दूसरी सूचना श्री श्री रामपाल की है । (माननीय सदस्य उपस्थित थे सूचना पढ़ी हुई मान ली गई) तीसरी सूचना चौधरी बाबू लाल की है (माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे) चौथी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की है (माननीय सदस्य उपस्थित थे सूचना पढ़ी हुई मान ली गई) श्री दद्दू प्रसाद की सूचना नियम के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकार की गयी ।

राज्य सम्पत्ति विभाग की लखनऊ स्थित लाल बाग, काम्पलेक्स आफीसर्स कालोनी में लगी चारों लिफ्टों का नई लिफ्टों से प्रतिस्थापन कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम कुमार एडवोकेट–

[महोदय, मैं सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोकमहत्व का निम्नलिखित विषय लाना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश शासन के राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वर्ष 1980 में निर्मित लालबाग काम्पलेक्स आफिसर्स कालोनी जो 7 मंजिली है, के दोनों ब्लाक, यथा "ए" ब्लाक तथा "बी" ब्लाक में लगभग 20 वर्ष पूर्व 4 लिफ्टें लगवाई गयी थी । प्रत्येक ब्लाक में दो लिफ्टें लगी है । जो अत्यधिक पुरानी हो जाने के कारण जीर्ण-शीर्ण हालत में हो चुकी है । इन लिफ्टों का रख-रखाव कराना शासन को महंगा तो पड़ता ही है साथ ही पुरानी हो जाने के कारण यह लिफ्टें अक्सर ही खराब रहती है जिससे कालोनी के अध्यासियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है । उक्त कालोनी में कुल 56 फ्लैट्स हैं जिसमें से प्रत्येक ब्लाक में 28 फ्लैट्स हैं । ऐसे अनेक अवसर आये हैं जब अवकाश दिवसों में भी यह पुरानी लिफ्टें अचानक खराब हो गई और कालोनी के बीमार व्यक्तियों को भी 6-7 मंजिल तक जीने से ले जाना और लाना पड़ा है ।

यह अत्यन्त गम्भीर विषय है जो अध्यासियों के दैनिक जीवन से जुड़ा है । आप सहमत होंगे की बीमार व्यक्तियों को या उच्च रक्त चाप एवं हृदय रोग से ग्रसित रोगियों को 6-7 मंजिल तक जीने से ले जाने में उनके जीवन को कितना खतरा उत्पन्न हो जाता है ।

अतः मेरा अनुरोध है कि उक्त 7 मंजिली लालबाग काम्पलेक्स आफिसर्स कालोनी में लगी चारों लिफ्टों का नई लिफ्टों से प्रतिस्थापन प्राथमिकता के आधार पर कराने का कष्ट किया जाय ताकि उसमें रहने वाले अध्यासियों जिसमें वृद्ध महिला एवं बच्चे सभी सम्मिलित है, को होने वाली असुविधा एवं रोग ग्रस्त व्यक्तियों के जीवन को होने वाले खतरे से बचाया जा सके ।]

भूमि संरक्षण इकाई राम गंगा कमान्ड आलीन उरई के अधिकारियों द्वारा पुराने कार्य को नया कार्य दिखाकर फर्जी मापन एवं भुगतान की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्रीराम पाल–

महोदय, संरक्षण इकाई राम गंगा कमान्ड आलीन उरई द्वारा खेतों पर पुरानी बन्धियों के ऊपर छः इंच मिट्टी डालकर नया कार्य प्रदर्शित करके सरकारी धन का दुरुपयोग एवं गबन किया जा रहा है । नियमानुसार जो कृषक अपने खेतों पर स्वयं बन्धियां डलवाते हैं । परन्तु उनकी माप एवं भुगतान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रामगंगा कमाण्ड इकाई द्वारा नहीं किया जा रहा है खाटि महेवा के मौजा अटरा कलां में पूरा कार्य फर्जी हो रहा है तथा मौजा पाल तथा खदुमुई मुस्तकिल खडगुई दिवारा, नियनियां ग्रामों में ठेकेदारों से जो कार्य कराया जा रहा है उनका तो भुगतान किया जा रहा है परन्तु जो किसान स्वयं मजदूरी करके स्वीकृत परियोजना क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र की नाप नहीं की जा रही है तथा न ही उनका भुगतान किया जा रहा है। सरकारी धन राम गंगा कमाण्ड के अधिकारियों एवं माफिया ठेकेदारों द्वारा हड़पा जा रहा है। पुराने कार्य को नया कार्य दिखाकर फर्जी मापन एवं भुगतान करके योजना के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा रहा है।

अतः इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिये अनुज्ञा चाहता हूं। उचित व्यवस्था देने का कष्ट करें।]

जनपद फैजाबाद के उद्यान विभाग कम्पनीबाग/शहीद उद्यान के प्रभारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराने एवं निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ० प्र० के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम चन्द्र यादव–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद फैजाबाद, उद्यान विभाग द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को माह अप्रैल में कार्य से बिना किसी सरकारी आदेश के हटा दिया गया। जबकि पिछले 15–20 वर्षों से श्रमिकों के साथ ऐसा अन्याय नहीं किया गया था। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उक्त विभाग में कार्यरत प्रभारी शहीद उद्यान/कम्पनी बाग को घोर अनियमितताओं के बावजूद तीन साल से मनमानी व अपने लगे संबंधियों को दैनिक श्रमिक पद पर लगाकर भुगतान कर रहा है। जबकि 24-11-2000 को भारतीय मजदूर संघ, लखनऊ के शिकायती-पत्र निदेशक (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा तत्काल प्रभारी पद से हटा कर जांच किए जाने का आदेश दिया गया था किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण श्रमिकों में भयंकर असंतोष व्याप्त है।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशक उद्यान, उ० प्र० लखनऊ के आदेश दिनांक 24-11-2000 के अनुसार [illegible] की मांग करता हूं।]

[illegible] प्रयास

श्री० पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न [illegible]

[illegible] हैं [illegible] शान
[illegible] मानू
[illegible] मुस्ताई
[illegible] व्यवस्था
[illegible] व्यवस्था।

श्री अध्यक्ष–

[illegible] का प्रश्न नहीं है।

मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा चुनाव की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11 मई, 2001 को नियम–300 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें पहली सूचना डा० अशोक बाजपेयी और कुंवर रेवती रमण सिंह की है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, आप व्यवस्था देने से पूर्व मुझको सुन लें । जब भी विपक्ष चाहेगा विधान सभा के चुनाव करा लेंगे । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की इस घोषणा का औचित्य क्या था ? विधान सभा के कार्य काल के लिये 5 वर्ष की व्यवस्था संविधान में है और 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद दोबारा चुनाव कराने की व्यवस्था संविधान में दी गई है तो मुख्य मंत्री जी ने किस अधिकार के तहत यह सदन में घोषित किया कि जब विपक्ष चाहेगा हम चुनाव करा लेंगे । मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद–168 को आप देखें उसमें राज्यों के विधान मण्डलों के गठन की व्यवस्था दी गई है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी इच्छा क्या है ? कब तक चले विधान सभा ? विपक्ष की क्या इच्छा है मुख्य मंत्री जी से अनुरोध कर लिया जायेगा ।

डा० अशोक बाजपेयी–

हमारी इच्छा है तत्काल चुनाव कराये जायं और जनादेश प्राप्त किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–300 में नहीं आती है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, आप अनुच्छेद–174 का (2) देखें । इसमें राज्यपाल को विधान सभा भंग करने का अधिकार है । मुख्य मंत्री को यह अधिकार नहीं है । आप अनुच्छेद–172 देखें जिसमें विधान सभा की कार्यावधि निर्धारित की गई है । इसी तरह से 200, 204, 206 देखें ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो आय-व्ययक और वित्त विधेयक के बारे में है । आपकी सूचना 300 में नहीं आती है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इसी तरह से अनुच्छेद–174 में व्यवस्था है कि 6 महीने के अन्तराल के पहले विधान सभी की दोबारा बैठक बुलाई जाय । हम इस समय मई में बैठे हैं । 6 महीने के अन्दर अक्टूबर से पहले बैठक आहूत करनी होगी । अगर इससे पहले जैसा मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि चुनाव हो जायेंगे उस समय विधान सभा की स्थिति क्या होगी ? भंग करके चुनाव करायेंगे या निलम्बित करके । मान्यवर, एक संवैधानिक संकट माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से उत्पन्न हो गया है । माननीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा का औचित्य क्या है ?

मान्यवर, आप स्वयं कानूनविद हैं संविधान के ज्ञाता हैं ।

श्री अध्यक्ष–

सुसंगत नियमों में उठाएं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, 16 अक्टूबर, 2001 को विधान सभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और विधान सभा की जो पहली बैठक है उस हिसाब से कार्यकाल 26 मार्च को पूरा हो जाएगा। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि जब विपक्ष चाहेगा तो चुनाव करा दिए जायेंगे, श्रीमन् भारत का संविधान है और विधान सभा की कार्य-संचालन नियमावली बनी है उसके अनुसार कार्य-संचालन होता है.....

श्री अध्यक्ष–

आपका मामला नियम–300 में नहीं आता है। सरकार का बहुमत है। वह शासन से संस्तुति करा सकते हैं केन्द्र सरकार से कि विधान सभा भंग कराकर चुनाव कर लें। पांच प्रदेश के अभी चुनाव हुए हैं वहां विधान सभा भंग नहीं हुई थी आप विधान सभा के अस्तित्व में रहते भी चुनाव करा सकते हैं।

डा० अशोक बाजपेयी–

स्थिति स्पष्ट करा दें। मंत्रि-परिषद् की बैठक में निर्णय किया है विधान सभा भंग कराकर चुनाव कराने जा रहे हैं सदन से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई स्थान नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–300 में नहीं आता है।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

यह सरकार कार्यकाल पूरो करेगी, विधान सभा कार्यकाल पूरा करेगी और आप भी यही चाहते हैं कि कार्यकाल पूरा करें कहीं कोई भ्रम की, स्थिति नहीं है थोड़ा बहुत आपके दिमाग में हो सकती है वह साफ करा लें विधान सभा और सरकार दोनों अपना कार्यकाल पूरा करेंगी। दया आती है मुद्दे नहीं रहते हैं तो ऐसे मुद्दे निकालकर लाते हैं।

डा० अशोक बाजपेयी–

मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि विपक्ष जब चाहेगा तब चुनाव करा लेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

कब चाहते हैं, आप चाहते हैं तो पास कराईए यहां से, आप विधान सभा से ऊपर हैं।

श्री अध्यक्ष–

सदन का निर्णय बहुमत से होता है। अशोक बाजपेयी जी और संसदीय कार्य-मंत्री जी को सुनने के बाद नियम–300 में न आने के आधार पर इसको निरस्त करता हूं।

जनपद महराजगंज तथा गोरखपुर में गत वर्ष के बाढ़ पीड़ित परिवारों को संसदीय कार्य मंत्री की घोषणा के अनुरूप धनराशि प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

विनोद मणि जी आपकी सूचना नियम–300 में नहीं आती है।

* श्री विनोद मणि–

मान्यवर, बस एक मिनट में कह दूंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी सूचना पढ़ी है यह नियम–300 में नहीं आती है ।

श्री विनोद मणि–

2 तारीख को औचित्य का प्रश्न रखा था उसमें संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब आया । इन्होंने लिखा है कि बाढ़ के नाम पर इतनी राशि, महाराजगंज के नाम पर इतनी राशि, गृह अनुदान के लिए गोरखपुर और महाराजगंज में यह राशि वितरित करा दी गई है इसका संज्ञान लेते हुए मैंने जिलाधिकारी महाराजगंज से जानना चाहा, तो जिलाधिकारी महाराजगंज ने उसके उत्तर में लिखा "कृपया अपने पत्र दिनांक 10-5-2001 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो तहसील फरेन्दा में सन् 2000 के बाढ़ से गिरे मकानों के मरम्मत कराये जाने हेतु गृह अनुदान का वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में है उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि सन् 2000 में आयी बाढ़ से गिरे मकानों की मरम्मत कराये जाने हेतु शासन से अभी तक गृह अनुदान के मद में धनराशि प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

आपके अनुसार जिलाधिकारी के पत्र में विसंगति है मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कह देता हूं इस पत्र के संदर्भ में परीक्षण करा लें और वास्तविक स्थिति से आपको जानकारी करा दें ।

श्री विनोद मणि–

श्रीमन् जिस अधिकारी ने गुमराह करने का कार्य किया है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है परीक्षण हो जायेगा ।

श्री विनोद मणि–

अगर नहीं होगा तो सदन का औचित्य नहीं है । यह औचित्य का प्रश्न बनता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका आप अपने स्तर से परीक्षण करा लें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनारंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैंने दोनों का परीक्षण कर लिया है । मैं इसको दिखवा लूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका अपने स्तर से परीक्षण करा लेगें । यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है इसलिए मैं इसे निरस्त करता हूं ।

व्यवधान के कारण सदन में शासन का पक्ष न आ पाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अगली सूचना जो कि डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की है को ले रहा हूं । यह भी नियम–300 में नहीं आती है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इस सदन में कार्यवाही के आधार पर नियम–56 और 311 में अपने मन्तव्य को स्पष्ट करने हेतु सूचना दी जाती है और आपके द्वारा कृपापूर्वक निर्णय लिया जाता है । लेकिन इधर हो यह

रहा है कि विपक्ष कार्य स्थगन की मद उसके पूर्व जो एजेन्डा है, अपनी उन सूचनाओं के आधार पर बाधित कर देते हैं और इससे सभी सदस्यों के अधिकारों पर प्रश्नचिन्ह लगता है । मेरा निवेदन यह है कि नियम–56 से पूर्व जो अपने अधिकारों का प्रयोग कर लिया है, 56 में भी अपना विषय रखते हैं और जब शासन का पक्ष आना चाहिए तो सदन को अव्यवस्थित कर देते है । मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि शासन के उत्तर पर असंतोष जाहिर करना यह विपक्ष का अधिकार है लेकिन इस अधिकार का प्रयोग वह शासन के उत्तर आने के बाद करे तो यह लोकतांत्रिक मर्यादा होगी ।

श्री अध्यक्ष–

यह आपका सुझाव है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, चार घंटे सदन स्थगित रहा । सरकार ने क्या कहा इसका उल्लेख समाचार पत्रों में नहीं है । उसमें सिर्फ यही है कि विपक्ष ने सरकार को चार घंटे घेरा सरकार ने उत्तर में क्या कहा यह नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने क्या कहा है ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, पश्चिम के अखबारों में नहीं है । इसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री का कोई वक्तव्य नहीं है । मान्यवर, आप कृपापूर्वक सभी पक्ष और विपक्ष के अधिकारों का संरक्षण करते हैं । आप एक बैठक बुला लें । इसमें यह सुनिश्चित कर लें कि नियम–311 अगर 56 में परिवर्तित कर देते हैं तो प्रश्नकाल और एजेण्डे की मदें बाधित न हो यही मैं चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

सदन में व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का है और समय-समय पर सहयोग की अपेक्षा भी की जाती है । मेरी यही अपेक्षा है कि सदन की कार्यवाही के संचालन में आप सभी लोगों का सहयोग और सद्भाव बना रहेगा इसी के साथ मैं इस सूचना का निस्तारण करता हूं ।

दिनांक 13 मई, 2000 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर अब तक कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री राम चन्द्र यादव जी की है ।

* श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, विगत 13 मई, 2000 को मेरे विधान सभा क्षेत्र शहीद राम सूरत गांव को चयन किये जाने के सम्बन्ध में .....

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी 13 मई, 2000 को नियम–51 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी इस पर कार्यवाही नहीं हुई है । आप इसकी वस्तुस्थिति दिखवा लें और माननीय सदस्य को अवगत करा दें । यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है अतः मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं इसे दिखवा लूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अगली सूचना जो कि आर्य राम सरन जी की है को ले रहा हूं ।

(आर्य राम सरन जी अनुपस्थित थे)

पंचायत भवन तथा आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता का प्राविधान न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

चूंकि माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है इसलिए मैं अगली सूचना जो कि श्री जगदम्बिका पाल जी की है, को ले रहा हूं ।

*श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में आप सबके संरक्षक हैं और सरकार की संवैधानिक बाध्यता है कि बिना विथीय अनुशंसा के बिना बजट को पास करें और जिसका बजट में उल्लेख नहीं होता है, जब अपरिहार्य आवश्यकता पड़ती है तो सप्लीमेन्टरी बजट लाने का प्राविधान है और अनुपूरक के माध्यम से जब सदन स्वीकृति देता है तो स्वीकृति के बाद सरकार की समझ में खर्च कर सकती है । बिना वित्तीय स्वीकृति के सरकार खर्च नहीं कर सकती है । मान्यवर, जो शासनादेश दिनांक 20 अप्रैल, 2001 है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है । मान्यवर, पूरे प्रदेश की समस्त ग्राम सभाओं में 28 अप्रैल को इन ग्राम सभाओं में ग्राम सचिवालय के लिए एक भूमि पूजन हुआ है एक साथ पूरे प्रदेश में राजनीतिक लाभ के लिए भूमि पूजन कराया गया न उसकी कोई वित्तीय स्वीकृति है न विधायी स्वीकृति है मुझे भी मान्यवर, चिट्ठी मिली मैंने भी कुछ ग्रामों में देखा अधिकारी कर्मचारी भी जा रहे थे । मान्यवर, जो ग्राम सचिवालय होगा उसमें जो भी ग्राम विकास अधिकारी होंगे उनके आवास के लिए 2.50 लाख रुपये का प्राविधान करना होगा ।

श्री अध्यक्ष–

इससे सदन की कार्यवाही कहां विनियमित होती है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सदन के प्रति यह सरकार उत्तरदायी भी है ।

श्री अध्यक्ष–

वित्तीय अनियमितता की बात और सदन के प्रति उत्तरदायी होने की बात वह अलग बात है लेकिन इस सूचना से सदन की कार्यवाही कहां विनियमित होती है यह नियम–300 में कहां से आयेगी ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं यह सब मान सकता हूं कि यह नियम 300 में न आती हो लेकिन प्रदेश में एक साथ यह भूमि पूजन हुआ तो धन का कहां प्राविधान है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, पंचायती राज विधेयक पर जो चर्चा हुई थी उसका यह अभिन्न स्तर था कि हर गांव में ग्राम सचिवालय की स्थापना होगी और जो बहुउद्देशीय कर्मी हैं या सचिव हैं, ग्रामों के सारे भवनों की बात थी । मान्यवर, यह हमारी भारतीय संस्कृति है और यह आज से नहीं जन्म जन्मान्तर से होती है कि जो भी नया काम होगा उसमें भूमि पूजन की आवश्यकता होती है तो भूमि पूजन करने से क्या कष्ट की बात है । मान्यवर, भूमि पूजन क्यों कर दिया गया अब अगर काम करें तो भी आपत्ति । मान्यवर, इसलिए कि कार्य को स्थगित न रखा जाये एक निश्चित तारीख हमें दे दीजिए कि फलां तारीख को स्थल चयन कर लें और व्यवस्था को सुनिश्चित कर लें ताकि अधिकारी वहां जायें और देखें कि भूमि की व्यवस्था वहां पर की गयी है ।

मान्यवर, यह प्रारम्भिक कार्य था इसमें ऊर्जा में पैसे की कौन सी आवश्यकता पड़ती है जो भवन निर्माण की बात है उसकी व्यवस्था विधिवत् की हुई है कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं है । धन की व्यवस्था करने के उपरान्त ही सारा कार्य कराया जाये यह बात उसमें थी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, भूमि पूजन तो तभी करेंगे जब धन का प्राविधान करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आप आय-व्ययक की चर्चा में बोल लीजियेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पूजन करने के लिए कहां धन की आवश्यकता पड़ती है भवन के लिए धन की व्यवस्था की है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है मैं निरस्त करता हूं । मद संख्या 3 में कुछ नहीं है, मद संख्या 4 में कुछ नहीं है, मद संख्या 5 में कुछ नहीं है, मद संख्या 6 में कुछ नहीं है ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, 2001 †

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, ''हां'' की संख्या कम है ।

श्री अध्यक्ष–

अब व्यवस्था आ गयी है और मैंने अगला मद ले लिया है, वैसे भी इसमें आपत्ति नहीं करते ।

नोट :–† दिनांक 8-6-2001 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11 मई, 2001 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल–18 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गईं। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना डा० अशोक बाजपेयी और कुंवर रेवती रमण सिंह की, दूसरी श्री अफरोज अली खां की, तीसरी श्री उदयराज की, चौथी डा० धर्मज्ञ मिश्र की, पांचवीं श्री राम चन्द्र यादव की, छठी श्री विनोद मणि की, सातवीं श्री राम कुमार एडवोकेट की, आठवीं श्री आर० के चौधरी की, नवीं सूचना एक ही विषय पर श्री राम कृपाल, श्री मो० मुकीम, श्री कौकब हमीद, श्री बाबू लाल, श्री समरपाल सिंह और श्री भीष्म प्रसाद सोनकर की तथा अंतिम दसवीं सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा की है। मैं पहली सूचना ले रहा हूं।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष इस विधान सभा में एक अत्यन्त लोक महत्व का अविलम्बनीय एक सवाल उठाना चाहता हूं। नियम-56 की सभी ग्राह्यता की शर्तें यह पूरा करता हैं। मान्यवर, जब से यह सरकार आई है इस सरकार ने एक नीति की घोषणा की कि व्यवसायीकरण के द्वारा इंजीनियरिंग, मेडिकल और डेन्टल कालेजों की स्थापना करेगी, हम तमाम उन छात्रों को जो इससे वंचित रह जाते हैं उनको शिक्षा देने का काम करेंगे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि व्यवसायीकरण के बाद 4 लाख से लेकर 50-50 लाख रुपये तक इन इंजीनियरिंग, मेडिकल और डेन्टल कालेजों के द्वारा लिये गये और यह डोनेशन के नाम पर पैसा लेने के बाद उनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की गयी। यह जरूर है कि हमको शिक्षा का प्रसार करने के लिए यह आवश्यकता है। मैंने मान्यवर, दक्षिण भारत में देखा है वहां के मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, उनका मानक और हमारे यहां के मानक में जमीन आसमान का अन्तर है। मैंने गाजियाबाद में एक मेडिकल कालेज देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, दो कमरे में मेडिकल कालेज चल रहा है। उसी तरह से फिरोजाबाद में मुल्तान सिंह डेन्टल कालेज की हालत कुछ ऐसी ही है। कालेज तमाम खोल दिये गये हैं लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको मान्यता कैसे दी ? उत्तर प्रदेश सरकार की संस्तुति पर डेन्टल कौन्सिल आफ इंडिया ने मान्यता दी ? अब वहां पर बिल्डिंग भी नहीं है। इसका सर्वे हुआ, जांच भी हो चुकी है माननीय मुख्य मंत्री जी ने जांच कराई है। और जांच होने के बाद उसकी रिपोर्ट आ गयी। उस जांच में यह पाया गया कि जो एलीगेशन लगाये गये थे वह सही पाये गये, उसकी पुष्टि हुई और डेन्टल कौंसिल आफ इंडिया ने उसकी मान्यता रद्द कर दी। मान्यवर, उन छात्रों के साथ जो बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनके साथ अमानुषिक कार्य किया गया। उसके बाद वह छात्र केवल यह मांग कर रहे हैं कि हमारा एडमीशन सेकण्ड ईयर में दूसरी जगह हो जाय। वैसे भी वह डेन्टल कालेज इम्तिहान लेने के लिए अधिकृत नहीं है सेकेण्डियर का। उन छात्रों की मांग शत-प्रतिशत जायज है ऐसे में माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि, सदन से गायब हैं अभी तो थे। मान्यवर, डेण्टल काउन्सिल आफ इण्डिया से उत्तर प्रदेश सरकार से यह कहा है कि हम वहां एक पत्र भेज रहे हैं, न वहां भेजा न भारत सरकार को भेजा और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार लिखेगी तो हम यहां के छात्रों को समायोजित करा देंगे। मान्यवर, मेरा आग्रह है कि आप सरकार को यह आदेश देने का कष्ट करें कि कहीं भी डेण्टल कालेज में, लखनऊ में ही जो प्राइवेट कालेज हैं उन्हीं में ही उनका समायोजन करा दें। मान्यवर, ये लड़के मेरिट से सलेक्ट हुए हैं, पी०एम०टी० का इक्जाम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देकर सलेक्ट हुए हैं । 4-4 लाख डोनेशन भी दिया है । कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे 4-4 लाख रुपये इकट्ठा कर सकें लेकिन उन्होंने सब कुछ बेंच कर किया । वे आये थे उनकी आंखों में आंसू थे । मान्यवर, उनकी जायज मांग है, वे कोई अनुचित मांग भी नहीं कर रहे हैं । शासन को मानने में क्या कठिनाई है । मैं चाहूंगा कि शासन इन छात्रों को सेकेण्डियर में कहीं समायोजित करने का निर्देश दे ।

(उत्तर देने के लिए संसदीय मंत्री के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यदि चाहें तो माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी का इन्तजार कर लें, वरना आप उत्तर दे दें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इसके बारे में जो अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी उसकी जांच जिलाधिकारी से करायी गयी और उसके आधार पर हमने केन्द्र सरकार को तथा भारतीय दंत परिषद्, दोनों को ही अवगत करा दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि इस पर तत्काल कार्यवाही की जाए । इसके अतिरिक्त मान्यवर, संस्था को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस भी दे दिया गया है । भारतीय दंत परिषद् एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देश प्राप्त होने के बाद सम्पूर्ण प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । मान्यवर, हमारी भी सहानुभूति उन छात्रों के साथ है । जिन छात्रों का कम्पटीशन के बाद चयन हुआ हो, भारी धनराशि उनको देनी पड़ी हो और आज उनकी यह स्थिति हो, ऐसी स्थिति में उनका क्या भविष्य होगा । मान्यवर, प्रदेश सरकार इन छात्रों के प्रति सहानुभूति रखते हुए जितना भी सम्भव होगा, नियमानुसार उनकी सहायता करेगी ।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सदन में आ जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, कार्य स्थगन की यह पहली सूचना है फिरोजाबाद के डेण्टल कालेज में छात्रों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में ।

* गन्ना विकास एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दे रहे थे, मैंने सुन लिया है । मान्यवर, पिछले कुछ दिन पहले प्रश्न उठा था, मैंने कहा था कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए टोटैलिटी में विचार करेंगे । मैंने सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग किया है और विचार किया है और कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया गया है । जो अनियमितताएं थीं उन पर जिलाधिकारी से रिपोर्ट मिल गयी है । हम डी०सी०आई० को भी पत्र भेज रहे हैं । आज-कल में भिजवा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने दो प्रश्न उठाये हैं कि इसकी मान्यता समाप्त कर दी गयी है । पढ़ाई हुई नहीं, जब पढ़ाई हुई नहीं तो परीक्षा निरर्थक है और अगर मान्यता समाप्त हो गयी है तो उस परीक्षा के परिणाम कुछ भी हों, उत्तीर्ण हों या अनुत्तीर्ण हों, वह भी निरर्थक हो जायेंगे । इन बच्चों को किसी अन्य डेन्टल कालेज से सम्बद्ध कर दिया जाय, वहां उनकी परीक्षा हो जाय । इन बच्चों ने 4-4 लाख की धनराशि दी है, वह सरकार वापस लौटाये । शिक्षा व्यवसायिक बन रही है, ऐसा लग रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, डेन्टल कालेज छात्रों के हित को देखते हुये पत्र शासन से लिखा जा रहा है कि कैसे छात्रों के हित सुरक्षित हो सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

डेन्टल कालेज समाप्त होने के बाद लड़कों में असमंजस की स्थिति है, उनको किसी दूसरे विद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाय, उनका धन भी वापस दिलाया जाय । अब यह इस पर निर्भर करता है कि इसके लिये कितना प्रयास सरकार करती है, अब लड़के दुबारा 4-4 लाख तो दे नहीं पायेंगे ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

हम पत्र भेज रहे हैं, पत्र में हमने जो लिखा है, उसका अन्तिम पैरा मैं पढ़कर सुना रहा हूं ।

"इन व्यू आफ दि सीरियस नेचर आफ दि लैप्स ऐज स्टाटेड एबव दि स्टेट गवर्नमेंट इज आफ दि व्यू दैट प्रापर टीचिंग कैन नाट बी इनस्योर्ड बाई दि कालेज एण्ड डी० सी० आइ० में लाइक टू टेक स्टाक आफ दि सिचुएशन एण्ड इनीटिएट एप्रोप्रियेट एक्शन टू सेफगार्ड दि फ्यूचर आफ दोज स्टूडेन्ट्स हू हैव बीन रेगुलरली एडमिटेड एन अर्ली एक्शन उड बी हाइली एप्रोप्रियेटेड"।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, 2 तारीख को यह प्रश्न उठा था, विधान सभा में और आज 11 तारीख हो गई है । यह अभी तक पत्र ही भेज रहे हैं । यह पत्र कब तक भेजा जायेगा । यह गम्भीर चिन्ता का विषय है और बच्चों का भविष्य अधर में लटका है । शासन ने इस मामले की जांच भी करवाई है और इस बात की पुष्टि हुई है कि जो शिकायतें हैं, वह सही हैं । माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस बात को मान रहे हैं । मेरा सुझाव यह है कि यहां से पत्र के साथ ही सचिव भी चले जायें और डी० सी० आई० से शीघ्र निर्णय कराकर इसको कार्यान्वित करा दें, जिससे बच्चे इम्तिहान में बैठ सकें, इस प्रकार लिखापढ़ी में तो उनका साल बेकार हो जायेगा ।

डा० नरेन्द कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं । किसी भी डेन्टल कालेज, मेडिकल कालेज में सीट निर्धारित हैं, हम डी०सी०आई० से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

सचिव को भेज दीजिए, समस्या का निदान करा दीजिये ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

इसको एक्सपीडाइट करा देंगे ।

डा० अशोक बाजपेयी–

इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच कराई गई ...

श्री अध्यक्ष–

अब बात पूरी आ गई है । आप बैठें ।

माननीय कुँवर रेवती रमण सिंह, माननीय अशोक बाजपेयी, संसदीय कार्य मंत्री तथा माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री को सुनने के उपरान्त इस सूचना को नियम–56 के अन्तर्गत निरस्त करता हूँ ।

अगली सूचना श्री अफरोज अली खाँ की है, वह अनुपस्थित हैं । तीसरी सूचना श्री उदयराज यादव की है ।

*श्री उदयराज यादव --

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके ऊपर ध्यान आकृष्ट कराने का जो मुझे अवसर दिया, मैं उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूँ । मान्यवर, लगातार जब–जब छात्रों की समस्याओं का सवाल सदन में आया है, सरकार की तरफ से यह जवाब आता रहा है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जायेगा । लेकिन बड़े अफसोस के साथ आज कहना पड़ रहा है कि आज प्राइमरी विद्यालयों में छात्रों की यह स्थिति है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक लड़कों को पढ़ाने के लिये एक विद्यालय में एक अथवा दो ही अध्यापक होंगे । इसी प्रकार कक्षा 5 के छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का काम सरकार कर रही है । कक्षा 5 के विद्यार्थियों की पूरे प्रदेश में स्वपरीक्षा हो रही है, आज परीक्षायें चल रही हैं और सरकार के द्वारा जो पाठ्यक्रम घोषित किया गया था, उसमें अंग्रेजी और संस्कृत विषय का जिक्र नहीं किया गया था, इसी के तहत पूरे वर्ष कक्षा 5 के छात्रों को अंग्रेजी की शिक्षा देने का काम नहीं किया गया न ही संस्कृत पढ़ाई गई । आज जब परीक्षा हो रही है तो अंग्रेजी और संस्कृत की परीक्षा देने के लिये मजबूर किया जा रहा है । जिस तरह से गाँव में एक आदमी सभी के जानवर लेकर हाँकने का काम करता है, उसी प्रकार छात्रों की स्थिति है, जो गाँव में पढ़ते हैं । यह कई लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है । मैं एक चीज और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ । वर्ष 1999-2000 का जो पाठ्यक्रम जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि अंग्रेजी और संस्कृत की शिक्षा प्राइमरी विद्यालयों में दी जायेगी और 1999–2000 में कक्षा 3 में अंग्रेजी और संस्कृत की शिक्षा दी गई, लेकिन जब कक्षा 3 का लड़का कक्षा 4 में आया और कक्षा 4 का कक्षा 5 में पहुँचा तो बिना पढ़ाये अंग्रेजी और संस्कृत की परीक्षा लेना उन छात्रों के साथ बेइंसाफी है । जिस समय छात्रों का शिक्षा सत्र शुरू हुआ था, उस समय पाठ्यक्रम में इसका जिक्र करना चाहिये था । साथ ही जो पाठ्य पुस्तकें विद्यालयों में भेजने का काम किया गया था, उसमें अंग्रेजी और संस्कृत की पुस्तकें भेजने का काम किया जाना चाहिये था । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज प्रदेश के कई लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, मैं मांग करता हूं कि कक्षा 4 व 5 के छात्रों की अंग्रेजी और संस्कृत की परीक्षा निरस्त करने का काम किया जाय ।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)–श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, प्राइमरी शिक्षा की अनेक बार बात होती रही है कि जो हमारे सरकार द्वारा संचालित प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है, उसमें अंग्रेजी का अभाव है और अंग्रेजी का आकर्षण होने के कारण लोग पब्लिक स्कूलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इसलिये प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि हम कक्षा 3 से अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ायेंगे। उस फैसले के अनुसार कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तकें लिखी गईं । माननीय सदस्य ने अपनी बात कहते हुये अपनी समस्या का समाधान स्वयं बता दिया । तीसरी क्लास के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह अंग्रेजी का प्राइमरी ज्ञान है, जब वह कक्षा 5 तक पहुँचेंगे तब दूसरी किताब की आवश्यकता होगी । वर्तमान तीसरी कक्षा में जो अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ाई जा रही है, वहीं कक्षा 5 में भी पढ़ाई जा रही है । अगले वर्ष उन विद्यार्थियों को दूसरी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जायेगी । अभी कक्षा 4 और 5 के लिये पुस्तकें तैयार हो रही हैं, जैसे ही छात्र कक्षा 5 में पहुँचेंगे उनको वह नई किताबें उपलब्ध हो जायेंगी ।

श्री उदयराज यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, कक्षा 5 की जो परीक्षा हो रही है उसमें संस्कृत और अंग्रेजी के विषय रखे गये हैं। जबकि जो पाठ्यक्रम जुलाई माह में जारी किया गया उसमें उक्त विषयों का जिक्र नहीं किया गया था न ही शासन द्वारा कक्षा 5 के विद्यार्थियों को इनकी पुस्तकें भेजी गयीं। मंत्री जी ने संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा देने की बात कही है। कक्षा 3 से संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा देना शुरू किया। कक्षा 3 का छात्र अभी कक्षा 5 में नहीं पहुंचा है। आप बोर्ड की परीक्षा करा रहे हैं। जब अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ा ही नहीं तो किस तरह से आप अंग्रेजी और संस्कृत की परीक्षा करा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उस स्थिति को स्पष्ट कर दीजिए।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, जो तीसरी कक्षा में पुस्तक है वही पुस्तक चौथी और पाँचवी कक्षा में पढ़ायी जा रही है। जो चौथी और पाँचवीं कक्षा में बच्चे हैं और कक्षा तीन में अंग्रेजी नहीं पढ़ी है तो यह प्रारम्भिक ज्ञान की पुस्तक है। अगले सत्र में कक्षा 4 और कक्षा 5 के लिए पुस्तकें लिखी जा रही हैं।

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, इसका उत्तर नहीं आ पाया। कक्षा 3 के छात्रों को अंग्रेजी और संस्कृत की शिक्षा देना शुरू किया वह छात्र अभी कक्षा 5 में पहुँचे ही नहीं हैं, वह इस साल जुलाई में पहुँचेंगे। जब आपने शिक्षा नहीं दी तो कैसे इन विषयों की परीक्षा ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

जब छात्र ने कक्षा 3 और कक्षा 4 में पढ़ लिया तभी कक्षा 5 में आयेगा। कक्षा–3 और कक्षा–4 में जो पहले पढ़ चुका है। वही कक्षा 5 में भी है।

श्री उदयराज यादव–

माननीय अध्यक्ष जी मेरा कहना यह है कि जब इन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत विषय पढ़ाने शुरू किये तब वह छात्र कक्षा 4 में था, कक्षा 3 से आपने इन विषयों को पढ़ाना शुरू किया। अर्थात् जो छात्र उस समय कक्षा 4 में था उसने इन विषयों को नहीं पढ़ा, वही छात्र अब कक्षा 5 में आये हैं और उन्होंने संस्कृत व अंग्रेजी विषय नहीं पढ़ा है तो कैसे आप उनकी परीक्षा इन विषयों में लेंगे ? आप इसको अगले वर्ष से लागू करिये। आप पाठ्यक्रम भेजे होते, किताबें भेजी होती और पढ़ाया गया होता तो परीक्षा कराते। आप जो परीक्षा करा रहे हैं उसमें एक भी छात्र पास नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष–

इस कठिनाई का संज्ञान माननीय मंत्री जी ले लीजिएगा। इसी के साथ माननीय उदयराज यादव जी की नियम 56 की सूचना निरस्त करता हूँ। चौथी सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र जी की है, वह अनुपस्थित हैं। पांचवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव जी की है, वह भी अनुपस्थित हैं। छठीं सूचना श्री विनोदमणि जी की है। विनोद मणि जी संक्षेप में आप अपनी बात कहिये।

श्री विनोदमणि–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आजाद भारत में रहने वाले इस प्रदेश के वन टाँगिया किसान तक उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की कोई कल्याण योजना आजादी के 52 सालों में नहीं पहुंची है। हम इनके वोट पाकर इनके मतों से जीतकर लोक सभा और विधान सभा में जाते हैं। इसलिए इन टांगिया

किसानों की हम उपेक्षा नहीं कर सकते । मान्यवर, यह प्रदेश सरकार बार–बार कहती है कि इनका उत्तर भारत सरकार का मामला है और भारत सरकार से कोई संशोधन हो । मान्यवर, इस समस्या के प्रति आज तक किसी सरकार ने कोई पहल नहीं किया । उत्तर प्रदेश में ये लोग दोयम दर्जे की नागरिकता से बदतर हालत में हैं । मान्यवर, इनके स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । वहाँ पेयजल के लिए कोई हैण्डपम्प नहीं, बीमार परिवारों की स्वास्थ्य की सुरक्षा की समस्या है तथा इनके गांवों को पक्की सड़कों से, खड़ंजा से जोड़ने की योजना नहीं है । इतना ही नहीं वन टांगिया किसानों को राशन की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से चीनी एवं मिट्टी के तेल नहीं मिल रहा है और इनके साथ अन्याय हो रहा है । मान्यवर, मैं अनुरोध करूँगा कि वन टांगिया किसान की बहुत बड़ी आबादी के रूप में उसकी जो भारत सरकार के पास अरबों खरबों रूपये की सम्पत्ति पेड़ों के रूप में दिखाई दे रही है इन पेड़ों को न तो वन मंत्री ने लगाया है और ने ही संसदीय कार्य मंत्री ने लगाया है । यह वन टांगिया किसानों के पूर्वजों की देन है, यह इनकी सम्पत्ति है । मान्यवर, इनके साथ अन्याय हो रहा है । आप निर्देश दें इनके लिए कुछ करा दें । मान्यवर, विधायक निधि का इस्तेमाल वन टांगिया किसानों के लिए, पानी पीने के लिए और सड़क बनाने के लिए खड़ंजा के रूप में करा दें । मान्यवर, जब तक राजस्व ग्राम का दर्जा इनको नहीं मिलेगा तब तक इस प्रदेश में पिछड़े और अति पिछड़े लोगों का भला नहीं हो सकता है । मान्यवर, ये लोग 2.2.4 हजार की घनी आबादी के रूप में बसे हैं । मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री हुकुम सिंह –

मान्यवर, 28 जुलाई, 1997 में सूचना दी गई थी । इस प्रश्न को सुनने के बाद शासन स्तर पर कार्यवाही भी हुई है । मान्यवर, उनको राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाये इस परिप्रेक्ष्य में आयुक्त, गोरखपुर मण्डल की कमेटी का गठन किया गया है । जिलाधिकारी, महराजगंज, जिलाधिकारी, गोरखपुर सभी ने हिस्सा लिया, लेकिन वहाँ दोनों जगह न तो सीलिंग की भूमि उपलब्ध है और न ही ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध है जिससे कि बताया जा सके । मान्यवर, यह उपेक्षित समाज तो है ही जो संभव होगा किया जायेगा । आप भी संवेदनशील हैं और सरकार भी संवेदनशील है । आपको 75 लाख रुपया विधायक निधि से मिल रहा है कम से कम उसमें से 3 साल का रुपया उपलब्ध करा दें । आप एक कदम तो आगे बढ़ोगे और हम भी बढ़ेंगे और समस्या का समाधान हो जायेगा ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, सी०डी०ओ०, महराजगंज ने कहा जो प्रस्ताव है कि विधायक निधि रेवेन्यू विलेज नहीं है । आपका पैसा खर्च नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री विनोद मणि एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

श्री रामकुमार एडवोकेट–

मान्यवर, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध डी०वी०एस० महाविद्यालय कानपुर में एम०ए० पूर्वार्द्ध के 109 एम० ए० उत्तरार्द्ध के छात्रों ने विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार निर्धारित तिथि 31-8-2001 के पूर्व हिन्दी, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, संस्कृत निहित विभिन्न विषयों के संस्थागत छात्रों ने कालेज में प्रवेश लिया । परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के अनुक्रमांक आवंटित कर जब उनके प्रवेश-पत्र नहीं दिये गये तथा छात्रों के भविष्य को देखते हुए डी०वी० एस० महाविद्यालय ने छात्रों को नाम से परीक्षा दिलायी, जैसा कि पूर्व में भी नाम सिद्ध परीक्षाओं पर अनुक्रमांक आवंटित कर परीक्षाफल घोषित हुए हैं, परन्तु कुलपति द्वारा अनुक्रमांक न ही

आवंटित किये गये और न ही परीक्षाफल घोषित किया जा रहा है, जिससे छात्रों में व्यापक असन्तोष व रोष व्याप्त है क्योंकि उनका भविष्य अन्धकारमय प्रतीत होता है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर छात्रों के भविष्य को देखते हुए अनुक्रमांक आवंटित कराकर परीक्षाफल घोषित किये जाने की मांग करता हूं तथा इस सम्बन्ध में सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं और यह मांग करता हूं कि इस अत्यन्त अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

हमने कुल सचिव से पूरी जानकारी प्राप्त की है, जानकारी आ जाय तो इस पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय श्री राम कुमार एडवोकेट और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद इस सूचना को निरस्त करता हूं । यह नियम 56 में नहीं आती ।

श्री राम कुमार एडवोकेट–

मान्यवर, मुझे भी इस जानकारी से अवगत करा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आपको अवगत करा दिया जायेगा ।

*श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, आपने मुझे इस ज्वलन्त समस्या पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, लखनऊ में ऐशबाग में रामनगर मोहल्ले में दलितों के अनेक मकान थे जिन्हें लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण के नाम पर भारी क्षति पहुंचाई गयी है । मान्यवर, यहां स्थित 100 मकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और 175 मकान शेष बचे हैं, उनकों भी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कभी गिराया जा सकता है । बस्ती के मकानों को गिराने के लिए सरकार द्वारा नोटिस दिया जाता है लेकिन इन मकानों को गिराने के पूर्व सरकार द्वारा न तो कोई नोटिस जारी की गई और न ही जो मकान ध्वस्त किये गये हैं उनको बसाये जाने की सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है । मान्यवर, यह एक अत्यन्त ज्वलन्त समस्या है । मैं चाहूंगा सरकार की तरफ से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इसका जवाब सिर्फ यह कर न टाल दें कि यह नियम 56 में नहीं आती है, और इसे निरस्त किया जाय । मान्यवर, ऐसे लोगों को स्थापित किया गया है जो विदेशों से आये हैं, और आज से 50 साल पहले सिन्धुघाटी से बहुत से लोग यहां आये थे उनको टिकाने का काम सरकार के द्वारा किया गया था, सरकार द्वारा उन्हें मकान, दुकान और पैसे आदि की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी । उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिस पर सामन्तों ने जुल्म किया वे लखनऊ आकर बस गये तो मान्यवर, वह लखनऊ आकर, कानपुर आकर बस गये ताकि उन पर सामन्तों द्वारा जुल्म न किया जा सके, वह लोग यहां आकर मजदूरी करके, रिक्शा चला के अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं । मान्यवर, ऐसे लोगों को उजाड़ा गया है । मान्यवर, जो लोग 50 साल पहले विदेश से आये हमारी सरकार ने उनको बसाया और आज वह केन्द्रीय सरकार के गृहमंत्री तक बने हैं । वह भी विदेशी हैं । लेकिन यहां ऐशबाग में जो लोग आकर बस गये हैं उनको हटाया जा रहा है । जब-जब नेता,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिकारियों के लिये मकान बनाये जाते हैं तो गरीब लोगों को उजाड़ कर वहां पार्क बनाये जाते हैं पेड़ लगाते हैं कि अच्छी हवा मिले लेकिन जो लोग हमारे देश के रहने वाले हैं उनके साथ जुल्म किया जाता है । लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस दलित बस्ती को उजाड़ने का काम किया गया है । इन लोगों को फिर से बसाया जाय और इनको क्षतिपूर्ति दी जाय । जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इनको उजाड़ने का काम किया है और औरतों, बच्चों को अपमानित किया है, उनको मारापीटा है और लूटा है ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमें कायम किये जायें और उनको सजा दी जाय । मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर कम से कम 2 घंटे की चर्चा करायी जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है यह तो मुझे कहना पड़ेगा । जहां तक दूसरी बातें जो आर० के० चौधरी साहब ने कहीं कि उन लोगों को बसाने का काम किया गया जो पाकिस्तान से आये थे और उन लोगों के लिये सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है जो गांव को छोड़कर आये हैं । मान्यवर, सभी जानते हैं कि वह राष्ट्रीय त्रासदी थी, कैसे इन लोगों को सताया गया और उनका उत्पीड़न किया गया और अपना सब कुछ छोड़कर वह यहां आये । सरकार ने ऐसे लोगों के लिये व्यवस्था की और समाज के लोगों ने व्यवस्था की जो स्वागत योग्य है । लेकिन जिस रामनगर का आपने जिक्र किया वहां पर 150 परिवार ऐसे थे जो झुग्गी-झोपड़ी डालकर और कुछ लोगों ने तो पक्के मकान बना लिये हैं जिससे पानी निकलने का रास्ता रुक गया और तालाब में पानी न जा पाने के कारण वहां ऐसी स्थिति हो गयी कि 3-3 फुट पानी भर जाता था और कालोनी में रहना असंभव हो गया था । ऐसे लोगों को वहां से हटाया गया है जिन्होंने अतिक्रमण किया था । इसी के साथ यह भी निर्देश विकास प्राधिकरण को दे दिया गया है जो लोग विस्थापित हुये हैं उसको आश्रय भवन योजना में प्राथमिकता के आधार पर एलाटमेंट किया जाय ।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, 175 मकान जो बचे हैं मैं आश्वासन चाहता हूं कि उनको न गिराया जाय जो मकान गिराये गये हैं उनको प्राथमिकता पर मकान एलाट किये जायं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है उनको प्राथमिकता के आधार पर सुविधा देने की बात कही है ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय आर० के० चौधरी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

अगली सूचना माननीय राम कृपाल की है । इस संबंध में जो अन्य सूचनायें हैं उनको एक साथ में ले रहा हूं । यह 9वीं सूचना है । 5–6 सूचनायें ली जाती हैं । आप बहुत संक्षेप में कहें ।

* श्री राम कृपाल–

मान्यवर, प्रदेश में जो खेतिहर मजदूर, अनुसूचित जाति के लोग ग्राम समाज की जमीन पर, तालाबों की भीठ पर बस जाते हैं उन पर 122-बी के मुकदमें लगा दिये जाते हैं । चूंकि वह खेतिहर मजदूर और गरीब व्यक्ति मजदूरी करते हैं और अपना मुकदमा लड़ नहीं पाते हैं जिससे उन पर जुर्माना लगा दिया जाता है । मेरी मांग है कि ऐसे लोगों को इन जमीनों के पट्टे दिये जायं या जहां कहीं गांव में और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जमीन उपलब्ध हो वहा बसाया जाय तब इनको उजाड़ा जाय । आये दिन ऐसे परिवारों को उजाड़ने की कार्यवाही हो रही । इलाहाबाद जनपद में मेजा में ऐसे सैकड़ों मुकदमें 122-बी के अन्तर्गत चल रहे हैं और हजारों परिवार बेघर हो गये हैं । इसलिये जिलाधिकारी, इलाहाबाद को और प्रदेश स्तर पर अधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि ऐसे लोग जो सीलिंग, ग्राम समाज, तालाबों के किनारे बसे हैं उनको न उजाड़ा जाय और उनको अविलम्ब पट्टे दिये जायं ।

* मो० मुकीम–

मान्यवर, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । इस वक्त प्रदेश में किसानों के गेहूं की समस्या को लेकर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है । किसान क्रय केन्द्रों तक अपना गेहूं लेकर जाता है लेकिन उसका गेहूं नहीं खरीदा जाता जो दबंग लोग हैं वही लोग अपना गेहूं क्रय केन्द्र में बेच पाते हैं । साधारण किसान मजबूर होकर बिचौलियों के हाथ 400–450 रु० प्रति कुंतल में अपना गेहूं बेच देता है । क्रय केन्द्रों पर बोरे नहीं हैं बड़ी धीमी गति से गेहूं की तौल कराई जा रही है । मैं अपने क्षेत्र इटवा में जो गेहूं क्रय केन्द्र खोला गया है उसके बारे में बताना चाहता हूं वहां मुश्किल से 3-4 लोगों के हिसाब से प्रतिदिन तौल हो पाती है । अगर इसी तरह से तौल होती रही तो निश्चित रूप से साधारण किसान अपना गेहूं क्रय केन्द्र में नहीं बेच पायेंगे । इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात की व्यवस्था कराये कि गेहूं का जो समर्थन मूल्य 610 रु० प्रति कुंतल रखा गया है तो जो प्राइवेट लाइसेंसी हैं वह समर्थन मूल्य के बराबर मूल्य पर ही गेहूं खरीद सकें । अगर वह समर्थन मूल्य से कम पर गेहूं खरीदें तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये । मैं इस ज्वलंत समस्या के बारे में कहना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाये ।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना इसी विषय पर श्री कौकब हमीद, श्री बाबू लाल तथा श्री समरपाल सिंह की है, दो माननीय सदस्य बोल लें ।

(इस समय 1 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह पीठासीन हुए ।)

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में सरकार जो नई-नई योजनायें चलाती है उसमें अनेक जगहों पर किसानों की जमीनें जबर्दस्ती अधिग्रहीत कर ली जाती हैं उनको एक्वायर कर लेते हैं उनको सही मुआवजा दिया जाये । कहीं-कहीं वादा कर दिया जाता है कि जब जमीन ले लेंगे व इण्डस्ट्री लगायेंगे, मण्डी बनेगी तो उसमें आपके लड़कों को नौकरी में ले लिया जायेगा यह कहीं नहीं हो रहे हैं । मैं बागपत की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वहां तकरीबन 1200 एकड़ जमीन यू०पी०एस०आई०डी०सी० ने ली है । यह जमीन दिल्ली सहारनपुर रोड पर है । सहारनपुर से सोनीपत जो रास्ता जाता है वहीं है । वहां कीमतें 200-300 रुपये प्रति गज के हिसाब से हैं लेकिन जिलाधिकारी जो मुआवजा जबर्दस्ती देने की बात कर रहे हैं वह 60-70 रुपये गज है इससे वहां का किसान आन्दोलित है, परेशान है । मैं चाहता हूं कि अगर सरकार वहां जमीन लेती है तो नोयडा में जो शुरू में दाम दिये गये थे 250-300 रु० गज वही दाम दिये जायें । वह जमीन उपजाऊ जमीन है वहां का रेट किसी भी हालत में 300-400 प्रति गज से कम नहीं है वह मेन नेशनल हाई वे है । अगर 40 से 60 रुपये प्रति गज के हिसाब से मूल्य दिया जायेगा तो वहां हाहाकार मच जायेगा । मैं चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करा लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, गेहूं खरीद के सम्बन्ध में इससे पूर्व भी सदन में कई बार सवाल उठाये गये कि खरीद में अनियमितता बरती जा रही है। पूरे पूर्वांचल में यही स्थिति है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां खासतौर पर पूरे पूर्वांचल में तो खरीद हो ही नहीं रही है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैं समरपाल जी को अनुमति दे रहा था। कृपया आप बैठ जायं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं तो आपकी अनुमति से ही खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे सुना है।

श्री अधिष्ठाता–

जी नहीं मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री जगदम्बिका पाल–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठ जायं। यह लिखा नहीं जायगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं यह सब लिखा नहीं जा रहा है।

* श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय कौकब हमीद साहब ने नियम-56 में जो विषय रखा मैं उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। यह प्रश्न बहुत ही लोक महत्व और किसानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। सरकार किसानों की भूमि अधिग्रहीत तो कर लेती है लेकिन उसका मूल्य इतना कम निर्धारित करती है जो बाजार भाव से भी कम होता है। सरकार जमीन तो ले लेती है लेकिन किसानों को जो थोड़ा बहुत मुआवजा दिया भी जाता है वह भी 10-10 और 20-20 साल बाद दिया जाता है जिससे किसान परेशान है। जिस किसान की जमीन चली जाय बताइये वह क्या करेगा ? ऊपर से इतना कम मुआवजा दिया जाता है कि वह किसान उतने में कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकता। जो जमीन किसान के पास होती है उसी से वह अपना जीवनयापन करता है उसी से बच्चों को पढ़ाता लिखाता है उसी से बच्चों की शादी करता है। इतने कम मुआवजे में किसान इतने काम कैसे कर पायेगा। यह सरकार किसानों की सरकार नहीं है इस सरकार को किसानों के हित की चिन्ता नहीं है। माननीय कौकब साहब ने बागपत की बात बताई तो मान्यवर यही स्थिति मेरठ, कानपुर, लखनऊ सभी जगह की है। हर जगह सरकार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

यही कर रही है। जब किसान आवाज उठाते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है लेकिन मुआवजा नहीं दिया जाता। मान्यवर, मेरठ में पल्लवपुर, गंगानगर आवास योजना के अन्तर्गत 30-50 रुपये स्क्वायर मीटर जमीन एक्वायर की गई और उसी जमीन को विकास प्राधिकरण 2100 रुपये स्क्वायर मीटर बेच रहा है। आखिर कोई तो अनुपात होना चाहिये, कोई तो सीमा होनी चाहिये। किसान की जमीन 2100 रुपये स्क्वायर मीटर बेच रहे हैं तो कम से कम उसका आधा तो उसको मिलना चाहिये। जो मुआवजा उसको दिया जाता है वह भी दसियों साल मुकदमा लड़ने के बाद दे रहे हैं। किसान भूखों नहीं मरेगा तो क्या होगा ? लखनऊ के अन्दर ही गोमतीनगर में 1980 में किसानों की जमीन एक्वायर की गई थी लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह प्रदेश के किसानों के लिये बहुत गम्भीर समस्या है। किसान की जमीन अधिगृहीत की जाती है तो उसके लिये कोई उचित मानक नहीं है। मेरा अनुरोध है कि किसान की जमीन एक्वायर करते समय बाजार भाव से उसको मुआवजा दिया जाय। जिस समय किसान की जमीन एक्वायर की जाती है उसका कब्जा लेने से पहले ही किसानों को उसके मुआवजे का पूरा भुगतान कर दिया जाय ताकि वह अपना जीवन यापन सही से कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से कर सके। कोई एक यूनीफार्म पालिसी पूरे प्रदेश के अन्दर किसानों की जमीन के अधिग्रहण के संबंध में बनाई जाय किसानों के भविष्य के बारे में सोचकर बनाई जाय। मैं आपसे मांग करता हूं कि यह अत्यन्त ज्वलन्त प्रश्न है, इस पर सदन की सारी कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।

* श्री भीम प्रसाद सोनकर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नियम–56 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। आज पूरे प्रदेश में किसानों की समस्या है। इस सरकार ने जानबूझकर किसानों को परेशान कर रखा है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में जो थोड़ा बहुत धान का क्रय हुआ है उसका अभी तक किसानों को भुगतान नहीं हुआ है। हमारे विधान सभा क्षेत्र अम्बेडकर नगर में जहांगीरगंज में 200 लोगों को धान का मूल्य बकाया है। वहां के अधिकारी/कर्मचारी धान के पैसे का अभी तक भुगतान नहीं कर रहे हैं। वहां के लोगों ने शिकायत की थी तो वहां जांच कराई गई बिचौलियों द्वारा धान नहीं लिया गया है। किसानों का धान लिया गया है और किसान को भुगतान नहीं हो पा रहा है जबकि उनका भुगतान का फार्म बन चुका है। सारी व्यवस्था हो चुकी है लेकिन कमीशनखोरी के नाते आर० एफ० सी०, आर० एम० ओ० द्वारा उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी से कि वे एक आदेश पारित करें कि जितने किसानों का बकाया है उनको भुगतान तुरन्त किया जाय। धन्यवाद।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, लगभग आधा दर्जन विषयों पर सम्मानित आधा दर्जन सदस्यों ने अपने विचार रखे और आपकी अनुमति से मैं सभी के बारे में कुछ न कुछ कहना चाहूंगा। जहां तक रामकृपाल जी का प्रश्न है वे अपने विचार रखने के बाद कृपापूर्वक यहां से अनुपस्थित हो गये। उनकी वेदना यह थी कि उनके क्षेत्र में कुछ लोगों को जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122 बी में बेदखल किया जा रहा है। बेदखली की एक न्यायिक प्रक्रिया है और शासन स्तर से कोई इस प्रकार के निर्देश देना कि किसको बेदखल किया जाय और किसको नहीं। इसमें जो प्रक्रिया है उसकी सीमा है, उसके नियम हैं, कौन अधिकारी उसमें कार्यवाही कर सकता है, यह सब उसमें निर्धारित है। 122 बी के बारे में यहां से निर्देश देना सम्भव नहीं है। गेहूं क्रय केन्द्र पर धांधली की बात कही। कई सदस्यों ने कहा। एक सदस्य कह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहे थे कि बिचौलियों के माध्यम से गेहूं क्रय किया जा रहा है । हमने कहा है कि बिचौलियों के माध्यम से गेहूं क्रय न हो इसके लिये बिना जोत बही के गेहूं क्रय ही न किया जाय । हमारे पास सेफगार्ड क्या होगा इस सेफगार्ड के जिरए किसानों से सुनिश्चित कराना है कि क्रय किया जाए तो जोतबही किसान दिखा दें । जिसके पास जोत बही नहीं है उसका नहीं लिया जायेगा । श्रीमन् आपने हालंकि पाल साहब का कार्यवाही से निकलवा दिया है लेकिन पाल साहब की बात सुनाई दे गई इन्होंने कहा कि जोत बही की वजह से उत्पीड़न हो रहा है । मान्यवर, शसान ने हर कृषक को जोतबही की वजह से उत्पीड़न हो रहा है । मान्यवर, शासन ने हर कृषक को जोतबही उपलब्ध कराई है इसमें सामंजस्य करना होगा । बिचौलियों के उत्पीड़न से किसानों को बचाता है तो उसका अभिलेख होना चाहिये । किसान हैं उत्पीड़न हो ऐसा आशय नहीं था मैंने खाद्य मंत्री जी को अवगत करा दिया है कहीं ऐसी कोई शिकायत होगी तो उसको दूर किया जायगा । कौकब हमीद जी ने जमीन अधिग्रहण की बात कही, वह दिखाई नहीं दे रहे हैं, चले गये हैं, मैं कहना चाहूंगा कि मार्केट रेट से जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा यह खाली नियमों की बात नहीं है उच्चतम न्यायालय ने भी यह निर्णय दिया है मार्केट रेट से कम पर मुआवजा नहीं दिया जायेगा, जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं उसमें आगे आने वाले 10-20 साल में अगर अपेक्षा करने लगें कि जो रेट तब होगा उसको कर दिया जाय ऐसा नहीं है जमीन अधिग्रहण की न्यायिक प्रक्रिया है एक जमीन अधिग्रहण अधिकारी होता है वह आपत्ति देखता है उसके बाद यदि कोई संदेह होता है तो आगे अपील कर सकते हैं या तो किसी विशेष जगह की शिकायत हो आपने जहां का उल्लेख किया मार्केट रेट पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, क्या सबूत है बात नियमों के प्राविधान की है, स्थापित प्रक्रिया के तहत जमीन क्रय की जा रही है ।

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

जहांगीरगंज में धान का पैसा बकाया है ।

श्री हुकुम सिंह–

यह चिन्ता की बात है कि धान का पैसा इतना समय हो गया है और पड़ा है अगर ऐसा तो यह गरीब किसानों के उत्पीड़न की बात है । आपके पास जानकारी हो तो मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा । आप लिखकर दे दें मैं जानकारी करके उनकी अदायगी के लिये कोशिश करूंगा ।

जो बिन्दु उठाये इनमें मैं एक बिन्दु को कार्यस्थगन का नहीं मानता हूं ।

श्री मोहम्मद मुकीम–

मैंने अपने क्षेत्र के विशेष क्रय केन्द्रों का उल्लेख किया है जिसमें मैंने जिक्र किया है कि वहां बहुत धीमी गति से गेहूं तोला जा रहा है । एक दिन में चार काश्तकारों का गेहूं तोला जा रहा है इस धीमी गति को समाप्त करने के लिये कोई निर्देश जारी करने का कष्ट करेंगे । तेजी से गेहूं खरीदा जाए ताकि अधिक से अधिक किसानों के गेहूं का क्रय किया जा सके ।

श्री हुकुम सिंह–

जिस स्थान का उल्लेख किया है उसको विशेष रूप से दिखवा लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

किसानों के प्रति जो इनका रवैया है उसके विरोध में मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री जगदम्बिका पाल ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

श्री मोहम्मद मुकीम–

मैं भी इनके समर्थन में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मोहम्मद मुकीम ने सदन का त्याग किया ।)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के समक्ष एक अति महत्वपूर्ण सूचना रखना चाहता हूं । फिरोजाबाद में विद्युत विभाग में अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं के चलते निजी नलकूप काश्तकारों से फर्जी एमाउन्ट की रिकवरी हो गयी और उसकी वसूली हो गयी । उसी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने 16-10-2000 को आदेश दिया कि श्री विजय पाल सिंह काश्तकार के नाम जो बकाया धनराशि दिखायी गयी है वह काल्पनिक है इसकी वसूली न की जाय और उनके खिलाफ रिकवरी रद्द की जाती है । इस आदेश को लेकर श्री विजय पाल काश्तकार लुहारी 21-2-2001 को जिलाधिकारी के पास पहुंचता है और कहता है कि मेरे ऊपर कोई एमाउन्ट नहीं है, न मेरे खेत को बिजली है, न तार है और न खम्भा है और यह एमाउन्ट खत्म कर दिया है मेरी रिकवरी वापस कर दें यह आदेश है । जिलाधिकारी ने कहा कि आप ए०डी०एम० के यहां जायें और उसने अमीन को बुलाकर हवालात में ठूंस दिया । 21 तारीख को उसके घरवाले 11.00 बजे रात आये तो तीन अमीनों को बुलाकर एक ने दो हजार की दूसरे ने एक हजार की और तीसरे ने पांच हजार की रसीदें काट दी । यह रसीद मेरे पास है मैं भिजवा दूंगा । इसमें लिखा है, जिलाधिकारी के आदेश पर वसूली पत्र पर लिखा गया था कि डी०डी० यानि जो रकम आयी है 80 हजार की वसूली हो गयी है इसलिए 10 प्रतिशत की वसूली यानि आठ हजार की आपके पास भेजी जा रही है । तब जाकर वह 12.00 बजे रिहा हुए । श्रीमन् मैं आगे कहना चाहता हूं कि मौके पर निरीक्षण करने के उपरान्त यह पाया गया कि उपभोक्ता को विद्युत लाइन सामग्री नहीं दी गयी, न कनेक्शन दिया गया, उपभोक्ता ने विद्युत का उपयोग नहीं किया यह फिक्सियूस एमाउन्ट है यह समाप्त किया जाता है इसको वापस किया जाय । इसके बाद भी उनके ऊपर कार्यवाही होती है और उन्हें हवालात में बन्द कर दिया जाता है । यह डी०डी० वसूली दिखायी गयी है । खुद जिलाधिकारी की रिपोर्ट है उसने 91 हजार की वसूली दिखायी और आपके यहां भेज दिया और खजाने में 8 हजार 228 जमा है । माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश पर रिकवरी को तेज कर दिया है तो यह एक गम्भीर मामला है । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे जिलाधिकारी, ए०डी०एम० और एस०डी०एम० जिन्होंने काल्पनिक एमाउन्ट की वसूली कराई और सरकार को झूठी रिपोर्ट भेजी है, उनके खिलाफ कार्यवाही हो । अधिष्ठाता जी, पूरे पत्र और चिट्ठियां मैं आपके पास भेज रहा हूं । इसकी गम्भीरता से जांच करायें । अंधेर नगरी चौपट राज मुख्य मंत्री का चल रहा है । दूसरे काश्तकार है श्रीलाल शंकरपुर के इनका कनेक्शन का विच्छेद हो गया 30-3-89 को और उसके बाद उसके खेत की कुर्की की कार्यवाही हुई । मान्यवर, उसमें परमानेन्ट डिस्कनेक्शन हो गया यह कुर्की एस०डी०एम० द्वारा पूरे खेत के रकबे की हो गयी अब उसमें अगर पैसा नहीं जमा किया गया तो नीलामी हो जायेगी । इसी तरीके से रुब्बास के रामनाथ नामक व्यक्ति का 4-6-87 में डिस्कनेक्शन हो गया कोई बकाया नहीं है इस काश्तकार ने अपने नलकूप का पूरा पैसा परमानेन्ट डिस्पोजल के द्वारा निस्तारित कराया । क्योंकि उसकी बोरिंग फेल हो गयी थी और तार खम्भे विद्युत विभाग वाले उठाकर ले गये थे लेकिन आर० सी० जारी हो गयी और एक लाख से ऊपर की कुर्की के आदेश हो गये । मान्यवर, जो यह एमाउन्ट फिक्सियस है विद्युत का उपभोग नहीं हुआ है विभाग ने आर०सी० कैसे जारी कर दी वे परेशान है ।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, जिलाधिकारी जिले का बड़ा अधिकारी होता है जिसको काश्तकार की समस्याओं और आपत्तियों का निस्तारण करना चाहिए । जिलाधिकारी कहते हैं कि मुख्य मंत्री ने आदेश दिया है सख्ती से वसूली होगी । इन काश्तकारों का जिन पर बकाया नहीं है जमीन कुर्की की कार्यवाही हो गयी अब नीलामी की कार्यवाही हो रही है, बिजली नहीं दी गयी । एमाउन्ट फिक्सियस हो गया तो मेरा निवेदन है कि इसमें गम्भीरता से जांच करायी जाये और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित हो और जो फिक्सियस एमाउन्ट 10 प्रतिशत वसूला गया है वह काश्तकार को वापस दिलाया जाये और इस पर चर्चा करायें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, वर्मा जी ने तीन प्रकरणों का यहां पर उल्लेख किया है और मैं आश्वस्त करता हूं कि उसमें विस्तृत जानकारी भी करूंगा और व्यक्तिगत रूप से परीक्षण भी करूंगा और दोषी अधिकारी है जिन्होंने दायित्व को नहीं निभाया है, अधिकारों का दुरुपयोग किया है निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । मान्यवर, इस तरह का उत्पीड़न होता रहे फिक्सियस बिल भेजे जायें और उसके बाद फिर कुर्की हो जाये, ऐसी कुछ शिकायतें मिली भी है । माननीय वर्मा जी से निवेदन है कि वे कृपया लिखित रूप से मेरे पास भेज भी देंगे ताकि कार्यवाही करने में सुविधा हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2001 का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–10,11,14 और 15 यह दोनों एक ही विधेयक से सम्बन्धित हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के अनुरोध पर इसे मैं आज स्थगित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सचिवालय कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तों का) विधेयक, 2000 का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–12 और 13 एक ही विषय से सम्बन्धित हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के अनुरोध पर इसे भी स्थगित कर रहा हूं ।

" सिर पर मैला ढोना दण्डनीय अपराध घोषित किया जाय " विषयक संकल्प

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं ।

"इस सदन का निश्चित मत है कि सिर पर मैला ढोना दण्डनीय अपराध घोषित किया जाय ।

मान्यवर, सिर पर मैला ढोना यह अमानवीय कार्य मानव द्वारा ही मानव का मैला ढोया जाय इस संवेदनशील मुद्दे पर मैंने इस सदन के समय संकल्प प्रस्तुत करके इस पर प्रतिबन्ध लगे, सरकार इसकी व्यवस्था करे इसकी कार्यवाही की मांग संकल्प के माध्यम से की थी । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में इस समय जो अधिनियम बना हुआ है "दि उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1976 है इसकी धारा 2 में प्रोहिबिशन आफ स्कावेन्जिंग एण्ड कैरिज आफ नाइट साल ।" उसकी उपधारा 2 में है–

"नो परसन हू इज नाट मोर दैन ऐटीन इएर्स आफ ऐज शैलबी इंगेज्ड बाई ऐनी परसन टू टेक-अप हाउस स्कावेन्जिंग ।"

मान्यवर, इसमें धारा 3 में पेनाल्टीज का जिक्र है कि पच्चीस रुपये का जुर्माना कम से कम और अधिकतम 200 रुपये का जुर्माना किया जायेगा साथ ही साथ अधिनियम की उप धारा 2 में व्यवस्था की गयी है कि कोई कोर्ट इसका संज्ञान नहीं ले सकेगा । मान्यवर, भारत सरकार ने 1993 एक्ट बनाया नम्बर 46 आफ 1993 और उसमें धारा 3(1) में प्रतिबन्ध लगाया । धारा 5 में यह व्यवस्था की है भारत सरकार ने कि डी०एम०, ए०डी०एम० इसके कार्यकारी अधिकारी बनाये जायेंगे और वे इसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे । धारा 6 में यह व्यवस्था करेंगे कि शुष्क शौचालय को जलप्रवाहित शौचालय में परिवर्तित करने के लिए सरकार योजना बनायेगी और हडकों के सहयोग से उसे लागू करेगी, धारा 9 में वह अधिकारियों को अधिकार देगी कि वह किसी भवन का निरीक्षण कर सकेगा कि वहां शुष्क शौचालय तो नहीं काम कर रहा है, धारा 14 में दण्डात्मक व्यवस्था की गयी है 2000/- जुर्माना और एक वर्ष की सजा का या दोनों दिये जा सकेंगे और पुनः इस प्रकार का दोष करने पर 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने की व्यवस्था भारत सरकार ने की है और उसे अपने एक्ट में संज्ञेय अपराध बनाया । हमारे प्रदेश के इतने जिलों में से मात्र 21 जिलों में इसका विस्तार सरकार कर पाई । इस योजना के दो पहलू हैं सर पर मैला ढोने की प्रथा को अगर ईमानदारी से समाप्त करना है तो सबसे पहले शुष्क शौचालय को समाप्त । परिवर्तित करने का कार्य करना होगा और दूसरी बात यह है कि इस रोजगार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी । लेकिन इसमें एक और कठिनाई है और इसको पूर्णतः समाप्त करने में सफलता इसलिए नहीं प्राप्त कर पाये हैं क्योंकि जनता को इसकी परिस्थितियों को समझाते हुए जनसमर्थन नहीं हासिल किया गया । दूसरा कारण यह है कि हमारे कानून में दण्ड का प्राविधान नहीं है कि कोई शुष्क शौचालय किसी के घर में पाया जायेगा और वह उसको जल प्रवाहित शौचालय में नहीं परिवर्तित करेगा तो उसके खिलाफ क्या दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे । दूसरी कठिनाई यह कि इस सरकार को इन कामों के लिए अपने विभागों में तालमेल आवश्यक है । नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय गरीबी उन्मूलन योजना सूडा, राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, आवास विभाग और पंचायत राज विभाग इतने विभागों से सम्बन्धित यह है । इस समस्या का उन्मूलन करने के लिए जो सम्भावनाएं हो सकती हैं शुष्क शौचालय को जलप्रवाहित शौचालय में परिवर्तित करने के लिए उसमें इतने विभागों का सहयोग आवश्यक है अब कौन इसका नोडल डिपार्टमेंट होगा कौन इन सारी योजनाओं का अनुश्रवण करेगा तो जब तक यह तय नहीं होगा तब तक इसको नहीं कर पायेंगे । 91 में यह प्रदेश में योजना लागू करके 76 का एक्ट है उसके बाद अब तक प्रदेश के कुल 21 जनपदों में यह योजना लागू हो पाई और उसमें भी कोई आदर्श रूप से इससे मुक्त नहीं हो पाया, कोई ब्लाक, न्यायसंगत, टाउन एरिया, नगर पंचायत, नगर निगम अभी इससे आदर्श रूप से मुक्त नहीं हो पाये । मान्यवर, 93 में भारत सरकार ने एक्ट बनाया और सभी प्रदेश सरकारों से कहा कि इसे लागू करें या एक्ट बना लें । आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल ने और सभी केन्द्र शासित प्रदेशों ने इसे अपने यहां अंगीकृत कर लिया । सुबह भी मान्यवर, यहां प्रश्न लगा था । हमारी सरकार ने 1993 के एक्ट को अभी तक अंगीकृत नहीं किया । भारत सरकार ने जो पुनः एक्ट बनाया था उसको भी अंगीकृत नहीं किया जब यह संकल्प है कि सर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करना चाहते हैं तो उस एक्ट को अंगीकृत करना चाहिए । अगर इस योजना को ईमानदारी से लागू करना चाहते हैं तो सबसे पहले दण्ड का प्राविधान करना होगा, जिनके यहां शुष्क शौचालय हैं वह जल प्रवाहित में करके नहीं परिवर्तित कर रहे हैं । जबकि सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण, अनुदान, लाभार्थी का अनुदान इन सभी के माध्यम से शुष्क शौचालय को जल प्रवाहित में परिवर्तित करने की योजना बनाई । स्वच्छकार विमुक्ति पुनर्वास योजना 1992-93 में प्रारम्भ

की गयी थी, जो पात्र पाये गये, उनमें से 15 से 50 वर्ष की आयु के 29,298 व्यक्तियों को सरकार बेनिफिट दे पाई । नगरों की स्वच्छकार विमुक्ति योजना में सरकार ने इस बात को कहा है कि योजना में 94-95 में 1731.38 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी । वर्ष 95-96 में कोई धनराशि इसके लिये अवमुक्त नहीं की गयी । पूर्व में आवंटित धनराशि से, जो 1427.24 लाख थी, से 75207 शुष्क शौचालयों से जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किया गया । सरकार ने यह भी कहा कि 97-98 में भी इसके लिये कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई । मेरा निवेदन यह है कि जब सरकार के पास पैसा था, तब सरकार ने 1731 में से मात्र 1427 लाख खर्च किया । यदि यह सरकार उस पूरे पैसे को खर्च कर देती तो और अधिक शौचालयों को परिवर्तित किया जा सकता था, सिर पर मैला ढोने को समाप्त करने की दिशा में कुछ और कदम आगे बढ़ा जा सकता था । आगे सरकार ने कहा है कि 31 मार्च, 1998 तक 1399.62 लाख खर्च करके 75,511 शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किया गया और इससे पहले सरकार ने कहा कि 1427.24 लाख व्यय करके 75207 जल प्रवाहित शौचालयों का निर्माण हुआ, यह नगर विकास विभाग के ही आंकड़े हैं, इन दोनों में अन्तर है । इसके बाद सरकार ने वैकल्पिक योजना चलाई, इसमें समाज कल्याण विभाग ने एक योजना चलाई । स्वच्छकार विमुक्ति योजना, इसमें फरवरी, 2001 तक स्वच्छकार लोगों के आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया । इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2001 में सेनेटरी माड योजना चलाई गई । वर्ष 2000-2001 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिये, उनके आश्रितों को रोजगार देने के लिये एक योजना चलाई गई, इसमें 5 से लेकर 30 तक का समूह बनाकर दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया, इन दुकानों में शौचालय से संबंधित सामग्री जैसे सीट, ईंट, गारा, सीमेंट, सरिया, टायलेट संबंधी एसेसरीज बिकेगी लेकिन कुल 169 दुकानों को 2000-2001 में खोलने का निर्णय लिया और अभी तक फरवरी, 2001 तक मात्र 31 दुकानें खुल पायीं । इतने बड़े प्रदेश में 169 सेनेटरी मार्ट खोलकर वैकल्पिक रोजगार सरकार देगी, यह बात समझ से परे है क्योंकि जितने लोगों को, जो इससे बेरोजगार होंगे उनको देखते हुए सरकार का यह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा के समान है । मैं इस संकल्प के माध्यम से इस महत्वपूर्ण मानवीय समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से यह आग्रह करता हूं कि उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर प्रोटेक्शन एक्ट 1976 के स्थान पर भारत सरकार का एक्ट 1993 जो है उसे अंगीकार करें उसकी विभिन्न धाराओं और उपधाराओं को अंगीकार करते हुए सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करे । शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने के लिए भी कोई दण्डात्मक व्यवस्था सरकार बनाये । जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक है उसके बावजूद भी वे जल प्रवाहित शौचालयों का निर्माण नहीं कर रहे हैं, धारा-9 में भारत सरकार में अधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इसकी जांच करें । लेकिन जो लोग आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं हैं ऐसे लोगों के लिए बजट में अधिक धनराशि का प्राविधान करते हुए सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए कदम सरकार उठाये जिससे इसका अधिक से अधिक प्रभाव हो और इस कुप्रथा को समाप्त किया जा सके । इस संकल्प के माध्यम से इस सदन और सरकार का ध्यान आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जो संकल्प डाक्टर साहब ने रखा है, बहुत महत्वपूर्ण है । प्रदेश के 70 जिलों में जो भी नगर पालिका परिषद् हैं, टाउन हैं, गांव स्तर के हैं वहां आज भी सिर पर मैला ढोने की प्रथा है । यह हम लोगों के लिए मान्यवर, बहुत बड़ा चिन्ता का विषय है और इस पर कोई न कोई सकारात्मक कदम सरकार की तरफ से उठना चाहिए । डाक्टर साहब ने बहुत विस्तृत जानकारी दी है और उसमें जो सुझाव दिए हैं, बहुत बहुमूल्य हैं । मैं अपने जनपद बहराइच की बात आप के सामने रखूं, करीब 1 लाख

की आबादी का शहर है. आज भी सफाई कर्मचारी, बाल्मीकि लोग, मजदूर, दूसरे संगठन के लोग स्वयं मैला सिर पर रखकर बाहर ले जाते हैं, सड़के गलियां जिनके माध्यम से वह पास होते हैं, हर किस्म के लोग आसपास निवास करते हैं, बहुत से लोगो को अच्छा नहीं लगता है, कारण यह है कि जब उसकी अच्छी व्यवस्था नहीं है और सरकार की तरफ से कोई भी अनुदान या व्यवस्था की जाती है तो पता नहीं क्या कारण हो गया कि शत-प्रतिशत वह कार्य में परिणत नहीं हो पाता है । कोई भी योजना हो चाहे समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलायी जा रही हो या किसी अन्य विभाग से, कहीं न कहीं लोग निष्क्रिय हो जाते हैं और जो क्वालिटी प्रोजेक्ट की हो गयी है, गांव-गांव में, उसे खूंटी सिस्टम कहते हैं, शुष्क सिस्टम कहते हैं जब तक नई व्यवस्था लागू नहीं हो जाती है, यह बाउंडेशन होना चाहिए कि यदि कोई मकान बना रहा हो, कैसा भी मकान बना रहा हो जब तक वह नई व्यवस्था के अनुसार इसकी व्यवस्था नहीं कर लेता तब तक उसको परमीशन नहीं मिलनी चाहिए । इससे भी समस्या दूर होगी । दूसरे जो यह प्रथा है जो सफाई करने वाले हैं, गरीब लोग हैं उनको ऐसे साधन तो अब प्रोवाइड ही हो जाने चाहिए जिससे सिर पर मैला ढोने की प्रथा खत्म हो जाए । मान्यवर, दण्ड व्यवस्था बहुत जरूरी हैं । गरीबी और मजबूरी भी इसमें बाधक है । सरकार के पास सीमित साधन हैं, सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है । लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं कामन टाइप की हैं, ऐसी बनायी जा सकती हैं जहां पर बहुत से गरीब लोग एक साथ शौच के कार्य से निवृत्त हो सकते हैं । यह भी इसका महत्वपूर्ण अंग बन सकता है । मान्यवर, सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाज के हित में नहीं है । जनपद–बहराइच में 4 टाऊन एरिया और 2 नगरपालिका परिषद् हैं उसमें समाज कल्याण विभाग की यह योजना कहीं प्रचलन में आयी नहीं है । कुल 21 जिलों को आपने लिया है उसमें 172 जगह यह योजना चला रहे हैं । यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है । इस प्रदेश की 17-18 करोड़ की आबादी है उस हिसाब से संख्या बहुत कम है । यह जो संकल्प डा० बाजपेयी जी लाये हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे, सिर पर मैला ढोना दण्डनीय अपराध बनाया जाये ।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, माननीय सदस्य डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने अपने संकल्प के माध्यम से वर्तमान में सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को दण्डनीय अपराध घोषित करने के लिए अपने विचार व्यक्त किये हैं । यह बात सत्य है कि आजादी के बाद से आज तक सिर मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त नहीं कर पाये हैं । यह बात आयी कि कानून बनाकर इस कुप्रथा को रोकने का काम नहीं किया गया । मान्यवर, 1976 में सफाई मजदूर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया और विधान सभा द्वारा पारित किया गया उसमें जो प्राविधान थे उसके अनुसार सिर पर मैला ढोने का प्रतिबन्ध था और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इस व्यवसाय के अन्तर्गत लगाने के लिए प्रतिबन्ध था परन्तु उसका कड़ाई से पालन नहीं किया गया । भारत सरकार ने 1993 में एक एक्ट बनाया है –दि इम्पलाइमेन्ट आफ मैनुवल स्केवेन्जर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन आफ ड्राई लैट्रिन्स (प्राहिबिशन) एक्ट–1993 भारत सरकार ने यह एक्ट बनाकर सभी राज्य सरकारों को कहा कि वह एडाप्ट करना चाहें । मान्यवर, ड्राई लैट्रिन को जब तक फ्लश लैट्रिन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक यह समस्या दूर नहीं होगी । मुझे इस बात की जानकारी माननीय सदस्य को देनी है, माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य में जिक्र भी किया है अधिनियम की धारा–3(1) का उसमें शुष्क शौचालय बनाने तथा मानव मल ढोने पर मनाही है । मान्यवर, इसमें नोटिस जारी करने के लिए 3 माह पूर्व समय देना आवश्यक था । उसका पालन नहीं करते है तो दण्ड का प्राविधान इस एक्ट में सुनिश्चित किया गया है । शुष्क लैट्रिन को फ्लश में कन्वर्ट किया जाना नितान्त आवश्यक है । अधिनियम की धारा–14 में दण्डात्मक व्यवस्था की गयी है ।

मान्यवर, दण्ड के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है यदि कोई उक्त अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन नहीं करता है, उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर 2 हजार रुपये का जुर्माना तथा एक वर्ष की सजा तथा

दोनों प्रकार के दण्ड दिये जा सकते हैं । उसी का पालन कराने के लिए यह जो एक्ट है इसको उत्तर प्रदेश सरकार अंगीकार करने का निश्चय कर चुकी है । मान्यवर, मैं समझता था कि डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी इस वर्तमान सरकार की प्रशंसा करेंगे । वह बतायेंगे कि ड्राई लैट्रिन का वाटर लैट्रिन में कनवर्ट करने के लिए जो प्रयास पिछले वर्षों में नहीं किये गये वह अब किये जा रहे हैं । मैं बताना चाहता हूं कि सैनेटरी मार्ट योजना के अन्तर्गत इस वर्ष के अन्त तक तथा 2001-2002 में कौशल योजना लेने जा रहे हैं । यह योजना ऐसे लोगों को के लिए है जो अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं । उन्हीं के लिए चलायी जा रही है । वर्ष 1992-93 से लेकर वर्ष 2000 तक 1 लाख 89 हजार 278 व्यक्तियों को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध करायी गयी है । लगभग 50 प्रतिशत धनराशि जिसमें अनुदान के रूप में होती है 15 प्रतिशत की धनराशि लाभार्थी को 4 प्रतिशत की ब्याज पर दी जाती है और बाकी पैसा हड़को तथा अन्य संस्थाओं से लाभार्थी को ऋण के रूप में दिया जाता है । मान्यवर, वर्ष 2001-2002 में 151 सैनेटरी मार्ट संचालित किये जा रहे हैं और 1208 व्यक्ति कार्यरत हैं । इस पर 2 करोड़ 7 लाख 31 हजार का व्यय हुआ है । इस प्रकार हम योजना बना रहे हैं, ताकि त्वरित गति से विकास हो सके । 21 नगरों के लिए हमने योजना बनायी है । पहले यह योजना 12 नगरों के अन्तर्गत थी इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है और अन्य संस्थाओ के माध्यम से ऋण दिया जाता है । इस वर्ष 9 शहरों को इसके अन्तर्गत लेने का प्रयास है और इसके लिए जो धन की आवश्यकता होगी वह हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे ताकि ड्राई लैट्रिन को पानी वाली लैट्रिन में कनवर्ट किया जा सके । मान्यवर, जो कर्मचारी इस काम को कर रहे हैं उनके लिए जो योजनाएं चलायी जा रही है वह निचले स्तर तक जानकारी न होने के कारण उनका लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाता । मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यगण इन लोगों को जानकारी देंगे । राष्ट्रीय सफाई वित्त एवं विकास निगम ने ऋण देने के लिए कहा है उत्तर प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और जो ऋण की राशि है यह 6 प्रतिशत ब्याज पर होगी । मान्यवर, मैं डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी को बताना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो अधिनियम है उसको अंगीकार करने के लिए नगर विकास मंत्री ने सहमति दी है और प्रमुख सचिव विधायी से सहमति प्राप्त हो गई है । कैबिनेट में इस पर विचार होगा । मैं डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी से निवेदन करूंगा कि चूंकि सरकार गम्भीर है और नियम बनाने के लिए प्रासेस में है इसलिए वह अपने संकल्प को वापस ले लें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी है, मैं निश्चित तौर पर सरकार की इन सभी बातों से सहमत हूं और इसके लिए सरकार को साधुवाद देता हूं । लेकिन जनता की इस घोर समस्या को देखते हुए इसे सरकार को जल्दी से जल्दी कार्यरूप में परिणित करने के लिए जोरदार कदम उठाने चाहिए । मेरा इस संकल्प को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यही था कि जल्दी से जल्दी सरकार को इस समस्या से छुटकारा दिलाने की ओर ध्यान देना चाहिए । मेरा सदन के सामने यह संकल्प लाने का मतलब यही था कि जैसे हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाने का कार्य किया गया था और तब ही उन्हें अपनी शक्ति का अहसास हुआ था, मैंने वही कार्य किया है, जिससे सरकार को यह अहसास हो सके कि यह कार्य कितना अमानवीय है और सरकार को, जनता को इस अमानवीय परिस्थिति से छुठकारा दिलाने हेतु, सरकार इसे एक दण्डनीय अपराध घोषित करे, और इसे समाप्त किया जाये । सरकार इसे अंगीकार करने के लिए 1999 से विचार कर रही है । प्रदेश सरकार द्वारा जनता को इससे निजात दिलाने हेतु 568 निकायों में यह योजना लागू की जानी थी, जिनमें से 230 निकायों में लागू की जा चुकी है और 116 निकाय ऐसे हैं जिनमें इस सम्बन्ध में आज तक कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है । भारत सरकार के "द इम्प्लाईमेंट आफ मैनुअल एक्सकेवेंजर्स एण्ड कान्सट्रक्सन्स आफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिवेशन एक्ट", 1993 की अपेक्षानुसार उक्त एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू कराने के लिए

विधायिका से स्वीकार कराना चाहते हैं । इस संकल्प की विधिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है और यह मंत्रिमण्डल में विचारार्थ भेजा जा रहा है । मैं कहना चाहूंगा कि जब इस विषय पर सरकार गम्भीर है और इस कलंक को खत्म करना चाहती है तो सरकार को चाहिए कि यह इसी सत्र में इसे कैबिनेट में स्वीकार करवा ले तो ज्यादा विधिपूर्ण होगा । अगले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में इसको पास करा ले क्योंकि हर बुधवार की कैबिनेट की बैठक होती है, यह राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से आवश्यक है और सरकार इसे इसी सत्र में ले आये । मेरा इस संकल्प को लाने का केवल उद्देश्य इतना था कि इससे सरकार, सदन और सदन के माध्यम से जनता अवगत हो । सरकार सचेष्ट है, और प्रयास कर रही है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह संकल्प इसी सत्र में ले आये और सारा सदन एकमत होकर इसे स्वीकार करे । मैं समझता हू कि इससे सहमत हो जायं तो मैं इसे वापस ले लूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप सशर्त वापस लेने की बात कर रहे हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

वापस तो मैं लूंगा ही, अच्छा होता यदि सरकार इसी सत्र में इस संकल्प को ले आती ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया है कि इसे अंगीकार किये जाने हेतु मंत्रि-परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही हो रही है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसको यथाशीघ्र करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आप इसको वापस लेते हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं अगर शीघ्र ही न कहकर इसी सत्र में इस संकल्प को लाने की बात करते तो ज्यादा अच्छा होता । मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया है मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के संकल्प कि "इस सदन का निश्चित मत है कि सिर पर मैला ढोना दण्डनीय अपराध है, को वापस लेने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और संकल्प वापस लेने हेतु सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गयी ।)

" ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व की मथुरा नगरी को तीर्थ नगरी घोषित किया जाय" विषयक संकल्प

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस संकल्प को प्रस्तुत करने का अवसर दिया । मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं । कि "इस सदन का निश्चित मत है कि ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व की मथुरा नगरी को तीर्थ नगरी घोषित किया जाय" मान्यवर, भारत नहीं विश्व में ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व में बृजभूमि को महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है । उत्तरापथ के अनेक जनपदों के बीच शूरसेन जनपद बसा था सांस्कृतिक दृष्टि से बृजभूमि का स्थान भारत में बहुत महत्वपूर्ण है । यहां की प्रकृति सुषमा का वर्णन प्राचीन साहित्य में तथा यहां आये विदेशी यात्रियों के विवरणों में मिलता है ।

बृज का वर्णन हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्यस्थ पुराण, बाराह पुराण, पद्मपुराण तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में मिलता है ।

प्राचीन बृज में 12 वन, 24 उपवन तथा 5 पर्वतों व सैकड़ों पवित्र कुण्डों का समावेश बताया है । सूरदास जी ने गाया है "चौरासी बृज कोस निरन्तर खेलत है बृजमोहन" स्कन्द पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के प्रपौत्र बृजनाम ने महाराज परीक्षित के सहयोग से कृष्ण जी की लीला स्थलियों का प्राकट्य कराया अनेकों मंदिर, कुण्ड व बावलियों का निर्माण कराया ।

बृज के गौरव का इतिहास बहुत प्राचीन है कृष्ण बृज छोड़ते समय उद्धव से कहते है "ऊधौ मोहि बृज विसरत नाही" ।

ब्रह्मज्ञानी उद्धव भी प्रेम गंगा में स्नान कर

ब्रज समुद्र मथुरा महल वृन्दावन मकरन्द ।

ब्रज वनिता सब पुष्प हैं मधुकर गोकुल चन्द ।।

कवियों ने तो यहां तक कहा है "ब्रज रज बैकुण्ठ से कम नहीं है ।

ब्रज के जितने स्थान हैं प्रायः श्री कृष्ण की लीला स्थली हैं ।

बृज की परम्परा में राधा कृष्ण के अनन्य प्रेम के चलते श्री राधा का स्मरण कृष्ण के साथ होता है न कि अर्धांगिनी रुक्मिणी जी आदि का । राधा कृष्ण के विछोह रचना में कहा भी है :-

मारग प्रेम कौ, को समुझै हरिचंद यथारथ होत यथा है ।

लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है ।।

मान्यवर, भाव है, इस प्रेम मार्ग को कौन समुझे ये बृजवासी बावरे हैं जो मोसो पूछ रहे हैं कि राधा तू क्यों बीमार सी है । कृष्ण वियोग मैं कैसे सहूं यदि बताय दऊं कि मोहि कन्हैया ते प्यार है गयौ है तो मैं बदनाम हैं जाऊं ि्गरे उपाय बेकार हैं बिना कान्हा से मिले मेरी व्यथा नाय मिटैगी । मथुरा नगरी योगीश्वर आनन्द कन्द भगवान कृष्ण के जन्म से धन्य हो गयी है ।

श्री कृष्ण का जन्म स्थल होने के कारण यह वैष्णवों का तो महान तीर्थ स्थल है ही तथा जैन व बौद्ध धर्म भी शताब्दियों तक फलते फूलते रहे । विविध संस्कृतियों के समागम स्थल के बाद भी बृज (मथुरा) की संस्कृति की छाप बिल्कुल हटके प्रतीत होती है ।

यह प्राचीन काल में भारत के प्रबल प्रतापी यदु वंशियों के "शूरसेन" नामक गणराज्य की राजधानी थी ।

पुराणानुसार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई लक्ष्मण ने लवणा सुर जोकि मधुदेय का पुत्र था के वध के उपरान्त मथुरा नगरी की स्थापना की थी । जिसके पुराणों में "मधुपुरी", "मथुरा", आदि नामों के उल्लेख मिलते हैं । प्राचीन अभिलेखों में मथुरा तथा मथुरा ही देखने को मिलता है ।

काशी की भांति यह भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में से एक हैं । यथा "अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवन्तिकापुरी, द्वारावानीचैन, सप्तते मोक्ष दायिका" किसी ने कहा भी है ।

"मथुरा तीन लोक ते न्यारी जामें जन्में कृष्ण मुरारी"

मथुरा में ही यदुकुल गौरव योगीराज कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं व भोग-त्याग, युद्ध और शांति, कर्म और ज्ञान, प्रवृत्ति और निवृत्ति तथा इहलोक और परलोक में अद्भुत संतुलन स्थापित कर बृज संस्कृति को जन्म दिया था जिसका केन्द्र बिन्दु मथुरा रहा ।

प्राचीन मथुरा वृन्दावन के अस्तित्व पर पुरातत्व विद् शोध होते रहते हैं जो चलता आया है और चलता रहेगा किन्तु बृज के इन स्थलों के महत्व को कम नहीं किया जा सकता ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पोइया जी, आप पढ़कर भाषण न दीजिए । पूरा भाषण आप कहां पढ़ सकते हैं ?

श्री अजय कुमार पोइया-

श्री कृष्ण को महाभारत के समय राजसूर्य यज्ञ में पितामह भीष्म ने पूजा करायी, कृष्ण के भाई बलराम का नाम दशावतारों में आता है, श्री कृष्ण ने बृज विपदा के समय भी गिरिराज पूजन कराया जहां आज भी लाखों श्रद्धालु मासिक व वार्षिक आषाढ़ माह पर पड़ने वाली गुरू पूर्णिमा पर मथुरा जनपद मानव माला में परिवर्तित हो जाते हैं जो बृज संस्कृति व मथुरा में अटूट आस्था का प्रतीक है ।

मथुरा को तीर्थ घोषित करना अत्यन्त आवश्यक है चूंकि मथुरा जैन, बौद्ध व वैष्णव तीर्थ तीनों रूपों में श्रेष्ठ है । यहां देश विदेश के व्यक्ति आध्यात्मिक लाभ व बृज संस्कृति के अतुलनीय रस का दान करने के साथ गरिमापूर्ण संस्कृतियों के समागम स्थल मथुरा संग्रहालय में भी अपनी क्षुधा शान्त करने का प्रयास करता है ।

मथुरा में मण्डलीवद्ध रास नृत्य, नारायण गीत और वंशीबाद्य इन तीनों की परम्परा भी अति प्राचीन थी जिन्होंने वहां के सांस्कृतिक जीवन को बहुत प्रभावित किया और प्राचीन काल में ही नहीं बल्कि मध्यकाल में भी अति सुन्दर सांस्कृतिक फल देखने को मिले ।

मथुरा आगरा एवं दिल्ली के मध्य स्थिति है । दिल्ली के निकट होने के कारण मथुरा को काफी संघर्ष करना पड़ा । सन् 1803 ई० में दौलत राव सिंधिया को परास्त करने के उपरान्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस पर अपना कब्जा कर लिया था और अपनी फौजी छावनी बना लिया ।

जैन धर्म का अपना ऐतिहासिक महत्व है । जैन मन्दिर का स्थल चौरासी अति प्राचीन है । कहा जाता है कि जैन गुरू जम्मू स्वामी ने यहां तपस्या की थी ।

जैन धर्म के 19वें एवं 21वें तीर्थकर मल्लिनाथ व नेमिनाथ के जन्म एवं कर्म कल्याण इसी मथुरा भूमि में सम्पन्न हुये थे । आज भी जनपद में जैन मन्दिर देखने को मिलते हैं जिसमें मूर्ति प्राचीन है जिनके दर्शन, देशाटन के समय जैन धर्मावलम्बी किया करते हैं ।

अन्तिम जैन तीर्थंकर श्री जम्मू स्वामी उनके साथ महामुनि विधुच्चर तथा उनके 500 स्तूप बने थे ।

मथुरा का वर्तमान काली टीला संपूर्ण उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केन्द्र रहा है जहां से अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जो कि अधिकांश रूप से लखनऊ एवं मथुरा संग्रहालय में हैं ।

दूसरी एवं तीसरी शताब्दी में बौद्ध धर्म के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में मथुरा का उल्लेख चीनी यात्री फाहियान (401-410 ई०) ने अपने यात्रा विवरण में किया है ।

इसीलिए आज मथुरा जनपद में बौद्ध स्तूप एवं प्रतिमाओं तथा बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष मिल रहे हैं ।

इसका उदाहरण मथुरा राजकीय संग्रहालय है जो कि भरा पड़ा है, मथुरा से निकली प्रतिमाएं तथा अवशेष देश के विभिन्न संग्रहालयों में मौजूद हैं ।

लोख की खुदाई, गोविन्द नगर के सैकड़ों स्तूप हैं जो कि बाद में विखण्डित हो गये हैं जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है ।

श्री अध्यक्ष–

पोइया जी पर्याप्त हो गया ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । मथुरा को आज तक पर्यटन की दृष्टि से शासन द्वारा किसी प्रकार की सहायता अनुमन्य नहीं की गई । यहां करोड़ों लोग आते हैं । यह विषय हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है । शासन ने वहां किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की है । मथुरा में जन्में श्री कृष्ण ने कुरूक्षेत्र में गीता का उपदेश किया जिसको महात्मा गांधी जी अपने पास रखते थे तथा उन्होंने जीवन भर गीता से शिक्षा ली ।

श्री अध्यक्ष–

आपने विस्तार से कह दिया ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मथुरा का धार्मिक दृष्टि से जो स्वरूप है वह अलौकिक है। मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित किया जाना चाहिए। हमारी अगर श्रद्धा के केन्द्र नहीं रहेंगे तो जो विदेशी ताकतें हैं तथा जो हमें नेस्तनाबूत करने पर उतारू हैं उससे हमारी रक्षा कैसे हो सकेगी ? मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। इस संकल्प के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति की रक्षा कैसे हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष–

नियमावली में संकल्प से संबंधित जो नियम है उसमें भाषण की समय सीमा निर्धारित है और यह समय सीमा समाप्त हो गई है।

श्री अजय कुमार पोइया–

जहां लाखों लाख व्यक्ति परिक्रमा करते हैं, विश्व का आदमी वहां आता है। लेकिन आज तक मेरी समझ में यह नहीं आ पाया कि मथुरा नगरी को तीर्थस्थल अभी तक क्यों नहीं घोषित किया गया ? यदि यह होता है तो आने वाले तीर्थयात्रियों को असुविधा नहीं होगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं अपने इस संकल्प के माध्यम से कि सरकार को निर्देशित करें कि कार्यवाही कर मथुरा को तीर्थ नगरी घोषित किया जाय।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)–

मान्यवर, एक बात पोइया जी भूल गये वह मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर महाराजा मर्दन और बकदबली भी हुए थे जिनकी बड़ी महिमा है।

श्री राम स्वरूप शर्मा–

मान्यवर, वैसे तो पोइया जी ने हमारे लिए कहने को कुछ नहीं छोड़ा है फिर भी मैं एक निवेदन करूंगा कि जब से मैं 1993 से विधायक बना हूं तब से हम सभी लोग मांग कर रहे हैं कि मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित किया जाय जिससे कि वहां विषम परिस्थितियों का आज जो सामना करना पड़ रहा है उनसे बचा जा सके। मथुरा वृन्दावन साधारण भूमि नहीं है यह अभी पोइया जी ने भी कहा है।

मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताय।
ब्रजरज उड़ि मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाय।
या लकुटी अरु कांमरिया पर राजतिहूपुर को तजि डारौं।
आठउं सिद्धि नवौनिधि कौ सुख नन्द की धेनु चराय बिसारौं॥
रसखान कबहुं इन नैनन से ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारौं।
कोटिकहूं कलधौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारौं॥
ब्रज की स्वाद बैकुंठहु नाहि हरिगुण कथा भई तब मीठी ब्रजरस
मीठी ब्रज रस मिलहु जबहि जा माही मिल्यौ तबहि ता माहिं॥
ब्रजरस बिनु कहां रसिक गावते, ब्रज बिनु रस मरि जातौ।
ब्रज महिमा को वे ही जाने जिनकौ ब्रज सों नातौ॥
भुवन चतुर्दश माहि धन्य ब्रज धन-धन सब ब्रजवासी।
नागरिदास धन्य है तेऊ जे ब्रज रेणु उपासी॥

उस बृजभूमि में करोड़ों लोग प्रतिवर्ष श्रद्धा से दर्शन को आते हैं। वहां मदिरा और अण्डे आदि बिकें पहुंचे, इसलिए उन पर रोक लगाई जायगी तो बृज के प्रति श्रद्धा सुरक्षित रहेगी सन्त और सज्जन सभी की मांग है बृज क्षेत्र के उस विशेष स्थल को तीर्थ स्थल घोषित किया जाय क्योंकि अनेकों मुस्लिम तीर्थ यात्रियों ने भी बृजभूमि का सेवन किया है। सरकार को इस ओर अपने मन में विचार करना चाहिए। मथुरा वृन्दावन को शीघ्रातिशीघ्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाना चाहिए।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री अजय कुमार पोइया ने मथुरा नगरी को तीर्थ नगरी घोषित किये जाने हेतु जो संकल्प प्रस्तुत किया है । उनके जो विचार हो सकते थे वह निश्चित रूप से मथुरा नगरी के अपने ऐतिहासिक पौराणिक महत्व को देखते हुए उन्होंने रखे । इसके अतिरिक्त श्रद्धेय राम स्वरूप शर्मा जी ने भी इस तीर्थ नगरी के महत्व को बताया । वेद पुराण के द्वारा क्या महत्व दिया गया है, विद्वानों ने इस विषय में क्या कहा है, से अवगत कराया । मथुरा नगरी के बारे में बड़े-बड़े महापुरुष, मनीषी एवं विद्वानों ने इसकी व्याख्या की है । वेद पुराणों तक में इस पवित्र नगरी के बारे में कहा गया है । इस नगरी का गुणगान तो मां सरस्वती के द्वारा भी नहीं किया जा सकता । इस नगरी के बारे में जितने विचार आ गये हैं उस बारे में मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता । मान्यवर, हम एक संविधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत काम कर रहे हैं । हमारे प्रदेश में जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे प्रयाग, गया, काशी, मथुरा यह सब लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़े हुए धार्मिक स्थल हैं । इन स्थलों के बारे में वहां की जनता की जुड़ी भावनाओं के नाते, उनके विश्वास के नाते उसको तीर्थ नगरी घोषित करने की मांग करते हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत एक धर्म निरपेक्ष राज्य के अन्तर्गत हम हैं । यहां हर व्यक्ति को अपनी पूजा अर्चना अपनी पद्धति से करने की छूट है, अधिकार है । इस नाते किसी भी स्थल को धर्म नगरी घोषित करना सम्भव नहीं होगा और न ही इसको घोषित करने का औचित्य है । यह बात इस रूप से मान सकते हैं कि जिस प्रकार से अन्य धर्मस्थल हैं, हमारे मन की भावनाओं के कारण श्रद्धा के कारण से प्रसिद्ध हैं । जैसे मान्यवर, प्रयागराज है । पिछले दिनों वहां पर कुम्भ मेला लगा, हमने उसके लिये व्यवस्था की कि वहां पर लाखों की संख्या में लोग आयेंगे तो वे किस तरह से अपनी आस्थाओं, विश्वास को मानते हुए उस स्थल के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, उसके तहत वे अपनी पूजा-अर्चना कर सकें । हमने इसकी व्यवस्था अच्छी तरह से करी कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां आ सकें । श्रद्धापूर्वक अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकें । इस मथुरा नगरी को तीर्थ नगरी घोषित करने के लिये जो संकल्प लाया गया है और अजय पोइया जी और श्रद्धेय राम स्वरूप शर्मा जी ने अपनी अपनी बात रखी । मथुरा नगरी को सुन्दर स्वरूप दिया जाय, वहां की आवश्यक सुविधाओं को पूरा किया जाय । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उनको जानकारी होगी कि हम इस प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं पर्यटन की दृष्टि से, किसी जगह के पौराणिक महत्व को देखते हुए, ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा इनफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जायं । अधिक से अधिक सुविधाएं वहां उपलब्ध करा सकें, इस ओर सरकार का ध्यान है और सरकार काम भी करा रही है । जो काम चल रहे हैं उसके बारे में मेरे पास सूची है । यदि माननीय सदस्य कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं नहीं तो वे चाहें तो मैं उन्हें यह सूची दे सकता हूं । 2000-2001 में इन योजनाओं के लिये 198 करोड़ रुपये और 2001-2002 में 358 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है । हमारा प्रयास होगा कि अधिक से अधिक उस क्षेत्र के लिये काम कर सकें । जो सुझाव माननीय सदस्यों के उसको तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के होंगे, सुविधाएं उपलब्ध कराने के होंगे उन पर काम किया जायेगा । जैसा कि मैंने बताया कि संविधानिक व्यवस्था के अन्दर हर व्यक्ति को अपनी पूजा पद्धति अपने तरीके से करने का अधिकार है इसलिये अजय पोइया जी से कहना चाहूंगा कि अपने इस संकल्प को वापस ले लें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, पोइया जी और शर्मा जी ने मथुरा नगरी को तीर्थ नगरी बनाने के लिये सकंल्प पर बात कही । मान्यवर, यह सब जो हमारे आस्था, धर्म, विश्वास के स्थल हैं, इनकी एक इम्पौरटेंस है । अयोध्या, प्रयाग, काशी, मथुरा, नीमसार आदि जगहों पर जाते समय आप देखेंग कि शराब की दुकानें हैं जो कि धार्मिक लोगों के विचारों को बहुत आहत करती हैं । सब बातें तो आपने कह दीं इस विषय में

कुछ क्यों नहीं कहा । इन जगहों का जो महत्व है वह इन दुकानों के होने से छिन्न-भिन्न हो रहा है । "देशी शराब आइये", "अंग्रेजी शराब आइये" के बोर्ड लगे हैं । पूंजी चाहिये तो कहीं और व्यवस्था करा दें । तीर्थ स्थलों को इससे मुक्त कर दें । दारू वाले मंत्री जी नहीं हैं वरना उनसे भी कह देते ।

श्री अध्यक्ष–

बात आ गई है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

इस पर जरूर विचार करिएगा । स्पष्ट रूप से विचार करके उन जगहों से दारू की दुकानें हटनी चाहिये ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय सदस्य अजय कुमार पोइया जी ने जो कहा है ...

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के पहले बोलना चाहिये था ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मथुरा, वृन्दावन हमारे तीर्थ स्थलों में हैं वहां से शराब, मांस की दुकानें हटायी जानी चाहिये । अभी कुछ दिन पूर्व हरिद्वार जब उत्तर प्रदेश में था हरिद्वार में मैं पढ़ा हूं पंचपुरी, कंछल, ज्वालापुर में गंगानहर पार करके एक पुल है वहां तक कोई शराब का ठेका नहीं था । तो धार्मिक भावनाओं को समझते हुए संकल्प की भावनाओं को समझाकर इतनी मदद करेंगे कि तीर्थ क्षेत्र से शराब, मांस की दुकानों पर रोक लगा दें ।

* श्री नीरज चतुर्वेदी–

श्रीमन्, जो संकल्प है यह निश्चित रूप से उनकी भावनाओं को दर्शा रहा है । उत्तर प्रदेश में मथुरा नगरी का बहुत महत्व है निश्चित रूप से सरकार उस क्षेत्र में मांस-मदिरा की व्यवस्था को रोक सकती है । उसको रोकने से संकल्प को बल मिलेगा । वह पर्यटन स्थल नहीं तीर्थ नगरी घोषित होगा, तो संकल्प को बल मिलेगा । आपके प्रदेश में मथुरा नगरी का बहुत महत्व है अगर वहां मांस मदिरा नहीं मिलेगी तो मथुरा नगरी का जो पुराना महत्व है उससे उत्तर प्रदेश का महत्व बढ़ेगा ।

श्री सतीश महाना–

हम माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हैं यह ठीक है किसी के मन में यह भाव हैं उस स्वरूप के अन्तर्गत उसको देखते हुए माननीय सदस्यों ने, लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने कहां, तो वहां की लोकल बाडी को अधिकार था उसने वहां मांस मदिरा पर रोक लगाने का उपनियम बनाकर लगाया । मैं समझता हूं कि लोकल बाडीज के माध्यम से वहां भी इस प्रकार किया जा सकता है । अगर लोकल बाडीज के माध्यम से यह प्रस्ताव आते हैं जहां विशेष रूप से तीर्थ स्थल हैं, मंदिर हैं उसके आसपास मांस, मदिरा की दुकान न हो तो उस पर हम विचार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द लगाया है उसकी मार मथुरावासियों पर हो रही है यह उनको सुनिश्चित करना था । हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंच रही है । मथुरा नगरी में अवैध वध पशुशाला थी उसको उच्च न्यायालय के आदेश से हटाने के निर्देश हो गये थे लेकिन आज भी अवैध पशुओं का कटान हो रहा है । उसको व्यापार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है । इस पर रोक लगायें इसको नियंत्रित करने के साथ ही मधुशालाओं पर भी रोक लगाई जाय । हमारी जो भावना, पूरे देश से यहां पर आदमी आता है, यह पूरे मथुरा की बात है, राधा कुण्ड की बात है, उसके वैभव उसके स्वरूप के अनुरूप बना रहेगा । उसकी छवि में कोई आंच न आने पाये । वहां पर जो प्रसार मदिरा और मांस का चल रहा है उसके लिये शासन को आप निर्देश दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं कि नहीं ?

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, यह कोई आश्वासन तो दें ।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने जो अपने उत्तर में कहना था वह कह दिया है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जिस प्रकार पंचपुरी में स्थानीय निकाय ने प्रस्ताव पारित कर दिया था, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन में इस प्रकार का प्रस्ताव आता है तो सरकार उस पर सहमति देगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो काल्पनिक प्रश्न है । पहले इस प्रकार का प्रस्ताव तो आने दीजिये । जो चीज शासन के समक्ष विचारणीय नहीं है उस पर वह कैसे कह देगी ?

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, सरकार को निर्णय लेना चाहिये कि वह इस पर विचार करेगी । यह संकल्प वापस नहीं होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

जो संकल्प है वह यह है कि "इस सरकार का निश्चित मत है कि ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व की मथुरा नगरी को तीर्थ नगरी घोषित किया जाय ।" इसमें मद्य निषेध की बात कहां से आ गयी ? यह तो आप उसके समर्थन में तर्क रख रहे हैं । माननीय मंत्री जी आप माननीय सदस्य से अनुरोध कर लें कि यह संकल्प वह वापस ले लें ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह संकल्प वापस ले लें जो उनकी भावनाएं हैं वह आ गयी हैं वह देख लेंगे ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित करने के संबंध में कोई आश्वासन तो दें । उसके बाद हम वापस लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि अजय कुमार पोइया जी के इस संकल्प कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व की मथुरा नगरी को तीर्थ नगरी घोषित किया जाय।" वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और संकल्प वापस लेने की सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गयी)

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के चौमुखी विकास के लिये वर्षा के जल को व्यर्थ होने से बचाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाय" विषयक संकल्प

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के चौमुखी विकास के लिये वर्षा के जल को व्यर्थ होने से बचाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाय।"

श्रीमन्, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे मानव जीवन के लिये, पशुओं के लिये, वन्य जीव के लिये, पशु-पक्षियों के लिये, वनस्पति के लिये, वनों के लिये बरसात का पानी अमृत का रूप धारण करता है।

(इस समय 2 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

श्रीमन् वर्षा हमारे प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिये अवश्यंभावी है। वर्षा से ही हमारी खेती का उपयोग, ऊर्जा के स्रोत्रों का सृजन वर्षा के जल से ही होता है। वर्षा का जो पानी मिलता है। वर्षा का जितना पानी मानव जीवन के उपयोग में आता है और कितना पानी मानव जीवन के उपयोग से बाहर जाकर व्यर्थ होकर समुद्र में पहुंच जाता है और कहीं-कहीं हम सबके लिये हानिकारक हो जाता है यह गंभीर प्रश्न है यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं। जो आंकड़े विशेषज्ञों से प्राप्त है। 15–16 प्रतिशत पानी वर्षा का उपयोग में आता है। सतही जल जहां भर जाता है और जो सतही जल वर्षा का भर जाता है वह और उसके बाद जमीन का पानी धंसता है नीचे जाता है और अंडर ग्राउंड भूमि में जाता है वह 16 प्रतिशत है। बाकी 15 प्रतिशत पानी है जो कहीं कहीं रोककर इस्तेमाल में लाते हैं। 70-75 प्रतिशत पानी आज भी बाढ़ के रूप में नदियों के रूप में समुद्र में पहुंचने का काम कर रहा है मान्यवर, वन्य जीवों के लिये, जो बायोडायवर्सिटी है–वर्षा का पानी आवश्यक होता है। मान्यवर, पर्वतीय इलाके पर बर्फ का जमाव है उनसे निरन्तर नदियों के स्रोत से पानी मिलता है इसलिये वर्षा का होना आवश्यक है। मान्यवर, हिन्दुस्तान के लिये वर्षा होना अवश्यंभावी है। मान्यवर, खेती के लिये, सिंचाई के लिये अगर पानी लेना चाहे तो सभी जल के स्रोत सूख रहे हैं सिंचाई के नलकूप, निजी नलकूप कुआं आदि पूरे प्रदेश के सूख गये हैं नहरों में पानी नहीं है जलाशय में पानी की कमी के कारण यह चर्चा में बात आती है कि अमुक बिजली उत्पादन का केन्द्र बन्द कर दिया गया। मान्यवर, सरकार ने उस पानी को रोककर उसको उपयोग में लाने के लिये अभी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये हैं जिसका परिणाम है कि जो पन बिजली कम हो जायेगी और जो दूसरे तापीय बिजली है जिसमें कोयला दिया जाता है उसकी तरफ ध्यान देने से उद्योगों के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वर्षा का पानी जितना आता है उस पानी को रोक कर के और सतही जल को बढ़ाने, सतही जल के जलाशय से पानी की सुविधा को बनाये रखने से पन बिजली के स्रोत पर असर नहीं पड़ेगा और तालाबों में पीने के पानी की कमी नहीं आयेगी। आज बरसात के बाद तालाब सूख जाते हैं गर्मी में पानी की दिक्कत होती है।

मान्यवर, वर्षा के पानी को रोककर उनको तालाबों में पहुंचाकर पानी पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिये उस ओर ध्यान नहीं दिया है। जब बाढ़ आती है पानी वर्षा का होता है पानी को रोकने के

लिये प्रबन्ध नहीं किये गये हैं जितने नाले हैं जो वर्षा में केवल चलते हैं उनसे पानी एकदम से बहकर नदियों में पहुंचता है । मान्यवर, और फिर बाढ़ का रूप लेकर विनाश करता है, आबादी का विनाश करता है जबकि वही वर्षा अमृत का रूप लेकर आयी थी लेकिन सरकार की दुर्व्यवस्था के कारण कैचमेंट एरिया में कोई योजना बनती तो कोई भी नदी हमारे लिये बाढ़ का रूप नहीं ले सकती है । उसके तीन परिणाम होते हैं आबादी नष्ट होती है, मकान नष्ट होते हैं और खेती नष्ट होती है और एक और भयंकर परिणाम होता है भू-कटाव पैदा हो जाता है तो जो सबसे बढ़िया मिट्टी होती है वह कटकर नदी में जाती है, समुद्र में जाती है या कहाँ जाती है । जितने हमारे नगर के इलाके बसे हुये हैं पक्के हैं वहां पर पानी जमीन में नहीं जाता है वह सारा पानी बह जाता है तो जितनी पक्की आबादी बसी हुई है पक्के मकान हैं वहां का जल सतह में बहने का काम कर रहा है । आज नगरों में महानगरों में कस्बों में जल स्रोत नहीं हैं, पानी का संकट पैदा हो रहा है । लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद, इलाहाबाद, मेरठ में पानी का संकट रहता है । पेयजल का संकट बड़े पैमाने पर विद्यमान है । आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि यह जो जल स्रोत घट रहे हैं, वर्षा के पानी को हम रोक नहीं पा रहे हैं उसका नतीजा यह है कि 70 फीसदी पानी बह जा रहा है आज 111 ब्लाक उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर पानी मिलना मुश्किल हो गया है जल स्रोत साढ़े 14 मीटर नीचे जा चुका है । कानपुर में 14 मीटर, फिरोजाबाद में साढ़े 14 मीटर, आगरा में 14 मीटर, मेरठ में साढ़े 12 मीटर इसी तरह से बुन्देलखण्ड की तरफ चले तो फिर पानी का जलस्तर 15 मीटर से नीचे जा चुका है । भूगर्भ जल विभाग, सोयल कंजरवेशन, भूमि संरक्षण, माइनर इरीगेशन के विभाग वह कहां व्यय करते हैं यह हमें देखना पड़ेगा । यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । वह इंसान और पशु पक्षियों से जुड़ा हुआ सवाल है, बनस्पति से जुड़ा हुआ है ।

मान्यवर, हिन्दुस्तान में ऐसी बनस्पतियां हैं जो कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती है उनके संरक्षण का सवाल है, बनस्पति, खेती और उद्योगधन्धों का सवाल है जो वर्षा के पानी के ऊपर निर्भर करता है । महानगरों में जो स्थिति है 111 ब्लाक ऐसे डार्क एरिया हैं जो 99 ब्लाक ग्रे एरिया में हैं यह सर्वेक्षण वाली रिपोर्ट है अगर बृहद सर्वेक्षण करा लें तो 111 से संख्या ज्यादा होगी । तो जो यह वर्षा का पानी आ रहा है जहां पर कटाव की स्थिति भयानक हो रही है वहां पर बड़े बांध बनावें नदियों के बांध बनायें और सरकार बंधीकरण की योजना को लागू करे तो जो पानी का संकट है वह सुधरेगा । हमारे इलाके का बड़ा विचित्र हाल है । यमुना-चम्बल का इलाका है, इटावा भी इसी तरह का है वहां पानी की भीषण स्थिति हो रही है । फतेहपुर तक स्थिति खराब है । इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद में स्थिति खराब है । मान्यवर, भू-कटाव की स्थिति भयंकर रूप से पैदा हुई है इस पर विचार करना होगा । आप एक कमेटी बनायें और उस कमेटी में सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाकर भूगर्भ जलस्तर के आंकड़े इकट्ठे करवायें । भूगर्भ जल स्तर बढ़ाने के लिये क्या-क्या काम किया गया है, उस पर कितना व्यय हुआ है, इसी प्रकार माइनर इरीगेशन वालों को बुलायें, इसमें जिन माननीय विधायकों को शामिल करना चाहें, कर लें और विशेषज्ञों को भी शामिल करें । विशेषज्ञ लोग स्थिति का अध्ययन करें । हमारे फिरोजाबाद में साढ़े 15 मीटर जलस्तर नीचे चला गया है । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि वह एरिया पानी वाला एरिया घोषित कर दिया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि भू-गर्भ सर्वेक्षण की इसमें रिपोर्ट क्या है, मंत्री जी ने किन-किन जगहों को देखा, कौन सी योजना बनी, जहां वर्षा का जल रोककर जलस्तर बढ़ाने की प्रक्रिया चालू हुई है । उसमें कितने प्रतिशत पानी बढ़ा । यह हम तकनीकी फीगर जानना चाहते हैं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भू-गर्भ जल सर्वेक्षण विभाग उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, उसकी जो योजनायें बनी हैं, उसमें वर्षा का कितना जल रुका है, मैं यहां कोई फालतू बहस नहीं कर रहा । एक तालाब खुद गया, 100 मीटर लम्बा चौड़ा, उसमें कितना पानी आया, उसकी तादात मालूम होगी, कितने मीटर, कितने लीटर पानी है, यह नापतौल में आ जायेगा । उसमें कितना पानी भू-जल में रुक गया, यह सारा आंकड़ा हमें चाहिये । हमें तो ऐसा लगता है कि ये

विशेषज्ञ समझ बैठे हैं कि जो रिपोर्ट लिख दी वह ब्रह्मा की लकीर हो गई । माननीय विधायक, सांसद जब चर्चा करें तो वह कहें कि आप तो विशेषज्ञ नहीं हो, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। हकीकत से आंखे नहीं मूंदनी चाहिये । पानी की जो आज स्थिति है, वह भयावह हो गई है । गंगा, जमुना, चम्बल को आप देख लें, कटान के मामले में सबसे ज्यादा यमुना में कटान होता है, इस नदी में कटान का वेग 61 प्रतिशत है, प्रतिवर्ष इसी गति से जमीन चली जायेगी तो खेती की जमीन का कितना बड़ा नुकसान होगा और साथ ही जलस्तर कितना नीचे चला जायेगा, यह अत्यन्त भयावह मामला है । आज पूरे प्रदेश में पेयजल का घोर संकट है । हमारे यहां करीब 400 हैण्डपम्प सूखे पड़े हैं । इसी प्रकार निजी नलकूप जो हैं, वह भी सूखे पड़े हैं । कुओं में भी पानी नहीं है । आगरा में ताह, एतमादपुर, फतेहाबाद, बरौली ब्लाकों में पानी का घोर संकट व्याप्त हो गया है । इसी तरह की स्थिति मेरठ के ब्लाकों की है । एक और समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिन जगहों पर पानी के स्रोतों की ज्यादा सिंचाई हो रही है, वहां जमीन धसक रही है और इससे आबादी के लिये एक गंभीर खतरा पैदा हो गया है । ऐसी घटनायें फिरोजाबाद में 2-3 साल पहले हो चुकी है । जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, वह कहां बैठकर अपना सर्वेक्षण करते हैं, कहां से रिपोर्ट लाते हैं, इसका कोई पता नहीं लग सकता है । आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, माननीय सदन से भी करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि वर्षा के जल को सुरक्षित करना हम सबके लिये बहुत बड़ा काम है । पंचवर्षीय योजना के संबंध में कहना चाहूंगा 8 पंचवर्षीय योजनायें निकल गयी, बाढ़ की विभीषिका से लड़ते-लड़ते कहां पर सरकार पहुंच चुकी है, लेकिन हालत खराब होती जा रही है । मैं अनुरोध कर रहा हूं कि यह जो भयानक स्थिति आ रही है वह इसलिए आ रही है कि जो पंचवर्षीय योजनाओं में पैसा दिया गया उसमें भू-गर्भ जल के रख रखाव और भू-गर्भ संरक्षण के कार्यक्रम, बंधी बनाने के कार्यक्रम हैं इन पर कोई भी पैसा नहीं दिया गया और दिया गया तो नगण्य और उसका भी उपयोग नहीं हुआ । इससे भयानक परिस्थिति पैदा हो गयी है । मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस भयानक स्थिति से बचने के लिए जब तक इस दिशा में ध्यान नहीं दिया जायेगा स्थिति ठीक नहीं हो सकती । मैं अनुरोध करना चाहता हूं । आप जाकर देखें फिरोजाबाद में, आगरा में 42 डिग्री तापमान हो गया है आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं । रेगिस्तान अपने पैर पसारे हुए चला आ रहा है इसका यही कारण हैं, हम वर्षा के जल को रोक नहीं पा रहे हैं । आज पशु-पक्षी मरे हुए दिखायी दे रहे हैं । मोर जो हैं वह भी मर रहा है । पशु मारे-मारे फिर रहे हैं क्योंकि हमने जलाशय कम कर दिये, हम पानी रोकने की कहीं व्यवस्था नहीं कर पाये । मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूं जो पैसा तालाब बनवाने के लिए दिया गया मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी तालाब के जो किनारे हैं आज दिखायी नहीं देते और उसमें जहां गड्ढा खोदा गया था वह पूरा का पूरा भरा हुआ दिखेगा । शहरों में जहां तालाब थे, पोखर थे सब बन्द होकर आबादी वहां खड़ी हो गयी है, अब पानी की वहां समस्या पैदा हो गयी है । भूगर्भ जल और नीचे चला गया है । जहां पर तालाब, पोखर थे अब वहां आबादी हो गयी है और अब जल के निकासी की भी समस्या हो गयी और पानी की समस्या भी पैदा हो गयी । मान्यवर, मैं इसलिए अनुरोध करना चाहता हूं कि इसका खेती पर भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है । आज भी माननीय सिंचाई मंत्री जी से प्रश्न पूछा था और उन्होंने कहा कि पानी नहीं है, अमुक-अमुक नदी में पानी नहीं है इस कारण हम नहर में पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने की बनी नहरें और जो बड़े बांध बने थे उनमें पानी उतना ही है, तो वह पानी कहां से आया ? इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । नहरों की टेल पर पानी नहीं है, यह सब इसलिए है कि हम वर्षा के जल को रोक नहीं पा रहे हैं और उसका अच्छा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वर्षा के जल को समुद्र में पहुंचने का रास्ता खोल रहे हैं । इसलिए हमारा यह संकल्प था कि हम वर्षा के जल का अधिक से अधिक, अच्छे से अच्छा उपयोग करें और व्यर्थ जाने से बचायें । इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है । लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा सवाल है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी से और सभी माननीय सदस्यों से कि आज जो नये बीज आ रहे हैं, बिना पलेवा

के कोई भी बीज पैदा नहीं होता । यदि भू-गर्भ जल में पानी नहीं होगा तो आप सिंचाई कैसे करेंगे ? इस स्थिति में जो 74 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती है उसके लिए संकट का समय आ गया है और संकट से बचाने के लिए, बाढ़ की भयंकर स्थिति से बचाने के लिए सभी नदियों में बांध बनाया जाये । वर्षाकाल में जो छोटी-छोटी नदियां निकलती हैं उनमें बांध बनाकर पानी रोकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी तथा कटान रोकने के लिए कार्य योजना बनानी पड़ेगी । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि 4 विभाग इस ओर ध्यान दें । वन विभाग से कहें कि जो उनके तालाब, पोखर हैं उनमें बांध बनाकर पानी रोकने की व्यवस्था करें । स्वायल कन्जर्वेशन का काम भी वन विभाग का है जबकि वन विभाग के स्वायल कन्जर्वेशन को छुआ तक नहीं है । केवल पेड़ लगाने का काम वन विभाग का नहीं है, वन विभाग इस कार्य को भी करे । भू-गर्भ जल का विभाग है, एरीगेशन विभाग है, वाटर रि-चार्जिंग विभाग है, भूमि संरक्षण और जल संरक्षण इन सब विभागों को मिलकर एक सम्मिलित कार्य योजना बनानी पड़ेगी । इन सब विभागों के अधिकारी बैठकर युद्धस्तर पर योजना बनायें । श्रीमन्, मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा और उन्होंने मेरे पत्र को कृषि विभाग भारत सरकार को भेजा, उस पत्र पर जांच बैठी । मैंने उसमें अनुरोध किया था कि जो यमुना का, चम्बल का और उटंगन नदी का इलाका है उसके लिए अलग से 50 करोड़ की योजना बनाकर जल संरक्षण और भूमि संरक्षण करना पड़ेगा और कटान को रोकना पड़ेगा । बीहड़ क्षेत्रों के विकास के लिए एक गहन योजना बनायी जाय । उनका जवाब आया था कि हमने उस पर कार्यवाही करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है, भारत सरकार भी सहयोग करना चाहती है । वाह्य सहायता से एक योजना बना रहे हैं, उसको क्रियान्वित किया जाये ताकि हम विकास की तरफ बढ़ें । वर्षा का जल रोकना मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, खेती के लिए उद्योग के लिए भी उपयोगी है । कोई भी उद्योग बिना जल के नहीं चल सकता । ऊर्जा बिना जल के पैदा नहीं हो सकती, जल से जो हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं बहुत सस्ती पड़ती है जबकि तापीय विद्युत कोयले से बनती है वह महंगी होती है । आज नदियां उथली हो रही हैं, तालाबों-पोखरों में पानी नहीं है एक भयंकर स्थिति प्रदेश में उत्पन्न है मान्यवर, इस पर विचार करना होगा और जो वर्षा का जल व्यर्थ जा रहा है उसे रोककर उसका सदुपयोग करना होगा ताकि इस प्रदेश की भू-संपदा, कृषि सम्पदा, उद्योग संपदा, वन संपदा, वन्य जीवों और पशुओं की रक्षा हो सके इसके लिए वृहद् योजना बनाकर वर्षा का जल व्यर्थ होने से बचाना होगा । तभी हमारे प्रदेश की प्रगति होगी मान्यवर, मैंने यह संकल्प इस आशा और विश्वास के साथ प्रस्तुत किया है कि इस पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करे और एक वृहद् योजना बनाये । मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 1912 में मथुरा, इटावा, आगरा तथा उस क्षेत्र के डी०एफ०ओ० की एक संयुक्त टीम गठित हुई थी उन्होंने मथुरा से आगरा, इटावा-कानपुर, फतेहपुर इलाहाबाद के क्षेत्रों का अध्ययन किया था और उसने तीन साल तक अध्ययन किया और तीन साल के अध्ययन के बाद 1915 में अपनी रिपोर्ट दी भारत सरकार को जिसमें यह बताया गया था कि मथुरा से लेकर आगरा-इटावा-फिरोजाबाद-कानपुर-इलाहाबाद और फतेहपुर तक का इलाका सन् 2005 तक पानी के लिए तरसेगा क्योंकि भू-गर्भ जल निरन्तर नीचे चला जायेगा । मान्यवर, उस रिपोर्ट को कृषि मंत्री को भेजकर ध्यान आकर्षित किया है और प्रधान मंत्री को भी कापी भेजी है । बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जन-जीवन से जुड़ा सवाल है । मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि ब्यूरोक्रेसी के कारण सभी महकमों की दुगर्ति है, निराशा है, उपेक्षा है तथा कर्मचारियों में काम करने के प्रति निकम्मापन आया है । चाहे सिंचाई का मामला हो या अण्डर ग्राउण्ड वाटर का मामला हो, पीने के पानी का मामला हो, इन सारे मामलों पर सरकार को ध्यान देना है । ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जिसके लिए आवश्यक है कि वर्षा के पानी को युद्ध स्तर पर रोककर उसका संरक्षण किया जाये । इस संकल्प पर गम्भीरता से सरकार विचार करे । एक समिति बनाकर, योजना बनाकर वर्षा के जल को बचायें । यह गम्भीर विषय है इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, वर्मा जी के संकल्प के माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बहुत सी चीजों का ब्यौरा वर्मा जी ने दे दिया है, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा । मान्यवर, वर्मा जी ने ग्रामीण क्षेत्रों तक का विवरण सदन के सामने रखा । मैं केवल चार लाइन में अपना विषय समाप्त करना चाहूंगा । मान्यवर, जगह-जगह नारा लिखा है "जल ही जीवन है. जल अमूल्य है, कृपया इसे बचायें ।" इस तरह जल की क्या महत्ता है, मैं शहरी क्षेत्र के नाते कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार शहरी क्षेत्रों में नक्शा पास करते समय 100 गज और उससे ऊपर के क्षेत्रफल के मकानों में यह व्यवस्था अनिवार्य करा दें कि ऐसे मकानों में छतों के ऊपर इक्ट्ठा होने वाला वर्षा का जल पाइप लाइन के द्वारा जमीन के नीचे उसको पहुंचाने की व्यवस्था की जाये । इस व्यवस्था को सरकार नक्शा पास करते समय अनिवार्य कर दे, ताकि वर्षाकाल में इन मकानों के छतों पर एकत्रित किया हुआ जल जमीन में जाये और ऐसा करने से यह कम से कम उस स्थानीय निकायों के लोगों के मिल सके । मान्यवर, भूगर्भ जल को रोकने में बहुत ही प्रभावी होगा । मान्यवर, नियम को बनाने के साथ-साथ सरकार प्रत्येक प्राधिकरण को, सरकारी एजेंसी को यह निदेश दे दे कि छत पर किस प्रकार की व्यवस्था की जाये, भूतल पर किस प्रकार की व्यवस्था की जाये । अगर इस तरह सभी नये भवनों में व्यवस्था कर दी जायेगी तो उस परिवार को वर्षभर जितने जल की जरूरत पड़ती है, पर्याप्त होगी उसकी पूर्ति हो सकती है । मान्यवर, मैं इस चर्चा के माध्यम सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि शहरी क्षेत्रों में जब मकानों के नक्शे पास करने के लिये प्रस्तुत किये जायं, या अन्य जो नक्शा पास करने वाली एजेन्सियां है, उनके पास प्रस्तुत किये जायें तो वह यह अनिवार्य कर दें कि मकान में छत के पानी को भूगर्भ जल तक पहुंचाने के लिये उचित व्यवस्था की गई है । इस प्रकार भूगर्भ जल स्तर जो दिनोंदिन घटता चला जा रहा है, उसमें सुधार होगा और भूगर्भ जल स्तर बढ़ेगा ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, वर्षा के जल को सुरक्षित करके घटते हुए भूगर्भ जल स्तर को सुधारा जा सकता है, और जो भूगर्भ जल-स्तर दिनोंदिन घटता जा रहा है उसमें सुधार किया जा सकता है, पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है । अभी-अभी हमारे माननीय डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने,माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी ने भूगर्भ जलस्तर को बढ़ाने के लिये जो चर्चा सदन के समक्ष की उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, जल ही जीवन है, जल से ही खेती होती है, पीने के काम आता है, और जब तक हम वर्षा के जल को भूगर्भ में पुनः नहीं पहुंचायेंगे तब तक घटते हुए जल स्तर को रोका नहीं जा सकेगा । मान्यवर, तालाब नहरों, और पोखरों की कमी के कारण हम वर्षा का 16-17 प्रतिशत पानी ही कृषि कार्यों में इस्तेमाल कर पाते हैं, जबकि 70-80 प्रतिशत पानी व्यर्थ बह जाता है जिसका हम कोई इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं । मान्यवर, इसके लिये यह आवश्यक है कि बड़े-बड़े तालाब खुदवायें जायें, चेक डैम बनवाये जायें जिसमें पानी का संचय किया जा सके और हम उस पानी को कृषि कार्यों हेतु उपयोग कर सकें । मान्यवर, बिना ऐसा किये हम वर्षा के पानी को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं । सरकार ने काफी समय पहले योजना बनवाकर तालाबों को खदुवाने का काम किया था लेकिन उन तालाबों में वर्षा के पानी का संचय नहीं हो पा रहा है, वह तालाब बेकार पड़े हैं । उन तालाबों में आज कहीं भी पानी नहीं है । मान्यवर, हमारे माननीय डा० साहब ने और माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी ने अभी इस विषय पर जो चिन्तन किया है, मनन किया है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि डा० साहब ऐसे लोगों के पानी की चिन्ता करते हैं, जिनका पानी मर गया है । माननीय शाही जी के विभाग में तो पानी का ही कारोबार होता है, शराब में खूब पानी मिलाया जाता है । मान्यवर, वर्षा के पानी को उपयुक्त संरक्षण दिया जाना चाहिये ताकि भूगर्भ जल का जो स्तर है वह बढ़े और पानी की जो समस्या है वह न उत्पन्न हो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वर्मा जी के संकल्प का समर्थन करता हूं ।

लघु सिंचाई ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)–

मान्यवर, इस सदन के अत्यन्त वरिष्ठ सदस्य माननीय वर्मा जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण और सामयिक है। वर्मा जी की जो चिन्ता है सरकार उससे पूरी तरह से सहमत है। माननीय रामतेज जी ने और माननीय वर्मा जी ने, डा० बाजपेयी जी ने जो वास्तविक स्थिति है और जो इसका महत्व है उसका वर्णन किया है। मान्यवर, यह सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अन्दर जो जल है जिसका उपयोग हम सभी, पशु-पक्षी और वृक्ष करते हैं वह पृथ्वी के अन्दर से जीवन के रूप में मिलता है। पृथ्वी से जो जल लिया जाता है उसकी पूर्ति प्रकृति वर्षा के माध्यम से करती है। पृथ्वी के अन्दर का जो जल कम हो रहा है उसकी पूर्ति वर्षा के पानी को एकत्रित करके की जा सकती है, यही इसका सबसे बड़ा उपाय है। पहले पूरे देश में गांवों में और शहरों में भी तालाब हुआ करते थे और पोखरे तथा नाले हुआ करते थे जिनमें वर्षा का जल एकत्रित होता था और वह धीरे-धीरे पृथ्वी के अन्दर जाता था। लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और गांवों में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं और जिस तरह से तालाब, पोखर पटते जा रहे हैं उससे वर्षा का जल संचय नहीं हो पाता है। इससे पृथ्वी में जल की रि-चार्जिंग नहीं हो पाती है। प्रकृति के नियमों के विपरीत आचरण करने से यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। गांवों में परम्परागत ढंग से जो कच्चे मकान बनाये जाते थे और जिनके लिए मिट्टी निकाली जाती थी और तालाब-पोखर बन जाते थे लेकिन गांवों में पक्के मकानों का निर्माण होने लगा जिससे तालाब-पोखर धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। पहले तालाब खुदवाना–पोखर खुदवाना एक पुनीत कर्तव्य माना जाता था आज उसके विपरीत आचरण किया जा रहा है अनेक स्थान ऐसे थे जहां तालाब थे और उनमें पानी एकत्रित होता था लेकिन वह तालाब-पोखर समाप्त हो गये हैं। आज पानी बहकर समुद्र में चला जाता है जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने बताया है। इस समस्या का समाधान छोटे-छोटे नाले, चेक डैम, बन्धियां बनाकर किया जा सकता है। इससे पानी एकत्रित होगा और सिंचाई करने के काम के साथ-साथ वह पृथ्वी में नीचे जायेगा जिससे पृथ्वी के पानी का स्तर ऊंचा उठेगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि इस समस्या का निदान केवल सरकार के करने से नहीं होगा। इतने विशाल पैमाने पर पूरे भारतवर्ष में और प्रदेश में यह किया जाना सम्भव नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी जो सरकार अपने स्तर से नहीं जुटा सकती है। इसमें जन सहयोग आवश्यक है और इसको जन आन्दोलन के रूप में लेना होगा। इस समस्या की भयावहता के बारे में लोगों को जागरुक करना होगा कि जल के अनियंत्रित प्रयोग से क्या हानियां हैं। जल ही जीवन है इसका अनावश्यक उपयोग न करें और बरसात के पानी को एकत्रित किया जाय इस सम्बन्ध में लोगों में जानकारी फैलाने की जरूरत है। जब इसके महत्व को लोग समझेंगे तो यह समस्या सही मायने में हल की जा सकेगी। सरकार को इस विषय की चिन्ता है और सरकार इस सम्बन्ध में विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है। विशेषज्ञों की एक समिति बनायी गयी है जो नियमित रूप से इस पर कार्य कर रही है। उसने कुछ उपायों को भी सुझाया है। एक यह उपाय बताया गया है कि ऐसी फसलों का उत्पादन न किया जाय जिसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। मगर इसके लिए हम कानून नहीं बना सकते हैं किसान को नहीं रोक सकते हैं कि वह गन्ने का उत्पादन न करे और मेंथा की खेती न करे। हम दूसरे उपायों जैसे नदी, तालाबों को गहरा करके, बन्धियां बनाकर पानी का संचय कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा भी धन उपलब्ध कराया गया है। उसके लिए ग्यारहवें वित्त आयोग ने 57 करोड़ 29 लाख रुपये उपलब्ध करायें हैं। इतनी ही धनराशि जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना से उपलब्ध करायी गयी है। पूरे प्रदेश के स्तर पर इस समस्या के निदान में हम लेते तो यह सम्भव नहीं है। आज धन की कमी नहीं है। सुनिश्चित रोजगार योजना में धन जा रहा है। जवाहर रोजगार योजना में धन जा रहा है अन्य विभाग भी अपने स्रोतों से सिंचाई विभाग नहरों का निर्माण करता है, भूमि संरक्षण कृषि विभाग भी इस काम में लगे हैं। प्रत्येक गांव में जो सुनिश्चित रोजगार योजना का धन

जाता है, जवाहर रोजगार योजना का धन जाता है उससे हम प्रत्येक गांव में जो धन उपलब्ध कराते हैं अगर प्रत्येक गांव में एक-एक तालाब बनाया जाए कोई ऐसा गांव नहीं जहां तालाब न हो भले ही वह उथला हो उसको हम गहरा कर सकते हैं, अधिक से अधिक पानी का संचय कर सकते हैं जैसा कि पहले मैंने वर्मा जी के उत्तर में बताया था पहले 111 ब्लाक डार्क एरिया थे अब वह स्थिति नहीं है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के जितने भी विभाग इस काम में लगे हैं पूरी तरह से उसका सर्वे करके यह तथ्य आया है इस समय केवल 22 ब्लाक डार्क रह गये हैं। वर्मा जी का ब्लाक डार्क ब्लाक है। इस समय आगरा में एतमादपुर, अलीगढ़ में मोंठ चण्डौर, इलाहाबाद में, बागपत में विनौली, बरेली में मझग, बदायूं में राजापुर वजीरगंज, एटा में सकेर, फर्रुखाबाद में बड़पुर कमालगंज, फिरोजाबाद में नारखी इस तरह से 22 ब्लाक डार्क घोषित हैं यह अति दोहित की श्रेणी में आते हैं। यह ओवर एक्सप्लाइटेशन की श्रेणी में आते हैं 53 ब्लाक सेमी क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं। 22 ब्लाकों में सिंचाई के लिए कोई अनुदान नहीं दे सकते हैं। अब 111 की स्थिति समाप्त हो गयी है इसकी सूचना जल्द ही माननीय सदस्यों को भिजवा देंगे। जो पुराने तालाब हैं उनके जीर्णोद्धार की योजना बनायी गयी है यह शीघ्र ही प्रारम्भ करा दी जायेगी। पठारी क्षेत्र में 23 विकास खण्ड के 1323 गांवों में और मैदानी क्षेत्र के 18 विकास खण्डों के 1114 गांवों में तालाबों और पोखरों को गहरा किया जायगा इस पर लगभग 54 करोड़ रुपये लगेंगे। सरकार के पास जो सीमित साधन हैं उससे यह काम हो रहा है। जो हमारे माननीय सदस्य हैं जो ग्राम पंचायत से लेकर क्षेत्रीय पंचायत तक की बैठकों में भाग लेते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि गांव-गांव में जाकर लोगों को यह बतायें कि आज भूजल स्तर गिर रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है इसमें जन आन्दोलन की आवश्यकता है। यदि ऐसा किया गया तो गांवों के तालाबों को गहरा और जहां तालाब नहीं हैं वहां पर नये तालाब खोदने का कार्य किया जा सकेगा। इसमें कोई वैज्ञानिक चीज नहीं है जिसे समझाने की आवश्यकता पड़े। केवल यह कार्य यदि हो सकता है तो जन आन्दोलन के माध्यम से। तभी हमारा भूगर्भ जल स्तर अपनी पूर्व स्थिति में लौट सकेगा। अब मैं माननीय वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि जो उन्होंने संकल्प प्रस्तुत किया है और जिस पर माननीय बाजपेयी जी और माननीय रामतेज यादव जी ने जो अपने सुझाव व्यक्त किये हैं उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूं और सरकार इस बारे में विशेष रूप से चिन्तित है, इसको वापस ले लें। मेरा यह भी आग्रह है कि यह कार्य जन आन्दोलन के जरिये ही हो सकता है। हमारी जो विभिन्न योजनायें हैं उनके माध्यम से भी यह कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है स्वीकृतियां दी जा चुकी है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की वेदना और चिन्ता को मैंने देखा व सुना उससे मुझे कुछ प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री जी काफी हताश हैं माननीय मंत्री जी हताशा से काम नहीं चलेगा इसके लिए तो प्रोत्साहन भी होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले नगर विकास मंत्री जी ने बयान दिया था कि नगरों में जल स्तर नीचे जा रहा है सुझाव दिया था कि छतों पर पानी स्टोर किया जाय। उसकी बर्बादी न हो जाय। टण्डन जी और इरिगेशन मंत्री जी दोनों मिलकर इस भूगर्भ जल के घटते हुए स्तर और वर्षा के जल की जो बर्बादी होती है वह न हो। इस पर एक योजना तैयार करें और 500 करोड़ रुपये इस कार्य के लिये भारत सरकार से मांगें। वाटर रिचार्जिंग की योजना बनाकर जल स्रोतों को सूखने से बचाने के लिये प्रयास करना होगा। टण्डन जी प्रधान मंत्री जी पर जोर डालकर अपना अनुरोध करें कि यह जो नगरों में, देहातों में पानी की समस्या हो रही है, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जल स्तर नीचे जाता जा रहा है, उसके लिये 500 करोड़ की योजना बनाकर दें। वे इस प्रकार से एक स्पेशल पैकेज देकर हमारा सहयोग कर सकते हैं जिससे प्रदेश में बदलाव आ सकता है और प्रदेश अच्छी प्रगति कर सकता है। वाटर चार्जिंग के बारे में जैसा कि टण्डन जी ने भी कहा कि पानी बरसात का जो होता है वह छतों से नीचे जमीन के अन्दर डाला जाय। पानी तो आप छत से

जमीन के अन्दर डाल देंगे लेकिन उस पानी में जो वैक्टीरिया है वह जमीन के अन्दर जाकर भूगर्भ जल को भी प्रदूषित कर देगा जिसको कि हम अभी पीने के लिये ले रहे हैं । मान्यवर, भूमि ही एक ऐसा फिल्टर है जो अशुद्ध पानी को शुद्ध करता है इससे बड़ा कोई फिल्टर दुनिया में नहीं बना । मेरा अनुरोध है कि वाटर रिचार्जिंग के लिये जो आपकी स्कीम है उसमें आप सीधे पानी जमीन में न डालकर कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि पहले पानी कुछ दिन रेत में ठहरे । जब तक उसमें प्योरिटी न आ जाय, वह छनकर साफ न हो जाय तब तक उसको भूगर्भ जल में भेजने की कोशिश न करें । ऐसा अगर नहीं करेंगे, सीधे बरसात के पानी को छत से उतार कर जमीन में डाल देंगे तो जो भूमि के अन्दर शुद्ध पानी है जिसको हम पीने के लिये इस्तेमाल करते हैं, वह अशुद्ध हो जायेगा । मान्यवर, यह मानव जीवन के लिये खतरा पैदा हो जायेगा । मेरा कहना है कि इस विषय पर वैज्ञानिकों की राय ले ली जाय । गंगा जमुना से जो पानी लिया जाता है उसको पहले फिल्टर किया जाता है फिर पीने के इस्तेमाल में दिया जाता है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि वाटर रिचार्जिंग में पहले पानी को फिल्टर किया जाय फिर भूगर्भ जल में उसको डाला जाय । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो सौयल कन्जरवेशन डिपार्टमेंट है, उसको आप स्वयं डील करते हैं आप एक बैठक बुला लें । भूगर्भ जल के वैज्ञानिकों को बुलाकर गहन चिन्तन करके 500-600 करोड़ की एक योजना बनाकर भारत सरकार से पैसे के लिये अनुरोध कर लें तो इससे बहुत कल्याण हो सकता है । आप कह रहे हैं जे०आर०वाई० से पैसा दिया गया । वह तो गांव में विकास के लिये जा रहा है । आप उससे तालाब खुदवाने में कैसे लगायेंगे । जो ग्राम पंचायत का प्रधान है वह तकनीकी दृष्टि से नहीं जानता । उस पैसे का सही उपयोग हो इसके लिये आपके जे० ई० या विशेषज्ञ इस काम को देखें और उनकी देखरेख में यह काम हो जाय । अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है अतः मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं ...

* आवास, नगर विकास मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)–

मान्यवर, कोई संकट अगर आने वाला है तो उससे पहले लोगों का जनमत जागृत करने के लिये जरूर ध्यान आकृष्ट कराना आवश्यक होता है कि यह संकट आ रहा है कि यह प्राकृतिक संकट है कुछ मानव के द्वारा भी यह उत्पन्न किया गया है जितना जमीन के अन्दर से हम पानी लेते हैं उसको वापस नहीं करेंगे तो वह भंडार अनिश्चितकाल के लिये नहीं चलेगा, इसलिये दो योजनाएं इसके लिये बहुत देर हो जाये इसकी तरफ ध्यान देते हुये कार्यवाही शुरू कर दी है । शायद उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस विषय में चिन्ता की है । गुजरात में भूकम्प आया जो वहां मकान बनाने में अनुभव आया, जो कमियां थीं बहुखण्डी भवन गिर गये उसमें लोग दब गये उन कमियों को दूर करने के लिये शासनादेश जारी किया है एक ऐसी टीम बनाई गई है जो नक्शे से लेकर बिल्डिंग बनाने तक का निरीक्षण करेगी । वह देखेगी कि भूकम्प विरोधी तकनीक अपनाई है या नहीं । अगर नहीं अपनाई है तो मकान बनने से रोक दिया जायेगा या बनने ही नहीं दिया जायेगा । ताकि जो त्रासदी दूसरे राज्यों ने देखी है वह यहां न देखनी पड़े । श्रीमन् भूगर्भ जल जिस तेजी से नीचे जा रहा है वर्षा नहीं हो रही है दोष किसी का नहीं है आज सारी जलवायु बदलती जा रही है, शहर बढ़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब कुएं बन्द कर दिये गये हैं । नये तालाब खोलें या न खोलें उनको बचाने के लिये तो कार्य होना चाहिये जो तालाब कुएं हैं उनको पाटने से रोकने के लिये कानूनी कार्यवाही हो रही है । वाटर रि-चार्जिंग और वाटर हारवेस्टिंग दो अलग चीजें हैं । तालाब में पानी इकट्ठा होता है वह पानी रिस-रिसकर नीचे जाता है कितने फिल्टर उसको मिलते हैं जब वह नार्मल लेबिल पर होता है । ऐसी कोई मशीन नहीं है कि तालाब में मशीन लगा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दें और उससे छनकर पानी आ जाये । जो कुछ किया जा रहा है वह वैज्ञानिकों के आधार पर किया जा रहा है । वाटर हारवेस्टिंग में पानी का कोई उपयोग नहीं है उसको बचाकर रखा नहीं जा सकता है इसलिये उसे जमीन में वापस कर दें यह व्यवस्था बनाई जाये तो भू-गर्भ स्तर जो गिर रहा है वह न गिरे । बरसात में छतों पर पानी गिरता है नालियों में पानी न बहने पाए इसके लिये डीप गड्ढे खोदे जाएं तो वह पानी नाली में पहुंचने के बजाय जमीन में नीचे चला जाय वर्षा का पानी नीचे जायेगा तो यह वाटर हारवेस्टिंग हुई । यह कई जगह किया है पुराने कुएं पाटे नहीं गये हैं उसे पेयजल योजना में परिवर्तित किया है जो पुराने कुएं हैं उनका पानी गरीब लोगों को मिल रहा है जहां ट्यूबवेल हम बनाना चाहते हैं वहां नहीं बना पा रहे हैं एक ट्यूबवेल पर 20 लाख के करीब लागत आती है, लेकिन उससे ज्यादा पुराने कुओं से पानी मिल रहा है उसमें चार-पांच लाख, कहीं डेढ़ लाख इस तरह लागत आ रही है और एक कुआं ट्यूबवेल से डेढ़ गुना पानी दे रहा है । कुओं के चालू रहने से वाटर की रि-चार्जिंग भी होती है । हम लोग जो धरती से जल ले रहे हैं उसे वापस देने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो भंडार खत्म हो जाएगा । जब सब खत्म हो जाएगा तो पेयजल का संकट खड़ा होगा उससे कृषि और जीवन दोनों प्रभावित होंगे । इसलिये कुछ कदम उठाये गये हैं । माननीय वर्मा जी कुछ सुझाव दे रहे थे । मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कभी आप हमारे साथ बैठें । आपके सुझाव से हम लाभान्वित हों । इसमें सबके लिये समान रूप से संकट है । इसमें कोई राजनीति नहीं है, दल नहीं है । आप बैठें जो सुझाव होंगे उनको क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय टण्डन जी का आभार व्यक्त करता हूं उन्होंने जो वेदना प्रकट की । मैं सारे सुझावों को लिखकर दे दूंगा । प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ की योजना दी है उसमें यह इसको रखें । मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि–"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के चौमुखी विकास के लिये वर्षा के जल को व्यर्थ होने से बचाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाय ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और संकल्प अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं अतः यह संकल्प प्रस्तुत नहीं हुआ ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 11 मई, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई । इसमें पहली सूचना डा० पूर्णमासी पंकज की प्रदेश में पूर्वांचल में औद्योगिक विकास हेतु स्थापित श्रम विभाग के उपनिदेशक कारखाना पद को इलाहाबाद से हटाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं, को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । दूसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एन्टी रैबीज इन्जेक्शन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में है, को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । तीसरी सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा की प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के बावजूद जनपद फिरोजाबाद के कतिपय ग्रामों में आज भी जमींदारी कुप्रथा लागू होने से उत्पन्न स्थिति [illegible] में है, को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । चौथी सूचना

श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा में अधिकारियों के संरक्षण में भू-माफियाओं द्वारा अवैधानिक रूप से भूमि हथियाये जाने तथा इनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। पांचवीं सूचना श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल की जनपद गोरखपुर की तहसील खजनी अन्तर्गत ग्राम साख डाड़ (बाबू) के निवासियों से विद्युत कनेक्शन हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने के बाद भी गांव का विद्युतीकरण न कराये जाने के संबंध में है, को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। छठी सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत राजे सुल्तानपुर में सिंह चौक पर विद्युत ट्रांसफारमर लगवाये जाने के संबंध में, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। सातवीं सूचना श्री आचार्य रामदेव वैश्य की उत्तर प्रदेश होमगार्डस संगठन के लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों को वर्दीधारी घोषित करने के संबंध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। आठवीं सूचना डा० वकार अहमद शाह की बहराइच जिला अस्पताल में आंख आपरेशन थियेटर को संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। नौवीं सूचना श्री रूप चौधरी की प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र के कतिपय जनपदों एवं गाजियाबाद जनपद के खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत अवैधानिक रूप से चल रहे बूचड़खानों एवं पशुवध पर रोक लगाये जाने के संबंध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। दसवीं सूचना श्री उदयराज यादव की लोक निर्माण विभाग, उन्नाव द्वारा लम्बे अर्से से निर्माणाधीन सड़कों को पूरा न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। ग्यारहवीं सूचना श्री नेताराम सिंह की कासगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत शाखा अनूपशहर ब्रांच में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। बारहवीं सूचना श्री श्रीराम पाल की ऐतिहासिक एवं पर्यटक स्थल नगर कालपी, जालौन में पर्याप्त क्षमता का विद्युत ट्रांसफार्मर न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। तेरहवीं सूचना श्री रा" चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के ग्राम चौबेपुर रसूलपुर निवासी रामपाल की विद्युत स्पर्शाघात से हुई मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को विद्युत विभाग द्वारा अनुमन्य सहायता राशि अब तक न दिए जाने के संबंध में है, को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। चौदहवीं सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की जनपद जौनपुर की कोतवाली मड़ियाहूं निवासी सुधाकर त्रिपाठी व दिवाकर उर्फ नीलमणि के विरुद्ध क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूं द्वारा थाना रामनगर, जनपद जौनपुर में कथित रूप से फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। पन्द्रहवीं सूचना श्री राम जग की जनपद आजमगढ़ की नवसृजित तहसील मेंहनगर के भवन का शीघ्र निर्माण कराये जाने के संबंध में है, को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। सोलहवीं सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की विधान भवन तथा राजकीय सचिवालय सहित अन्य राजकीय भवनों की दीवार लेखन से गन्दा करने पर दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु अधिनियम बनाये जाने के संबंध में है, को ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई :–

1–श्री संजय गर्ग, 2–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, तथा 3–श्री नवाब सिंह नागर।

प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के जनपदों में लाखों की संख्या में अवैध रूप से आकर बस रहे बंगलादेशी नागरिकों को चिन्हित कर वापस भेजे जाने विषयक श्री रूप चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य-मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय सदस्य विधान सभा श्री रूप चौधरी द्वारा.....

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री हुकुम सिंह–

मा० सदस्य विधान सभा श्री रूप चौधरी द्वारा [नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में कहा गया है कि उनका विधान सभा क्षेत्र दिल्ली सीमा से सटा हुआ है । इस क्षेत्र के लोनी, पसौन्डा, भोपुरा, शहीदनगर, खेकड़ा, आदि क्षेत्रों में अवैध रूप से आकर लाखों बंगलादेशी नागरिक बस गये हैं । इसी प्रकार आसपास के क्षेत्र गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, मुरादाबाद, नोएडा, बुलन्दशहर, आगरा आदि क्षेत्रों में भी लाखों बंगलादेशी आकर बस गये हैं । इन बंगलादेशी घुसपैठियों में अनेक अपराधी किस्म के नागरिक भी है । इनके कारण राजधानी व आसपास के क्षेत्रों में अपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं । पुलिस ने इन्हें हत्या, अपहरण, लूटपाट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में गिरफ्तार किया है । ये लोग हथियारों, मादक द्रव्यों आदि की तस्करी में भी लिप्त हैं । इन लोगों ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस व भूमफियाओं से मिलकर करोड़ों रुपये की सरकारी भूमि व सार्वजनिक भूमि पर भी कब्जा कर लिया है । स्थानीय प्रशासन व पुलिस भी इस गम्भीर समस्या की ओर से आंख बन्द किये हुए हैं ।

मा० विधायक द्वारा उक्त बंगलादेशी नागरिकों को चिन्हित करवाकर वापस भिजवाने की बात कही गयी है ।

2–बंगलादेशी राष्ट्रिकों के सम्बन्ध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति तथा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुरूप अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में वास करने वाले बंगलादेशी राष्ट्रिकों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ से ही पूर्णतया अत्यन्त तत्परता एवं सजगता से कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से पुष्ट है :–

(1) बंगलादेशी शरणार्थियों के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा बंगलादेश सरकार के मध्य हुई सहमति के क्रम में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्र संख्या–11/180/72–टीएक्स०, दिनांक 30-9-72 के अनुसार दिनांक 25-3-71 के पूर्व शरणार्थियों के रूप में भारत आने वाले बंगलोदशी राष्ट्रिकों की भारत से वापस बंगलादेश न भेजने का निर्णय हुआ था और दिनांक 25-3-71 के पश्चात् आने वाले शरणार्थियों को भारत से वापस भेजा जाना था । भारत सरकार का उक्त पत्र दिनांक 30-9-72 पुलिस अधीक्षक (एफ) विशेष शाखा अभिसूचना विभाग उ० प्र० लखनऊ के पत्र संख्या–बी–2/इन्सट–34/उदवासन/74-98, दिनांक 20-2-98 के द्वारा प्रदेश के समस्त पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को अनुपालनार्थ परिचालित कर दिया गया था ।

(2) अवैध रूप से वास करने वाले बंगलादेशी राष्ट्रिकों को चिन्हित करके उनका उदवासन करने के सम्बन्ध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा परिपत्र संख्या–14011/8/96–एफ–6, दिनांक 16-9-97 तथा परिपत्र संख्या–14011/8-96–एफ–6, दिनांक 9-9-98 निर्गत किये गये थे । भारत सरकार के उक्त

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

परिपत्र विशेष शाखा, अभिसूचना विभाग, उ० प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या–बी-2/इन्सट–34/उदवासन/84-98, दिनांक 20-2-98 व पत्र संख्या–एफ–1/इन्सट–34/बी०डी०/98, दिनांक 29-10-98 द्वारा प्रदेश के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को अनुपालन हेतु भेजे जा चुके हैं ।

(3) भारत की आन्तरिक तथा बाहरी सुरक्षा को आई०एस०आई० तथा अन्य आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न खतरों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः भारत सरकार के गृह मंत्रालय से निर्गत अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या : 14011/49/99–एफ–6, दिनांक 19/22-5-2000 में अवैध रूप से रहने वाले बंगलादेशी राष्ट्रिकों को उदवासित किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत/सुस्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे । यह पत्र भी गृह (बीजा) विभाग के शासनादेश संख्या : 125क(भा)/छ:बी–1–78/97, दिनांक 21 जुलाई, 2000 द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालन हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है ।

(4) चूंकि राज्य सरकार के आयुक्त, मेरठ मण्डल, जिलाधिकारी, गाजियाबाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर द्वारा भी अवैध वास करने वाले बंगलादेशी राष्ट्रिकों से उत्पन्न समस्या की सूचना दी गयी थी, दूसरी ओर राज्य सरकार के अभिसूचना विभाग द्वारा संसूचित विवरण से भी यह ज्ञात हुआ है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे बंगलादेशी राष्ट्रिक वास कर रहे हैं जो भारत सरकार की नीति से आच्छादित नहीं होते हैं, और इस प्रकार अवैध वास करने वाले बंगलादेशी राष्ट्रिकों ने नियम विरुद्ध अनुचित माध्यम अपनाकर आवासीय भूखण्ड क्रय करने के साथ-साथ अपने नाम मतदाता सूचियों में शामिल करा लिए हैं और अपने परिवार जनों के नाम से राशन कार्ड भी बनवा लिए हैं ।

3–राष्ट्र की आन्तरिक सुरक्षा को विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न खतरों एवं उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से वास करने वाले बंगलादेशी राष्ट्रिकों से उत्पन्न समस्याओं का गम्भीर संज्ञान लेते हुए आयुक्त, मेरठ मण्डल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतमबुद्धनगर, जिलाधिकारी गाजियाबाद तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद की क्रमशः पत्र संख्या : यू०ओ० 13ए/छ:बीजा-4-2001-आर-2060/2000, दिनांक 7-3-2001 व पत्र संख्या यू०ओ० 13ए/छ:बीजा–4–2001–आर–2060/2000, दिनांक 7-3-2001 द्वारा अवैध वास कर रहे बंगलादेशी राष्ट्रिकों के उदवासन प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

4–चूंकि राज्य सरकार इस समस्या के प्रति पूर्णतया राष्ट्रहित में सजग व तत्पर है, अतः इसी तत्परता के फलस्वरूप दिनांक 30-4-2001 तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवैध रूप से वास करने वाले 631 बंगलादेशी राष्ट्रिकों को उत्तर प्रदेश (भारत) से उदवासित कर दिया गया है । अवैध रूप से वास कर रहे बंगलादेशी राष्ट्रिकों को चिन्हित करके भारत सरकार की नीति विषयक आदेशों के तहत उनके उदवासन की कार्यवाही युद्धस्तर पर जारी है । उक्त से यह पुष्ट होता है कि राज्य सरकार इस समस्या के निराकरण हेतु राष्ट्रहित में निरन्तर कृत संकल्प व प्रयत्नशील है ।]

प्रदेश में लेवी चावल की खरीद पर हो रही घपलेबाजी तथा अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री तेजभान सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

खरीफ विपणन वर्ष 2000-2001 में.....

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

प्रदेश में लेवी, चावल के खरीद पर हो रही धपलेबाजी तथा अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय सदस्य, विधान सभा श्री तेजभान सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

खरीफ विपणन वर्ष 2000-2001 में [प्रदेश में विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत दिनांक 01-10-2000 से लेवी योजना में चावल की खरीद प्रारम्भ की गई । चावल की खरीद प्रदेश में कार्यरत लाइसेंस प्राप्त चावल मिलों/व्यापारियों से लेवी लगाकर की जा रही है । प्रदेश के पूर्वी सम्भागों (जनपद बाराबंकी एवं फतेहपुर को छोड़कर) लेवी की दर 40% तथा शेष सम्भागों में 60% निर्धारित है । विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत राज्य की बी०पी०एल० योजना में चावल का वार्षिक आवश्यकता के अनुरूप उसका भण्डारण स्टेट पूल में किया जा रहा है । स्टेट पूल में भण्डारण एस०डब्लू०सी० तथा सी०डब्लू०सी० के गोदामों में वैज्ञानिक तरीके से कराया जा रहा है । बी०पी०एल० योजना के अन्तर्गत प्रदेश का वार्षिक आवंटन 6,93,624 मी० टन है । लेवी चावल की खरीद प्रारम्भ होने के पूर्व दिनांक 01-10-2000 को स्टेट पूल में चावल का प्रारम्भिक स्टाक 2.50 लाख मी० टन था । इस वर्ष मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 5,40,179 मी० टन धान की खरीद की गई, जो एक रिकार्ड है । उक्त धान से कस्टम मिल्ड चावल की 3.18 लाख मी० टन मात्रा स्टेट पूल में संग्रहित की गई है, तथा .23 लाख मी० टन और प्राप्त होना है । लेवी योजना के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में 8.12 लाख मी० टन चावल की खरीद की गई है, जिसमें से 1.72 लाख मी० टन चावल स्टेट पूल में संग्रहीत किया गया है तथा 6.24 लाख मी० टन चावल केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम को डिलीवर किया गया ।

विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत स्टेट पूल में संग्रहीत किये जाने वाले चावल की मात्रा का जनपदवार आवंटन जनपद का बी०पी०एल०, की वार्षिक आवश्यकता तथा जनपद में उपलब्ध भण्डारण क्षमता के आधार पर किया जाता है । इस प्रकार आवंटन में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है । जनपदवार किये गये आवंटन के अनुरूप जनपद में स्थित चावल मिलों से लेवी प्राप्त कर, उसका संग्रह आवंटन के अनुसार स्टेट पूल/केन्द्रीय पूल में कराया जाता है ।

जहां तक फैजाबाद मण्डल में स्टेट पूल में संग्रह की जाने वाली चावल की मात्रा के आवंटन का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि 30 सितम्बर, 2000 को सम्भाग में स्टेट पूल में चावल की उपलब्धता 8075 मी० टन थी । खरीफ वर्ष 2000-2001 में स्टेट पूल में लेवी चावल के क्रय का लक्ष्य 55000 मी० टन निर्धारित किया गया था इस प्रकार फैजाबाद सम्भाग में चावल की कुल उपलब्धता 63075 मी० टन आंकी गई थी उल्लेखनीय है कि फैजाबाद सम्भाग की बी०पी०एल० योजना में चावल की वार्षिक आवश्यकता 43436 मी० टन आंकी गई थी और इस प्रकार सरप्लस मात्रा 19639 मी० टन आजमगढ़ सम्भाग को प्रेषित किये जाने का संचरण कार्यक्रम निर्धारित किया गया था ।

दिनांक 01-5-2001 तक की सूचना के अनुसार फैजाबाद सम्भाग में 37011 मी० टन चावल की खरीद की गई है, जिसमें से 14048 मी० टन चावल स्टेट पूल में तथा 22963 मी० टन चावल भारतीय खाद्य निगम को डिलीवर किया गया ।

वर्तमान खरीफ वर्ष में सुल्तानपुर जनपद में चावल मिलों द्वारा 29022 मी० टन धान की खरीद की गई, जिसमें से 27961 मी० टन धान की हलिंग करके 18752 मी० टन चावल उत्पादित किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्पादित चावल में से 40% लेवी दर के अनुरूप 7502 मी० टन लेवी चावल देय होता है, जिसमें से 5854 मी० टन चावल की लेवी लेकर 3384 मी० टन चावल स्टेट पूल में संग्रह किया गया । शेष 2470 मी० टन चावल केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम को डिलीवर किया गया । प्रदेश की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप स्टेट पूल में चावल की उपलब्धता हो गयी है । केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अब चावल की आवश्यकता न होने से अवगत कराया गया है ।]

प्रदेश में साइबर कैफों में अश्लील बेबसाइटों के प्रदर्शन से बढ़ रही अनैतिकता पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

प्रदेश में साइबर कैफों में .....

माध्यामिक शिक्षा, भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री हुकुम सिंह–

[अश्लील बेबसाइटों के प्रदर्शन से बढ़ रही अनैतिकता पर रोक लगाये जाने हेतु इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी ऐक्ट 2000 की धारा–67 में अश्लीलता के सम्बन्ध में दण्ड की व्यवस्था की गयी है । प्रथम बार अपराध किये जाने पर 5 वर्ष का कारावास तथा 1.00 लाख रुपये तक का जुर्माना तथा द्वितीय व अन्य बार अपराध किये जाने पर 10 वर्ष का कारावास तथा 2.00 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान इस ऐक्ट में किया गया है । इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों एवं पुलिस विभाग द्वारा संगत नियमों/प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।]

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, हमारे यहां मेरठ में 20 साइबर कैफे हैं जिलाधिकारी ने एक के केबिन को तुड़वाया है तो जहां यह केबिन/केबिल था तो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही पर सरकार तत्काल विचार कर रही है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो प्राविधान है उसका मैंने उल्लेख किया उसके अन्तर्गत कार्य करने का दायित्व हर अधिकारी का है माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया है जो इसमें प्राविधान हैं हर अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरठ में इसकी बाबत जानकारी नहीं है वहां जानकारी भिजवाने के लिए निर्देशित कर दें ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद मथुरा की पुलिस की निरंकुशता तथा पंजीकृत अभियोगों में प्रभारी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की .....

माध्यमिक शिक्षा, भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री हुकुम सिंह–

[प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया सदस्य विधान सभा द्वारा जनपद मथुरा की पुलिस की निरंकुशता तथा पंजीकृत अभियोगों में प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति से अवगत कराया गया है और यह भी कहा गया है कि मथुरा जनपद में शान्ति व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है तथा अपराधियों पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है । आम जनता की सुरक्षा हेतु अपराध तक पंजीकृत नहीं हो पा रहे हैं तथा स्थानीय पुलिस आम जनता को झूठे अभियोगों में फंसा रही है एवं धन बल के आधार पर मुकदमा कायम करने पर उनकी धारायें परिवर्तित कर दी जाती हैं । मा० विधायक द्वारा विभिन्न अपराधों के संबंध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से प्राप्त आख्यानुसार स्थिति निम्नवत है :–

1—मा० सदस्य द्वारा मु०अ०सं०–823/2000 [illegible] के धन बल के आधार पर मुकदमा कायम न करने का उल्लेख किया गया है और धारायें परिवर्तित किये जाने की भी [illegible] है । इस संबंध में यह अवगत कराना है कि मु०अ०सं०–823/2000 धारा 147/323/504/452/506 भा० द० वि० थाना कोतवाली मथुरा पर दिनांक 19-11-2000 को वादी श्री प्रमोद कुमार द्वारा पंजीकृत कराया गया । साक्षियों के कथन एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग धारा 323/504 भा०द०वि० का मात्र पाया गया और अभियुक्तगण श्रीमती महादेवी व तुलसा की नामजदगी झूठी पायी गयी । दिनांक 12–2–2000 को आरोप पत्र सं०–401 न्यायालय में शेष अभियुक्तों के विरुद्ध प्रेषित किया जा चुका है ।

2—मा० विधायक ने मु०अ०सं०–222/2000 थाना नरहौली के मुख्य मुल्जिम गंगाराम जो जयगुरुदेव के आश्रम में शरण पाये हुए हैं, जानबूझकर गिरफ्तार न करने की शिकायत की गयी है । इस संबंध में यह अवगत कराना है कि मु०अ०सं० 222/2000 धारा 307 भा०द०वि० वादी गंगाराम निवासी महौली ने अपने पिता को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जलाकर मार देने के संबंध में पंजीकृत कराया था । उक्त अभियोग की विवेचना विचाराधीन है । अभी तक कोई भी अभियुक्त दौराने विवेचना प्रकाश में नहीं आया है ।

3—मु०अ०सं–18/2001 थाना नरहौली पर वादी ने धन बल के फलस्वरूप कायम कराये जाने की शिकायत मा० सदस्य ने की है तथा इसे मा० सदस्य ने झूठा अभियोग बताया है । इस संबंध में यह बताया गया है कि मु०अ०सं०–18/2001 धारा 420/471/467/506 भा०द०वि० थाना कोतवाली मथुरा में पंजीकृत कराया गया । इस अभियोग में राजेन्द्र पंचौरी को दिनांक 22–2–2001 को गिरफ्तार करके

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जेल भेजा जा चुका है । साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–ए–38/2001 दिनांक 15–3–2001 को प्रोषित किया गया है ।

4—दिनांक 15/16–4–2001 को रिफाइनरी क्षेत्र में रिफाइनरी कम्पनी का सामान चोरी होने के संबंध में थाना रिफाइनरी, मथुरा पर मु०अ०सं०–53/2001 धारा 379/511 भा० द०वि० पंजीकृत हुआ जो अभी विवेचनाधीन है । उक्त अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी द्वारा की जा रही है ।

5—दिनांक 18–4–2001 को खण्डेलवाल उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य हुए झगड़े के संबंध में मु०अ०सं०–201/2001 धारा 323/504/506 भा० द०वि० पंजीकृत हुआ जिसमें अभियुक्त डाल चन्द्र ने दिनांक 3–5–2000 को न्यायालय में आत्मसमर्पण करके अपनी जमानत करा ली । अभियोग अभी विवेचनाधीन है ।

6—दिनांक 27–2–2001 को कस्बा शेरगढ़ टेम्पू स्टैण्ड में एक डेडबाडी पड़ी मिली थी जिसकी सिनाख्त मुरारी नामक व्यक्ति के रूप में हुई । इस संबंध में मृतक की पत्नी द्वारा दिनांक 15–3–2001 को मु०अ०सं०–29/2001 धारा 302 भा०द०वि० पंजीकृत हुआ इस अभियोग की विवेचना शासन द्वारा दिनांक 28–3–2001 को सी०बी०सी०आई०डी० से कराये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

7—मु०अ०सं०–276/2000 धारा 147/506/379/427 भा०द०वि० थाना कोसीकलाँ पर 8 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । विवेचना के दौरान 02 अभियुक्त झूठे पाये गये तथा दिनांक 24–10–2000 को संकलित साक्ष्य के आधार पर शेष अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं०–195 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

8—दिनांक 17–4–99 को थाना सदर बाजार, मथुरा पर पंजीकृत मु०अ०सं०–78/99 धारा 392 भा०द०वि० में प्रकाश में आये अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं०–41 दिनांक 31–3–2001 को प्रेषित किया गया और बरामद की गयी कारबाइन के नम्बरों का मिलान प्रयोगशाला से कराये जाने हेतु भेजा गया । प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट से पाया गया कि लूटी गयी कारबाइन के नम्बर बरामद की गयी कारबाइन से भिन्न हैं अतः प्रेषित आरोप पत्र को निरस्त कर दिया गया । इस घटना में संलिप्त अभियुक्तों का पता लगाने हेतु अथक प्रयास किये गये परन्तु कोई पता न चल सकने के फलस्वरूप माल/अभियुक्तों की सुरागरसी, पतारसी जारी रखते हुए अन्तिम रिपोर्ट सं०–25 दिनांक 18–4–2001 को न्यायालय में प्रेषित की गयी ।

9—मु०अ०सं०–262/2000 धारा 147/149/427/441/447/153ए/353/504 भा०द०वि० एवं 7द०प्र०सं० बृजलाल आदि 14 नफर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसमें हरी शंकर व बृजलाल को घटना में शरीक होना नहीं पाया गया तथा शेष 12 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं०–13/2001 दिनांक 15–2–2001 को न्यायालय में प्रेषित किया गया । मु०अ०सं०–54/2001 धारा 323/504/506/427 भा०द०वि० थाना गोवर्धन पर वी०पी० ज्योति आदि 4 नफर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है जो विवेचनाधीन है । मा० सदस्य द्वारा लगाये गये श्री एम०पी० गुप्ता उ०नि० के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है ।]

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, जो उत्तर दिया गया है उसमें क्रमांक-2 पर 302 का मुल्जिम गंगाराम वह विवेचना में आ चुका है और शरण में जयगुरुदेव को दिया हुआ है । यह तो स्थानीय पुलिस से मांगी गई आख्या पर ही जवाब दे रहे हैं जबकि सच्चाई कुछ और है तथ्यों को छिपाया गया है ।

श्री हुकुम सिंह–

कोई बात छिपायी नहीं गयी है सारी बातों को विस्तार से उल्लेख किया है ।

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत असेवित विकास खण्ड मिल्कीपुर में स्वीकृत कन्या इण्टर कालेज (मधुराज उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, अंजरौली) के निर्माण की द्वितीय किश्त तथा हाई स्कूल की मान्यता प्रदान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यामिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)-

मैं आपके माध्यम से

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री चन्द्र किशोर–

[प्रश्नगत विद्यालय को शासनादेश संख्या–595/15–78–95/3007(90)/95 टी०सी० दिनांक 31 मार्च, 1995 द्वारा विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा रु० 5.00 लाख प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किया गया है । असेवित योजनान्तर्गत द्वितीय किश्त की धनराशि तब स्वीकृति की जाती है जब कि प्रथम किश्त की धनराशि का अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापित उपभोग प्रमाण पत्र तथा विद्यालय के संचालन हेतु मा० शिक्षा परिषद् से विद्यालय को मान्यता प्राप्त हो जाती है । उक्त विद्यालय का उपभोग प्रमाण पत्र शिक्षा निदेशक द्वारा उपलब्ध कराया गया है । उपभोग प्रमाण-पत्र की मात्र छाया प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जो अधिशासी अभियन्ता द्वारा सत्यापित नहीं है । सचिव, मा० शिक्षा परिषद् के अशा०पत्रांक/मा०शि०प०/मान्यता/ख/परिषद्–9/785 दि० 28 फरवरी 2001 द्वारा अन्य प्रकरणों के साथ असेवित योजनान्तर्गत कुल 07 विद्यालयों के मान्यता के संबंध में मान्यता समिति की हुई बैठक दि० 19 फरवरी, 2001 में विचार किया गया और प्रतिबंधों की पूर्ति न होने के कारण प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया है, जिसमें विद्यालय को मान्यता से संबंधित प्रतिबंधों की बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराई गयी है । जिसका विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि कुप्रभाव न पड़ने की आख्या अप्राप्त, प्राइमरी/जूनियर कक्षायें संचालित न होने की आख्या अप्राप्त, उप विभाग, छात्र संख्या की आख्या अप्राप्त, अवैधानिक कक्षायें संचालित न होने की आख्या अप्राप्त, प्रबंध समिति का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, प्रशासन योजना के संबंध में कोई प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है । साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, अध्यापक, पुस्तकालय,प्राभूत, सुरक्षित कोष, क्रीड़ास्थल, शौचालय/मूत्रालय की कोई आख्या प्राप्त नहीं है । भवन में निर्धारित माप के एक प्रयोगशाला, एक गृह विज्ञान कक्ष, कुल दो कक्षों की कमी बतायी गयी है । विद्यालय भवन/क्रीड़ास्थल/प्राभूत की भूमि निजी स्वामित्व में होने का कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं है, विद्यालय द्वारा मान्यता संबंधी किसी भी प्रतिबंध की पूर्ति नहीं की गयी है । प्रकरण पर निर्णय लिये जाने हेतु पत्रावली उच्चादेश हेतु प्रस्तुत है । विद्यालय को अभी हाईस्कूल की मान्यता प्राप्त नहीं है । हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर पूर्व स्वीकृत धनराशि के उपभोग का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त की धनराशि रु० 5.00 लाख अवमुक्त किया जाना संभव हो सकेगा ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सहारनपुर मण्डल में टाडा, गैंगस्टर एवं बाल न्यायालयों की स्थापना न होने तथा एन०एस०ए० कोर्ट देहरादून के उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित हो जाने से वादकारियों एवं प्रशासन को हो रही असुविधाओं के संबंध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम –51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

टाडा के मुकदमों ...

माध्यमिक शिक्षा, भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री हुकुम सिंह–

[के निस्तारण के लिये सरकारी अधिसूचना संख्या–6695/सात–न्याय–2–712–85 दिनांक 05 फरवरी 1993 द्वारा अभिहित न्यायालय स्थापित किये गये थे जिनमें देहरादून में स्थापित अभिहित न्यायालय को सहारनपुर जिले के सम्पूर्ण भाग का क्षेत्राधिकार भी दिया गया था । बाद में वर्ष 1995 में शासन द्वारा टाडा के अन्तर्गत दाखिल सभी अभिलेखों को वापस ले लिया गया था । अतः यह स्पष्ट है कि जनपद देहरादून में कदाचित सहारनपुर जनपद से सम्बन्धित टाडा का कोई वाद विचाराधीन नहीं है । सहारनपुर मण्डल से सम्बन्धित अन्य जिलों का क्षेत्राधिकार वर्तमान समय में उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार अभिहित न्यायालय मेरठ को है । ऐसी स्थिति में टाडा के लिये सहारनपुर मंडल में अलग से न्यायालय स्थापित किये जाने की कोई आवश्यकता दिखायी नहीं देती ।

2—जहाँ तक गैंगस्टर ऐक्ट से संबंधित न्यायालयों का प्रश्न है उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी कार्यकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत ऐसे विशेष न्यायालयों की स्थापना अधिसूचना संख्या–1185/(सात)न्याय 701/86 दिनांक 31–7–1989 द्वारा 13 जनपदों में की गयी थी जिसमें विशेष न्यायालय मेरठ को सहारनपुर का क्षेत्राधिकार दिया गया है । सहारनपुर के मण्डल हो जाने के पश्चात् इस मण्डल में आने वाले जिलों का क्षेत्राधिकार वर्तमान समय में भी विशेष न्यायालय मेरठ को है । इस संबंध में वर्ष 1998 में मा० विधायक श्री संजय गर्ग का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर माननीय उच्च न्यायालय का अभिमत मांगा गया था किन्तु मा० उच्च न्यायालय का अभिमत प्राप्त नहीं हुआ । इसके विपरीत काफी अधिक संख्या में लम्बित मुकदमों की संख्या को देखते हुये मा० उच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर गाजियाबाद जनपद में इस अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमों के निस्तारण के लिये एक विशेष न्यायालय गठित कर दी गयी है । जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा मुकदमों की सुनवाई में उत्पन्न कठिनाई को देखते हुए पुनः सहारनपुर में ही विशेष न्यायालय स्थापित किये जाने का अनुरोध किया गया है । किन्तु मा० उच्च न्यायालय द्वारा अभी इस पर सहमति नहीं दी गयी है । मा० उच्च न्यायालय द्वारा अभिमत प्राप्त होने पर ही कोई कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

3—जहां तक बाल न्यायालयों की स्थापना का प्रश्न है इस संबंध में कोई भी कार्यवाही बाल विकास विभाग द्वारा ही की जानी है, न्याय विभाग द्वारा नहीं ।

4—देहरादून में एन०एस०ए० की कोई कोर्ट स्थापित नहीं है ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद आजमगढ़ के जिला अस्पताल के जर्जर भवन से दुर्घटना की आशंका विषयक श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० रामबाबू हरित)–

जिला चिकित्सालय, आजमगढ़

माध्यमिक शिक्षा, भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

डा० राम बाबू हरित–

[का भवन अथवा छत कहीं भी से गिरने की स्थिति में नहीं है और न ही ऐसी कोई अप्रिय घटना घटने की संभावना है । भवन के कुछ भागों में जैसे कि बरामदा, इमरजेंसी वार्ड, प्राइवेट वार्ड, चिल्ड्रेन वार्ड, महिला वार्ड के कुछ कमरों में वर्षा ऋतु में सीलन आ जाती है जो पुराना भवन होने के कारण स्वाभाविक है । वर्णित कमियों में से कुछ कमियाँ जैसे खिड़कियों के टूटे शीशे व जाली बदलने एवं रंगाई पुताई करने हेतु आवश्यक कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उनके पास वित्तीय वर्ष 2000–2001 में उपलब्ध रुपये 1,09,000/= में से करायी जा चुकी है । भवन के छत के किसी भाग से प्लास्टर गिरने की शिकायत नहीं पायी गयी ।

2—जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में सीलन को दूर करने एवं विशेष मरम्मत के प्रयास किये जा रहे हैं ।]

जनपद मुरादाबाद के कुन्दरकी क्षेत्र में गागन नदी में औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषित जलोत्सारण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अकबर हुसैन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में .....

माध्यमिक शिक्षा, भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री हुकुम सिंह–

[जनपद मुरादाबाद के कुन्दरकी क्षेत्र में गागन नदी में औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषित जलोत्सारण किये जाने से कृषकों की फसलों को नुकसान होने और जानवरों आदि के नदी का पानी पीने से तरह–तरह की बीमारियां होने का उल्लेख किया गया है ।

2—मान्यवर, इस संबंध में यह अवगत कराना है कि गागन नदी राम गंगा नदी की एक सहायक नदी है । यह नजीबाबाद तहसील जिला बिजनौर से निकल कर जनपद मुरादाबाद में ग्राम मछरियों के पास राम गंगा नदी में मिलती है । गागन नदी में कतिपय औद्योगिक इकाइयों के उत्प्रवाह के अतिरिक्त इसके किनारे स्थिति विभिन्न गॉवों, कस्बों एवं शहरों के जल-मल का भी निस्तारण होता है, जिसके कारण इसमें जल प्रदूषण की समस्या है । गागन नदी में निम्न प्रमुख उद्योगों का उत्प्रवाह निस्तारित किया जाता है । इन सभी उद्योगों में निर्धारित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है :–

(1) मेसर्स द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लि०, बुंदकी, बिजनौर ।
(2) मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि०, शुगर यूनिट, धामपुर, बिजनौर ।
(3) मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि०, आग्जेलिक एसिड, धामपुर, बिजनौर ।
(4) मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि०, स्ट्रा बोर्ड यूनिट, धामपुर, बिजनौर ।
(5) मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि०, ईथाइल एसीटेट प्लान्ट, धामपुर बिजनौर ।
(6) मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि०, कैमिकल यूनिट, धामपुर, बिजनौर ।
(7) मेसर्स बद्रीकेदार पेपर्स प्रा०लि०, नजीबाबाद, बिजनौर ।

3—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपर्युक्त उद्योगों में से क्रम सं०–1 पर अंकित उद्योग का निरीक्षण दिनांक 20 दिसम्बर, 2000 को तथा क्रमांक–2 से 5 पर अंकित उद्योगों का निरीक्षण दिनांक 06 फरवरी, 2001 को किया गया है । निरीक्षण के समय उक्त उद्योगों का उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र सुचारु रूप से संचालित पाया गया और उक्त उद्योगों का उत्प्रवाह निर्धारित मानकों के अनुरूप होने के कारण इन्हें वर्ष 2001 में संचालन की अनुमति दी गयी है ।

4—मे० धामपुर शुगर मिल्स लि०, कैमिकल यूनिट, धामपुर बिजनौर द्वारा उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन न किये जाने के कारण निस्तारित उत्प्रवाह "बोर्ड" के मानकों के अनुरूप न होने के कारण जल अधिनियम की धारा 33 ए के अन्तर्गत वर्ष 1998 में बन्दी आदेश जारी किये गये थे । इसके उपरान्त उद्योग द्वारा बायोकम्पोस्टिंग की व्यवस्था स्थापित किया गया जो शून्य निस्तारण तकनीक पर आधारित है । यह व्यवस्था उद्योग की केवल 60 प्रतिशत उत्पादन क्षमता के लिये ही पर्याप्त है । अतः उक्त क्षमता के अंतर्गत ही उद्योग को संचालन की शर्त के अंतर्गत वर्ष 2001 के लिये सहमति दी गयी है ।

5—मे० बद्रीकेदार पेपर्स प्रा०लि०, नजीबाबाद, बिजनौर का निरीक्षण "बोर्ड" द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2001 को किया गया । उद्योग द्वारा शुद्धीकरण संयंत्र के सुचारु रूप से संचालन न किये जाने के कारण इसके उत्प्रवाह के नमूनों में विभिन्न प्रचालकों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी । अतः उद्योग को उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र सुचारु रूप से चलाने एवं समुचित रख-रखाव हेतु निर्देश जारी करते हुये उद्योग की वर्ष 2001 की सहमति अस्वीकृत कर दी गयी । तदोपरान्त दिनांक 24 अप्रैल, 2001 को इस उद्योग का पुनः निरीक्षण किया गया और इस निरीक्षण में भी विभिन्न प्रचालकों की मात्रा "बोर्ड" मानकों से अधिक पायी गयी है । अतः इस उद्योग के विरुद्ध जल अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

6—जहाँ तक नदी के प्रदूषित जल से फसलों को नुकसान होने तथा जानवरों आदि के नदी का पानी पीने से बीमारियाँ होने का प्रश्न है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है, इसकी सूचना प्राप्त होने पर मा० सदस्य को अलग से यथाशीघ्र अवगत करा दूंगा ।]

जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराये जाने विषयक श्री राम अचल राजभर द्वारा नियम -51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में .....

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

[उल्लिखित कार्यों की स्थिति निम्नवत् है :–

1–सोनगांव से ताराखुर्द मार्ग

यह मार्ग वर्ष 1989-90 को जिला योजना (सामान्य) में दो किलो मीटर के लिये ईट सोलिंग से लेपन स्तर तक रु० 5.80 लाख की लागत पर स्वीकृत हुआ था । यह मार्ग वर्ष 1998 से पूर्व लेपन स्तर तक पूर्ण कराया जा चुका है ।

2–लुम्बनी दुद्धी मार्ग से ताराखुर्द मार्ग

यह कार्य वर्ष 1991-92 में जिला योजना (सामान्य) में 2 कि०मी० लम्बाई के लिये ईट सोलिंग से लेपन स्तर तक रु० 6.88 लाख की लागत पर स्वीकृत हुआ था । मार्ग का निर्माण वर्ष 1999 में पूर्ण किया जा चुका है ।

3–कुद्दा मोहम्मद गढ़ (मोहम्मदपुर) सम्पर्क मार्ग

यह मार्ग 1992-93 में 1.5 कि०मी० लम्बाई के लिये ईट सोलिंग से लेपन स्तर तक रु० 5.82 लाख की लागत पर स्वीकृत हुआ था । मार्ग का निर्माण वर्ष 2000 में पूर्ण किया जा चुका है ।

4–रामपुर मंगुरा ओला सम्पर्क मार्ग

यह मार्ग वर्ष 1997-98 में जिला योजना (अम्बेडकर) में लम्बाई 1.00 कि०मी० के लिये शून्य से लेपन स्तर तक रु० 7.00 लाख की लागत पर स्वीकृत हुआ था । परन्तु मार्ग की वास्तविक लम्बाई 600 मीटर में लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण किया जा चुका है । निर्मित लम्बाई से गांव जुड़ गया है ।

5–अकबरपुर राची बहाउद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग

यह मार्ग वर्ष 1997-98 को जिला योजना (सामान्य) में लम्बाई 1.00 कि०मी० के लिये शून्य से लेपन स्तर तक रु० 7.00 लाख की लागत पर स्वीकृत है । स्वीकृत भाग के 300 मीटर लम्बाई में मिट्टी का कार्य पूर्ण है । पत्थर के एकत्रीकरण का कार्य प्रगति पर है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

6–सम्मनपुर हजपुरा सम्पर्क मार्ग

यह मार्ग 1993-94 को जिला योजना (सामान्य) में लम्बाई 1.00 कि०मी० हेतु ईट सोलिंग से लेपन स्तर तक रु० 4.58 की लागत पर स्वीकृत हुआ था । स्वीकृत भाग के 500 मीटर में प्रथम सतह लेपन का कार्य पूर्ण है, शेष 500 मीटर में निर्मित टापकोट क्षतिग्रस्त है ।

7–रामपुर दुबे सम्पर्क मार्ग

यह कार्य आर० आई० डी० एफ०–II योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में लम्बाई 1.40 कि०मी० के लिये शून्य से लेपन स्तर तक रु० 8.40 लाख की लागत पर स्वीकृत है । सोलिंग स्तर तक कार्य पूर्ण है ।

8–अकबरपुर दोस्तपुर सम्पर्क मार्ग से देवाना कुर्चा मार्ग

यह मार्ग वर्ष 1995-96 में जिला योजना (एस०सी०पी०) के अन्तर्गत 4 कि०मी० लम्बाई के लिये ईट सोलिंग से लेपन स्तर तक रु० 21.82 लाख की लागत पर स्वीकृत है । वर्ष 1999 में इस मार्ग का कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण कराया जा चुका है । मार्ग के कि०मी० 3 व 4 में ऊसर प्रभावित क्षेत्र होने के कारण मार्ग की पटरियां क्षतिग्रस्त हैं ।

9–अकबरपुर गोहनिया सम्पर्क मार्ग

यह मार्ग 1998-99 को जिला योजना (सामान्य) में दो भागों में स्वीकृत हुआ था ।

(अ) इस मार्ग का 6 कि०मी० भाग ईट सोलिंग से लेपन स्तर तक रु० 29.82 लाख की लागत पर स्वीकृत है । कि०मी० 1 से 5 तक प्रथम सतह लेपन तथा कि०मी० 6 में द्वितीय सतह लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण है ।

(ब) इस मार्ग का 4 कि०मी० भाग (कि०मी० 7 से 10 तक, ईट सोलिंग से लेपन स्तर तक रु० 20.39 लाख की लागत पर स्वीकृत है । 700 मीटर भाग में प्रथम सतह लेपन स्तर तक तथा 1.00 कि०मी० भाग में द्वितीय सतह लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण है । 1.8 कि०मी० भाग में टापकोट तक पूर्ण है । शेष 500 मीटर भाग विवादित होने के कारण उस भाग में कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ।

10–अरिया से भुवनपुर सम्पर्क मार्ग

यह मार्ग वर्ष 1998-99 में जिला योजना (सामान्य) के अन्तर्गत शून्य से लेपन स्तर तक 2.50 कि०मी० लम्बाई के लिये रु० 17.20 लाख की लागत पर स्वीकृत है । मार्ग के 1.00 कि०मी० में प्रथम सतह लेपन का कार्य, 1.00 कि०मी० में सोलिंग स्तर तक तथा 0.5 कि०मी० में मिट्टी स्तर तक कार्य पूर्ण है ।

11–हाजीपुर से माउख सम्पर्क मार्ग

हाजीपुर से माउख नाम से कोई सम्पर्क मार्ग अभिलेखों के अनुसार स्वीकृत नहीं है ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के जहांगीर गंज क्षेत्रान्तर्गत आलापुर, अन्नापुर, रामनगर में प्रस्तावित तहसील भवन का निर्माण शीघ्र कराये जाने विषयक श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

माननीय सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद अम्बेडकर नगर की....

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

[आलापुर, अन्नापुर रामनगर में प्रस्तावित तहसील भवन के निर्माण हेतु एक किश्त 25 लाख रुपये की दी गयी थी, दूसरी किश्त न होने के कारण भवन का निर्माण कार्य अभी नहीं हुआ है अतः सम्पूर्ण धनराशि आवंटित करके निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करें । जनता में यह भी चर्चा है कि विभागीय मिली भगत से मात्रा के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है इसकी भी साथ-साथ जांच करायी जाये ।

2–जनपद अम्बेडकरनगर की नवसृजित तहसील आलापुर (रामनगर) की तहसील के अनावासीय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2000-2001 में रु० 127.44 (रुपये एक करोड़ सत्ताइस लाख चौवालिस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हुए सी० एण्ड डी० एस० उ० प्र० जल निगम को निर्माण एजेन्सी नामित किया गया है और रु० 25 लाख अवमुक्त किया गया ।

3–उपरोक्त कार्यदायी संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2000-2001 में ही कार्य प्रारम्भ कर स्थल विकास मद में सफाई, समतलीकरण तथा अस्थाई सम्पर्क मार्ग का निर्माण तथा मुख्य भवन के निर्माण हेतु फाइल फाउन्डेशन पर कुर्सी स्तर तक का कार्य किया गया है जिसमें सम्पूर्ण प्राप्त धनराशि रु० 25 लाख व्यय हो चुकी है ।

4–वित्तीय वर्ष 2001-2002 का बजट पारित हो जाने के पश्चात अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान किए जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

5–जहां तक तहसील भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता का प्रश्न है अभी जिला स्तरीय राजस्व टास्कफोर्स द्वारा नियमित रूप से सत्यापन किया जायेगा और गुणवत्ता सुनिश्चित की जायगी ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत एक हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने विषयक श्री राम जग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

इसमें माननीय मंत्री जी का स्थगन का निवेदन है इसलिये स्थगित किया जाता है।

अब हम उठते हैं दिनांक 14 मई, 2001 सोमवार को 11 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजे सोमवार दिनांक 14 मई, 2001 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 11 मई, 2001

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र०सं०–3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13-14 पर ।)

उक्त विभाजन के फलस्वरूप उ०प्र० पावर कारपोरेशन ने अपने अभियंताओं एवं कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए तथा जवाबदेह बनाने के लिए निम्नलिखित आदेश/निदेश दिए हैं :–

(क) राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए समस्त महाप्रबन्धकों (वितरण) के साथ 25–6–2000 को सहमति पत्र हस्ताक्षरित किए गए ।

(ख) महाप्रबन्धकों को अधिशासी अभियन्ताओं तक एम०ओ०यू० की क्षति 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह कम करने के निदेश ।

(ग) ट्रान्सफारमरों की क्षति 10.5 प्रतिशत प्रतिमाह कम करने के निदेश ।

(घ) लाइन लास 1 प्रतिशत बाई मंथली बेसिस पर अर्थात् 6 प्रतिशत वार्षिक करने के निदेश ।

(ङ) मुख्य महाप्रबन्धक(वितरण) तथा महाप्रबन्धक (वितरण) अपने-अपने क्षेत्रों में प्राप्त ऊर्जा की सही-सही लेखा देंगे, औद्योगिक शान्ति एवं जनसहयोग बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे । इस प्रकार के निदेश जारी ।

(च) मुख्य महाप्रबन्धकों तथा महाप्रबन्धकों को सहायक अभियन्ताओं तथा अवर अभियन्ताओं को स्थानान्तरित करने का पूर्ण अधिकार दिया जाना प्रस्तावित ।

(छ) अच्छा राजस्व वसूली के लिए प्रोत्साहन ।

(ज) सभी अधिकारी 12.00 बजे से 1 .00 बजे तक कार्यालय में अवश्य बैठें ताकि उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई न हो ।

(झ) चूँकि रिफार्म प्रोसेस अभी शैशवकाल में है स्थायी सुधार लागू करने तथा उसके परिणाम आने में कुछ समय लगेगा ।

(ञ) अभी क्षेत्रों/मण्डलों के प्रशासनिक ढांचे के कार्य पर सलाहकार की रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता०प्र०सं०–8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2001 के 2सरे शुक्रवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–8 संलग्नक ।

(लखनऊ विकास प्राधिकरण में तृतीय श्रेणी दैनिक वेतन भोगी–लिपिक के पदों पर कार्य व कर्मचारियों का विवरण जिनका विनियमितीकरण किया गया है)

क्रम सं०	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	दै०वे०भो० पर नियुक्ति तिथि
1	सर्वश्री श्रीमती सरोज पोरवाल	के०एल० गुप्ता	1-6-56	14-7-81
2	शिव प्रताप सिंह	गंगाबक्श सिंह	1-7-66	26-7-84
3	रामनरेश	एम० लाल	3-4-63	15-9-84
4	इश्तियाक अली	मो० अब्बास	1-8-60	6-10-86
5	श्रीमती वीना कपूर	यशपाल कपूर	27-11-63	10-12-86
6	प्रहलाद कुमार निगम	लक्ष्मी नरायण	20-6-64	26-12-86
7	हसनजरात नकवी	एच०आर० नकवी	1-1-69	1-2-87
8	मान बहादुर सिंह	जे०सिंह	15-7-62	1-2-87
9	श्रीमती राधा जायसवाल	बुद्धिराम वर्मा	8-6-66	26-2-87
10	देव नरायण द्विवेदी	प्यारे लाल द्विवेदी	7-8-62	2-5-87
11	कु० हेमलता	स्व० त्रिलोकी नाथ	28-3-84	3-6-87
12	अजय कुमार सिंह	पी०सी० सिंह	9-9-65	26-9-87
13	शिव कुमार	सतनू	15-9-59	26-9-87
14	विमलेन्द्र कु० त्रिवेदी	टी०एन० त्रिवेदी	19-6-67	26-11-87
15	उमाशंकर	गया प्रसाद	7-7-62	21-12-87
16	इशरार अहमद	रहीम बक्श	5-7-65	26-12-87
17	कृष्ण कुमार गौढ़	एस०आर० गौढ़	3-4-59	26-6-88
18	विनय कुमार सिंह	भुवनेश्वर सिंह	24-1-65	7-7-88
19	श्रीमती मंजीत चौधरी	पूरन सिंह	2-2-55	7-7-88
20	कु० उर्वशी श्रीवास्तव	कैलास कुमार	9-7-63	16-7-88

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	दै०वे०भो० पर
21	गिरधारी लाल सोमानी	कृष्ण सोमानी	1-5-59	17-7-88
22	दिलीप कुमार सिन्हा	सूरज प्रसाद	28-8-59	26-7-88
23	अजय वीर सिंह	बैजनाथ प्रसाद	2-12-55	20-9-88
24	श्रीमती मंजू साहू	एम०एस०साहू	11-3-60	28-11-88
25	वीरेन्द्र कुमार	राम किशोर	2-7-61	26-12-88
26	परदेशी सिंह	जद्दू सिंह	5-3-69	26-5-89
27	लाल बहादुर	राम चरन	13-11-59	26-10-89

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र०सं०–26 का उत्तर पीछे पृ० 34 पर ।)

संलग्नक-क

दिनांक 09-08-2000 से लागू विद्युत दरें

दर सूची	विवरण	वर्तमान दरें	प्रस्तावित दरें
एल०एम०वी–1 घरेलू बत्ती, पंखा	मीटर रहित संयोजन (2 कि०वा० तक 10,000 तक आबादी)	रु० 62/संयोजन/माह	रु० 150/संयोजन/माह
	मीटर सहित संयोजन		
	(अ) आवासीय कालोनी		
	(1) फिक्स चार्ज		
	(क) 1 कि०वा० तक एक फेज	रु० 25/संयोजन/माह	रु० 50/कि०वा०/माह
	(ख) 1कि०वा० से अधिक एक फेज	रु० 50 संयोजन/माह	रु० 50 / कि०वा०/माह
	(ग) 4 कि०वा० से अधिक तीन फेज	रु० 150/ संयोजन/माह	रु० 50/कि०वा०/माह
	(II) इनर्जी चार्ज	250 पै०/यूनिट	400 पै० / यूनिट
	(ब) अन्य मीटर सहित		
	(I) फिक्स चार्ज		
	(क) 1 कि०वा० तक एक फेज	रु० 25 / संयोजन/माह	रु० 50/कि०वा०/माह
	(ख) 1 कि०वा० से अधिक एक फेज	रु० 50/संयोजन/माह	रु० 50/ कि०वा०/माह
	(ग) 4 कि०वा० से अधिक तीन फेज	रु० 150/संयोजन/माह	रु० 50/कि०वा०/माह
	(II) इनर्जी चार्ज		
	50 यूनिट/माह तक	180 पै०/ यूनिट	350 पै० / यूनिट
	51 से 100 यूनिट /माह	180 पै० /यूनिट	400 पै०/यूनिट
	तक 101 से 200 यूनिट तक	225 पै०/यूनिट	400 पै०/यूनिट
	शेष यूनिट	280 पै०/ यूनिट	450 पै०/यूनिट

दर सूची	विवरण	वर्तमान दरें	प्रस्तावित दरें
एल०एम०वी०–2 वाणिज्यिक बत्ती पंखा	मीटर रहित संयोजन (2 कि०वाट तक, 10,000 तक आबादी)	रु० 95 /संयोजन/माह	रु० 200/संयोजन/माह
	मीटर सहित संयोजन		
	(I) फिक्स चार्ज		
	(क) 1कि०वा० तक एक फेज	रु० 35 /संयोजन/माह	रु० 70 /कि०वा०/माह
	(ख) 1कि०वा० से अधिक एक फेज	रु० 75 / संयोजन/माह	रु० 70/कि०वा०/माह
	(ग) 4कि०वा० से अधिक तीन फेज	रु० 225/ संयोजन/माह	रु० 70/कि०वा०/माह
	(II) इनर्जी चार्ज	425 पै०/यूनिट	425पै०/यूनिट
	50 यूनिट/माह तक	425 पै०/यूनिट	500 पै० /यूनिट
	51 से 100 यूनिट/माह	450 पै०/यूनिट	500 पै०/यूनिट
	शेष यूनिट	रु० 190/कि०वा०	रु० 200/कि०वा०
	अतिरिक्त डिमान्ड	रु० 190/कि०वा०/माह	रु० 200/कि०वा०/माह
	एम०सी०जी०–5 कि०वा० तक	रु० 220/कि०वा०/माह	रु० 250/कि०वा०/माह
	10 कि०वा० तक	रु० 250/कि०वा०/माह	रु० 300/कि०वा०/माह
	10 कि०वा० से अधिक	रु० 440/कि०वा०/माह	रु० 500/कि०वा०/माह
	एम०डी०आई० सहित		
एल०एम०वी०–3 सार्वजनिक प्रकाश	मीटर सहित संयोजन	290 पै०/यूनिट	रु० 450 पै०/यूनिट/माह
	मीटर रहित संयोजन		
	(I) 100 वाट तक		
	10,000 जनसंख्या तक		
	10,000 से 1,00000	रु० 55/माह	रु० 100/माह
	तक जनसंख्या	रु० 60/माह	रु० 110/माह
	1,00000 से अधिक जनसंख्या	रु० 65/माह	रु० 120/माह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दर सूची	विवरण	वर्तमान दरें	प्रस्तावित दरें
	(II) 100 वाट से अधिक एवं 250 वाट तक		
	10,000 जनसंख्या तक	रु० 140/माह	रु० 255/माह
	10,000 से 1,00000 तक जनसंख्या	रु० 155/माह	रु० 285/माह
	1,00000 से अधिक जनसंख्या	रु० 170/माह	रु० 310/माह
	(III) 250 वाट से अधिक एवं 500 वाट तक		
	10,000 जनसंख्या तक	रु० 280/माह	रु० 510/माह
	10,000 से 1,00000 तक जनसंख्या	रु० 300/माह	रु० 550/माह
	1,00000 से अधिक जनसंख्या	रु० 325/माह	रु० 600/माह
एल०एम०वी०–4	(I) फिक्स चार्ज		
सार्वजनिक संस्थाओं के लिए बत्ती एवं पंखा	(क) 1 कि० वा० तक एक फेज	रु० 30/ संयोजन/ माह	रु० 50/ कि० वा०/ माह
	(ख) 1 कि० वा० से अधिक एक फेज	रु० 60/ संयोजन/ माह	रु० 50/ कि० वा०/ माह
	(ग) 4 कि० वा० से अधिक तीन फेज	रु० 160/ संयोजन/ माह	रु० 50/ कि० वा०/ माह
	(II) इनर्जी चार्ज	190 पैसे/ माह	350 पैसे/ माह
	100 यूनिट/माह तक	250 पैसे/ माह	400 पैसे/ माह
	101 से 300 यूनिट तक	290 पैसे/ माह	450 पैसे/ माह
	शेष यूनिट		
एल०एम०वी०–5	मीटर रहित संयोजन		
निजी नलकूप	(I) 10 अ०श० तक	रु० 55/ अ०श०	रु० 105/ अ०श०
	(II) 10 अ०श० से अधिक	रु० 60/ अ०श०/ माह	रु० 125/ अ०श०/ माह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दर सूची	विवरण	वर्तमान दरें	प्रस्तावित दरें
	मीटर सहित संयोजन		
	ग्रामीण	70 पैसे/ यूनिट	115 पैसे/ यूनिट
	न्यूनतम देय	रु० 50/ अ०श०/ माह	रु० 105/ अ०श०/ माह
	नगरीय	290 पैसे/ यूनिट	400 पैसे/ यूनिट
	न्यूनतम देय	रु० 90/ अ०श०/ माह	रु० 125/ अ०श०/ माह
एल०एम०वी०–6	25 अ०श० तक		
लघु एवं मध्यम उद्योग	फिक्सड चार्ज	रु० 30/ अ०श०/ माह	रु० 80/ अ०श०/ माह
	इनर्जी चार्ज	390 पैसे/ यूनिट	419 पैसे/ यूनिट
	25 अ०श० से 100 अ०श० तक		
	एम०डी०आई रहित		
	फिक्सड चार्ज	रु० 45/ अ०श०/ माह	रु० 80/ अ०श०/ माह
	इनर्जी चार्ज	410 पैसे/ यूनिट	419 पैसे/ यूनिट
	एम०डी० आई सहित		
	फिक्सड चार्ज	रु० 115/ के०वी०ए०	रु० 150/ अ०श०/ माह
	इनर्जी चार्ज	410 पैसे/ यूनिट	419 पैसे/ यूनिट
	न्यूनतम देय		
	25 अ०श० तक		
	ग्रामीण	रु० 162/ अ०श०	रु० 170/ अ०श०
	नगरीय	रु० 245/ अ०श०	रु० 255/ अ०श०
	25 अ०श० से अधिक		
	ग्रामीण	रु० 215/ अ०श०	रु० 225/ अ०श०
	नगरीय	रु० 300/ अ०श०	रु० 315/ अ०श०
	एम०डी० आई सहित		
	ग्रामीण	रु० 280/ अ०श०	रु० 290/ अ०श०
	नगरीय	रु० 355/ अ०श०	रु० 365/ अ०श०
एल०एम०वी०–7	यूनिट चार्ज	280 पै०/ यूनिट	रु० 450/ अ०श०
जलकल	न्यूनतम देय	रु० 485/ कि०वा०	रु० 500/ अ०श०
एल०एम०वी०–8	मीटर सहित संयोजन		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दर सूची	विवरण	वर्तमान दरें	प्रस्तावित दरें
राजकीय नलकूप	फिक्सड चार्ज	रु० 100/ नलकूप/ माह	रु० 650/ नलकूप/ माह
	इनर्जी चार्ज	100 पै०/ यूनिट	450 पै०/ यूनिट
	मीटर रहित संयोजन		
	(I) राजकीय नलकूप/ पम्प कैनाल विश्व बैंक/ इण्डोडच ट्यूबवेल	रु० 350/ अ०श० माह	रु० 1200/ अ०श०/माह
	(II) लघुडाल नहर	रु० 490/ अ०श०/ माह	रु० 1200/ अ०श०/माह
एल०एम०वी०–9 अस्थाई संयोजन	(अ) 10 कि०वा० भार तक		
	एक दिन के लिये	रु० 750/ दिन	रु० 750/ दिन
	अतिरिक्त दिनों के लिये	रु० 270/ दिन	रु० 270/ दिन
	अस्थायी दुकानें (2 कि०वा० तक)	रु० 75/ दिन	रु० 75/ दिन
	(ब) झुग्गी झोपड़ी		
	ग्रामीण	रु० 75/ संयोजन/ माह	रु० 75/ संयोजन/ माह
	नगरीय	रु० 150/ संयोजन/ माह	रु० 150/ संयोजन/ माह
	(स) अन्य	25: अतिरिक्त	25: अतिरिक्त
एल०एम०वी०–10 विभागीय	(1) चतुर्थ श्रेणी एवं परिचालकीय वर्ग	रु० 45.00	3050–4590 रु० 100
	(2) तृतीय श्रेणी		3200–4900 रु० 120
	(3) अवर अभियन्ता एवं समकक्ष	रु० 65.00	3500–5455 रु० 140
	(4) सहायक अभियन्ता एवं समकक्ष		4200–6400 रु० 150
	(5) अधिशासी अभियन्ता एवं समकक्ष		4500–7500 रु० 160
	(6) उप महाप्रबन्धक एवं समकक्ष		5300–8600 रु० 170 5300-9100-रु० 180
	(7) मुख्य महाप्रबन्धक एवं महाप्रबन्धक एवं समकक्ष		5850–9400 रु० 190 6000–10400 रु० 200
		रु० 130.00	6500–11000 रु० 225 8550–13500 रु० 250

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दर सूची	विवरण	वर्तमान दरें	प्रस्तावित दरें
		रु० 195.00	10650–15200 रु० 275
		रु० 195.00	14300–18300 रु० 300
		रु० 260.00	16400–2000 रु० 350
		रु० 325.00	18400–22400 रु० 400
			21350–23975 रु० 450
एच०वी०–2 भारी उद्योग	डिमान्ड चार्ज	रु० 130/ के०वी०ए०/माह	रु० 150/ के०वी०ए०/माह
	एनर्जी चार्ज	390 पै०/ यूनिट	419 पै०/ यूनिट
	अतिरिक्त डिमान्ड	रु० 200/ के०वी०ए०	रु० 200/ के०वी०ए०
	न्यूनतम देय		
	प्रतिबंधित/ ग्रामीण आपूर्ति	रु० 315/ के०वी०ए०/माह	रु० 330/ के०वी०ए०/माह
	प्रतिबंधित/ नगरीय आपूर्ति	रु० 378/ के०वी०ए०/माह	रु० 400/ के०वी०ए०/माह
	अप्रतिबंधित नगरीय आपूर्ति	रु० 525/ के०वी०ए०/माह	रु० 550/ के०वी०ए०/माह
एच०वी०–3 रेलवे ट्रैक्शन	डिमान्ड चार्ज	रु० 135/ के०वी०ए०/माह	रु० 150/ के०वी०ए०/माह
	एनर्जी चार्ज	395 पै०/ कि०वा०	419 पै०/ कि०वा०
	अतिरिक्त डिमान्ड	रु० 200/ के०वी०ए०	रु० 200/ के०वी०ए०
	न्यूनतम देय	रु० 585/ के०वी०ए०/माह	रु० 600/ के०वी०ए०/माह
एच०वी०–4 पम्प कैनाल	डिमान्ड चार्ज	रु० 120/ के०वी०ए०/माह	रु० 150/ के०वी०ए०/माह
	एनर्जी चार्ज	250 पै०/ कि०वा०	410 पै०/ कि०वा०
	अतिरिक्त डिमान्ड	रु० 200/ के०वी०ए०	रु० 200/ के०वी०ए०
	न्यूनतम देय	रु० 160/ के०वी०ए०	रु० 170/ के०वी०ए०

नरेश अग्रवाल,

ऊर्जा मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र०सं०–61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के द्वितीय शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री अजय कुमार पोइया मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–61 के उत्तर के सम्बन्धित सूची

क्रमांक	भवन सं०	आवंटी का नाम	पता
1	5/560	श्री जे०पी० सिंह	5/261, विकास नगर, लखनऊ
2	5/562	श्री अवनीश उपाध्याय	इण्डस्ट्रीयल इंवेस्टमेंट बैंक आफ इण्डियासम नियर प्लाजा 7 फ्लोर 769 अम्ना सलाई चेन्नई ।
3	5/591	श्री राजेन्द्र बिहारी	जे–4/6, डालीबाग आफीसर कालोनी, लखनऊ ।
4	5/717	श्री शाबिर अली	अधिवक्ता हाईकोर्ट अवध बार एसोसियेशन लखनऊ ।
5	5/719	श्री एच०सी० तिवारी	बी–1263 इन्दिरानगर, लखनऊ ।
6	5/734	श्री जंग बहादुर लाल	भवन सं०–एच–57, कर्मपुरा, नई दिल्ली ।
7	5/755	श्री प्रभाकर मिश्र	अवर अभियंता, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ ।
8	5/756	श्रीमती रूपा श्रीवास्तव	2/373, विराम खंड, गोमती नगर लखनऊ ।
9	5/769	श्रीमती विमला	बड़ी जुगोली गोमतीनगर, लखनऊ ।
10	5/801	श्री अमर सिंह रघुवंशी	542, पाँचवाँ तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
11	5/908	श्रीमती बीना कुमारी	ई–4325, राजाजीपुरम्, लखनऊ ।
12	5/909	बिन्नी त्रिपाठी	3/383, विवेक खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
13	5/947	श्री दिनेश चन्द्र	5/35, विकास खण्ड, गोमतीनगर योजना, लखनऊ ।
14	5/958	श्रीमती सावित्री सिंह	श्री अरविन्द कुमार सिंह थाना गोमतीनगर, लखनऊ ।
15	5/961	श्री बी०डी० डिमरी	ए–1249, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।
16	5/975	श्री दिनेश कुमार	56, हाता दुर्गा प्रसाद, सूरज कुँज, लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	भवन सं०	आवंटी का नाम	पता
17	5/981	श्रीमती नीलम गुप्ता	111/201 हर्ष नगर, कानपुर ।
18	5/1013	श्री जगदीश यादव	ग्राम–थाहपुर, पोस्ट–नौहराह, आजमगढ़ ।
19	5/1024	अवनि कमल श्रीवास्तव	बी–1/2 पेपर मिल कालोनी, लखनऊ ।
20	5/1059	श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव	9/736,इन्दिरानगर, लखनऊ ।
21	5/1061	श्री अशोक कुमार अवस्थी	ई–1/610, गोमतीनगर, लखनऊ ।
22	5/1064	श्रीमती उमापाल सिंह	46/10 पेपर मिल कालोनी, लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल०–253 विधान सभा (439)–10-10-2001–813 (डी०टी०पी०) ।